हमारे बैंक को राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार

महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील के कर-कमलों से श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2009-10 के लिए 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.वी.नायर.
उनके साथ खड़े हैं माननीय श्री पी.चिदम्बरम, केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार.

माननीय डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक से वर्ष 2009-10 के लिए 'ख' क्षेत्र में प्रथम तथा 'क' एवं 'ग' क्षेत्रों में प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु शील्ड प्राप्त करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस.सी.कालिया. उनके साथ खड़े हैं डॉ के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, हमारे बैंक के महाप्रबंधक (कार्मिक व मासं) श्री डी.के.जैन तथा श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रभारी राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग,के.का.

वित्तीय समावेशन - विविध आयाम

वित्तीय समावेशन - विविध आयाम

अरुण श्रीवास्तव

नवल दीक्षित

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

www.unionbankofindia.co.in | टोल फ्री नं.1800 22 2244

वित्तीय समावेशन - विविध आयाम

संपादक

अरुण श्रीवास्तव

नवल दीक्षित

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 021
फोन : 022 22896610/22896612
फैक्सः 022-22048632
email:arunsrivastava@unionbankofindia.com

स्टाफ महाविद्यालय
बन्नेरघट्टा रोड, बेंगलूर - 560083
फोन : 080-22639001/22639022
फैक्सः 080-27828627
email:navalkishored@unionbankofindia.com

वित्तीय समावेशन - विविध आयाम

संरक्षक
- **एम.वी.नायर**
  अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मार्गदर्शन
- **एस.एस.मूंदड़ा**
  कार्यपालक निदेशक
- **एस.के.जैन**
  कार्यपालक निदेशक

विशेष सहयोग
- **एस.एस.घुगरे**
  महाप्रबंधक (वित्तीय समावेशन)
- **डी.के.जैन**
  महाप्रबंधक (कार्मिक एवं.मा.सं.)
- **वी.एल.वैद्य**
  उप प्राचार्य (स्टाफ महाविद्यालय)

प्रधान संपादक
- **अरुण श्रीवास्तव**
  प्रभारी, राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग
  केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

संपादक
- **नवल दीक्षित**
  राजभाषा प्रभारी
  स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूर

मुखपृष्ठ संकल्पना
- **प्रदीप सिंह**
  राजभाषा प्रभारी
  क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

प्रथम संस्करण : दिसंबर 2011

मुद्रकः **लावण्या मुद्रणा,** बेंगलूर, फोनः 080-26610563

इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है. स्रोत का उल्लेख करने पर इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों को पूर्णतया या आंशिक तौर पर उद्धृत किये जाने पर बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एम.वी. नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा बैंक हर वर्ष बैंकिंग के सम-सामयिक विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है, और विशेष बात यह है कि पुस्तकें जन-भाषा हिन्दी में प्रकाशित की जा रही हैं. इसी क्रम में हमारे बैंक का यह चौथा प्रयास 'वित्तीय समावेशन - विविध आयाम' प्रस्तुत किया जा रहा है. वास्तव में बैंक में राजभाषा की प्रगति का यह एक सर्वथा नवीन एवं अनूठा आयाम है, जिसके परिणामों के प्रति हम पूर्णतः आश्वस्त हैं.

यह सर्व विदित है कि वित्तीय समावेशन आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके माध्यम से बैंक वंचित लोगों व बैंकिंग सेवा से रहित क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर लाभकारी योजनाओं का प्रसार कर सकता है. इस ज्वलंत विषय पर हमारे कुशल स्टाफ ने कलम चलाई है और उत्तम कोटि के लेखों का सृजन किया है. मैं उन सभी स्टाफ लेखकों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ, साथ ही हमारे केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मुंबई और स्टाफ कॉलेज, बेंगलूर के भी हम ह्रदय से आभारी हैं, जिनके अथक परिश्रम व सूझबूझ से यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है.

मैं इस पुस्तक की सफलता की कामना करते हुए आशा करता हूं कि इसका लाभ अधिकाधिक जनता तक पहुंचे और इसके माध्यम से सभी संबंधितों, चाहे वह हमारा स्टाफ हो या हमारे अनमोल ग्राहक, की जानकारी में अभिवृद्धि हो. मुझे यकीन है कि हिन्दी में बैंकिंग विषयों पर पुस्तक प्रकाशन की यह कड़ी पाठकों को पसंद आएगी और उपयोगी बनेगी. आशा है, इसकी सफलता से प्रेरित होकर हम इस उत्तम श्रृंखला को भविष्य में भी जारी रख सकेंगे.

पुनः शुभकामनाओं सहित,

एम वि नायर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एस.एस. मूंदड़ा
कार्यपालक निदेशक

मुझे अति प्रसन्नता है कि हमारे यूनियन बैंक द्वारा 'वित्तीय समावेशन-विविध आयाम' पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है. इससे अधिक खुशी इस बात की है कि यह पुस्तक हमारे देश की राजभाषा हिन्दी में लिखे गए उत्कृष्ट लेखों का संकलन है. ये लेख हमारे ही बैंक के ज्ञानवान और कुशल स्टाफ सदस्यों द्वारा वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर लिखे गए हैं और इनका प्रकाशन संयुक्त रुप से हमारे राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मुंबई और स्टाफ कालेज, बेंगलूर द्वारा किया गया है.

'वित्तीय समावेशन' का प्रमुख उद्देश्य है, ऐसे वंचित जनों को बैंकिंग के दायरे में लाना और लाभान्वित करना, जो अभी तक वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता से दूर हैं और जो साहूकारों और जमीदारों के शोषण के शिकार हैं, जिनका जीवन निर्धनता के अंधेरे से मुक्त नहीं हो पाया है तथा जिनके क्षेत्रों में बैंकिंग का प्रकाश अब तक नहीं पहुंच सका है. विकास के साथ-साथ जहां शहरों और गांवों का अंतर कम होता जा रहा है, वहीं विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ अब तक गांवों में पहुंचाना शेष है, साथ ही शहरी निर्धन आबादी भी हमारा लक्षित ग्राहक है, यह सामाजिक जिम्मेदारी हम सबकी है.

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह प्रकाशन इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे स्टाफ और ग्राहकों दोनों में ही नव-जागरण लाएगा. इस उत्तम पुस्तक से संबंधित सभी सुधीजनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

एस एस मूंदड़ा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एस.के.जैन
कार्यपालक निदेशक

मुझे यूनियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण करने साथ ही यह अहसास हो गया है कि हमारा बैंक राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में अत्यंत जागरूक और सक्रिय है. बैंक में हिन्दी में किए जा रहे सामान्य कार्यकलापों के अलावा भी कई ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो अपने आप में सर्वथा नवोन्मेषी और प्रगतिशील हैं. 'वित्तीय समावेशन - विविध आयाम' पुस्तक का हिन्दी में प्रकाशन इसी क्रम की एक कड़ी है.

बैंकिंग के वर्तमान दौर में देश के वंचित जन तक, जो अब भी बड़ी संख्या में साहूकारों के चंगुल में फंसे हैं और जो बैंकिंग रहित क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाना और उन्हें वित्तीय समावेशन के लाभ पहुंचाना, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, साथ ही इस संबंध में हमारे सुयोग्य कार्मिकों को ज्ञानवान बनाना भी हमारा ही दायित्व है. ऐसी अवस्था में सर्वप्रिय भाषा हिन्दी के माध्यम से 'वित्तीय समावेशन' के प्रति जागरूकता लाना एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है.

मैं इस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए बैंक के योग्य स्टाफ से प्राप्त लेखों के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर और अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पुस्तक के लिए उपयोगी व रोचक लेख लिखे. बैंक का राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग और स्टाफ कालेज, बेंगलूर भी प्रशंसा का पात्र है, जिसने इसे सुंदर पुस्तक के रूप में अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया. मैं हृदय से उनके इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे सुधी पाठकों का भी सत्कार प्राप्त होगा.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

एस. के. जैन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

सम्पादक की कलम से....

वित्त वह धुरी है, जिसके सहारे आर्थिक विकास का पहिया घूमता है. यह धुरी जितनी अधिक सशक्त होगी, विकास के पहिए की गति भी उतनी ही तेज व संतुलित होगी. सम्पूर्ण समाज के विकास की संकल्पना संतुलित अर्थव्यवस्था एवं उसके समग्र विकास के संदर्भ में की जाती है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग व क्षेत्र की समुचित एवं आनुपातिक भागीदारी हो. जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर की संकल्पना शरीर के सभी अंगों तक रक्तसंचार पर निहित है; उसी प्रकार किसी राष्ट्र के नागरिक का विकास का मानक अनिवार्य जीवन सुविधाओं के उपभोग में उसकी सहभागिता से है. लेकिन वास्तव में आज भी विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं की कमोवेश यह स्थिति है कि उसका एक तबका विकास की बयार से अभी भी अछूता ही नहीं अपितु मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं से वंचित भी है. यही कारण है कि समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से उन्हें मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'वित्तीय समावेशन' की अवधारणा का जन्म हुआ और विश्व की सभी अर्थव्यस्थाओं ने एक मिशन के रूप में 'वित्तीय समावेशन' को अपना ध्येय वाक्य बनाया.

यदि हम भारत के संदर्भ में मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं से व्यक्तियों के वंचित होने की बात करें, तो यहां स्थिति और भी भयावह है. स्वतंत्रता के 6 दशक बाद भी देश की लगभग 41 प्रतिशत आबादी इन सुविधाओं से वंचित है. गांधी जी ने कहा था कि समाज को समृद्ध नहीं कहा जा सकता है जब तक उसमें एक भी प्राणी भूखा हो. अतः साधन विहीन, उपेक्षा के शिकार व्यक्ति, जो आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, विकास की मुख्य धारा से जोड़ना आज की अतीव आवश्यकता है. इसका उपाय एक ही है, देश के हर व्यक्ति को सुविधा संपन्न बनाते हुए उसे न केवल वित्तीय अपितु आर्थिक व सामाजिक सहायता भी प्रदान की जाए ताकि वह भविष्य में किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक अथवा व्यावसायिक शोषण का शिकार न बन सके तथा अपनी अर्जित आजीविका से एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके. "वित्तीय समावेशन" सरकार का इसी दिशा में उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है.

"वित्तीय समावेशन" के माध्यम से समाज के वित्त विहीन, साधन विहीन तथा उपेक्षित वर्ग को बैंकों से जोड़ कर उन्हें सरकारी मदद के लिए सीधा सरकारी तंत्र से जोड़ा जाना है ताकि वह अपनी मेहनत का लाभ पूर्ण हक के साथ पा सके तथा इसके लिये उसे बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े. उनपर अकस्मात आई घरेलू परेशानी के लिए सूक्ष्म ऋण

के माध्यम से साधन उपलब्ध कराए जा सकें और सूदखोरों से उनका बचाव हो सके. परिवार-मुखिया के न रहने पर सूक्ष्म बीमा के माध्यम से कुछ राशि परिवार को प्राप्त हो सके, साथ ही सूक्ष्म प्रेषण के माध्यम से घर से दूर शहरों में जा कर काम करके पैसा अपने घर भेजने के लिए सुविधा प्रदान की जा सके.

गांवों को विकास का केन्द्र बिन्दु (फोकल पाइंट) बनाने की भारत सरकार की संकल्पना को साकार करने की प्रक्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खान समिति की सिफारिशों के आधार पर केवाईसी मानदंडों में ढील देते हुए 'नो फ्रिल्स' बचत खाते खोलने की शुरूआत की गई और 'वित्तीय समावेशन' पर डॉ.सी. रंगराजन समिति एवं अग्रणी बैंक योजना पर श्रीमती उषा थोराट समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की एक व्यापक त्रैवार्षिक योजना तैयार की गई है, जिसका सफल कार्यान्वयन देश के विकास का नया इतिहास लिखेगा.

उल्लेखनीय है कि यूनियन बैंक द्वारा प्रारम्भ से ही सरकार की विकास योजनाओं, विशेषकर गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है तथा बैंक ने सदैव लक्ष्य से बेहतर परिणाम दिये हैं. यही कारण है कि वर्ष 2011-12 के बजट में भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लक्ष्य को अपना फोकस बिन्दु बनाये जाने पर हमारे बैंक ने अपनी वार्षिक कारोबार योजना में इसे प्राथमिकता देते हुए एक मिशन के रूप में अपनाया, जिसके तहत समाज के पिछड़े तथा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंक द्वारा मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा इनके समुचित व शाश्वत उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मिशन की सफलता हेतु बैंक द्वारा संबंधित स्टाफ को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है और इसकी एक कड़ी के रूप में बैंक द्वारा वित्तीय विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन योजना के तहत इस वर्ष **"वित्तीय समावेशन"** पर यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है, जिसमें स्टाफ सदस्यों से प्राप्त रचनाओं के जरिये वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया है. इस पुस्तक के प्रकाशन में उच्च प्रबंधन से प्राप्त मार्गदर्शन हेतु हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा जिन रचनाधर्मियों ने अपने सार्थक लेखों के जरिये इस पुस्तक को साकार करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. हमें आशा है कि भविष्य में भी हमें उनका इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा.

आशा है कि पुस्तक में प्रस्तुत जानकारी पाठकों के लिए काफी उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध होगी. इसके विषय में अपके सुझावों एवं विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी.

नवल दीक्षित **अरुण श्रीवास्तव**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अनुक्रम

❑ **यूनियन बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन - संकल्पना, पहल एवं उत्पाद**
- एस.एस.घुगरे 1

o **भारतीय आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का योगदान**
- ममता मल्होत्रा 11

o **वित्तीय समावेशन : वैश्विक अनुभव**
- पुष्कर कुमार सिन्हा 17

o **वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारतीय पहल**
- शिव प्रकाश 25

o **वित्तीय समावेशन : दूरस्थ पहुँच**
- कल्याण कुमार 34

o **वित्तीय समावेशन - समग्र विकास की कुंजी**
- बृजेश कुमार तिवारी 46

o **वित्तीय समावेशन - सामाजिक दायित्व या व्यावसायिक अवसर**
- श्रीमंत 51

o **शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की चुनौतियां**
- सुनीता वंजानी 56

o **वित्तीय समावेशन में सहायक वित्तीय उत्पाद - बचत, ऋण उत्पाद, बीमा एवं धन प्रेषण**
- मुकेश भारती 62

- **वित्तीय समावेशन - केवाईसी मानदंड एवं नो फ्रिल खाते**
  - बी.एस.एन. मूर्ति 70
- **वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी का महत्व**
  - अखिलेश्वर चौधरी 76
- **वित्तीय समावेशन के आईसीटी संबंधी सुरक्षा जोखिमों का शमन**
  - गणेश तिवारी 84
- **वित्तीय समावेशन का आधार - यूआईएडी**
  - ए.वी. कृष्ण कुमार 93
- **पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली का वित्तीय समावेशन में योगदान**
  - संतोष श्रीवास्तव 100
- **वित्तीय साक्षरता को साक्षरता केंद्रों एवं रूडसेटी का सहयोग**
  - डॉ. चेतना पांडेय 106
- **वित्तीय साक्षरता - स्वयं सहायता समूह का आधार-स्तंभ**
  - एन. जयराम 120
- **वित्तीय साक्षरता से वित्तीय समावेशन की ओर**
  - पूजा कौड़ा 129
- **वित्तीय समावेशन - वर्तमान परिदृश्य और चुनौतियां**
  - एस.के. शुक्ला 136
- **वित्तीय समावेशन में आदर्श ग्राम योजना का महत्व**
  - बजरंग लाल कुमावत 142
- **वित्तीय समावेशन का संवाहक - बीसीबीएफ मॉडल**
  - नितिन गोसावी 148
- **बीसीबीएफ मॉडल एवं रोजगार के अवसर**
  - राकेश कुमार गुप्ता 158
- **जेंडर बजटिंग, नारी सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन**
  - उमा सतीश 163
- **वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका एवं महत्व**
  - रामलिंगेश्वर राव 174
- **वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता एवं स्वसहायता समूह - सफलता की कहानियां**
  - वी मरड्डी 179
- **सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय साक्षरता**
  - डॉ. अजित मराठे 185
- **सूक्ष्म वित्त प्रणाली - विविध आयाम तथा चुनौतियाँ**
  - अशोक गुप्ता 191
- **सूक्ष्म वित्त में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका**
  - संदीप गुप्ता 195
- **सूक्ष्म वित्त प्रबंधन एवं सरकारी योजनाएं**
  - रणनिपुण बनर्जी 205

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय समावेशन - संकल्पना, पहल एवं उत्पाद

एस.एस.घुगरे

यद्यपि भारत में "वित्तीय समावेशन" शब्द प्रचलित नहीं था, तथापि भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समाज के वित्तीय दृष्टि से पिछड़े तथा कमजोर क्षेत्र को औपचारिक वित्तीय पद्धति के दायरे में लाने के लिए समय - समय पर कई नीतियां प्रारंभ की हैं. जिनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अग्रणी बैंक योजना के जरिए शाखा विस्तार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संस्थापना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करना, डीआरआई वित्तपोषण, सूक्ष्म वित्त तथा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा एसएचजी को सूक्ष्म वित्तपोषण के लिए बैंकों से समन्वयन को प्रोत्साहित करना प्रमुख है. इस दिशा में कई कदम उठाने के बावजूद अभी भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अधिकांश लोग वित्तीय क्षेत्रों द्वारा प्रदान सेवाओं तथा अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रहे हैं.

वित्तीय सेवाओं की कमी से लोगों के साथ-साथ देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है. वित्तीय अपवर्जन निर्धनता का लक्षण ही नहीं अपितु कारण भी है. इसके कारण कई परिवार न कोई बचत कर पाते हैं तथा न ही कोई योजना बना पाते हैं. बैंकिंग सेवाओं से वंचित अधिकतर लोग अल्पावधि एवं दीर्घावधि वित्तीय सहायता से वंचित रह जाते हैं. अत. ऐसे लोगों के लिए वित्तीय समावेशन समय की मांग है.

यह माना जाता है कि वित्तीय समावेशन समग्र आर्थिक विकास हेतु निर्मित किसी भी योजना व प्रयास में अंतर्निहित होता है. सुरक्षित बचत, सुलभ ऋण, समुचित भुगतान सेवाएं तथा बीमा की सुविधा से लोग अपनी आय बढ़ाने, पूंजी जमा करने, जोखिम का प्रबंध तथा गरीबी से उबर सकते हैं. वित्तीय समावेशन के विविध तरीकों की स्पष्ट परिभाषा तथा समुचित जानकारी से यह माना जाता है कि वित्तीय अपवर्जन के कारणों

की पहचान करना तथा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए समुचित योजना का विकास करना अनिवार्य है.

वित्तीय अपवर्जन के अनुक्रम में वित्तीय समावेशन की परिभाषा सीमित है, तथापि भारतीय परिवेश में यह प्रासंगिक है. क्योंकि वित्तीय समावेशन वंचित लोग तथा विशेषतया धनराशि या परिसम्पत्ति से वंचित निर्धन लोगों पर फोकस करता है. वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन समिति ने इसकी यह परिभाषा दी है कि "कमजोर क्षेत्र तथा अल्प आय समूह जैसे असुरक्षित समूह तक वित्तीय सेवाओं का लाभ पहुंचाने तथा उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहनीय लागत पर, समय पर तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है". इस प्रकार वित्तीय सेवाएं जैसे भुगतान तथा प्रेषण की सुविधाएं, बचत, ऋण तथा बीमा सेवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया गया है. साथ ही इन सुविधाओं को जानने तथा बिना किसी कठिनाई के इन सेवाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया गया है.

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समग्र विकास की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया गया तथा इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करने तथा विभाजक घटकों को एक करने पर भी जोर दिया गया है. इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी को कम करना, आय की असमानता को दूर करना तथा प्रत्येक के लिए न्यूनतम मूल जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है. इस परिप्रेक्ष्य मे गरीबी उन्मूलन व सामाजिक सम्बद्धता हेतु व गरीबों व संवेदनशील समूह तक वित्तीय उपलब्धता को पूर्वापेक्षा के रुप में पहचाना गया है, जिसमें इस दिशा में बचत करने तथा भुगतान करने के लिए नो - फ्रिल बैंकिंग खाता खोलना, गरीबों के आय के स्त्रोतों के अनुकूल बचत उत्पाद खाता खोलना, धन अंतरण की सुविधा प्रदान करना, उत्पादक, व्यक्तिगत तथा अन्य उद्देश्यों के लिए छोटे ऋण तथा ओवरड्राफ्ट देने पर विचार किया जा सकता है.

औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से मूलभूत वित्तीय सेवाएं न लेने के कारणों में वित्तीय सहायता लेने की कठिनाइयां, शर्तें, मूल्य, अज्ञानता, हतोत्साह के पिछले अनुभवों के कारण स्वयं को दूर रखना आदि प्रमुख कारण हैं. निम्नलिखित आंकड़ो से वित्तीय अपवर्जन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट होते हैं :

- भारत की 41% जनसंख्या बैंक से जुड़ी नहीं है. जिसमें से 61% ग्रामीण क्षेत्रों में है.
- केवल 14% वयस्क जनसंख्या का ऋण खाता है.
- 89.90 मिलियन में से 45.90 मिलियन घरेलू किसानों ने ऋण लिया हुआ है.

- जनसंख्या के केवल 10% ने जीवन बीमा लिया हुआ है.
- जनसंख्या के 0.06% ने गैर जीवन बीमा लिया हुआ है.
- बैंक की एक शाखा 16000 लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दे रही है.
- भौगोलिक दृष्टि से 5.20% गांव में बैंक की एक शाखा है.

चकित करने वाले उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश के प्रत्येक भाग में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की "तुरंत आवश्यकता" है. इससे स्पष्ट होता है कि देश के छः लाख से अधिक ग्रामीण तथा शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले योग्य ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मौके अधिक हैं.

सुदूर शाखाओं के जरिए बैंकिंग रहित क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान करना मुश्किल तथा खर्चीला है. तकनीकी नव परिवर्तन से बॉयो मैट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित तकनीकी के जरिए कारोबार प्रतिनिधियों के सहयोग से बैंकिंग रहित क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सुविधा हुई है. वित्तीय समावेशन की इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह आंदोलन, सूक्ष्म वित्त एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, तकनीकी समर्थित कार्यक्रम, शुल्क रहित (नो-फ्रिल) खाता खोलना, केवाईसी के सामान्य नियम, जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) तथा शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए जिलों का अधिग्रहण, कारोबार सहयोगी तथा कारोबार संवाददाता मॉडल, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण संबंधी सलाह की भूमिका प्रमुख है.

वित्तीय समावेशन एवं यूनियन बैंक :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने "बैंकिंग सेवाओं से बाहर रहे लोगों, जो सामान्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने से अब तक वंचित रहे हैं, को अपना जीवन स्तर सुधारने हेतु 'निरंतर आधार' पर उनके द्वारा वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने" के लक्ष्य से वाराणसी के पास स्थित चंदौली जिले के चहनिया ब्लॉक में साढ़े तीन वर्ष पूर्व वित्तीय समावेशन की शुरुआत की. इस परियोजना में बिजनेस करसपाण्डेन्ट (बीसी) मॉडल का उपयोग करते हुए ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बॉयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड तकनीकी का उपयोग किया गया. इस परियोजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य भागों में भी इसकी शुरूआत की.

बैंक ने वर्ष 2010-2013 के लिए तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना बनाई. जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं :

- दस मिलियन ग्राहकों का अर्जन.
- बैंकिंग रहित 32000 गावों में यह सेवा प्रदान करना.
- 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों में 250 शाखाएं खोलना.
- सूक्ष्म जमाराशि संग्रहित करने की योजना बनाना.
- सूक्ष्म ऋण उत्पादों का प्रचार प्रसार.
- सूक्ष्म ऋण प्रदान करना.

बैंक की अग्रगामी पहल :

वित्तीय समावेशन के संबंध में बैंक का दृष्टिकोण बैंक के कार्यक्षेत्र में बैंक के उत्पाद/ सेवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम लक्ष्य समूह के बीच इसकी "आवश्यकता" के अवसर खोजना तथा इन सेवाओं के प्रति आवश्यकता / मांग को बढ़ाने के लिए हमारी विशेषीकृत वित्तीय समावेशन वाली शाखाएं, ग्रामीण ज्ञान केन्द्र (वीकेसी) तथा वित्तीय साक्षरता तथा ऋण सहायता केन्द्र (एफएलसीसी) द्वारा वित्तीय सहायता करना है. इस दिशा में हमारे बैंक के अग्रगामी प्रयासों में निम्नलिखित शामिल है :

- बॉयो-मेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित शाखा रहित बैंकिंग की शुरूआत करने में अग्रणी है.
- शहरी गरीबों के लिए बॉयो-मेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित बैंकिंग प्रदान करने में अग्रणी है.
- हमारा बैंक बॉयो-मेट्रिक कार्ड के जरिए सूक्ष्म ऋण उत्पाद देने वाला प्रथम बैंक है
- प्रवासियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में बॉयो-मेट्रिक कार्ड आधारित सूक्ष्म - प्रेषण उत्पाद की शुरूआत करने में अग्रणी है.
- बॉयो-मेट्रिक कार्ड पर जी2पी भुगतान करने में अग्रगामी है.

तकनीकी उत्पादों का समावेशन :

उपभोक्ता बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं के उपयोग के लिए न केवल तकनीकी उत्पादों को सम्मिलित किया गया है. अपितु इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए तकनीकी चैनलों

को और सुगम बनाया गया है. हमारा विश्वास है कि गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना व्यवहार्य घटक होगा यदि नवोन्मेष सुपुर्दगी उपायों के जरिये सेवा लागत को कम कियाा जाए. भुगतान एवं ऋण प्रदान करने जैसे लेनदेन के लिए कम लागत वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बैंक मुख्य रूप से प्रयासशील है.

वित्तीय समावेशन एक कारोबार प्रस्ताव के रूप में जारी रहेगा यदि हम इसे संघटित सेवा के रूप में सुनिश्चित करेंगे. इससे गरीबों तथा अल्प आय समूह के लिए विशेष रूप से बनाये गये कारोबार मॉडल के जरिए गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा. संगठित वित्तीय पद्धतियों को व्यापक बनाने के लिए तथा बैंकिंग पद्धतियों को अधिक सार्थक बनाने के लिए कारोबार संवाददाताओं की सेवाओं की संभाव्यताओं को देखते हुए बैंक ने बैंकिंग सेवाओं से वंचितों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए बहुविध तकनीकी मॉडल विकसित किया है.

वित्तीय समावेशन के शीघ्र विस्तार के लिए बैंक द्वारा बॉयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड तकनीकी, मोबाइल फोन प्रीपेड तकनीकी तथा मोबाइल वैन बैंकिंग का उपयोग किया जा रहा है. बॉयोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के उपयोग में हमारा बैंक अग्रगामी है. बैंक ने बॉयोमेट्रिक कार्ड से 61 लाख खाते खोले हैं. बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये इस कार्ड के जरिए बॉयोमेट्रिक का आधार बढ़ा है तथा बॉयोमेट्रिक कार्ड तकनीकी के तहत भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में शामिल हजारों गरीबों की दैनिक मजदूरी का भुगतान करने की सुविधा है. बैंक ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड तथा केरल के 2.9 मिलियन से अधिक हिताधिकारियों को यह सुविधा प्रदान की है तथा बॉयोमेट्रिक कार्ड से लगभग रु.803 करोड़ का भुगतान किया गया. सही व्यक्ति को उनके द्वार पर मजदूरी की सही रकम का भुगतान वक्त पर किया गया. साथ ही बैंक वयोवृद्ध हिताधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के भुगतान की सुविधा भी प्रदान कर रहा है. देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति को सरल बनाने के लिए टेलिकॉम कंपनी, बैंक तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग बनाए हुए हैं. प्रीपेड खाते खोलने के लिए टेलिकॉम कंपनी प्रीलोडेड सॉफ्टवेअर पैकेज बना रही है. वित्तीय समावेशन के लिए प्रीपेड मोबाइल फोन प्लैटफार्म के उपयोग के लिए बैंक ने नोकिया मोबाइल पेमेंट सर्विसेस इंडिया प्रा.लिमिटेड के साथ समझौता किया है.

बैंक सेवाओं से वंचित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में बैंक ने मोबाइल वैन बैंकिंग के रूप में एक और बैंकिंग सुविधा की शुरूआत की है. ताकि दूर-दराज वाले गांव तथा कम मूलभूत सुविधाओं वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकें.

इस सुविधा में किसी विशिष्ट दिन गांव-गांव जाकर मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. मोबाइल वैन सीबीएसयुक्त शाखाओं से जुड़ा होगा, जोकि सप्ताह के प्रत्येक दिन विविध गांवों में जाकर बैंक की विविध सेवाएं प्रदान करेगा.

बायोमेट्रिक कार्ड पर उत्पाद :

बैंक ने वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड पर सरल जमा तथा ऋण उत्पाद तैयार किए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

जमा उत्पाद :

- आकस्मिकताओं की पूर्ति हेतु रू.500/- की ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित नो फ्रिल खाता.
- प्रति सप्ताह रू.25/- से रू.50/- की छोटी बचत करने वालों के लिए आवर्ती जमा योजना जो बायोमेट्रिक कार्डधारकों के लिए बीसी के जरिये कार्यान्वित की जा रही है.

❖ **भाग्य :**

न्यूनतम 4 संव्यवहार या एक माह के संतोषजनक परिचालन, जो पहले हो, वाले स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए रु.3000/- से रु.12000/- तक सीमा के लिए समस्त प्रयोजन बेजमानती ऋण. चुकौती 7 से 44 साप्ताहिक किश्तों में की जाएगी. समय से चुकौती पर टिकट साइज़ क्रमशः बढ़ाया जा सकेगा तथा इससे ऋण पात्रता स्थापित होगी.

सौभाग्य :

- न्यूनतम जमा संचय रु.500/- पर स्मार्टकार्ड धारक को एक जमा संबद्ध माइक्रो-क्रेडिट उत्पाद
- 7 से 44 समान साप्ताहिक किश्तों में चुकौती पर रु.1000/- से रु.20000/ की ऋण राशि.

कल्पतरू :

- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए भाग्य ऋण का प्रचलित रूप.
- 50 पाक्षिक किस्तों में चुकौती दुग्ध आगमों के लिये एनडीडीबी द्वारा उसके आपूर्तिकर्ताओं हेतु नियत चुकौती निर्धारण चक्र से संबद्ध है.
- ऋण राशि रु.20000/- से रु.30000/- के मध्य सीमित है.

कामधेनु :

- दुधारू पशुओं की खरीद हेतु ऋण उत्पाद.
- ऋण चुकौती, दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के पाक्षिक आगमों से संबद्ध है.
- दो दुधारू पशुओं के क्रय हेतु रु.40,000/- या रु.50,000/- का सावधि ऋण 64 से 70 पाक्षिक किश्तों की चुकान अवधि सहित मंजूर किया जाएगा.

प्रगति :

- न्यूनतम 1 वर्ष से कारोबार करनेवाली 21-59 वर्ष की न्यून आय समूह की 5 विवाहित महिलाओं के समूह के लिए बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड पर जेएलजी हेतु माइक्रो क्रेडिट उत्पाद पर विचार किया जाता है.
- कारोबारी जरूरतों की पूर्ति हेतु और जमीदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम रू.8,000/- से अधिकतम रू,10,000/- तक 50 साप्ताहिक चुकौतियों सहित ऋण.

नवोन्मेष उत्पादों की सफलता की कहानियां :

❖ राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के बिल भुगतानः

बैंक एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को उनके भुगतान और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने नो फ्रिल बचत बैंक खातों के लिए बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित तकनीक के प्रयोग द्वारा शाखा रहित बैंकिंग अपनाई है. नांदेड में केवल 1000 आपूर्तिकर्ताओं से शुरू किया गया प्रोजेक्ट अब लगभग रू.450 करोड़ के कुल संवितरण सहित 491 संपर्क बिन्दुओं के माध्यम से 6 स्थानों (महाराष्ट्र, गुजरात, आ.प्र. और उ.प्र. में) के 1 लाख के करीब आपूर्तिकर्ताओं सहित एक परिपूर्ण प्रोजेक्ट में बदल चुका है. व्यापक वित्तीय हल उपलब्ध कराने की दिशा में बैंक ने दो ग्राहक केंद्रित मध्यावधि ऋण उत्पाद शुरू किए हैं. दुधारू पशुओं की खरीद हेतु कामधेनु और उनकी अन्य डेरी संबंधित वित्तीय जरूरतों के लिए कल्पतरू. इस माडल से आश्वस्त होकर बैंक अब इस उत्पाद को 10 नए स्थानों पर विस्तार दे रहा है. बैंक द्वारा खोजे गये और परिचालित किये गए हल का निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है :

- 3 पहुंच बढ़ाना
- 3 लागत घटाना
- 3 ग्राहक सेवा में सुधार

❖ **सफलता की दूसरी कहानी शहरी निर्धनों के लिए तैयार किए गए धनप्रेषण उत्पाद से संबंधित है :**

वित्तीय वंचन न केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित है बल्कि वह शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है. शहरी झुग्गी वासी जिनमें से ज्यादातर प्रवासी श्रमिक हैं, बैंकिंग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं रखते. बैंक ने विशेषरूप से तैयार विप्रेषण की एक योजना शहरी निर्धनों के लिए शुरू की है, जिसमें ग्राहक के दरवाजे पर वहनीय प्रभार में दूरस्थ गांव में उसके परिवार को धन प्रेषण की सुविधा सुरक्षित ढंग से टी+1 दिन में उपलब्ध होगी. इस प्रयोजन हेतु विप्रेषण के क्षेत्रों की पहचान की गई है. कार्ड के जरिए एनईएफटी संव्यवहार निष्पादित किए जाते हैं और कार्ड से कार्ड विप्रेषण भी शुरू किया गया है. बैंक वर्तमान में, मुंबई-पूर्वी उ.प्र. व बिहार, दिल्ली-बिहार, कोलकाता-बिहार/ झारखंड में मनी मूविंग कोरिडोर कवर कर रहा है.

❖ **सफलता की तीसरी कहानी प्राथमिक सहकारी समितियों (पीएसीएस) कृषक सदस्यों को वित्त पोषण से संबद्ध है :**

हमारे बैंक ने आ.प्र. में को-आप्शन्स टेक्नोलॉजी लिमि. साल्यूशन के जरिये प्राथमिक सहकारी समितियों (पीएसी) के कृषकों को वित्तीयन का नवप्रवर्तन शुरू किया है. को-आप्शन बैंक को हल उपलब्ध कराता है जो पीएसी के सदस्यों के ऋण इतिहास की खोज कर सकता है और बैंक को विकल्प होगा कि वह अच्छा ऋण इतिहास रखने वाले लोगों को वित्त पोषण दे सके. बैंक को को-आप्शन साल्यूशन, पात्र कृषक सदस्यों की पहचान, समुचित सावधानी रखने, देयों का संवितरण और वसूली की संकल्पना उपलब्ध कराता है. ऋणों की मंजूरी हमारे शाखा प्रबंधक के अधिकार में निहित है.

वित्तीय साक्षरता

विभिन्न वित्तीय समावेशन पहलुओं को मिशन मोड में रखने की प्रक्रिया से हमने सीखा कि इन सेवाओं के लिए पहुंच उपलब्ध कराने मात्र के बजाए बैंक द्वारा प्रस्तावित

वित्तीय सेवाओं के उपयोग/लक्ष्यों के बारे में पहले जानकारी का सृजन आवश्यक है. इसे सीखने के प्रयास में, बैंक ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 201 ग्राम ज्ञान केन्द्र, 13 ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र और 8 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोले, जिससे ये केन्द्र वंचित ग्राहकों को निर्णयात्मक स्थिति में ला सकें और वे स्थानीय जमीदारों की कुटिल चालों के शिकार न बन सकें. वित्तीय साक्षरता हेतु स्कूल के बच्चे, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक लक्ष्य समूह हैं.

यूनियन आदर्श ग्राम योजना

राष्ट्र के प्रति संकल्प के रूप में बैंक ने सम्पूर्ण भारत के 104 गांवों को अंगीकृत करते हुए आर्थिक-सामाजिक विकास की दृष्टि से उनके सर्वांगींण विकास के लिए "यूनियन आदर्श ग्राम योजना" की शुरूआत की. "यूनियन आदर्श ग्राम योजना" का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए गांवों के आर्थिक-सामाजिक विकास की दृष्टि से हमारी ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के कार्यक्षेत्र में आनेवाले पिछड़े गांवों को अंगीकृत करना है. केन्द्रीय, राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम में सहभागिता से बैंक द्वारा विविध गतिविधियां चलायी जानी हैं.

ग्रामीण लोग तथा विविध ग्राम विकास एजेंसियों में बैंक मध्यस्थता की भूमिका अदा करता है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ज्ञान केन्द्र की विशेष भूमिका है. वित्तीय समावेशन को सार्थक बनाने के लिए सम्पूर्ण गांव की वित्तीय आवश्यकता को हमारे बैंक द्वारा पूरा किया जाता है. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंक ने अबतक तक 103 गांवों को शामिल किया है.

अगला कदमः

अर्थ व्यवस्था में वृद्धि को गति और स्थायित्व देने के लिए वित्तीय समावेशन का उच्च स्तर आवश्यक है. वृद्धि को समावेशित करने से तात्पर्य है कि जहां देश के आर्थिक विकास में प्रत्येक सदस्य का योगदान होना चाहिए वहीं प्रत्येक व्यक्ति को विकास का लाभ भी मिलना चाहिये.

समाज के वंचित एव उपेक्षित सदस्यों, जो बैंक योग्य वर्ग है, तक पहुंच स्थापित करने में असीमित कारोबार अवसर निहित हैं. देश में वित्तीय समावेशन की प्रगति को सुचारू बनाने के लिए लोगों से संपर्क बनाए जाने, उनकी जरूरतों के अनुसार आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए और इसका माध्यम होगा उन लोगों की शक्ति और कौशल, जो बैंक के सहभागी होने की क्षमता रखते हैं.

बैंकिंग तकनीकी के आगमन और यह समझने के बाद कि निर्धन अच्छे कारोबार की संभावना सहित बैंकयोग्य हैं, वित्तीय समावेशन पहल से वित्तीय समावेशन और सुदृढ़ होगा और ऋण वितरण के प्रसार हेतु बैंकों को संसाधन उपलब्ध कराएगा. वित्तीय समावेशन की बैंकिंग तकनीकी पहल सहयोगी और नवोन्मेषी होनी चाहिए और संव्यवहार लागत घटाने का लक्ष्य होना चाहिए. इसीलिए, सरकारी विकास कार्यक्रमों के साथ वित्तीय समावेशन हमारे देश में संपूर्ण वित्तीय और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और जैसा कि अधिकांश विकासशील देशों में हुआ है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, समावेशित वृद्धि की ओर आगे बढ़ने का मुख्य कारक होगा.

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया सामाजिक मिशन के रूप में देखी जानी चाहिये, क्योंकि ये पहल गरीबी उन्मूलन, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उसके द्वारा देश की संपूर्ण प्रगति में योगदान की दिशा में दूर तक जाएगी. वित्तीय समावेशन क्रांतिकारी प्रक्रिया है जो असाधारण एवं आमूल रूपान्तरण करेगी और हमारा बैंक इस मिशन का भाग बनने के प्रति समर्पित है. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डा.डी.सुब्बाराव के शब्दों में-

"Banking on the poor can actually be a rich banking proposition. Financial inclusion is a win-win opportunity for the poor, for the banks and for the nation because aspirations of the poor are on the rise as there is growth in incomes and increase in awareness levels of the poor. We will not be forgiven if we do not rise up to meet these aspirations if only because of poverty of imagination, it is for the banks to convert what they see as a dead-weight obligation into an exciting opportunity and move on aggressively on Financial Inclusion."

एस.एस.घुगरे, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विभाग, के.का

भारतीय आर्थिक विकास में वित्तीय समावेशन का योगदान

ममता मल्होत्रा

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर कई कदम उठाए हैं. भारतीय आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र का भी बहुत योगदान रहा है. 1969 में जब 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए, तब से अब तक बैंकिंग क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए, जिसने आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया. बैंकिंग सुविधाएं अमूमन सभी वर्गों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं. चाहे वह आम आदमी हो, या व्यापारी या बड़ी संस्थाएं. सेवाएं जैसे बचत खाता, चालू खाता, एफडीआर, वेतन खाता, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, बीमा, ऋण इत्यादि के द्वारा लगभग सभी वर्ग बैंकों से जुड़े हैं. जगह जगह बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली हैं और बैंक सभी को बेहतर और उपयोगी सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर हैं.

रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इसकी सेवाओं को सभी लोगों तक पहुचाने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे ;

- 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया.
- 1969 और 1980 में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया.
- 1970 में अग्रणी बैंक योजना शुरु की गयी.
- 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत की गयी.
- 1992 में स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) और बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरु किया गया.
- 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनायी गयी.

- और अब हाल ही में 2004-05 में वित्तीय समावेशन आरंभ किया गया.
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने खान कमेटी का गठन किया और उसकी सिफारिश को 2005-06 की मध्यावधि समीक्षा (Mid term Review) में शामिल किया गया.

वित्तीय समावेशन सबसे पहले 2005 में सामने आया. एक प्रायोगिक योजना पांडुचेरी में शुरु की गयी, जिसके अंतर्गत मंगलम गांव पहला ऐसा गांव बना जिसमें सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयीं. इंडियन बैंक के चेयरमैन श्री के.सी.चक्रवर्ती ने यह पहला कदम उठाया. इस गांव के लिए केवाईसी मानदंड में भी छूट दी गयी, गरीब तबके के लोगों को जनरल क्रेडिट कार्ड दिए गए जिससे वे उधारी पर सामान खरीद सकें.

जनवरी, 2006 में रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को एनजीओ/एसएचजी, लघु वित्त संस्थान और अन्य सामाजिक संस्थाओं की मदद से गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की अनुमति दी. ये संस्थाएं बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट तथा बिजनेस फेसिलिटेटर की तरह बैंकों की सेवाएं गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाने में सहायता करती हैं. पांडुचेरी, हिमाचल प्रदेश और केरल ने 100% वित्तीय समावेशन का स्तर सबसे पहले छुआ. लेकिन एक बड़ा वर्ग जो अभी तक बैंकिंग क्षेत्र की सेवाओं से अनभिज्ञ था, उस तक सभी तरह की सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैंकों और भारत सरकार दोनों को परस्पर कदम उठाने होंगे. ये वो क्षेत्र हैं जहां बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते, क्योंकि शाखाएं खोलने के लिए जरुरी मूलभूत सुविधाएं यहां उपलब्ध नहीं हैं. ये कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग से हैं. ये गरीब, कम पढ़े लिखे और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग सभी तरह की वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं.

देश के विकास के लिए देश के नागरिकों की जरुरत की सभी सुख सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है. उन सभी लोगों को जो इन सुविधाओं से अबतक वंचित रहे हैं, उन्हें बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने और जरुरी सेवाएं प्रदान करने के लिए 'वित्तीय समावेशन' को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है. समाज का कोई भी वर्ग वित्तीय सेवाओं से वंचित है तो उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वह समाज का अनछुआ हिस्सा बनकर रह जाता है. बेहतर समाज के लिए सभी जरुरी सुविधाएं सभी वर्गों तक पहुंचाना प्रगतिशील देशों के लिए अनिवार्य है, तभी आर्थिक विकास में मदद मिलेगी.

वित्तीय वंचन से प्रभावित लोग अधिकांश अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं. कई लोग सोचते हैं कि बैंक सिर्फ पैसे वाले और अमीर लोगों के लिए हैं. अगर कम पढ़े लिखे

लोग बैंकिंग सुविधाएं लेना भी चाहते हैं तो भी बैंकों के नियम और शर्तें उन्हें समझ नहीं आते हैं, जो कि उन्हें इन सुविधाओं से दूर रखते हैं. खाता खोलने के फार्म ये लोग भर नहीं पाते. ये लोग बीमा, वित्त, बैंक खाता तथा चेक बुक सुविधा इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को समझ नहीं पाते.

वित्तीय रुप से वंचित लोगों के अविकसित रहने से देश के आर्थिक विकास पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है जैसे ;

- पैसों के अभाव से और पैसे देने वाली संस्थाओं से दूर रहने से गरीब वर्ग ऊपर नहीं उठ पाता तथा उनका विकास नहीं हो पाता है.
- लोगों के पास जो थोड़ा पैसा है उसका उचित प्रयोग तथा सही परिचालन नहीं हो पाता है जो अंततः देश के विकास में गतिरोधक है.
- ऐसे लोग समाज से अलग ही रहते हैं. नई तकनीक, नए आयामों से अनभिज्ञ रहते हैं.
- ऐसे लोग न तो बचत करना जानते हैं और न ही ऋण लेना जानते हैं. इस प्रकार ये बेहतर जिंदगी के कई मौके गंवा देते हैं.
- अब तो सरकारी छात्रवृत्तियां, राहत, अनुदान, क्षतिपूर्ति, नौकरियों के लिए चालान, डीडी, पे आर्डर इत्यादि सभी बैंक खातों के जरिये दिये जाते हैं. वित्तीय रुप से वंचित लोगों को ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

इसलिए रिज़र्व बैंक ने हस्तक्षेप किया और बैंकों को इन वर्गों तक पहुंचाने के लिए कई नियम और अनुदेश दिये गये. अब सभी बैंक इन वर्गों के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ आसान नियमों के दायरे में बैंक इन वर्गों को सभी तरह की सुविधाएं देने की परस्पर कोशिश कर रहे हैं.

- नो फ्रिल खाते खोले जा रहे हैं. ये बैंक खाते जीरो या कम शेष से शुरु किये जाते हैं. इन्ही खातों से पैसा लिया और दिया जाता है और प्रभार भी कम दर पर लगते हैं.
- ये खाते खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों को भी आसान बनाया जा रहा है.
- सभी विज्ञापन, पैम्फलेट और अन्य सामग्री ग्राहकों के लिए द्विभाषिक रुप में

छापी जा रही है. स्थान के हिसाब से क्षेत्रीय, हिन्दी और अंग्रेजी सभी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है.

- एनजीओ, एसएचजी, लघु वित्त संस्थान को मध्यस्थ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.
- जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम को और आसान बनाया जा रहा है.

इन पिछड़े वर्गों को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं जैसे;

- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- भारत निर्माण कार्यक्रम
- सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि

शोध और आंकड़ों के हिसाब से कुछ तथ्य सामने आये हैं;

- 2001-02 से अब तक जमाराशियों में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, जो कि ऋण विस्तार के लिए जरुरी है. जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है, वह बड़े शहरों से है. छोटे शहरों में जमाराशियों में ज्यादा वृद्धि नहीं है.
- अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS), 2002 के अनुसार अनौपचारिक ऋण प्रणाली में 27% की वृद्धि हुई है. औपचारिक ऋण प्रणाली में केवल 39% की वृद्धि हुई है. इससे पता चलता है कि बैंकों के हिस्से में गिरावट हो रही है.
- आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन में सभी वर्गों को शामिल करना अब अनिवार्य हो गया है. एक विकसित वित्तीय प्रणाली से पैसा आसानी से लिया जा सकता है. जबकि अविकसित वित्तीय प्रणाली में पैसा बहुत कम मात्रा में होता है. ऐसे में लोगों को अपने उपलब्ध पैसों पर ही निर्भर रहना पड़ता है या उन्हें अधिक ब्याज पर अनौपचारिक स्रोतों जैसे साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है. पैसे कम होने से आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी कम होते हैं, जो आर्थिक संवृद्धि को कम करते हैं.
- अब बैंकों को वित्तीय समावेशन में सभी वर्गों को शामिल करने के लिए उनकी जरुरतों के हिसाब से सुविधाएं जुटानी होंगी जैसे;

- कम पैसों को ट्रांसफर करने की सुविधा.
- ऐसे बचत खाते खोलना जो गरीब लोगों की आमदनी के हिसाब से खोले जा सकें.
- छोटे ऋण या ओवरड्राफ्ट देना, और वो भी आसान किश्तों पर जिससे ऋण चुकाना आसान हो जाए.
- अलग अलग कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराना.
- किसान व अन्य लोग जो कृषि से जुड़े हैं, उनकी आमदनी के हिसाब से सुविधाएं देना.
- ऐसे वर्ग जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह निरंतर जाना पड़ता है, उनके लिए सुविधाएं देना.
  - इस वर्ग के लोग सीजनल कार्य करते हैं. कभी काम होता है कभी नहीं होता है. इसको ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देना.
  - डिपोजिट की सिक्युरिटी और सेफ्टी करना.
  - लेनदेन हेतु कम प्रभार रखना.
  - कम से कम कागजी कार्रवाई होना.
  - बार बार जमा करने एवं निकासी की सुविधा.
  - उनकी आय और आपूर्ति के अनुरुप सेवाएं प्रदान करना.

बैंकों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जैसे;

1. ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का अभाव.
2. लाखों गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं.
3. नये क्रेडिट चैनलों को खोलना अपने आप में एक चुनौती है.
4. उच्च लेनदेन लागत.
5. सुपुर्दगी और संग्रहण प्रणाली हेतु मूलभूत सुविधाओं का अभाव.

अब बैंकों को इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा, और वित्तीय समावेशन के द्वारा उन्हें जागरुक करना होगा. इन अनछुए भागों तक पहुंचने के लिए नये आयाम ढूंढने होंगे और इन लोगों को वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने के फायदे बताने होंगे. बैंकों ने अब नई शाखाएं खोलनी शुरु कर दी हैं, जो सिर्फ वित्तीय

समावेशन पर ही कार्य करेंगी. वित्तीय समावेशन की शाखाओं ने कई गांवों को अपनाया है जो इनके विकास में पूरी तरह योगदान दे रहीं हैं.

वित्तीय समावेशन पूरी तरह से देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर रहा है. रिज़र्व बैंक व भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से वित्तीय समावेशन में काफी वृद्धि हो रही है जो हमारे समाज को उन्नति तक ले जाएगी और देश का विकास होगा.

वित्तीय समावेशन में निम्न लागत और सुरक्षित वित्तीय उत्पाद उपलब्ध होंगे.

- बुढ़ापे के लिए पैसा बैंकों में जमा कराया जा सकता है.
- बैंकों में पैसा जमा करने से ब्याज दर से पैसों में बढ़ेत्तरी होगी.
- बैंकों में बचत करने से जोखिम भी कम होगा.
- ऋण की ब्याज दरें भी साहूकारों से कम होंगी.
- छोटी रकम को कम प्रभार पर ट्रांसफर कर सकते हैं.
- ऋण की रकम की कभी भी जानकारी की जा सकती है.
- कारोबार, शिक्षा और व्यक्तिगत जरुरतों के लिए ऋण मिलता है, जो विकास के लिए बहुत जरुरी है.
- पैसों की आपूर्ति होने से कारोबारी अवसर भी बढ़ेंगे, जो देश का जीडीपी बढ़ाने में सहायक होंगे.
- देश की आर्थिक बढ़ोत्तरी के साथ दूसरे देश भी हमारे देश में निवेश करेंगे जिससे रोजगार तथा कारोबारी अवसर बढ़ेंगे.

बैंकों के योगदान और कोशिशों से ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सकता है. वित्तीय समावेशन का योगदान देश के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है. रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की कोशिशों के साथ बैंक भी अपना योगदान पूरी तरह से दे रहे हैं, जिससे देश के विकास में मदद मिलेगी.

ममता मल्होत्रा, सहायक प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

वित्तीय समावेशनः वैश्विक अनुभव

पुष्कर कुमार सिन्हा

विश्व के संदर्भ में माइक्रोफाइनान्स या एम.एफ.आई.एस. की व्यवस्था, देखरेख एवं निरीक्षण कोई नई बात नहीं है. सभी विकसित देश या विकासशील देशों, खासकर एशिया के देशों में माइक्रोफाइनान्स का लम्बा इतिहास है. अधिकांश माइक्रोफाइनान्स संस्थाएँ माइक्रोफाइनान्स को क्रेडिट एन. जी. ओ से जोड़कर देखती हैं और यह समझती हैं कि माइक्रोफाइनान्स का कुछ तीस से पैंतीस बर्ष पहले बंगलादेश में आविष्कार हुआ था, किन्तु सच्चाई इससे बिल्कुल परे है. हम पहले माइक्रोफाइनान्स को यूरोप के दो देशों आयरलैंड एवं जर्मनी के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं.

माइक्रोफाइनान्स की शुरूआत एवं विकास को आज के संदर्भ से जोड़ना इसकी ऐतिहासिक गहराई तथा सच्चाई से हमें रुबरु कराता है. इसके फलस्वरूप शताब्दियों के अनुभव, गलतियों से सीख तथा भूतकाल की सफलता एवं असफलताओं से हमें अनभिज्ञ करता है. कई यूरोपियन देशों में माइक्रोफाइनान्स के विकास के लिए बनाई गई नीतियों नें ऐसा माहौल बनाया जिसके द्वारा छोटी माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं की शुरूआत बड़े नेटवर्क की स्थानीय वित्तीय संस्थाओं में बदलने में सहायक हुई जो आज के दिन में औपचारिक बैंकिग प्रणाली का एक अंग है.

यह एक दृष्टि है उन लोगों के लिए जो इस दिशा में सोचते हैं कि माइक्रोफाइनान्स गरीब देशों में गरीबों के विकास के लिए एक हथियार है जो समय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर बड़े वाणिज्यिक बैंक में तब्दील हो सकता है. यूरोप में माइक्रोफाइनान्स की शुरूआत नियम विरुद्ध आर्थिक व्यवस्था तथा स्वयं सहायता के द्वारा शुरू हुई. इस चीज का एहसास करते हुए कि कैसे नियम विरुद्ध आर्थिक व्यवस्था बैंकिग प्रणाली के मुख्य अंग के रूप में तब्दील हुई और गरीबी उन्मूलन एवं विकास में सहायक हुई, विकासशील देशों के नीति निर्धारकों के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत पेश करता है.

यूरोपियन देशों में माइक्रोफाइनान्स का जन्म सोलहवीं एवं सतरहवीं शताब्दी में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू हुआ. तत्पश्चात गरीबों की सहायता को नियम विरुद्ध बैंकिग धीरे-धीरे वाणिज्यिक एवं निजी बैंकिग संस्थाओं में परिवर्तित हुई.

माइक्रोफाइनान्स का अर्थ माइक्रोफाइनान्स एवं माइक्रोक्रेडिट के बीच का वित्तीय समन्वय है. समय के साथ कानूनी वैधता, प्रुडेंसियल रेगुलेशन और जरूरी सुपरविजन का सृजन हुआ तथा वित्तीय मुख्य धारा में लोगों को लाने की एक प्रकिया की ओर अग्रसर हुआ. फिर बीसवीं सदी में माइक्रोफाइनान्स औपचारिक बैंकिग संस्था का अंग बन गया.

लेकिन आयरलैंड की कहानी अलग ही है जहां वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों ने माइक्रोफाइनान्स के विकास को अवरुद्ध किया.

आयरलैंड में माइक्रोफाइनान्स का शुरूआती इतिहास मुख्यतः सन 1720 से सन 1950 के समय का है. यह क्रेडिट संगठन बनाने की आज की पहल से बिल्कुल अलग है. यह स्वयं सहायता से नवीन वित्तीय पद्धति के सफर की कहानी है जो नियम के विधान एवं सहायक व्यवस्था के द्वारा माइक्रोफाइनान्स का जन आंदोलन बन गया. लेकिन विपरीत व्यवस्था के कारण वाणिज्यिक बैंकिंग उस पर भारी पड़ी. शुरू में आयरिश लोन -कोष चैरिटी के रूप में प्रारंभ हुआ, जो बिना ब्याज के लोन प्रदान करता था लेकिन जल्द ही इसकी जगह लेनदार एवं देनदार के बीच की वित्तीय मध्यस्थता ने ले ली. छोटे-छोटे लोन दिए जाते थे एवं साप्ताहिक किस्त ली जाती थी. लोन अदायगी को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारीपूर्ण मॉनिटरिग की जाती थीं . एक सदी के धीमें विकास के बाद दो घटनाओं ने विकास में तेजी ला दी. पहला, सन् 1823 का खास कानून जिसने पूँजी जमा पर ब्याज देने तथा लोन पर ब्याज लेने के लिए वित्तीय मध्यस्थता को कानूनी सहमति प्रदान की तथा दूसरा सन् 1836 में व्यवस्था एवं देख रेख के लिए लोन फंड बोर्ड की स्थापना. सन् 1840 तक लगभग 300 फंड ऐसी संस्था के रूप में उभर कर आए जो आत्मनिर्भर एवं सक्षम थे तथा अपने संसाधन जमा संग्रह के द्वारा खुद तैयार करते थे जिससे गरीबों को छोटे लोन उपलब्ध किए जा सकें. लाभ एव जमा के द्वारा इन संस्थाओं का विकास होता गया तथा इनकी पहुँच आयरलैंड के 20 प्रतिशत से ज्यादा घरों तक हो गयी. जमा पूँजी पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में तीन गुना ज्यादा ब्याज दर उपलब्ध कराने के कारण फंड बढ़ते चले गए जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों को अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा. अतः वाणिज्यिक बैंकों ने वित्तीय दबाव के द्वारा लोन फंड के विकास की गति को अवरुद्ध करने की कोशिश की. सन् 1843 में आयरलैंड की सरकार ने ब्याज दर को सीमित कर दिया. इसके फलस्वरूप लोन फंड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो गया, इसकी लोकप्रियता में भी कमी आई तथा धीरे-धीरे सन् 1950 तक लोन फंड विलीन हो गया.

जर्मनी में माइक्रोफाइनान्स की कहानी लगभग दो सदी की है. इसके तहत दो नेटवर्क आते हैं. पहला कम्युनिटि बचत कोष जो बचत बैंक कहलाता है तथा दूसरा सहकारी संस्थाएँ जो सहकारी बैंक कहलाती हैं. समुदाय के स्वामित्व वाली संस्थाएँ अठारहवीं सदी के अंत में शुरू हुई. आयरिश चैरिटी से यह सीखते हुए कि चैरिटी का अस्तित्व खतरे में हैं तथा गरीबों के बीच सुरक्षित जमा की सुविधा की काफी मांग हो रही हैं, हेम्बर्ग में पहली मितव्ययी संस्था की स्थापना की गयी तथा इसके बाद 1801 में सामुदायिक बचत कोष की शुरूआत हुई. जैसे जैसे यह व्यापार फैलता गया, बचत कोष में बढ़त के साथ ऋण के व्यापार (जिसमें कृषि ऋण भी शामिल हैं) की जरूरत महसूस हूई. सन् 1838 में प्रूसियन बचत बैंक कानून बनाया गया जिससे जरूरतमंदों को ऋण का फायदा पहुँच सके. सन् 1884 में बचत बैंक ने जर्मन बचत बैंक संस्था का निर्माण किया.

माइक्रोफाइनान्स का दूसरा आंदोलन सन् 1846-47 में शुरू हुआ जब जर्मनी में अकाल की स्थिति थी. लोग भूख से परेशान थे, अन्न संसाधन की कमी थी. कई किसानों को अपना खेत सूदकर्ताओं से गंवाना पड़ा. कई छोटे व्यापार दिवालिया घोषित हो गए. उस दौरान दो प्रमुख संस्थाएँ अस्तित्व में आईं, पहली ग्रामीण इलाकों के लिए ऋण संस्थाएँ तथा शहरी क्षेत्रों के क्राफ्ट्समैन तथा छोटे व्यापारकर्ताओं के लिए बचत एवं ऋण सहकारिता. सन् 1847 में कुछ अमीर लोगों के सहयोग से ग्रामीण चैरिटी संस्था की शुरूआत हुई जिसका मुख्य कार्य पूर्वी जर्मनी के अप्रभावित क्षेत्रों से अन्न /खाद्यान्न को मंगाना था. कुछ ही महीनों में, पावरोटी की कीमत 50 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गयी. धीरे-धीरे यह महसूस किया गया कि चैरिटी ज्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है. इसलिए स्वयं-सहायता की शुरूआत हुई. सन् 1864 में पहली ग्रामीण ऋण संस्था की शुरूआत हुई. अगले बीस बरसों तक यह शुरूआत एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी. लेकिन विकास की गति धीमी थी तथा 245 ग्रामीण सहकारिताओं तक ही पहुँच पायी. सन् 1889 में मुख्य उलट फेर हुआ जब ग्रामीण तथा शहरी ऋण सहकारिताओं के नेटवर्क को सहकारिता कानून के तहत लाया गया. उसी दौरान संयुक्त जवाबदेही के स्थान पर सीमित जवाबदेही को लाया गया. सन् 1914 तक जर्मनी में ग्रामीण सहकारिताओं की संख्या 15000 तक पहुँच गयी थी तथा यह विचार धीरे-धीरे विश्व के अन्य देशों में भी फैलने लगा. सन् 1934 में सारी वित्तीय संस्थाओं को बैंकिंग कानून के दायरे में लाया गया. ऐतिहासिक तौर पर यदि हम विश्लेषण करें तो हमें मुख्यतः तीन घटना स्थितियों का पता चलता है. पहला-धीमें विकास के साथ अनौपचारिक शुरूआत, दूसरा-माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं का खास वित्तीय संस्थाओं के रूप में नियमितीकरण तथा तीसरा बैंकिग कानून में एकीकरण.

कुछ दिनों पहले तक ग्रामीण तथा शहरी माइक्रोफाइनान्स संस्थाओं में काफी अंतर था. हाल के दिनों में दो तरह की संस्थाएँ पूरे यूरोप में फैलीं तथा इनका अस्तित्व महाद्वीप यूरोप में ज्यादा रहा. जर्मनी में माइक्रोफाइनान्स की चमत्कारी सफलता, जिसने सूदकर्ताओं या महाजनों को व्यापार से दूर कर दिया, के कई कारण रहेः

1 बचत के चलते विकास के आधार पर स्वयं सहायता और स्वयं निर्भरता.

2 गृह-बैंक के रिश्तों के आधार पर स्थानीय पकड़.

3 कानूनी ढांचे का विस्तार, जैसे सन् 1838 का बचत बैंक कानून, सन् 1889 का सहकारिता कानून, सन् 1934 में बैंकिग कानून द्वारा बचत कोष तथा सहकारिता बैंक को अपने दायरे में लाना.

4 सन 1870 से 1880 के बीच बचत कोष तथा सहकारिताओं की क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय शीर्ष संस्थाओं की स्थापना.

5 क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय शीर्ष संस्थाओं के आडिट विभागों के प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा निरीक्षण.

यूरोप में माइक्रोफाइनान्स के तीन सदियों के इतिहास से हमें कई सीखें मिलती हैं जैसे स्वयं सहायता के आधार पर अनौपचारिक स्थानीय शुरुआतों में काफी सम्भावनाएँ हैं. जमाकर्ताओं तथा शेयरधारकों की बचत पूँजी इनके आधार हैं. पारिवारिक, एकल, छोटी संस्थाओं तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाओं (कृषि या गैर कृषि) एवं स्थानीय वित्तीय संस्थाओं की सफलताएँ-असफलताएँ परस्पर जुड़ी हुई हैं. **वित्तीय सेवाओं की निरंतरता आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है.** आर्थिक विकास के बिना गरीबी उन्मूलन की कल्पना व्यर्थ है. कई छोटी स्थानीय संस्थाओं ने कई वर्षों तक अच्छी वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर अपनी योग्यता साबित की है. स्थानीय वित्तीय संस्थाओं के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं :

1 जरूरी कानूनी ढांचे के द्वारा समय-समय पर नियमों में सामयिक बदलाव तथा संशोधन.

2 आडिट विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावकारी निरीक्षण.

हमें सामान्य अनुमान से सावधान रहने की जरूरत है. विभिन्न यूरोपियन देशों ने माइक्रोफाइनान्स के विभिन्न रास्तों को चुना. उदाहरण के तौर पर, जर्मनी तथा इटली स्थानीय वित्तीय संस्थाओं के समूह एवं विचार से जुड़े रहे, किन्तु नीदरलैंड ने केन्द्रीय सहकारी बैंक संस्था की स्थापना की. फ्रांस में ऋण एग्रीकोल हैं जबकि स्वीडन ने बचत

एवं सहकारी बैंकों को एक राष्ट्रीय बैंक संस्था में एकीकृत किया. इसलिए माइक्रोफाइनान्स का कोई एक सर्वश्रेठ माडल नहीं है.

यूरोप के अनुभव के अभियान का यह मतलब नहीं हैं कि यूरोपियन माडल को दुहराया जाना चाहिए. दुर्भाग्यवश एक माडल एक देश में सफल होने के बावजूद दूसरे देश में असफल हो सकता है. इसका ताजा उदाहरण बंगलादेश का ग्रामीण माडल है जो दूसरे देशों में असफल रहा. जैसे विमान सिद्धांतों के प्रमाणीकरण से नहीं बल्कि उसके असत्यीकरण से आगे बढ़ता है. उसी तरह सिद्धांतों के अनुसरण की जगह गलतियों से सीखने की जरूरत है. आयरलैंड में 1843 में ब्याज दर को सीमित किये जाने ने आयरिश कोष को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया तथा परिणामस्वरूप आयरिश कोष का अंत हो गया. साझा एवं कई जवाबदेही तो लैटरल तथा जोखिम प्रबंधन के असरकारी पर्याय थे (जर्मनी की शुरूआती ऋण संस्थाओं में) लेकिन सन् 1889 के सहकारिता कानून के द्वारा इसे हटाया जाना ऋण सीमा के आकार के विकास में अवरोधक सिद्ध हुआ.

भारत में माइक्रोफाइनान्स का इतिहास काफी पुराना है. यहाँ मुख्यतः तीन तरह के स्वदेशी वित्तपोषण का विवरण मिलता है. साहूकार या महाजन, चिट कोष या रोसका (रोटेटिंग सेविंग तथा क्रेडिट एसोसियेसन) और व्यापारियों के बैंक, इन सभी का इतिहास जटिल तथा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. साहूकार या महाजन द्वारा अपने संसाधनों से दूसरों को ऋण प्रदान करने का इतिहास सबसे पुराना है. इसमें वस्तु ऋण से लेकर मुद्रा-ऋण तक शामिल है. साहूकारिता का किसी न किसी रूप में भारत में आज भी अस्तित्व है. इतिहास के विभिन्न अन्तरालों में कई महाजन या साहूकार, व्यापारिक बैंकों में तब्दील हो गए या औपचारिक अनौपचारिक चिट कोष के व्यवस्थापक बने. चिट कोष या रोसका के पुरातन भारत में कई उदाहरण मिलते हैं. इसके अंतर्गत कई लोग एक व्यवस्थापक की देख-रेख में रोज, साप्ताहिक या मासिक तौर पर समान योगदान एक समय में एक सदस्य को करते हैं. इस चक्र का अंत तब होता है जब प्रत्येक सदस्य की बारी आ जाती हैं. चिट कोष के दो प्रकार हैं :

1 रूढ़िवादी तरीका, जिसमें योगदान के रूप में आई पूर्ण राशि किसी एक सदस्य को एक समय में दे दी जाती है.

2 उन्नत तरीका (जो चीन, वियतनाम, नेपाल एवं अन्य एशियाई देशों में देखने को मिलता हैं) जिसमें योगदान के रूप में आई राशि की नीलामी की जाती है तथा न्यूनतम बोली लगाने वाले को राशि दी जाती है तथा बची हुई राशि सदस्यों को लौटा दी जाती है.

जैसे-जैसे चिट फंड की लोकप्रियता बढ़ी, धोखाधड़ी एवं जालसाजी के भी कई ऊदाहरण दिखने लगे. फिर सन् 1945 के त्रैवनकोर चिट फंड कानून का अनुसरण कर कई राज्य सरकारों ने कानून बनाए. चिट फंड का महत्व इतना बढ़ता गया कि सन् 1982 में (दस वर्षों के मंथन के बाद) फेडरल चिट फंड कानून बना, जिस चिट फंड को गैर बैंकिग वित्तीय संस्था के मध्यस्थी के रुप में पहचान दी गई. यह कानून न्यूनतम पूँजी, कुल चिट फंड राशि की सीमा तथा अन्य कार्यनीति के विवाद निपटारे को व्यवस्थित करता है. यह कानून नियमित चिट फंड के विकास में काफी कारगर सिद्ध हुआ.

व्यापारिक बैंक या वित्तीय मध्यस्थता (जिसमें जमा लेना, ऋण देना तथा अन्य वित्तीय सेवाएं शामिल हैं) की शुरुआत भारत में काफी पहले हुई तथा पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचलन था. किन्तु इसका प्रचलन व्यापारिक समाज तथा जाति के आधार तक ही सीमित रहा. धीरे-धीरे व्यापारिक बैंकिंग को करदायी व्यवसाय के अंतर्गत लाया गया. सूदखोरी या अधिक ब्याज लेने की परम्परा कई धार्मिक तथा जातिगत विवादों का कारण बनी. जाति के आधार पर ब्याज दरें तय होती थीं. पुरातन काल में भी सामाजिक बैंकिंग के उदाहरण मिलते हैं जब गरीबों को ब्याज रहित ऋण दिए जाते थे.

ग्रामीण वित्तपोषण, जो निन्दनीय साहूकारिता के रुप में था, का विवरण मुख्यतः दिल्ली सल्तनत के दौरान मिलता है. जब जमीन कर, गृह कर तथा मवेशी कर की प्रथा का अवतरण हुआ. किसानों की जमीनें थीं लेकिन जमीन कर को मुद्रा में देना कठिन था. अतः किसानों को अपने अनाज को बाजार में बेचने को विवश होना पड़ा. इसके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं व्यापार का वाणिज्यिकरण हुआ. इसके साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं के लिए नया बाजार बनता गया. साहूकारिता भारत के ग्रामीण इलाकों का एक अंग बनती चली गयी. माइक्रोफाइनान्स में सूदखोरी या अधिक ब्याज पर ऋण देने की परम्परा का बीभत्स रूप देखने को मिला. किसानों को महाजनों द्वारा ब्याज नहीं दिए जाने पर प्रताड़ित किया जाने लगा.

स्वाधीन भारत की अविकसित ग्रामीण अर्थव्यवस्था विरासत में मिली. योग्य वित्तीय संस्थाओं के किसान कर्ज में डुबे हुए थे, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों का विकास अवरुद्ध था. निजी बैंक जो योग्य ऋण उपलब्ध करा सकते थे, उनका ग्रामीण इलाकों में कोई अस्तित्व नहीं था. किसानों के ऋण की जरूरतें साहूकारों, महाजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों या रोसका के द्वारा पूरी होती थीं, जो अयोग्य एवं अपर्याप्त थे. भारत की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी ,सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत कृषि

पर निर्भर था लेकिन कुल ऋण का केवल 2 प्रतिशत कृषि के लिए उपलब्ध हो पाता था. स्वदेशी अनौपचारिक वित्तीय ऋण व्यवस्था के लिए कोई कोशिश नहीं हुई. किन्तु केन्द्रीय सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिएः

सन् 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1980 में 6 अन्य निजी बैंकों का) हर एक शहरी शाखा के लिए दो ग्रामीण शाखाओं का खोला जाना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को एक जरूरी व्यवस्था में शामिल करना. इसके फलस्वरूप कई ग्रामीण शाखाएँ खुलीं, लेकिन गाँवों के लोग फिर भी ऋण से वंचित रहे. इससे यह संदेश मिला कि केवल शाखाएँ खोल देने से माइक्रोफाइनान्स की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएँगी. फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अस्तित्व में लाया गया जिससे शाखाओं के नए नेटवर्क बढ़े. लेकिन समस्याएं कम नहीं हुईं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारिता बैंकों ने किसानों की जरूरत को ध्यान में रखा, किन्तु भूमि रहित ग्रामीण, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर तथा अशिक्षित महिलाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो पायीं. उपर्युक्त सारे कानून, निर्णय एवं कार्यपालन के बावजूद सन 1981 में कराए गए सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण ऋण का लगभग 39 प्रतिशत अभी भी अनौपचारिक ऋण व्यवस्था पर निर्भर है. सन् 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई इस जिम्मेदारी के साथ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव लाया जा सके. नाबार्ड के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि अब तक की व्यवस्था ग्रामीण गरीबों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम रही है, क्योंकि इनका ध्यान कृषि ऋण प्रवाह पर ज्यादा रहा. इसके अलावा बचत करने की आदत का प्रचलन न हो पाना व जटिल व्यवस्था का होना इनके अन्य कारण हैं.

सन् 2003 में कराए गए ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 70 प्रतिशत छोटे किसानों एवं भूमिहीनों के कोई बैंक जमा खाते नहीं थे. 87 प्रतिशत लोग बैंकों की औपचारिक ऋण व्यवस्था से दूर थे. ग्रामीण वित्तपोषण के पुराने तरीकों को छोड़कर नये विचार सामने आए, जिसमें यह महसूस किया गया कि नए साझेदारों, नए डेलिवरी सिस्टम तथा नए वित्तीय उत्पाद की जरूरत है. स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी), गैर सरकारी संस्थाएँ (एन.जी.ओ) और बैंक नए व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे . एन.जी.ओ ने स्वयं सहायता समूह बनाने में सक्रिय भूमिका निभायी जिसके तहत एक तरह के, एक सोच के, एक जाति के एवं एक ही तरह के कार्य करने वालों के स्वयं सहायता समूह ज्यादा सफल प्रतीत हुए. धीरे-धीरे कई राज्यों में स्वयं सहायता समूह बनाए गये जिनकी अधिकतर सदस्य महिलाएँ थीं. स्वयं सहायता समूह का विकास होता रहा, कार्य सम्पादन उच्चकोटि का रहा तथा इसके असर को रोजगार उपलब्ध कराने, आमदनी बढ़ाने, आत्मविश्वास बढ़ाने, बच्चों को शिक्षित करने में गहराई से महसूस किया गया .

यूरोप, अफ्रीका, एशिया इत्यादि के ग्रामीण एवं माइक्रोफाइनान्स के इतिहास के विश्लेषण हमारे लिए उत्साहवर्द्धक प्रेरणा स्रोत हैं. लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासतौर पर अयोग्य क्षेत्रों तक माइक्रोफाइनान्स का फैलाव असरकारी निरीक्षण, अनौपचारिक समूहों की संस्थागत पहचान तथा स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की सक्रिय भूमिका इत्यादि.

भले ही हम पूर्व एवं वर्तमान सूक्ष्म वित्तपोषण माडल को दुहरा नहीं सकते, लेकिन इतिहास हमें गलतियों या असफलताओं से सीखने का अवसर प्रदान करता है. न वाणिज्य तथा न ही विकास क्रेंद्रित बैंक, बल्कि अनियंत्रित सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण लोगों को सूक्ष्म वित्तपोषण की सफलतापूर्वक कोशिश की है. पारंपरिक वित्तपोषण हमेशा आत्मनिर्भरता एवं सफलता के सिद्धांतों पर कार्य करता है. आयरलैंड, जर्मनी, बंगलादेश और भारत के इतिहास ये दर्शाते हैं कि व्यवस्थित प्रबंधन एवं निरीक्षण सफल सूक्ष्म वित्तपोषण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं.

पुष्कर कुमार सिन्हा, वरिष्ठ प्रबंधक, एसएसआई शाखा, जमशेदपुर

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारतीय पहल

शिव प्रकाश

वित्तीय समावेशन की परिभाषा :

वित्तीय समावेशन से तात्पर्य अल्प आय संवर्ग जैसे कमजोर समूह को समय से व वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है.

वास्तव में देखा जाए तो अधिकांश जनसंख्या विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या अल्प आय वाले लोग बमुश्किल औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाते हैं. ये प्रायः अपनी कमाई का स्वयं संचालन करते हैं, जिससे असुरक्षा बढ़ जाती है. मार्केट में उन्हें इसलिए नजरअंदाज किया जाता है कि उनके पास पर्याप्त आय नहीं होती, जिससे क्रय क्षमता या परिसम्पत्ति या क्षमता वृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा उसे श्रम तथा मजदूरी के जरिये सक्षम उत्पादक आय के रुप में परिवर्तित किया जा सके.

जनसंख्या की दृष्टि से भारत अधिकांश जनसंख्या वाला विश्व का दूसरा देश है, जिसकी 60% आबादी गांवों में रहती है. भारत को पचासवें दशक से ही इस बात का आभास हो गया था कि आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक विकास में दीर्घकाल तक बने रहने तथा ग्रामीण भारत के विकास का लाभ उठाने में अनेक कठिनाइयां हैं.

इस संबंध में की गयीं विभिन्न पहलों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

फेज 1 : वर्ष 1960 से 1980 तक पिछड़े क्षेत्र विशेषकर कमजोर क्षेत्र को ऋण प्रदान करने पर ध्यान दिया गया.

फेज 2 : 1990 के प्रारंभ से 2005 तक वित्तीय क्षेत्र सुधार की दिशा में वित्तीय संस्थानों को सुदृढ़ किया गया.

फेज3 : अप्रैल 2005 के प्रारंभ से वित्तीय समावेशन को प्रमुख नीति का स्पष्ट उद्देश्य मानते हुए नो-फ्रिल खातों के जरिए बचत जमाराशि की सुविधा प्रदान किये जाने पर जोर दिया गया.

भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में गंभीर कार्रवाई की है तथा आम जनता तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं, जो निम्नानुसार हैं :

- सहकारी संस्थाओं पर फोकस करते हुए ऋण संस्थाओं का संस्थागत ढांचा तैयार किया जाना.
- प्रमुख घरेलू वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण.
- ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लीड बैंक की योजनाओं को शुरु करना.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना.
- बैंकों के जरिए ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि लघु उद्योग तथा अन्य कमजोर क्षेत्र अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित करना.
- वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं के द्वारा बैंकिंग पद्धति के जरिए देश के लगभग 6 लाख गांवों को कवर करने हेतु सेवा क्षेत्र तथा ग्राम्य अधिग्रहण योजना की शुरुआत करना.
- गरीबोन्मुख योजनाओं को प्रायोजित करने हेतु गांवों में बैंक की योजनाओं को शुरु करना.
- राष्ट्रीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन योजना इस लक्ष्य के साथ शुरु की गई है कि वित्तीय रुप से वंचित 55.7 मिलियन लोगों के न्यूनतम 50% लोगों तक वित्तीय सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो सके.
- नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन निधि तथा वित्तीय समावेशन तकनीकी निधि (एआईटीएफ) का गठन किया है. इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन के विकास तथा कार्यान्वयन की लागत को पूरा करना था.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गयी कार्रवाई :

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2005 में वित्तीय समावेशन के लिए एक नीति बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों तक बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना

था, क्योंकि बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक संपत्ति के स्वरुप में हैं तथा यह आवश्यक है कि उपलब्ध बैंकिंग तथा भुगतान सेवाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण जनता तक पहुंचे. वित्तीय समावेशन से यह स्पष्ट हुआ है चूंकि समाज के कुछ घटकों तक बैंकिंग सेवाओं की समुचित पहुंच नहीं है, अतः यह महसूस किया गया कि इस संवर्ग को मुख्य धारा की संस्थाओं द्वारा अल्प लागत पर सुरक्षित वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं.

1. नो फ्रिल खाता : भारिबैं ने नवंबर 2005 में बैंकों को यह सूचित किया कि अधिकाधिक जनसंख्या को अल्प राशि या शून्य शेषराशि तथा प्रभार पर "नो फ्रिल" बैंकिंग खाता खोलना.

2. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के मानदंडों का सरलीकरण : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निम्न आय समूह के व्यक्तियों को बैंक खाता खोलने में होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" पद्धति को सरल कर दिया है तथा बैंकों को खाताधारकों से केवल उनका फोटोग्राफ तथा स्वतः प्रमाणित पता लेने के लिए कहा गया. (इन खातों में एक वर्ष में बकाया शेष की सीमा रु.50,000/- तथा कुल संव्यवहारों की सीमा रु.2 लाख तक रखी गयी है)

3. मध्यस्थों की सेवाएं लेना : भारिबैं ने जनवरी 2006 में बैंकों को गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी), माइक्रो फाइनान्स इंन्स्टिट्यूशन (एमएफआई), सिविल सोसाइटी संस्थाओं की सेवाएं लेने तथा बिसनेस फेसिलिटेटर (बीएफ) और बिसनेस कॉरेस्पॉण्डेन्ट(बीसी)की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की. (इससे बैंक द्वारा ग्रामीण जनता के निकटतम स्थान से "नकदी प्राप्त करने तथा नकदी देने" की सुविधा आरंभ की गयी, जिससे आय होने के साथ साथ अधिकतम वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ). इसे "एजेंसी मॉडल" के रुप में जाना जाता है.

- एजेंसी मॉडल को अपनाना

  वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा कोऑपरेटिव बैंकों को ग्रामीण व कृषक परिवारों तक पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उन्हें लोक सेवा संस्थाओं, ग्रामीण किओस्कों के बुनियादी ढांचे के उपयोग तथा बिसनेस फेसिलिटेटर (बीएफ) तथा बिसनेस कॉरेस्पॉण्डेन्ट (बीसी) मॉडल की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान की गयी.

भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी / मेडिकल / उचित मूल्य शॉप / पीसीओ ऑपरेटर तथा भारत सरकार/ बीमा कंपनियों की लघु बचत योजनाओं के एजेंट, सुस्थापित स्वयं सहायता समूहों के सेवानिवृत्त तथा प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को बिसनेस कॉरेस्पॉण्डेन्ट के रुप में संबद्ध करने की अनुमति दी.

4. डाक घरों की सेवाएं लेना : बैंकों को अपनी पहुंच बढ़ाने तथा डाकियों के स्थानीय लोगों के साथ विश्वासपूर्ण मधुर संबंधों का फायदा उठाने हेतु डाक घरों के व्यापक नेटवर्क को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बिसनेस कॉरेस्पॉण्डेन्ट के रुप में प्रयोग की अुनमति दी गयी जो {(1.55 लाख कार्यालयों (1.39 लाख ग्रामीण तथा 15562 शहरी)} कार्यालयों के साथ विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है.

5. सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) : बैंकों से कहा गया कि ग्राहकों के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) शुरु करें. यह कार्ड सामान्य क्रेडिट कार्ड जैसा ही होगा लेकिन इसे प्रतिभूति तथा ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर दिये बगैर जारी किया जाएगा. जीसीसी में रु.25,000/- तक सीमा रखी गयी है.

6. शाखा स्तर पर वित्तीय समावेशन : बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार भारिबैं की पूर्वानुमति के बगैर बैंकों को कारोबार के लिए नयी शाखाएं या विद्यमान शाखा-स्थल में परिवर्तन की अनुमति नहीं है. लेकिन नई शाखाएं खोलने के संबंध में बैंकों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आम जनता को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं के स्वरुप तथा उनके विस्तार, विशेषकर बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के उत्पादों को ऋण प्रवाह तथा उत्कृष्ठ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु तकनीकी संपन्न नये उत्पाद के साथ वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को भारिबैं महत्व देगा.

7. कम बैंकिंग सुविधाओं वाले जिलों की पहचानः भारिबैं ने ऐसे जिलों की पहचान की है, जहां प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा के औसत राष्ट्रीय स्तर से अधिक है. बैंकों को नई शाखाएं खोलने हेतु ऐसे केन्द्रों की पहचान करने की सलाह दी गयी है जहां बैंक की शाखाएं नहीं है या कम हैं. जिला परामर्श समिति (डीसीसी) को वाणिज्यिक बैंकों तथा आरआरबी की शाखाएं खोलने हेतु केन्द्रों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है.

8. अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 605 जिलों में से 525 जिलों को कवर करते हुए ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में (11,637 ग्रामीण शाखाएं तथा 2750 अर्ध शहरी शाखाएं) में अपनी उपस्थिति दर्ज की है. संबंधित अग्रणी बैंकों (अर्थात् प्रायोजक बैंक) को उनके कार्यनिष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है.

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्राथमिकता : अपने कार्यक्षेत्र में उदारीकृत शाखा लाइसेंस नीति तथा नकारात्मक नेटवर्थ वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण (रिकैपिटलाइजेशन) तथा उनके स्टाफ सदस्यों के कौशल उन्नयन हेतु सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है.

10. वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) : भारिबैं ने वर्ष 2009 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक मॉडल योजना तैयार की है. जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों को निशुल्क वित्तीय साक्षरता प्रदान करना तथा ऋण परामर्श देना है.

11. मोबाइल बैंकिंग : भारत में मोबाइल सूचना तकनीकी के उपयोग में एक क्रांन्ति आयी है तथा बैंकिंग क्षेत्र को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए. मोबाइल फोन सेवाएं महानगरीय, शहरी तथा गांवों में बसे समाज के सभी वर्गो में व्याप्त हैं, जहां व्यापक संभाव्यताएं तथा अवसर उपलब्ध हैं.

भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार तथा असंगठित क्षेत्र के लगभग 300 मिलियन कारीगरों को बैंक खातों से पेन्शन का भुगतान किया जाए. जिससे न केवल भुगतान पर होने वाले लागत में बचत होगी अपितु आय में रिसाव न्यूनतम होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2005 से किये गये कई प्रयासों के बावजूद ग्रामीण एवं सुदूर प्रदेशों में आज भी साहूकारों का वर्चस्व बना हुआ है.

बैंकों की पहल :

क. शाखारहित बैंकिंग

बैंकों द्वारा सूचना तथा संचार तकनीकी (Information and communication Technology) के सहयोग से परंपरागत बैंक शाखाओं के बाहर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही गरीबों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किये जा रहे "शाखा रहित बैंकिंग" नामक गैर बैंकिंग मॉडल में निम्नलिखित शामिल हैः

- ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम)
- पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें

- बॉयोमेट्रिक कार्ड / स्मार्ट कार्ड - आईटी इनेबल्ड कार्ड, जो बॉयोमेट्रिक मशीन से खाते में लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं.
- मोबाइल बैंकिंग
- इंटरनेट बैंकिंग
- पाम टॉप्स् / हैण्ड हेल्ड मशीनें - ये मशीने दैनंदिन कारोबार का लेखा-जोखा रखने तथा दिन में हुए लेनदेनों की उचित रसीद ग्राहकों को प्रदान करते हेतु क्षेत्र अधिकारियों को दी जाती हैं.
- कियोस्क से जुड़े ई-बैंकिंग लेनदेन
- बिजनेस कॉरेस्पोण्डेन्ट्स - वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एनजीओ / एसएचजी, एमएफआई तथा अन्य सिविल सोसाइटी संस्थाओं का सहयोग मध्यस्थ के रुप मे लिया जा रहा है.
- बिजनेस फेसिलिटेटर - एनजीओ, किसान क्लब, सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, कार्पोरेट संस्थाओं के आईटी आधारित ग्रामीण केन्द्र, डाक घर, बीमा एजेंट, सक्रिय पंचायत, ग्रामीण ज्ञान केन्द्र, एग्री-क्लिनिक / एग्रो आधारित केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा केवीआईसी इकाइयों की सेवाएं सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ली जा रही हैं.
- प्रारंभिक रुप से प्रत्येक राज्य के एक जिले को शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए चयनित करने के अनुक्रम में 431 जिलों की पहचान की गई है, जिसमें से 18 राज्यों के 204 जिलों में शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है.

उपलब्धियां :

➢ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा ग्लोबल मोबाइल में अग्रणी नोकिया ने मिलकर "यूनियन बैंक मनी पॉवर्ड बाई नोकिया" के नाम से एक योजना शुरु की है. ग्राहक अन्य किसी व्यक्ति को धन का अंतरण, बीसी एवं एटीएम से नकद आहरण, बिलों का भुगतान, प्रीपेड सिम को रिचार्ज कर सकता है. भारत में नोकिया हैण्डसेट के सभी परिचालकों द्वारा यूनियन बैंक मनी का आयोजन करता है. इन सेवाओं को सर्वव्यापी, अधिक सुगम तथा उपभोक्ता अनुकूल बनाना है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नो-फ्रिल

संवर्ग में आनेवाले ग्राहकों के टर्नओवर के लिए वार्षिक सीलिंग होगी तथा प्रीपेड कार्ड में शेष रकम की सीलिंग निर्धारित है. ऐसे अन्य ग्राहक जिन्होंने बैंक के केवाईसी मानदंडों का अनुपालन किया है, टर्नओवर पर बिना किसी प्रतिबन्ध के उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं. इससे मध्यस्थों पर निर्भर न रहकर ग्राहकों को अन्य व्यक्तियों को धन अंतरित करने में सुविधा होगी, बिजनेस कॉरेस्पोण्डेन्ट्स कैश - आउट आउटलेट्स (पंजीकृत नोकिया स्टोर्स) तथा एटीएम से नकदी आहरित कर सकते हैं, बिलों के भुगतान के साथ-साथ अपने मोबाइल के सहयोग से प्रीपेड सिम कार्ड (टॉप-अॅप) का रिचार्ज कर सकते हैं.

➢ **स्वाभिमान**

भारत सरकार तथा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की यह एक ऐसी पहल है, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी भारत के आर्थिक अंतर को पाटना है. स्वाभिमान एक आंदोलन है, जिसमें 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 73,000 गांवों, जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित है, में मार्च 2012 तक बैंकिंग की मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया गया है. इस आंदोलन के जरिए बैंकिंग खाते खोलना, आवश्यकता के आधार पर ऋण प्रदान करना, अंतरण की सुविधा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना है.

इस योजना के लाभ :

- बैंक साथी (बिजनेस कॉरेस्पोण्डेन्ट) के सहयोग से द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना.
- बैंक खाता खोलने की पद्धति सरल करना.
- ऋण तथा बचत उत्पाद का आसान उपयोग.
- निधि / अंतरण को शीघ्र प्रेषित करना तथा सीधे हिताधिकारी खाते को सरकारी सब्सिडी का भुगतान. सामाजिक सुरक्षा लाभ.
- सूक्ष्म-बीमा तथा सूक्ष्म-पेन्शन उत्पाद

➢ **स्वावलंबन**

भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों, जो किसी सोशल सेक्युरिटी नेट में नहीं आते हैं के लिए अक्तूबर, 2010 में यह पेन्शन योजना

प्रारंभ की है, जिसमें रु.12,000/- प्रति वर्ष के अंशदान के लिए ग्राहक को भारत सरकार से प्रति वर्ष रु.1000/- मिलेंगे. यह वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ - साथ अगले तीन वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा. इसका प्रबंधन पेन्शन फण्ड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेन्ट अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा. इस योजना में 18 वर्ष की आयु वाले ग्राहक आवेदन कर सकते हैं, जो 60 वर्ष की आयु के बाद पेन्शन के लिए पात्र होंगे. इस योजना से देश के 87% श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा. पेन्शनर 60 वर्ष की आयु होने पर अपने अशंदान का 60% आहरित कर सकते हैं तथा शेष रकम मासिक आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मासिक एन्युइटी के रूप में दी जाएगी.

इस योजना के लिए किसी व्यक्ति को असंगठित क्षेत्र से संबद्ध माना जाएगा, यदि वह व्यक्तिः

I. केन्द्र या राज्य सरकार या केन्द्र तथा राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था / पीएसयू के नियमित रोजगार में नहीं है, जिनके पास नियोक्ता द्वारा समर्थित सेवानिवृत्त लाभ योजना विद्यमान है.

II. निम्नलिखित किसी भी कानून के तहत् सामाजिक सुरक्षा योजना में कवर न होता हो :

- कर्मचारी भविष्य -निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1852
- कोयला खान भविष्य -निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1852
- नाविक(seamen's)भविष्य निधि अधिनियम
- आसाम टी प्लान्टेशन भविष्य-निधि तथा पेन्शन निधि योजना अधिनियम 1955
- जम्मू - कश्मीर कर्मचारी भविष्य - निधि अधिनियम 1961

➢ यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया

भारत सरकार ने यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, जिसने देश के सभी नागरिकों को विशेष पहचान संख्या प्रदान करने की योजना शुरू की है. यूआईडी का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं. यह यूआईडी परियोजना न केवल लॉजिस्टिक तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के मामले निपटाने में मददगार होगी, अपितु बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन करने हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए इससे मदद मिलेगी.

राज्य सरकारों द्वारा की गयी कार्रवाई

आन्ध्र प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने हिताधिकारियों के हित में सामाजिक सुरक्षा पेन्शन (सोशल सेक्युरिटी पेन्शन(एसएसपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के भुगतान के लिए इस योजना को आन्ध्र प्रदेश के सभी 23 जिलों में लागू किया है. इस परियोजना में 12 बैंकों के साथ 08 सेवा प्रदाता हैं. इस परियोजना में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आन्ध्र प्रदेश के 09 जिलों को कवर करता है, जिसमें 3169 ग्राम पंचायत शामिल हैं. इसमें अन्य सहयोगी एक्सिस बैंक 05 जिलों की 3500 ग्राम पंचायतों को कवर करता है. बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पोण्डेन्टों द्वारा गांव के निवास स्थानों पर ग्रामीणों को भुगतान किया जाएगा. भारतीय तकनीकी में विकास तथा शोध संस्थान (आईआरबीटी) की भूमिका सरकार को प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) में सहयोग देने की है. इस योजना के तहत् संवितरित की गयी रकम पर 2% सेवा प्रभार बैंकों को दिया जाएगा. इसके लिए सेवा प्रदाताओं को 1.75% की रकम बैंक प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक हिताधिकारियों के क्षेत्र में पीओटी मशीन खरीदने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार सेवा प्रदाता को रु.20,000/- प्रदान करेगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (ईबीटी) नामक एक योजना शुरु की है. जिसके तहत् स्मार्ट कार्ड के जरिए किये गये प्रत्येक लेनदेन पर 50 की सब्सिडी के रुप में बैंकों को प्रोत्साहन देगा. इस योजना को जून, 2010 तक बढ़ाया गया है.

शिव प्रकाश, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

वित्तीय समावेशन : दूरस्थ पहुँच

कल्याण कुमार

वित्तीय समावेशन :

वित्तीय समावेशन समिति के अध्यक्ष श्री सी रंगराजन के अनुसार इसकी परिभाषा निम्नलिखित है :

"समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों अर्थात् अत्यंत निम्न आयवर्ग के लोगों को उचित लागत पर समय से और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना व इस प्रकार की वित्तीय सेवाओं की उनतक पहुंच को सुगम बनाना ही वित्तीय समावेशन है." वित्तीय समावेशन समाज के सुविधाहीन व निम्न आयवर्ग के लोगों तक उचित लागत पर बैंकिंग सुविधाओं की सुपुर्दगी का दूसरा नाम भी है.

वित्तीय समावेशन क्यों?

बीसवीं सदी में महात्मा गांधी ने कहा था कि "भारत की आत्मा गांवों में बसती है" किन्तु आज इक्कीसवीं सदी में भारत के गांव विकास की दिशा में पिछड़े हैं.

भारत में कुल 611 जिले हैं जिनमें से 375 जिलों में बैंकिंग सुविधायें अपेक्षा से कम हैं या नहीं हैं. इनमें से भी 54 जिले देश के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में हैं. ये जिले देश के अन्य हिस्सों के साथ जुड़े भी नहीं हैं. उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सुविधाविहीन जिलों की संख्या सर्वाधिक 63 है. मध्य प्रदेश में 41 और बिहार में 36 जिलों में बैंकिंग सुविधायें नहीं पहुंची हैं या कम हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 17 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में 256 जिलों में ऋण का अंतर 95 प्रतिशत से भी अधिक है. भारत जैसे देश, जो कि पिछले कुछ वर्षों से 9 प्रतिशत की विकास दर दर्शा रहा है, में भी,गरीबी उन्मूलन की

चुनौती ज्यों की त्यों बनी हुई है. यहां अभी भी 300 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी आमदनी प्रतिदिन एक डॉलर से भी कम है. अतः मुद्दा यह है कि इनके जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जाये? भारतीय जनसंख्या का 3 प्रतिशत भाग, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग हैं, प्रतिवर्ष स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटनाओं और उनके परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है. दूसरी चुनौती देश में भौगोलिक विभिन्नता है. जहां एक ओर मध्य भारत के राज्यों में वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया जा पा रहा है वहीं दूसरी ओर उच्च ब्याज दर के कारण गरीब जनता तक ऋण की पहुंच भी कम है.

वित्तीय सुधारों से संबधित श्री रघुराम राजन समिति ने बताया है कि **बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चार दशक बाद भी देश की 41 प्रतिशत वयस्क जनता बैंकिंग प्रणाली से अछूती है. 81 प्रतिशत गांवों में 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर बैंक नहीं हैं. 41 प्रतिशत जनता का बैंक में खाता नहीं है. ऋण की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में 14 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 10 प्रतिशत है.**

इस समिति के अध्ययन के अनुसार लगभग 73% किसान परिवार को वित्तीय सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है. यह स्थिति देश के सेंट्रल, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भाग में अधिक विकट है जहां कुल 64% किसान परिवार वित्तीय सेवा की सुविधाओं से वंचित हैं. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लगभग चालीस वर्ष बीतने के बाद भी देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी के पास कोई बैंक खाता नहीं है तथा 90 प्रतिशत आबादी को कोई ऋण सुविधा नहीं है.

पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 8.5-9.0% की दर से बढ़ती रही है, किन्तु इस विकास दर में उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक रहा है. कृषि क्षेत्र की विकास दर लगभग 2% रही है, जबकि कृषि एवं लघु उद्योग धंधे के क्षेत्र में विकास की संभावना बहुत अधिक है.

गांव के अधिकतर लोगों का वित्तीय सेवाओं की सुविधा से वंचित रहना कम विकास दर का एक बड़ा कारण है. यह विकट स्थिति बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चालीस वर्षों के बाद भी होना अच्छा संकेत नहीं है. जब तक समाज के सभी वर्ग एवं देश के सभी क्षेत्र विकास में बराबर भागीदारी नहीं करेंगे तब तक हमारी एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं हो पायेगी. अपने प्लेटिनम जुबली वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने संकल्प लिया है कि आगामी तीन वर्षों में शत-प्रतिशत लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जायेंगे.

वित्तीय समावेशन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणः

- समेकित विकास हेतु यह बहुत ज़रूरी है.
- जमा संग्रहण निवेश तथा ऋण संवितरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है.
- गरीब व कमज़ोर वर्ग के लोगों को इससे वंचित रहने के कारण किसी अप्रत्याशित वित्तीय आघात को झेलने की शक्ति नहीं रह जाती है.
- यह गरीब वर्ग को परंपरागत सूदखोरों से बचाता है.
- लोगों तक वित्तीय सुविधायें पहुंचाने की लागत बहुत कम है.
- बैंकों के विचार से लघु जमा संग्रहण तथा ग्राहक आधार में वृद्धि के कारण बैंक अपने तरलता प्रबंधन तथा आस्ति देयता प्रबंधन अच्छी तरह से कर पायेंगे.

वित्तीय वंचन की वर्तमान स्थिति

- देश में लगभग छः लाख रिहायशी गांव हैं, जिनमें केवल 30000 गांवों में व्यावसायिक बैंकों की शाखायें हैं जो कि लगभग 5 प्रतिशत होता है.
- देश की कुल आबादी के लगभग 40 प्रतिशत लोगों के पास बैंक का खाता है और यह प्रतिशत देश के उत्तर पूर्वी भाग में और भी कम है.
- भारतवर्ष में जीवन बीमा से बीमित व्यक्तियों का प्रतिशत 10 और गैर जीवन बीमा उत्पादों का कवरेज काफी कम अर्थात् 0.6 प्रतिशत है.
- देश की 13 प्रतिशत आबादी के पास डेबिट कार्ड हैं और क्रेडिट कार्ड की सुविधा वाले लोगों का प्रतिशत मात्र 2 है.
- नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार 2003 में देश में कुल 89.3 प्रतिशत मिलियन किसान घराने थे जिनमें से 51 प्रतिशत किसान किसी भी संस्था से ऋण सुविधा नहीं ले रहे थे.
- इन्वेस्ट इंडिया इन्कम और सेविंग्स सर्वे के अनुसार केवल 32.8 प्रतिशत घरानों ने संस्थागत वित्तीय स्रोतों से ऋण लिया था और शेष 67.2 प्रतिशत ने गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों से ऋण लिया था.
- अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल 58 मिलियन यूनिट (जहां निवेश रु.25,000/- से कम है) में से केवल 2.4 मिलियन यूनिट ही व्यावसायिक बैंकों से वित्तीय सहायता ले पाये हैं.

वित्तीय समावेशन क्यों?

वित्तीय समावेशन तालिका 1-

संस्था	ऋण तक पहुंच (मिलियन में) खातों की संख्या			बचत तक पंहुच (मिलियन में) खातों की संख्या	
	2002	2007		2002	2007
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	43.3	76.6		246.5	320.9
ग्रामीण बैंक	12.6	15.00		36.7	52.7
उप योग	**55.9**	**91.6**		**283.2**	**373.6**
अन्य					
पी ए सी	55.5	47.9		102.1	125.80
यू सी बी	4.4	7.1		41.6	50.00
एस एच जी	7.4	40.5	पो. ओ.	60.2	60.80
खातों की संख्या प्रति 100 वयस्कों पर					
सभी सस्थायें	18	25	सभी सस्थायें	72	82

स्रोत- भा.रि.बैं की रिपोर्ट करेंसी एंड फिनांस 2006-08

किसी भी वित्तीय व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन होता है. वित्तीय सुधार के मुख्यतया दो उद्देश्य हैं :

1) व्यापारिक संस्था के अनुरूप लाभप्रदता में वृद्धि
2) अर्थव्यवस्था की ज़रूरत को सही अर्थों में पूर्ण करना

वित्तीय वंचन- खासकर कम आयवर्ग के लोगों का :

यह किसी भी वित्तीय संस्थान और देश के लिये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. देश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्तीय वंचन की स्थिति और भी विकट है. छोटे और लघु उद्योग नकद में ही संव्यवहार करते हैं और वित्तीय वंचना के कारण इनकी स्थिति काफी दयनीय हो जाती है. कम आयवर्ग के लोगों की वित्तीय वंचना की स्थिति का परिणाम अल्प जमा संग्रहण, अल्प निवेश और यह उन्हें अपनी वृद्धावस्था हेतु वित्तीय आयोजना व सुरक्षा में दिक्कत पैदा करता है. साथ ही इस तरह से वित्तीय वंचित घराने कैपिटल मार्केट और बीमा इत्यादि से भी वंचित रहते हैं. छोटे व्यवसाय की हालत नाज़ुक हो जाती

है, क्योंकि उनकी पहुंच मध्यम वर्ग और ऊंचे वर्ग तक नहीं हो पाती है. यह स्थिति उन्हें सूदखोरों के चंगुल में फंसाती है.

वित्तीय वंचना की स्थिति केवल गांवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे शहरी गरीबों में भी है. यह स्थिति खासकर प्रवासी मज़दूरों में काफी गंभीर है क्योंकि ये बैंकों के "के वाय सी" मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं.

यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि भारतवर्ष का विकसित राष्ट्र का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता है, जब तक भारत की 100 प्रतिशत आबादी वित्तीय समावेशन के दायरे में नहीं आ जाती है.

भारतवर्ष में 1969 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हम लोग क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर अग्रसर हो चुके हैं.

अब हम लोग यह देखेंगे कि अभी शतप्रतिशत मंजिल में से हमने कितनी दूरी को तय किया है.

वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति :

व्यावसायिक और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या 1969 में 8262 थी जो मार्च 2007 तक 71471 हो गयी. उपर्युक्त अवधि में औसत आबादी प्रति शाखा 63000 से घटकर 16000 रह गयी है. अखिल भारतीय डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2002 के अनुसार रंगराजन समिति ने गौर किया कि कुल 111.5 मिलियन घरों को औपचारिक ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है. इनमें से 17 मिलियन घर सूदखोरों के चंगुल में हैं.

इस स्थिति का एक उज्ज्वल पक्ष भी है. आज से 18 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1992 को नाबार्ड ने 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर एक शुरुआत की थी. आज यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2008-09 में लगभग 86 मिलियन गरीब घर इस लिंकेज कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं. 31 मार्च 2009 को देश में 6.1 मिलियन बचत से जुड़े स्वयं सहायता समूह एवं 4.2 मिलियन वित्तीय सुविधाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूह थे. यह एक अच्छी प्रगति का संकेत है. पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2009 वित्तीय वर्ष से 86 मिलियन गरीब घरों ने छः मिलियन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रुपये 5500 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किये हैं. साथ ही लगभग रुपये 3700 करोड़ के ऋण भी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु वित्तीय संस्थाओं को वर्ष 2008-09 में बांटे हैं.आज 12 मिलियन गरीब महिलायें लगभग 8 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जमा व ऋण सुविधाओं से जुड़ी हैं.

इस दिशा में हुई क्रमवार प्रगति का आकलन निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका-2

मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत खाते

ग्रामीण	1971*	1981	1991	2001	2006	2007
खातों की संख्या	-	56.9	153.8	169.8	194.4	213.8
प्रति 100 व्यक्ति खाते	-	10.9	24.5	22.9	24.2	26.2
खाते प्रति 100 वयस्क	-	17.9	39.2	35.0	35.8	38.8
शहरी						
खातों की संख्या		40.9	99.2	110.2	149.1	159.7
प्रति 100 व्यक्ति खाते		25.7	45.6	38.5	48.1	50.7
खाते प्रति 100 वयस्क		42.3	73.1	58.9	71.4	75.2
योग						
कुल खाते	**23.6**	**97.8**	**253.0**	**280.0**	**343.5**	**373.0**
खाते प्रति 100 व्यक्ति	4.3	14.3	29.9	27.2	30.8	33.00
खाते प्रति 100 वयस्क	7.1	22.9	46.8	41.5	45.9	48.9

*जून तक की स्थिति

स्रोत- करेंसी एंड फिनांस रिपोर्ट 2006-08

तालिका-3

ऋण खातों में व्यावसायिक बैंकों की स्थिति मार्च के अंत तक

ग्रामीण	1971*	1981	1991	2001	2006	2007
खातों की संख्या	-	16.4	49.9	36.6	50.5	53.1
प्रति 100 व्यक्ति खाते	-	3.1	7.9	4.9	6.3	6.5
खाते प्रति 100 वयस्क	-	5.2	12.7	7.5	9.3	9.6
शहरी						
खातों की संख्या		4.4	12.1	15.8	34.9	41.3
प्रति 100 व्यक्ति खाते		2.7	5.5	5.5	11.3	13.1
खाते प्रति 100 वयस्क		4.5	8.9	8.4	16.7	19.5
कुल खाते मिलियन में	4.3	20.7	61.9	52.4	85.4	94.4
कुल खाते खाते प्रति 100 व्यक्ति	0.8	3.0	7.3	5.1	7.7	8.3
खाते प्रति 100 वयस्क	1.3	5.0	11.7	7.9	11.6	12.4

*जून तक की स्थिति

स्रोत- करेंसी एंड फिनांस रिपोर्ट 2006-08

हमने देखा कि इस मद में अच्छी खासी प्रगति के बावज़ूद हम मंज़िल से काफी दूर हैं. वित्तीय समावेशन केवल गरीबों के उपकार के लिये नहीं है, बल्कि देश की तरक्की के लिये भी बहुत ज़रूरी है.

क्या आप सोच सकते हैं कि मुंबई में धारावी मुहल्ला जो कि झुग्गी झोपड़ी का क्षेत्र है, वहां से प्रतिवर्ष 500-600 बिलियन डॉलर के निर्यात किये जाते हैं. इस क्षेत्र में प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक सन 2007 में खुला. मात्र 3 वर्षों में इस बैंक का कुल व्यापार 44 करोड़ रुपये से अधिक हो गया. अभी वहां 9 एटीएम हैं और ए टी एम पर हिट्स भी काफी संख्या में बढ़े हैं.

यह उदाहरण दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन बैंकों के लिये भी एक लाभकारी कार्य है.

इस दिशा में अभी तक किये गये प्रयास :

भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको और गति प्रदान करने के लिए बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय बैंकों को सन् 1990 में स्वयं सहायता समूहों के खाते खोलने की अनुमति प्रदान करना.
2. सभी देशी व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल ऋण का 40% तथा विदेशी बैंकों को 32% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण वितरण अनिवार्य किया गया.
3. नयी शाखा खोलने के लाइसेंस हेतु बैंक विहीन क्षेत्रों पर अधिक जोर.
4. नो फ्रिल खाते खोलने के निर्देश :

   नवंबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को इस आशय की सलाह दी कि समाज के अधिकांश वर्गों के लिये न्यूनतम राशि या शून्य राशि के साथ बिना किन्हीं प्रभारों के खाते खोले जायें और इस प्रकार उनको बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ा जाये.
5. लघु वित्तीय ग्राहकों हेतु केवायसी नियमों में थोड़ी ढिलाई की अनुमति:

   ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये बैंक खाता खोलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिये के वाय सी के मानदंडों का सरलीकरण किया गया. नये सरल मानदंडों के तहत खाताधारक द्वारा मात्र एक फोटो और स्व प्रमाणपत्रित पते का होना पर्याप्त था.

6. वित्तीय मध्यस्थों की भूमिका:

   भारत वर्ष में लगभग छः लाख गांव हैं. बैंकों द्वारा अपनी शाखागत बैंकिंग द्वारा शत-प्रतिशत लोगों को वित्तीय सेवा दे पाना संभव नहीं हो पायेगा.

अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2005-2006/288 दिनांक 25.09.2006 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को वित्तीय मध्यस्थों यथा गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, लघु वित्तीय संस्थाएं इत्यादि की सेवाएं लेने की अनुमति प्रदान कर दी है. ये संस्थाएं बैंकों के एजेंट के रुप में कार्य करेंगी.

बैंकों के बिजनेस कॉरेसपोंडेंट के रुप में ये संस्थाएं बैंक के एजेंट के रुप में नकदी भी स्वीकार कर सकती हैं. ये एजेंट निम्न प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं -

1. कम वैल्यू के नकद जमा एवं भुगतान
2. कम वैल्यू के ऋण का संवितरण
3. मूलधन एवं ब्याज की वसूली
4. जमा निधि संकलन
5. लघु बीमा/म्यूच्यूल फंड उत्पादों/पेंशन उत्पादों/अन्य तीसरी पार्टी उत्पादों की बिक्री इत्यादि.

यह बिजनेस कॉरेसपोंडेंट एवं बिजनेस फेसिलिटेटर मॉडल आज की आधुनिक तकनीक यथा बायोमीट्रिक कार्ड प्रणाली, माइक्रो एटीएम के द्वारा वित्तीय समावेशन करने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं.

यह कार्य मॉडल बैंकों और अन्य संस्थाओं दोनों के लिए लाभकारी है. एक तरफ यह बैंकों की पहुंच दूरदराज के गांवों तक पहुंचाता है, दूसरी तरफ इस कार्य के लिए मिलने वाला कमीशन उन संस्थाओं के लक्ष्य साधन में मददगार साबित होता है

7. सूचना तकनीक का उपयोग: भारतीय बैंक सूचना तकनीक का उपयोग वित्तीय समावेशन के लिये कर रहे हैं. वे इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का लाभ लेते हुए उत्तम और सस्ती नयी नयी सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम हैं.

आज बैंकों के समक्ष ऐसी प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है, जो सुरक्षित, सरल हो और जिसकी ऑडिट की जा सके.

इस दिशा में दो महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

- स्मार्ट कार्ड- बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर बैंकों द्वारा खाता खोलना, इससे ग्राहकों के दरवाज़े पर यह सुविधा दी जा सकेगी. फिनो पिछले दो साल में 1 मिलियन कार्ड बना चुकी है.
- मोबाइल संयंत्र जो कि बैंकिंग संव्यवहार से जुड़ा हो. अक्तूबर 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी है.

8. शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन की ओरः भारतीय रिज़र्व बैंक ने योजना जारी की है कि हर राज्य में एक जिले में शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन करना है.

9. उत्तर पूर्वी राज्यों जहां वित्तीय समावेशन की स्थिति अत्यंत दयनीय है, वहां राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय रिज़र्व बैंक नयी शाखाओं के लिये पांच सालों तक पूंजीगत व अन्य सहायता देगा.

10. भारत सरकार ने इस दिशा में दो निधियों की स्थापना की है. पहली वित्तीय समावेशन प्रोमोशन फंड तथा दूसरी वित्तीय समावेशन तकनीकी फंड. यह प्रत्येक फंड रु. 500 करोड़ का है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार व नाबार्ड का हिस्सा 40:40:20 के अनुपात में है. वर्ष 2010-2011 के बजट में सरकार ने इस प्रत्येक निधि में 100 करोड़ रुपये और देने का ऐलान किया है.

11. स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम को रीडिज़ाइन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये की निधि दी. बजट 2010-11 में इस निधि को दोगुना कर दिया गया.

12. बजट 2010-11 में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि भारतवर्ष के प्रत्येक गांव, जहाँ की आबादी 2000 है, वहां मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधा अवश्य पहुंचा दी जायेगी, अर्थात् मार्च 2012 तक भारत की अधिकतर जनसंख्या के पास बैंकिंग सेवा 15 मिनट की पैदल दूरी पर संभव हो सकेगी. ऐसा प्रतीत होता है.

    यह अकेले शाखा बैंकिंग द्वारा संभव नहीं है. अतः आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट द्वारा यह संभव किया जा सकता है. सन् 2006 जनवरी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने के लिये बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल के माध्यम से एन जी ओ, स्वयं सहायता समूहों, माईक्रो फिनांशियल संस्थाओं, रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों, रिटायर्ड फौजियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है.

    हाल में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किराना दुकान,दवा दुकान, पी सी ओ, लघु बचत योजना के एजेंटों को भी इस मॉडल में शामिल करने की अनुमति दी है. इसे लाभकारी बनाने हेतु बैंक कुछ सेवा शुल्क भी ग्राहकों से वसूल करती है.

13. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों पर से ए टी एम की स्थापना के लिये पूर्व अनुमति की शर्त हटा ली है.

14. अक्तूबर 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उन क्षेत्रों में शाखायें खोलने पर खुली अनुमति दे रखी है, जहां जनसंख्या 50000 से कम है.

15. वित्तीय शिक्षा और ऋण के प्रति जागरुक करना-

    वित्तीय शिक्षा का वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान है. इससे लोगों में सही अर्थों में जागरुकता आयेगी. इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रोजेक्ट वित्तीय शिक्षा की शुरुआत की है. इसमें वित्तीय सेवाओं से जुड़ी सामान्य जानकारियां 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. अभी ऐसे 154 केंद्र देश भर में चलाये जा रहे हैं.

    हमने देखा कि इतनी नीतिगत सहायता के बावजूद इतने सारे लोग क्यों अछूते रह गये? इसका कारण मांग और पूर्ति - दोनों पक्ष ही हैं.

मांग पक्ष-

- लोगों में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के प्रति जागरूकता का न होना.
- वित्तीय शिक्षा की कमी.
- वित्तीय उत्पाद जो कि गरीबों की ज़रूरतों से मेल नहीं खाते हों.
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का छोटे ग्राहकों के साथ उत्साहपूर्वक सहयोग न होना.

- कभी कभी बहुत पेचीदी, मंहगी और जटिल प्रक्रियाएँ भी ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं से दूर ले जाती हैं.

पूर्ति पक्ष :

* बैंक को छोटे खातों के संचालन में अधिक लागत आने का भय भी एक बड़ा कारण है.
* संवादहीनता, संसाधनों की कमी, आबादी समस्या और अल्प शिक्षा बैंकों को इस ओर अग्रसर होने से रोकती है.
* आधार (यू आई डी) योजना गरीबों को केवायसी मानक पूरा करने में सहयोग करेगी.

आज कारवां चल चुका है और एक अध्ययन के अनुसार लघु वित्त भारतवर्ष में बहुत जल्द सामान्य बैंकिंग से बड़ा हो जायेगा.

राबर्ट ऐनिबेल जो कि सिटी माइक्रो फाइनेंस की डायरेक्टर हैं, के अनुसार भारतवर्ष में आज लगभग 70 से 80 मिलियन लोग लघु वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हैं, जबकि सामान्य शाखागत बैंकिंग प्रणाली से लगभग 200 मिलियन लोग जुड़े हैं. उनके अनुसार यदि इस गति से वृद्धि बनी रही तो लघु वित्त सामान्य वित्त की तुलना में अधिक लोगों तक वित्तीय सेवाएं ले जाने में सक्षम होगा.

इस दिशा में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सतत् प्रयत्नशील हैं. लघु वित्त को देश में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विश्व बैंक से लगभग रुपये 450 करोड़ का ऋण लेने जा रही है. यह रकम सिडबी को दी जायेगी, जो कि बाद में लघु वित्त संस्थाओं में बांटी जायेगी. इससे समावेशन के क्षेत्र में और भी क्रांतिकारी गति आयेगी.

भारत सरकार ने स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान योजना का शंखनाद किया है. स्वावलम्बन योजना के तहत नयी पेंशन योजना की सुविधा आम जन तक पहुँचेगी व उनका भविष्य सुरक्षित होगा. इसके साथ ही यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनियाँ गांधी एवं वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के हाथों भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में स्वाभिमान योजना का श्रीगणेश किया गया. इसके अन्दर बैंक सभी वित्त वंचित लोगों को अपने रोड मैप के अनुसार बैंक से जोड़ सकेंगे.

लघु वित्त एवं संपूर्ण समावेशन के द्वारा ही हम विकसित राष्ट्र होने का सपना साकार कर सकते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से रोड मैप बनाने को कहा है ताकि

वर्ष 2012 तक प्रत्येक 2000 तक की आबादी वाले गांवों में वित्तीय सेवायें पहुंचायी जा सकें. अतः आज की अद्यतन तकनीक और बिज़नेस कॉरसपोंडेंट मॉडल की मदद से आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में बैंकिंग सेवा प्रत्येक भारतवासी को 15 मिनट पैदल दूरी पर उपलब्ध होगी.

कल्याण कुमार, मुख्य प्रबंधक, ठाणे(प) शाखा

वित्तीय समावेशन-समग्र विकास की कुंजी

बृजेश कुमार तिवारी

हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. प्रजातंत्र प्रजा के लिए प्रजा द्वारा चुनी गयी सरकार होती है. अर्थात् हमारे देश का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है. सरकार का कार्य जनता की सेवा करना होता है. सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है जो कि जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा देश है. हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा वित्तीय संसाधनों के इस्तेमाल में बहुत पिछड़ी हुई है. हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या वित्तीय संसाधनों के उपयोग से वंचित है. वैसे तो हम 9 प्रतिशत की दर से विकास करने का दावा कर रहे हैं. परन्तु वास्तविकता में इस विकास का फायदा सिर्फ कुछ ही वर्ग के लोगों को हो रहा है. अर्थात कुछ लोगों का विकास तो हो रहा है परन्तु एक बहुत बड़ा वर्ग विकास की प्रक्रिया में पिछड़ता जा रहा है. अब सवाल यह उठता है कि क्या हम उस सबसे बड़े वर्ग को छोड़कर विकास की दर को लंबे समय तक बरकरार रख पायेंगे.

वित्तीय समावेशन का अर्थ :

वित्तीय समावेशन वित्तीय संसाधनों को वहनीय लागत पर समाज के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने को कहते है. वित्तीय संसाधनों का मतलब, ऋण सुविधाएँ, बीमा योजनाएँ, बचत खाता इत्यादि सभी वित्तीय संसाधनों को समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक वहनीय लागत पर पहुंचाया जाए. अर्थात् समग्र विकास के लिए हमें वित्तीय संसाधनों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना होगा.

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता :

आजादी के 63 वर्ष पूरा करने के बाद भी हमारी लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय संसाधनों की पहुंच से वंचित है . देश के इस बड़े वर्ग को देश की मुख्य धारा

में शामिल करना पड़ेगा. बिना इस वर्ग के हम देश के समग्र विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. आज हमारा देश 8 से 9 प्रतिशत दर से बढ़ रहा है . परन्तु इस बढ़ोत्तरी को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह वृद्धिदर मात्र बहुत थोड़े से वर्ग के विकास को इंगित करती है. अतः देश की वृद्धिदर को बनाए रखने और समाज के कमजोर वर्गों को देश की मुख्य धारा में लाने में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. हमारे देश के लगभग 6 लाख गाँव बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं.

वित्तीय समावेशन से फायदे :

वित्तीय समावेशन के पूर्ण रूप से लागू होने पर देश को, समाज को तथा गरीब जनसंख्या को बहुत सारे लाभ होंगे. वित्तीय समावेशन लोगों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता पैदा करेगा.

1) गरीबी में कमी :

वित्तीय संसाधनों तक पहुँच होने से देश के बड़े तबके की आर्थिक स्थिति से सुधार आयेगा. वे अपनी जरूरत के हिसाब से ऋण बचत तथा बीमा जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं. वे ऋण की मदद से जहाँ नये व्यापार व छोटे-मोटे उद्योग धंधे खोल सकते हैं, वहीं वे जरूरत से अधिक आय की बचत करके भविष्य के लिए योजनाएँ बना सकते हैं.

2) बेरोजगारी में कमी :

वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी गरीब जनसंख्या छोटे-छोटे उद्योग जैसे हथकरघा लगा सकते हैं जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा बैंकिंग सेवाओं के बढ़ने से तरह-तरह के अन्य रोजगार जैसे कि कर्मचारियों की भर्ती में हिस्सा लेकर वे अपनी सहभागिता बढ़ा सकते हैं.

3) सामाजिक एवं आर्थिक विकास :

वित्तीय समावेशन समाज में एक नयी क्रान्ति ला सकता है. हम जानते हैं कि किसी भी समाज के सामाजिक विकास के लिए आर्थिक विकास का होना बहुत जरूरी है. वित्तीय समावेशन के माध्यम से देश के बहुत बड़े वर्ग को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं जिसके माध्यम से गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास किया जा सकता है. आर्थिक विकास से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा तथा वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर सामाजिक विकास एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं. वित्तीय समावेशन के माध्यम से देश

के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को आयाम मिलेगा. हालांकि आंकड़ों की दृष्टि से हमारे देश का आर्थिक विकास 9 प्रतिशत की दर से हो रहा है, परन्तु इस विकास का लाभ सिर्फ कुछ खास वर्ग के लोगों का मिल रहा है. समाज एवं देश का एक बड़ा वर्ग इसका लाभ उठा पाने की स्थिति में नहीं है. वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज में इस वर्ग को भी विकास की मुख्य धारा में लाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है.

4) गरीब एवं निम्नवर्ग के लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ

हमारी सरकारें समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लाती हैं जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जा सके. परन्तु इस लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा योजनाओं को लागू करने वाले तथा बिचौलिए हड़प जाते हैं तथा जरूरतमंद लोगों तक ये योजनाएँ नहीं पहुंच पाती हैं. वित्तीय समावेशन के माध्यम से सीधे बैंकिंग चैनल के द्वारा इन योजनाओं का लाभ गरीब एवं निम्नवर्ग के लोगों को पहुंचाया जा सकता है जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जायेगी.

वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम :

वित्तीय समावेशन के माध्यम से समाज के गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रयास किए गये हैं.

1. **नो-फ्रिल खाते खोलना**

   सरकार ने सभी बैंकों को नो-फ्रिल खाते खोलने के आदेश दिऐ हैं. गरीब एवं कम आय के वर्ग के लोग जीरो बैलन्स के खाते बैंक में खुला सकते हैं. अब तक लगभग 2.2 करोड़ नो-फ्रिल खाते बैंकों द्वारा खोले जा चुके हैं.

2. **के.वाई.सी. में छूट**

   निम्न तथा कम आयवर्ग के लोगों के लिए के.वाई.सी. मानदंड में छूट दी गयी है. कोई भी के.वाई.सी युक्त ग्राहक उनका परिचय देकर बैंक में खाता खुलवा सकता है, जिससे उनके लिए खाता खोलना आसान हो गया है.

3. बैंकों को व्यापार सुविधादाता या प्रतिनिधि जैसे उनके एजेंटों द्वारा नकदी स्वीकारने / वितरित करने के लिए बायोमेट्रिक कार्डों या मोबाइल हैन्ड होल्ड इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया गया है. बैंकों से कहा गया है कि वे ग्राहकों को सही परामर्श के लिए परामर्शदाता समितियाँ या दल बनायें.

4. बैंकों से कहा गया है कि वे जनता के संपर्क में रहने के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिन्ट कराएँ तथा काम में आने वाली लेखन सामग्री जैसे कि खाता खोलने का फार्म इत्यादि क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करायें. यहाँ तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना वेवसाइट 13 भारतीय भाषाओं में प्रारंभ किया है.

5. भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी सरकारी बैंकों को उनके सेवा क्षेत्र के हिसाब से 2000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है. सभी बैंकों को उनके सेवा क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से बैंकिंग की सही प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है. भारतीय रिज़र्व बैंक इस परियोजना की कठोर मॉनीटर कर रही है.

6. बैंकों को बिजनेस करेस्पान्डेन्ट्स जैसे माडल का इस्तेमाल करके बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है.

7. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे कम आय वर्ग के लोगों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करें.

8. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किसानों को रू.25000 तक का ऋण बिना प्रतिभूतियों के प्रदान करने को कहा है.

9. सरकार, रोजगार गारंटी योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भुगतान बैंकों के माध्यम से कर रही है जिससे लोगों में बैंकिंग की आदतें उत्पन्न की जा सकें. भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि सभी सरकारी योजनायें बैंकों के माध्यम से संचालित की जाएंगी.

इस तरह से सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से बहुत सारे प्रयास कर रही है. परन्तु वित्तीय समावेशन इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी बाधाएँ हैं. सरकार को इन बाधाओं से निपटना होगा. वित्तीय समावेशन के मार्ग के प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं :

1. पहचान पत्रों का सभी वर्गों के पास न होना.
2. पारदर्शिता की कमी.
3. बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की अरुचि.
4. पहुंच की समस्या.

5. अशिक्षा, हालांकि सरकार यूनिक आइडेंटिटी कार्ड (विशिष्ट पहचान पत्र) योजना शुरू कर चुकी है जो कि आनेवाले वर्षों में वित्तीय समावेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी. वित्तीय समावेशन से भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी क्योंकि इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकता है.

वित्तीय समावेशन यदि पूरी निष्टा से और पूरे जोश से देश भर में लागू किया जाए तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आयी पहली क्रान्ति के बाद यह बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में दूसरी क्रान्ति सिद्ध होगी. इसके लिए एक सुखद आधार भी मौजूद है. आज देश में करोड़ों से ज्यादा मोबाइल फोन धारक हैं जो 5-7 लाख प्रति माह की दर से बढ़ रहे हैं. इन मोबाइलों के माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. आज वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए व्यवसाय का नया क्षेत्र दिख रहा है. बैंक इस दिशा में काफी प्रयासरत हैं. हमारे बैंक यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सिर्फ आन्ध्रप्रदेश में 25 लाख से ज्यादा खाते खोले हैं तथा राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के भुगतान के साथ-साथ बैंकिंग उत्पाद भी बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से प्रदान कर रहा है. इस तरह से सभी बैंक इस दिशा में कार्यरत हैं.

हालांकि वित्तीय समावेशन के साथ-साथ सड़क, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, बिजली, पीने का स्वच्छ पानी इत्यादि कम आय के वर्ग के लोगों के बहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है. वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों की आर्थिक प्रगति होगी तथा इसके साथ ही साथ उनमें अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्रगति के लिए जागरूकता बढ़ेगी तथा सरकार के साथ-साथ वे खुद भी इस दिशा में प्रयासरत होंगे. संसाधनों का लोगों तक पहुँचाना सरकार का दायित्व है परन्तु लोगों का दायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सरकार का. लोगों को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जागरूक होना पड़ेगा तथा सरकार का सहयोगी बनना पड़ेगा. परन्तु लोगों में अशिक्षा तथा वित्त की कमी उन्हें इस दिशा में सोचने के लिए वक्त नहीं दे पाती है. अतः वित्तीय समावेशन उनके अंदर आत्मविश्वास के साथ-साथ शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जागरूकता पैदा करेगा.

अतः हम कह सकते है कि वित्तीय समावेशन समग्र विकास की कुंजी है.

बृजेश कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

वित्तीय समावेशन - सामाजिक दायित्व या व्यावसायिक अवसर

श्रीमंत

एक ओर हम जहां समाज के उच्च वर्ग के ग्राहकों की दैनंदिन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दैनंदिन आधार पर सेल्स कॉल से ऊब रहे हैं, तो दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो मूलभूत वित्तीय सुविधाओं से पूरी तरह अछूता है. समाज के इन दोनों वर्ग के फासले में अंतर बहुत अधिक बढ़ गया है. वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा समान रूप से उपलब्ध हो एवं ज़रूरतमंदों को इन सेवाओं की प्राप्ति हेतु पूरी जानकारी दी जाए. भविष्य में यह अपेक्षित है कि जिस प्रकार वित्तीय सेवाएं हमें उपलब्ध हैं, उसी प्रकार ये सेवाएं उन सभी लोगों को भी समान रूप से उपलब्ध हों, जिन्हें इनकी आवश्यकता है.

रंगराजन समिति के अनुसार वित्तीय सेवाओं को जरूरतमंदों तक समय से पहुंचाने एवं अति संवेदनशील जरूरतमंदों को पर्याप्त ऋण सुविधा उचित लागत पर प्रदान करने की प्रक्रिया ही वित्तीय समावेशन है. भारत में वित्तीय समावेशन का दृष्टिकोण विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों से भिन्न है. भारत में हम उनकी चर्चा करते हैं, जो बड़ी तादात में इससे जुड़े नहीं हैं. 2001 की जनगणना के अनुसार 72% जनसंख्या गांवों में रहती है. भौगोलिक फैलाव के कारण वित्तीय समावेशन की समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है. निरक्षरता एवं तकनीकी ज्ञान से अनभिज्ञता इस क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौती है, इसलिए आज की तारीख में भी यह क्षेत्र पुरानी वित्तीय प्रणाली से ही जुड़ा है, जो उनकी इस स्थिति का हर समय गलत फायदा उठाते हैं.

ऋण एवं बीमा जैसी वित्तीय सेवायें प्रदान किये जाने से न केवल जीविका का दायरा बढ़ेगा, बल्कि समाज के अनछुए वर्ग को पर्याप्त सशक्तीकरण मिलेगा. अतः

समग्र विकास के सुनिश्चयन हेतु वित्तीय समावेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकिया है.

वित्तीय वर्जन दो प्रकार के होते हैं : भुगतान प्रणाली तक पहुंच न होना अर्थात बैंक खाता न होना एवं औपचारिक ऋण बाजार तक पहुंच न होना. वयस्क जनसंख्या का बैंक खाता ही वित्तीय पैमाना है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल 50% जनसंख्या के पास ही बैंक खाता है. इस प्रकार 41% जनसंख्या बैंकरहित (Unbanked) है, जो एक बड़ी संख्या है. साथ ही और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 61% बैंकिंग सुविधा रहित संवर्ग ग्रामीण क्षेत्र से है. 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा कवर न की गयी लगभग 80% जनसंख्या को माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान कर वित्तीय समावेशन को सफल बनाने हेतु कार्य करना है. अतः इस दिशा में अभी काफी कार्य किया जाना शेष है.

बैंकों द्वारा नो-फ्रिल खातों के उपयोग पर ही वित्तीय समावेशन परियोजना की सही सफलता निर्भर करती है. इन खातों के अवलोकन पर पाया गया कि खाता खोले जाने के एक वर्ष बाद भी इनमें से 72% शून्य शेष वाले या न्यूनतम शेष वाले खाते थे. केवल 15% खातों में 100.00 रुपये से अधिक शेष था एवं 85% खाते अपरिचालित थे.

वर्ष के आरंभ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 100% वित्तीय समावेशित रिपोर्ट किए गये जिलों में हुई प्रगति का स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन कराया. अध्ययन से जानकारी मिली है कि वास्तव में वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है, वित्तीय समावेशन के तहत खोले गये खाते शाखा की दूरी, अशिक्षा, रुचि की कमी तथा पासबुकें न होने आदि जैसे कारणों से अपरिचालित रहे हैं.

यह अनुभव किया गया है इस वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवा में जमा बैंकिंग की अपेक्षा औपचारिक ऋण प्रणाली की अधिक आवश्यकता है. ऋण बाजार से वंचित होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. देश की 121 करोड़ जनसंख्या में से 83 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है. 83 करोड़ कृषक परिवारों में से 51.4% की औपचारिक या अनौपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुंच नहीं है, जबकि शेष की ऋण के औपचारिक ऋण संसाधनों तक पहुंच नहीं है. अतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना वित्तीय समावेशन का विशेष पहलू है. तथापि, ऋण के साथ-साथ इस वर्ग के लिए बीमा कवर भी होना आवश्यक है जिससे रोजी रोटी कमाने वाले की अनुपस्थिति में उन्हें वित्तीय सहारा मिले. अतः बीमा कवर संपूर्ण वित्तीय समावेशन का अभिन्न अंग है.

यह जरुरी नहीं है कि वित्तीय समावेशन भारत को गरीबी से मुक्ति दिलाए, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए इससे जुड़ी संस्थाओं /संगठनों को इसे केवल सामाजिक दायित्व के रूप में न लेते हुए विशिष्ट कारोबार अवसर के रुप में लेना चाहिए. इस निम्न आय वर्ग तक नवोन्मेष तरीके से पहुंच बनाने के साथ साथ इसे लाभ अर्जन से जोड़ने की आवश्यकता है. वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वालों को चाहिए कि वे गांवों में ग्राहकों एवं सेवा से वंचित ग्राहकों को अच्छी तरह पहचानें एवं उन तक पहुंचने के लिए नए कारोबार मॉडल तैयार करें.

देश में वित्तीय समावेशन की धीमी प्रगति के अनेक कारण हैं. उत्पादन मूल्य या उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा की लागत संवितरण लागत से दुगुनी हो जाती है. साथ ही भौगोलिक विस्तार कवरेज की समस्या को बढ़ाता है. बैंकिंग प्रणाली में कोर बैंकिंग, एटीएम जैसे चैनलों का उपयोग, आई वी आर आधारित टेलीबैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग आदि गतिविधियों से बैंकिंग उद्योग के लिए अधिक लाभार्जन के अवसर उपलब्ध हो गये हैं.

बैंकों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने वालों को इन दूर दराज गांवों में आम जनता तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बुनियादी ढांचे की लागत, परिचालनात्मक व्यय, ग्राहक को पहचानने में होने वाली दिक्कतें व इससे संबंधित जोखिम व निवेश पर होने वाला कम व धीमा प्रतिफल इन संगठनों को ग्रामीण बाजार में कदम बढ़ाने से हतोत्साहित करता है.

वित्तीय सेवाओं से वंचित दूर-दूर तक फैले संवर्ग के लिए सूचना व संप्रेषण तकनीक के जरिये वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से समस्या का समाधान हो सकता है. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो निधियों यथा फाइनेंशियल इनक्लूशन फॉर डेवेलपमेंटल एंड प्रमोशनल इंटरवेंशन एवं तकनीक अंगीकरण लागत की पूर्ति हेतु वित्तीय समावेशन तकनीक नामक वित्तीय समावेशन निधि की स्थापना कर केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में सहमति दी है.

जक्स्ट कनसल्ट के अध्ययन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 35 मिलियन इंटरनेट का प्रयोग करने वाले हैं. इसमें से 5 मिलियन ग्रामीण भारत के लोग हैं. यद्यपि ब्रॉड-बैंड के माध्यम से इंटरनेट गावों में पहुंच गया है तथापि, इसका उपयोग साइबर कैफे तक ही सीमित है.

ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच साइबर कैफे तक सीमित रहना निराशाजनक है. इस प्रकार की सीमित पहुंच या उपलब्धता का मुख्य कारण बिजली की कमी है. टीवी केबल

के सेट-अप बॉक्स के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होना अधिक उत्साहवर्धक है. गांवों में इंटरनेट की सुविधा की उपलब्धता के बावजूद वर्तमान स्थिति कुछ और समय तक बने रहने की संभावना है. इसकी अपेक्षा मोबाइल के प्रयोग ने क्रांति मचा दी है. वर्तमान में इसके 250 मिलियन उपभोक्ता हैं. ग्रामीण संवर्ग में मोबाइल के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मोबाइल का प्रयोग गांव में जितना लोकप्रिय है उतना कांप्यूटर का नहीं. मोबाइल फोन ने वित्तीय सेवाओं को अपने में आसानी से समाविष्ट किया है. इस प्रकार मोबाइल बैंकिंग की सहायता से दूर दराज इलाकों में कम लागत पर बैंकिंग को अपनाया जा सकता है. दि इंटरनैशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आईटीयू) का अनुमान है कम आय वाले राष्ट्रों की लगभग आधी जनता वायरलेस सेवाओं के अंतर्गत आ चुकी है एवं 2015 तक पूरे विश्व को इस दायरे में लाया जा सकता है. कम लागत वाले वायरलेस फोन के माध्यम से मूल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं. वायरलेस सेवाओं का विस्तार उपभोक्ता पर पड़ने वाली इसकी लागत तथा सेवाप्रदाताओं की इससे जुड़ी लाभप्रदता पर निर्भर करेगा.

माइक्रोफाइनेंस को लोकप्रिय बनाने में वायरलेस तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, बशर्ते कि इन क्षेत्रों में उचित संचार सेवाएं उपलब्ध हों एवं प्रणाली भी स्तरीय हो. यूज़र प्राधिकरण हेतु बायो रिकगनिशन टेक्नॉलाजी यथा-फिंगरप्रिंट पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु वर्तमान नेटवर्क को मजबूत कर एवं नई सेवाए आरंभ कर लाभप्रदता बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए, हाल ही में रिलीज़ हुआ 3 जी स्पेक्ट्रम सहायक होगा. यह अनुमान है कि 2012 तक 270 मिलियन उपभोक्ता होंगे. ग्रामीण भारत के लिए 3 जी वाले मोबाइल सेट उपयोगी होंगे. इसे साकार करने के लिए जरुरी है कि मोबाइल फोन को और अधिक आधुनिकतम बनाया जाए एवं सस्ते दामों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो. ऐसे मोबाइल पर रियायत सुविधा प्रदान करने पर विचार करना होगा. प्रतिस्पर्धा के पैमाने का आधार बेहतर होगा जबकि इसकी कीमतें कम की जाएं. भारत की 1.20 विलियन जनसंख्या में से 270 मिलियन 3जी उपभोक्ताओं का होना एक बड़ी उपलब्धि है तथा यदि वे फोन द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे वर्तमान इंटरनेट उपयोग में लगभग 800% की वृद्धि हो सकती है.

वित्तीय समावेशन के बढ़ते चरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इसे मात्र सामाजिक दायित्व न समझकर वित्तीय सेवा प्रदान करने वालों को इससे काफी ऊपर उठना होगा. सेवा प्रदान करने वालों को वित्तीय उत्पादों, शिक्षण, वित्तीय सलाहकार, ऋण सलाहकार, बचत आदि की जानकारी उचित कीमत पर उपलब्ध करानी होगी.

संक्षेप में, वित्तीय समावेशन केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं है, बल्कि कारोबार बढ़ाने का उत्तम अवसर है. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सेवाएं प्रदान करने/ बढ़ाने के लिए नयी रणनीति अपनानी होगी. साथ ही इसे लाभप्रद घटक के रुप में परिवर्तित करने हेतु कारोबार रणनीति एवं परिचालनात्मक कार्यप्रणाली के पुनःनिर्धारण की आवश्यकता है. जहां तक कम मार्जिक का प्रश्न है, परिचालनों की व्यापक प्रमात्रा कम मार्जिन के बावजूद लाभप्रदता सुनिश्चित करने में मददगार होगी.

श्रीमंत, वरिष्ठ प्रबंधक (सरकारी कारोबार), नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर

शहरी क्षेत्रों म वित्तीय समावेशन की चुनौतियां

सुनीता वंजानी

किसी भी देश के समग्र विकास के दो प्रमुख घटक हैं - सामाजिक उत्थान और वित्तीय समावेशन. नियोजित आर्थिक विकास के छह दशकों से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक आर्थिक असमानता एवं वित्तीय सुविधाओं से वंचित उपेक्षित जीवन जी रहा है. इस वर्ग में न केवल भूमिहीन कृषि श्रमिक और ग्रामीण क्षेत्रों में बसा पिछड़ा वर्ग शामिल है, अपितु शहरी गरीब भी इस समस्या का शिकार है.

हाल ही में सम्पन्न हुए ए.आई.एल. के अधिवेशन में वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि समावेशी विकास की राजनीति के जरिये लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उसमें व्यापक सुधार के लिये विकास प्रक्रिया निरंतर जारी रखने की जरूरत है. आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्तीय समावेशन की ऐसी नीतियाँ बनाने की जरूरत है, जिनसे देश का न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी वर्ग भी लाभ उठा सके.

वित्तीय समावेशन क्या है ?

वित्तीय समावेशन का अर्थ है समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और निम्न वर्ग के लोगों को कम लागत में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना.

इस मायने में वित्तीय समावेशन का दायरा केवल गाँवों तक नहीं सिमटता वरन् शहरों, महानगरों तक विस्तृत हो जाता है.

शहरी गरीबों के लिये वित्तीय समावेशन :

सामान्यतः जब भी वित्तीय समावेशन का जिक्र आता है, बैंकिंग परिक्षेत्र में सिर्फ ग्रामीण भारत के एकीकरण की ही बात निकलती है. हाल ही में आयोजित बैंकरों और

वित्तीय सेवा क्षेत्र के संव्यवसायिकों के बीच हुए राऊंड टेबल सम्मेलन में आगामी पीढ़ी की बैंकिंग अपेक्षाओं की चर्चा में इस बात पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ क्या हैं. परंतु शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीब नागरिकों को बिल्कुल ही अनछुआ रख दिया गया, और इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया.

भारतीय शहरी गरीबी रिपोर्ट 2009 (The Indian Urban Poverty Report 2009) के अनुसार भारत में शहरों की आबादी, देश की आबादी की तुलना में ज्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है. जबकि देश की कुल 28 प्रतिशत (286 मिलियन) आबादी शहरों में बसी है, सन् 2030 तक यह संख्या 41 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे शहरी गरीबों की आबादी भी बढ़ रही है. एन.एस.एस.ओ. (National Sample Survey Organisation) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में शहरी गरीबों की संख्या 8 करोड़ से भी ज्यादा है. यह देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि बैंकों की मूलभूत सेवाओं से वंचित है - जैसे कि बचत खाता, कर्ज, ड्राफ्ट, वित्तीय सलाह सेवा इत्यादि.

जब पहली बार वित्तीय समावेशन की परिकल्पना की गयी, तब भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक नीति (Annual Policy Statement) में यह मुख्य रूप से स्पष्ट किया कि बैंकों को जहां वाणिज्यिक प्रतिफल की तरफ ध्यान देना है, वहीं यह भी जरूरी है कि बैंकिंग सुविधाओं को समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने में पंहुचाया जाए. तद्नुसार नवम्बर 2005 में बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय समावेशन की दृष्टि से बिना या कम लागत वाले खाते (No Frill Accounts) खोले जाएं. सभी बैंकों को यह भी निर्देश दिये गये कि इस सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिये व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि बिना रकम या न्यूनतम राशि द्वारा ही देश का निम्न वर्ग और गरीब से गरीब व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सके. ज्ञात हो कि इस दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च 2010 के अंत तक ऐसे 39.6 मिलियन खाते खोले जा चुके हैं.

शहरी क्षेत्रों के आंकड़े :

यह खेद की बात है कि प्राप्त आंकड़ों में से यह ज्ञात नहीं होता कि शहरी क्षेत्रों मे इस प्रकार के कितने खाते खुले हैं. इससे यह बात लगभग तय है कि बैंक शहरों में इस प्रकार के नो फ्रिल अकाउन्टस खोलने मे हिचकिचाती है. भारतीय बैंकिंग व मानक बोर्ड (Banking Code and Standard Board of India) के फरवरी 2009 के एक

अध्ययन के अनुसार इस तथ्य में कोई संदेह नहीं कि बैंक, विशेषकर शहरों में, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये खाते खोलने को राजी नहीं है. इस अध्ययन में मुम्बई की 26 बैंकों और 44 शाखाओं को शामिल किया गया, और यह पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है.

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ :

वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति (2008) की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकों को निम्नलिखित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है :

1. उन अनुमानित आंकडों व जानकारी का अभाव है, जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे कितने लोग हैं, जो बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की मूलभूत सेवाओं से वंचित हैं.
2. शहरी क्षेत्रों में सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि साहूकार वर्ग भी आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कर्ज देने से कतराता है.
3. बैंकों की शहरी शाखाएँ भी, जिनके पास भरपूर तकनीकी क्षमता है व मानव संसाधन की कमी नहीं है. सूक्ष्म वित्त प्रणाली से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, और न सिर्फ इतना ही, बल्कि स्वयं सहायता समूह को अपनाने से भी परहेज़ कर रहे हैं.

वित्तीय बजट - 2009-10 में हालाँकि सरकार ने शहरी क्षेत्रों से गरीबी पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दिया है, फिर भी यह लक्ष्य हासिल करने के लिये बैंकों के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं वे द्विमुखी हैं :

1. पहला है, शहरी वर्ग की सूक्ष्म साख (micro credit) की आवश्यकताओं को समझना, जिससे उनकी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिये महंगे कर्ज पर निर्भर न होना पड़े.
2. दूसरा, उन्हें छोटे व लघु उद्योगों को शुरु करने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना व उसके लिये प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को खुद ही पूरा करने में सक्षम हो सकें. ऐसे लघु उद्योगों में- रिक्शा चलाना, बढ़ई का काम, चाय-नाश्ते की दुकान, वाहन दुरुस्ती इत्यादि ऐसे कई काम हैं जिनसे शहरों में बसे ये लोग अपने जीवन के पहिये को निर्विघ्न चला सकेंगे, और आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी 30 अप्रैल 2007 से शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म साख (micro credit) को प्राथमिकता प्राप्त क़र्ज (Priority Sector Lending) की परिभाषा में शामिल किया है, ताकि बैंकों को अनिवार्य रूप से इसके लिये लक्ष्य की ओर अग्रसर होना पड़े. बैंकों को चाहिये कि वे प्रत्येक शहरी शाखा के लिये, खासकर लघु उद्योगों के लिये, कर्ज वितरण का लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन व बढ़ावा मिले, तभी सही मायने में वित्तीय समावेशन द्वारा शहरी गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सकता है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों को दी जानी वाली वित्तीय सहायता की जानकारी या सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. शहरी क्षेत्रों में यह जानकारी लघु उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के आंकड़ों से मिला दी जाती है. और इस वजह से वित्तीय समावेशन की समुचित योजना बनाने में कठिनाई होती है. जबकि सरकार शहरी क्षेत्र वित्तीय समावेशन के प्रति प्रतिबद्ध है और इस ओर कई प्रकार की योजनाएं बनाने की ओर अग्रसर है, रिज़र्व बैंक को चाहिये कि वह बैंकों से सूक्ष्म ऋण की जानकारी समय समय पर मांगे और इसके लिये निर्धारित लक्ष्य पर कड़ी निगरानी रखे और समय समय पर इसकी समीक्षा करे. तभी जो कमियाँ रह गयी हैं उन्हें पूरा करने के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जा सकेंगे.

विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं और समितियों की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बैंक शहरी क्षेत्रों में जिन कारणों की वजह से कर्ज देने से कतराते हैं उनमें से प्रमुख है - प्रतिभूति का अभाव. चाहे कर्ज की रकम छोटी ही क्यों न हो, बैंकों के लिये कर्ज वापसी की निश्चितता सर्वोपरि है. यहां रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को यह निर्देश दिया जाना जरूरी है कि शहरों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से प्रतिभूति (security) या गारंटी (guarantee) की उम्मीद करना सही नहीं है. हर उधार के पीछे जोखिम होता है. शहरों में आत्मनिर्भर बनने के लिये लाभकर उद्योगों की कमीं नहीं है. शहरी गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी सूक्ष्म क़र्ज की मांग के प्रति सचेत रहना बैंकों की सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है और उसे पूरा करने के लिये उन्हें शहरों में बसे उस टार्गेट ग्रुप को पहचानना होगा, जो सूक्ष्म ऋण का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं.

शहरी गरीबों को क़र्ज देने के लिये बैंकों को नयी प्रणाली अपनानी होगी.

1. एक तो यह कि क़र्ज वितरण के लिये निर्धारित लक्ष्य की समय समय पर समीक्षा करनी होगी. अभी तक शाखाओं को जो लक्ष्य दिया जाता रहा है, वह मूल्य आधारित होता है. उसे बदलकर इकाई आधारित किया जाये, ताकि यह जानकारी हासिल हो सके कि किस शाखा ने कितनी इकाइयों को सूक्ष्म

उद्योग के लिये क़र्ज का वितरण किया है, तभी उसकी समीक्षा हो सकेगी.

2. दूसरा, बैंक अधिकारियों को प्रतिभूति की मानसिकता से बाहर निकलकर उन जरूरतमंद लोगों को, बिना प्रतिभूति या गारंटी के वित्तीय सहायत्ता प्रदान करनी होगी, जो शहरों में लाभकर उद्योग चलाने में सक्षम हैं.

हमारे देश में हर वर्ष कई लोग बेहतर जीवन शैली की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. वे अपने पीछे परिवार के सदस्यों को वहीं छोड़ आते हैं और शहरों में आकर अस्थायी व रोज पगार (Daily wages) वाले रोजगार और नौकरियां ढूंढते हैं जैसे कि - सुरक्षा गार्ड, घरेलू नौकर, बिल्डिंग मजदूर, ठेला चलाना, होटलों मे बैरे का काम इत्यादि. ऐसे पलायन करने वाले (migrants)एक ऐसी कम लागत वाली, सुरक्षित, सहज व सरल वित्तीय सेवा की तलाश में रहते हैं जिसके द्वारा वे अपने परिवार को रोज की जरूरतों के लिये पैसे भेज सकें. परंतु, इस सुविधा के लिये बैंकों द्वारा आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना एक चुनौती है. पोस्ट आफिस की मनीआर्डर सुविधा की बजाय बैंक द्वारा ड्राफ्ट भेजने या पैसे ट्रांसफर की सुविधा सस्ती व सरल है, बशर्ते कि ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले जायें और उन्हें समस्त बैंकिग सुविधाओं से अवगत कराया जाये. पर इसके अभाव में ये लोग पैसे भेजने के लिये अपने दोस्त व रिश्तेदारों पर ही निर्भर रहते है, इसमें एक तो चोरी का भय होता है तथा दूसरे जब जरूरत हो तब पैसे भेजने का कोई उपाय नहीं होता है.

बिहार, उड़ीसा, झारखंड, और छतीसगढ़, उन राज्यों मे प्रमुख हैं, जहां से हर वर्ष लाखों की तादात में लोग गुजरात, राजस्थान, दिल्ली व मुम्बई की तरफ पलायन करते हैं. उदाहरण के तौर पर सिर्फ उड़ीसा राज्य से ही प्रति वर्ष लगभग 25 लाख लोग काम की तलाश में गुजरात व अन्य राज्यों की तरफ पलायन करते हैं. पर वे जो कुछ भी बचा पाते हैं, उसे अपने परिवार को भेजने के लिये उन्हें असुरक्षित और महंगे साधनों का सहारा लेना पड़ता है. साथ ही, किसी भी आपातकालीन स्थिति में ये लोग पैसा नहीं भेज पाते, और इस वजह से उनके परिवार वालों को जरूरत पड़ने पर साहूकारों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, नतीजन ये लोग ऋणग्रस्तता से उबर नहीं पाते.

अन्य वित्तीय सेवाएं :

शहरों में बसने वाले गरीबों के लिये सामाजिक सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे असुरक्षित वर्ग की जनसंख्या उस वर्ग की आबादी से कहीं ज्यादा है जो बैंकों के बचत खाते व कर्ज की सुविधा से वंचित हैं. सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत, और सूक्ष्म बीमा में हालांकि गहरा संबंध है, पर जहां कर्ज द्वारा प्राप्त की गयी सम्पति के लिये बीमा उपलब्ध

है, वहीं बाढ़, सूखा, आग, दंगे व अन्य प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव के लिये कोई व्यवस्था नहीं है. अतः ऐसे वर्ग तक पहुंचने के लिये बीमा कम्पनियों के लिये नये आयाम खुल गये हैं, ताकि वे सूक्ष्म बचत द्वारा सूक्ष्म बीमा का लाभ उठा सकें.

इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बसा ऐसा निम्न आय अर्जित कर अपना पालन पोषण करने वाला वर्ग, जो अपनी कम आय होने के बावजूद नियमित रूप से बचत करने की इच्छा रखता है, उनके लिये निवेश के ऐसे विकल्प लाने की आवश्यकता है, जिनके द्वारा न सिर्फ उन्हें ऐसे उत्पादनों पर दृढ़ विश्वास पैदा हो बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ अर्जित हो सके. ऐसे सूक्ष्म बीमा उत्पादनों (Micro Insurance Products) और म्यूच्युअल फंडों (Mutual Funds) को बाज़ार में लाने की आवश्यकता है जो शहरी गरीबों की जरूरतों के मुताबिक हों. हाल ही में म्यूच्युअल फंड की रु.50/- व रु.100/- माहवार की जो योजना शुरु की गयी है, वह सराहनीय है, और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है.

उपसंहार :

शहरी विकास के साथ, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को किस तरह बढ़ावा दिया जाये और ऐसी कौन सी योजनाओं को अमल में लाया जाये जिनसे शहरी वर्ग विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा साथ ही उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे. वित्तीय समावेशन की चुनौती या इस समस्या का समाधान सिर्फ बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं होना चाहिये. इस वर्ग की रोज़मर्रा की जीवन शैली को ध्यान में रखकर और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नये उत्पाद बाज़ार में शुरु करना तथा साथ ही सामाजिक दायित्व की प्रति संवेदनशील भूमिका निभाने हेतु तत्पर रहना ही आज समय की मांग है.

इसके लिये व्यवस्थित रूप से और समय समय पर शोध जारी रखना भी जरूरी है. साथ ही यह भी कतई नहीं भूलना चाहिये कि इन सब के लिये वित्तीय साक्षरता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. वित्तीय साक्षरता के बिना वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन नहीं है. बैंकों को वित्तीय समावेशन की चुनौती को एक संयुक्त सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) के साथ ही उसे एक सफल कारोबारी प्रतिमान (Successful Business Model) के रूप में अपनाना होगा.

सुनीता वंजानी, मानव संसाधन विभाग,क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

वित्तीय समावेशन में सहायक वित्तीय उत्पाद - बचत, ऋण उत्पाद, बीमा एवं धन प्रेषण

मुकेश भारती

समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज सारे विकसित, विकासशील देश, अंतर्राष्ट्रीय विकासात्मक संस्थाएं जैसे विश्व बैंक,संयुक्त राष्ट्र संघ एवं दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री सभी ने आर्थिक विकास के स्वरूप को कुछ इस प्रकार नियंत्रित करने की बात की है ताकि इसका स्वरूप समावेशिक हो. तात्पर्य यह है कि विकास का लाभ सुदृढ़ एवं सबल आर्थिक समूह वाली परत से शुरू होकर समाज के निचले से निचली परत तक पहुँच सके.

वास्तव में समावेशिक विकास उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बाद वाले दशक की एक अभिन्न आवश्यकता है. अब विकास का ऐसा स्वरूप जिसमें अमीर और गरीब तबके के बीच का अंतर और व्यापक हो जाए तो निश्चित रूप से समाज में अस्थिरता एवं विघटनकारी गतिविधियाँ बढ़ जाएँगी.

आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में वार्षिक बजट एवं पंचवर्षीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समावेशिक विकास (Inclusive Growth) है. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) समावेशिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है. तकनीकी परिभाषा एवं शब्दों के इतर आम बोल-चाल की भाषा में वित्तीय समावेशन बैंकिंग एवं बीमा संबधित उत्पादों एवं सेवाओं को न्यूनतम एवं वहनीय लागत पर समाज की शत-प्रतिशत जनता विशेषकर कमजोर एवं गरीब तबके को उपलब्ध करवाना है.

वित्तीय समावेशन आज गरीब कमजोर एवं विकासशील जनमानस के संबलीकरण का सबसे प्रबल एवं विश्वव्यापक साधन माना जा रहा है. शायद यही कारण है कि वित्तीय समावेशन आज सभी संस्थागत वित्तीय कंपनियों के व्यवसाय का अभिन्न अंग बन चुका है.आज सभी विकासशील संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों,सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं

अन्य कई प्रकार की सरकारी संस्थाओं में वित्तीय समावेशन का एक अलग विभाग, प्रभाग या संभाग बना दिया गया है.

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

आज वित्तीय समावेशन एवं समावेशिक विकास तकनीकी एवं प्रबंधकीय भाषा शैली के दृष्टिकोण से भले ही नया शब्द प्रतीत हो रहा है, परंतु इसका लक्ष्य एवं मूलमंत्र किसी भी प्रजातान्त्रिक एवं विकासशील देश की शासन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता है.

भारतीय परिदृश्य में इन्दिरा गांधी ने एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल करते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया. बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो हम पायेंगे की इसका भी लक्ष्य कमोबेश आज वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की तरह ही था. यदि हम वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक एवं योजनाबद्ध तरीके से परिचालित करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि से लेकर उसके अनुपालन तक आयीं विभिन्न जटिलताओं,कठिनाइयों, एवं चुनौतियों का अध्ययन करना पड़ेगा.

आज का परिदृश्य निश्चित रूप से 70 के दशक से कहीं ज्यादा विकसित एवं परिमार्जित है. आज तकनीकी विकास, सूचना एवं दूरसंचार की नयी तकनीकें एवं भूमंडलीकरण से लोगों की बढ़ती जागरूकता ये सब कई ऐसे कारण हैं जो वित्तीय समावेशन को त्वरित गति प्रदान कर सकतें हैं. इन सब के बाद भी अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण कुछ इस प्रकार है कि लाभप्रदता के अनुसार बड़े महानगरों एवं कुछ चुनिंदा व्यावसायिक शहरों में कोई भी व्यवसाय ज्यादा लाभकारी है. ऐसे में बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों की यह विवशता है की वे बड़े महानगरों एवं चुनिंदा व्यावसायिक केंद्रों पर ही अपना ज्यादा से ज्यादा संसाधन लगाना चाहेंगी.

इस समस्या का समाधान भी बैंकिंग राष्ट्रीयकरण से ही हो सका. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं एकमात्र राष्ट्रीयकृत निगमित बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वे जितनी ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखायें खोलेंगे उसके अनुपात में ही उन्हें शहरी एवं महानगरीय शाखायें खोलने की अनुमति मिलेगी. आज शाखाओं की संख्या के साथ साथ ग्राहकों की संख्या को भी समायोजित करने की आवश्यकता है अर्थात नियामक संस्थाएं कुछ इस प्रकार का अनुपातिक मानदंड बनाएँ जहाँ वित्तीय समावेशन की दिशा में एक खास ग्राहकों का आधार होने के बाद ही शहरी एवं महानगरीय व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति मिले.

उदारीकरण एवं तीव्र शहरीकरण के इस दौर में लाभोन्मुखी वित्तीय कंपनियां निश्चित रूप से इस तरह के मानदंड को व्यवसाय के प्रतिकूल मान सकती हैं, लेकिन भारत सरकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं भारतीय जीवन बीमा निगम से ही अपने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगी और ऐसा करने से इन संस्थाओं की लाभप्रदता एवं प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी.

आइए अब हम एक एक करके वित्तीय समावेशन के विभिन्न उत्पादों का अध्ययन करें:

बचत :

एक सामान्य बचत खाता आज हर नागरिक की आवश्यकता है, इसीलिए यूआईडी प्रोजेक्ट में भी बचत खाता संख्या का भी एक कॉलम है.

एक सामान्य बचत खाता के माध्यम से सरकार अपनी विभिन्न विकास की योजनाओं से संबंधित नकदी मानदेय का समुचित वितरण कर सकेगी. आज सूचना एवं प्रसार तकनीकों के जरिये बचत खाता खोलने की प्रक्रिया ग्राहकों के घर जाकर भी सम्पन्न कराई जा सकती है. आज लगभग सारी बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय समावेशन हेतु बिजनेस फेसिलिटेटर्स एवं बिजनेस करेस्पांडेन्ट्स मॉडल को अपना रहीं हैं. इसमें एक अहम भूमिका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की होती है जो ग्राहकों की सारी जानकारियाँ एवं उनके लेनदेन को अपने डेटाबेस में संग्रहित करते हैं और मुख्य बैंक से इंटरफेस केवल कंसोलीडेटेड लेवल पे होता है. इस मॉडल में बैंक के अंदर ही एक छोटे बैंक का कान्सैप्ट हो जाता है. इसमें स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर लेने से मॉडल और भी सुलभ हो सकता है. जब स्वयं सहायता समूह ऋण एवं अनुवर्ती खातों का संचालन अपने समूह स्तर पर कर सकते हैं तो निश्चित ही थोड़े प्रशिक्षण के बाद वे बचत खातों का भी संचालन कर पायेंगे. इसी प्रकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कुछ राज्यों में काफी सघन एवं समुचित रूप से संचालित नेटवर्क है. कई समितियों में तो मिनी बैंक का भी संचालन किया जाता है. इन समितियों के कर्मचारी मौलिक बैंकिंग कार्यकलापों से भली भाँति परिचित होते हैं. इन्हें अपने प्रसार क्षेत्र के सभी ग्रामीणों की पूरी जानकारी होती है जिससे अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) जैसी औपचारिकताएँ भी आसानी से पूरी की जा सकती हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंध्र प्रदेश में सहकारी समितियों के साथ वित्तीय समावेशन के लिए को-ऑप्शन मॉडल विकसित किया है . बचत खातों के समुचित संचालन एवं प्रसार हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम उचित मूल्य की राशन दुकान भी हैं जहाँ सरकारी दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है. इन केंद्रों पर राशन लेने के लिए राशन कार्ड होना

अनिवार्य है .राशन कार्ड भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है. इन सभी सहायक प्रसार माध्यमों से बचत खाता खोलने संबंधित सभी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं. केवल चेक संबंधित लेन देन इस प्रकार के मॉडल में संभव नहीं हैं. अगर लक्षित समूह को देखा जाए तो इन्हें शायद ही कभी चेक संबंधित बैंकिंग संव्यवहार की आवश्यकताएँ होती हैं. इन भिन्न प्रकार की संस्थाओं की बैंकिंग मुख्यधारा से समेकित करने के लिए 15 अंकों की यूनिक बचत खाता संख्या होना अनिवार्य है.साथ ही, इस प्रकार की सहायक संस्थाओं का अपना अलग कोड निर्धारित करना होगा. सभी संस्थाओं के डेटाबेस को समेकित (Integrate) करने के लिए सूचना एवं संचार की तकनीकों की अहम भूमिका होगी. इस बात की भी संभावना है कि मल्टी एजेन्सी मॉडल में एक ही व्यक्ति के 2-3 खाते हो जायेंगे और किसी का भी समुचित संचालन नहीं हो पाएगा. ऐसे में एक व्यक्ति एक खाता के लक्ष्य को निर्धारित करके इंटर बैंक एवं इंटर एजेन्सी खाता नंबर इंटरचेंज लागू करना पड़ेगा.

ऋण :

वित्तीय संस्थाओं और ऋण मूल्यांकन के सभी दिग्गजों की एक ही राय होती है कि संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्य, उसकी गुणवत्ता एवं बजारोन्मुखता के आधार पर ही किसी ऋण खाते की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत साख एवं उसकी उद्यमशीलता गौण पहलू हैं. जोखिम एवं इसके अनुरुप लाभप्रदता का हिसाब किताब लगाने पर भी यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऋण देना ज्यादा जोखिम भरा है. अतः इस ऋण पर निश्चित रूप से लाभप्रदता एवं ब्याज दर ज्यादा होनी चाहिए.

नतीजा यह निकला कि ऋण के लिए जो सबसे जरूरतमंद आर्थिक रूप से पिछड़ा तबका है उसे सबसे महंगा ऋण लेना पड़ेगा अर्थात सबसे ज्यादा ब्याज उसे ही देना होगा जो सबसे गरीब है. जरा सोचिए यह कितनी बड़ी विडंबना है. खैर महंगा ही सही लेकिन ऋण सुविधा समय पर और आसानी से कम से कम औपचारिकताओं पर उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है. शायद इसी चुनौती को आसान बना कर सूक्ष्म वित्त पोषण की कई संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं. इन संस्थाओं का व्यवसाय एवं लाभ कुछ इस तरह बढ़ा है कि एक सूक्ष्म वित्त की संस्था ने तो अपना पब्लिक इशू भी शेयर बाजार में जारी कर दिया.

यह लाभप्रदता ही है जो ऐसी संस्थाओं को ऋण के व्यवसाय के लिए तो प्रेरित कर रही है, परंतु बचत खाते के व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं कर रही है. जरा सोचिए भोले-भाले एवं संवेदनशील तबके को अनुत्पादक कार्यों के लिए महंगा ऋण उपलब्ध करवाना कहाँ तक उचित है. नतीजतन आंध्र प्रदेश, जहाँ इस प्रकार की सूक्ष्म वित्त कंपनियों

का व्यवसाय खूब फल फूल रहा है, में हाल के कुछ महीनों में किसानों एवं मजदूरों की आत्महत्या की दरों में वृद्धि हुई है.

यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का आकलन करें तो कुछ आलोचकों ने नोबल पुरस्कार विजेता मो. युनूस के बांग्ला ग्राममें मॉडल को उसके अत्यधिक अनुशासन को अनुचित बताया है. लेकिन यह अत्यधिक अनुशासन एवं बचत के समानुपातिक ऋण की व्यवस्था में कोई अनुत्पादक खर्च के लिए प्रेरित नहीं होगा और इस प्रकार आत्महत्या की स्थिति भी नहीं होगी. एक वृहत प्रश्न यह है कि सूक्ष्म ऋण की समुचित एवं आसानी से उपलब्धता आखिर किसके हित को साधने के लिए है ? ऋणकर्ता, लाभार्थी, ऋणदाता सूक्ष्म वित्त कंपनियां या उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली बहुदेशीय कम्पनियों या फिर देशी एवं विदेशी शराब के ठेकेदारों का.

निश्चित रूप से ऋणकर्ता गरीब की आर्थिक उन्नति ही वित्तीय समावेशन का एकमात्र लक्ष्य है. ऐसे सूक्ष्म ऋण का आकलन केवल ऋण के आकार से नहीं बल्कि उद्देश्य एवं उसके उपयोग सत्यापन के आधार पर ही होना चाहिए. ऐसे में यह यह बात बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है कि कुछ कंपनियां जो आसानी से ऋण उपलब्ध करा रहीं हैं, उन्हें सुदूर भौगोलिक क्षेत्र के कमजोर एवं गरीब लोगों को बेकार के उपभोग के लिए ऋण बाँटकर और ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने की खुली छूट मिलनी चाहिए.

यदि हम समग्र एवं समावेशिक विकास की बात करते हैं तो इस प्रकार की ऋणग्रस्तता निश्चित रूप से सराहनीय नहीं है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बचत आधारित समानुपातिक ऋण एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खरीदने की गारंटी (Buy back guarantee), कृषि एवं अन्य कुटीर उत्पादों से योजित ऋण निश्चित ही सभी के लिए लाभकर पहल होगी.

आज MFIs को किसी तरह के जमा संग्रहण से वर्जित रखा गया है. ऐसे में जमा संग्रहण एवं मौलिक बचत खाता खोलने वाली कंपनियों के लिए कोई अभिप्रेरणा नहीं होगी. इसके विपरीत सूक्ष्म ऋण देने वाली संस्थाओं को व्यवसाय की अनुमति तभी मिलनी चाहिए, जब वे जमा संग्रहण एवं मौलिक बचत खाता की एक न्यूनतम सीमा के लक्ष्य को प्राप्त कर लें. साथ ही बचत से योजित ऋण या बचत के समानुपातिक ऋण की व्यवस्था निश्चय ही ऋण लेने वाले लाभार्थियों को एक अनुशासनात्मक पाठ पढ़ायेगा. एक व्यावहारिक अनुभव का अवलोकन करें तो कर्मचारी सहकारी ऋण समितियों में ऋण प्राप्तकर्ता एवं गैर ऋण प्राप्तकर्ता दोनों का ही एक न्यूनतम अंशदान जमा होता रहता है, वे अंशदाता जो ऋण नहीं लेते उनके अंशदान पर उन्हें ब्याज दिया जाता है और इस ब्याज

की आमदनी अन्य सदस्यों को न्यूनतम या आवश्यकता के अनुसार ही ऋण लेने को प्रेरित करती है.

बड़े व्यावसायिक घरानों में यह क्षमता है कि यदि सरकार उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की परिभाषा में वित्तीय समावेशन को भी शामिल कर दे तो वे पूरे व्यवसाय का परिदृश्य बदल दें.

लक्षित समूहों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, क्षमता उन्नयन एवं उनके उत्पाद एवं सेवाओं को buy back गारंटी के बाद उन्हें समुचित ऋण दिलाने से बेहतर और क्या वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हो सकता है.

बीमा :

बीमा आज हर नागरिक की एक मूलभूत आवश्यकता है, परंतु भारतीय परिवेश में आज भी इसे आवश्यकता कम एवं निवेश का एक जरिया ज्यादा समझा जाता है. इसमें बीमा कंपनियां एवं हमारी नियामक संस्थाएं भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं. आज यही कारण है कि वह तबका जो जोखिम से सबसे ज्यादा संवेदनशील है उसे ही बीमा की सुविधा मुहैया नहीं है.

इस संबंध में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास संस्था को अमेरिका एवं अन्य पाश्चात्य देशों से सबक लेने की जरूरत है, जहाँ हर नागरिक एवं अप्रवासी व्यक्ति बीमा लेने के लिए बाध्य है और सभी बीमा कंपनियों को एक मूलस्वरूप में सामान्य जरूरतों को पूरा करने वाला बीमा उत्पाद बेचना पड़ता है

सरकारी पहल के तौर पे गरीबों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सब्सिडी का एक हिस्सा यदि सरकार सामूहिक बीमा का खर्च वहन करने में करे तो किसी आपदा की स्थिति मे सरकारी मुआवजे के खर्च में कमी आएगी. देर से ही सही हमारे नीति निर्धारकों ने कुछ इस प्रकार की पहल आरंभ की, लेकिन असंगठित क्षेत्र में व्यापक कवरेज अभी भी एक दुर्लभ लक्ष्य है

जैसे बैंकिंग परिदृश्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण वितरण एवं ग्रामीण शाखाओं की संख्या का एक मानक लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित है, उसी प्रकार निजी एवं सरकारी बीमा कंपनियों के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए. साथ ही मूलभूत बीमा उत्पाद (term plan) सभी ग्राहकों के लिए बाध्य होना चाहिए. बिना मूलभूत बीमा खरीदे निवेश के स्वरूप वाले बीमा उत्पाद खरीदने पर रोक लगनी चाहिए.

आज सूक्ष्म बीमा (micro insurance) के लिए विश्व व्यापी प्रयास किए जा रहे हैं. बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन द्वारा सूक्ष्म बीमा की विभिन संभावनाओं एवं उत्पाद के स्वरूप के अध्ययन हेतु अनुदान की एक बड़ी रकम पेश की जा रही है. ऐसे में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए एक मानक बीमा उत्पाद जो कि उनके बचत एवं ऋण खातों से लिंक्ड हो, लागू किया जाना चाहिए.

आज सरकार ने भी कई पहलें की हैं जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कर्मचारी जीवन बीमा निगम के अस्पतालों मे चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड को एक मूलभूत जीवन बीमा उत्पाद से कवरेज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के मजदूरों के लिए एक बीमा उत्पाद इत्यादि .

आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि कैसे निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की भागीदारी सूक्ष्म बीमा के लिए बढ़ाई जाए .

धन प्रेषण :

धन अंतरण विकासशील अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है. भारत सदियों से कुशल एवं प्रशिक्षित मजदूरों, टेकनिशियन्स, डॉक्टर, इंजीनियर,वैज्ञानिक एवं शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश रहा है. भारत के कुछ राज्य तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कुछ खास संवर्ग के जनबल की आपूर्ति के लिए विख्यात हो चुके हैं. जैसे केरल की परिचारिकाएँ, आंध्र प्रदेश के इंजीनियर, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मजदूर इत्यादि.

भारतवर्ष के अंदर भी काफी अंतरराज्यीय प्रवसन प्रचलित है. आज बिहार, उत्तर प्रदेश एव ओड़ीसा के मजदूरों की आपूर्ति न हो तो मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, अहमदाबाद, पुणे, बंगलुरु, हैदराबाद इत्यादि शहरों में रियल इस्टेट, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों में मंदी का दौर आ जाएगा.

बैंक एवं अन्य गैर बैंकिंग संस्थाएं जो धन प्रेषण को संचालित करती हैं उनका एकमात्र लक्ष्य कम से कम लागत में यथाशीघ्र धन का प्रेषण संचालित करने का होता है. इसमे कोई दो राय नहीं कि आज का परिवेश पिछले दशक से काफी अलग है. आज मोबाइल एवं सूचना तकनीक के कई साधनों की उपलब्धता से धन प्रेषण की प्रक्रिया सस्ते एवं सुचारु रूप से आयोजित की जा सकती है. आवश्यकता एवं चुनौती सिर्फ यह है कि लक्षित समुदाय को किस प्रकार बैंकिंग मुख्य धारा में लाया जाय एवं कैसे इसे न्यूनतम खर्च पर बिना नियमित ग्राहकों की सेवा प्रभावित किए सुचारु रूप से चलाया जाए.

आज कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी हमारी महानगरीय शाखाओं में इंटरसोल धन प्रेषण में काफी कठिनाइयाँ आ रहीं हैं. कुछेक शाखाओं ने सप्ताह के कुछ दिन एवं बैंकिंग कार्य अवधि का कुछ खास समय इसके लिए आवंटित कर रखा है. महानगरीय शाखाओं के व्यवसाय की कुछ ऐसी जटिलताएँ हैं कि वे इन खुदरा एवं केवल नकदी प्रेषण वाले ग्राहकों की सेवा के लिए अपनी नियमित ग्राहक सेवा को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं. देर से ही सही हम अपने वित्तीय समावेशन की सहयोगी संस्था फिनो (FINO) की मदद से मुंबई की कुछ शाखाओं द्वारा इस कार्य को सुचारु बनाने की पहल कर रहे हैं.

सारे पहलुओं के विस्तृत अवलोकन के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वित्तीय समावेशन में बैंकिंग एवं बीमा नियामक संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है.

कोई भी लाभोंमुखी संस्था वित्तीय समावेशन, जो कम लाभ, ज्यादा लागत एवं जोखिम भरी पहल है, में अपने कीमती संसाधनों को क्यों व्यर्थ करना चाहेगी.

ऐसे में जब तक कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रोत्साहन या अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त होता दिखाई नहीं देगा तब तक कोई भी कंपनी या संस्था इसे बाध्यता या बोझ समझ कर ही करेगी.

नियामक संस्थाओं की आज एक बड़ी भूमिका एवं चुनौती इस बात की है कि कोई ऐसा परस्पर लाभप्रदता (cross subsidization) का मॉडल विकसित करें, जिससे वित्तीय समावेशन में सक्रिय सहभागिता के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आगे आएँ.

100% वित्तीय समावेशन के लिए केवल बैंकिंग एवं बीमा कंपनियों की भागीदारी काफी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए गैर बैंकिंग कंपनियाँ, कॉर्पोरेट घराने, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रसारण की कंपनियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी.

मुकेश भारती, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

वित्तीय समावेशन - केवाईसी मानदंड एवं नो फ्रिल खाते

बी.एस नारायण मूर्ति

2025 तक भारत एक महाशक्ति के रुप में सामने आने वाला है. भारत का विदेशी विनिमय संचय 286 अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है. हमारे देश की सकल गृह उत्पाद विकास दर पिछले कुछ वर्षों से लगभग 9% की औसत दर पर बनी हुई है. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. राष्ट्रीय आय भी वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक की शाखाओं में विस्तार हुआ है और इनकी संख्या 8262 से 82000 तक बढ़ गयी है. प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या 1960 के 66000 से घट कर 13000 हो गयी है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन काफी अच्छा हो रहा है और वे निजी क्षेत्र के बैंक से आगे हैं. इन सब उपलब्धियों के बाद हमें अक्सर यह भी सुनने को मिलता था कि इंडिया इज़ शाइनिंग. . . . . इंडिया इज़ शाइनिंग.

सिक्के का दूसरा पहलू एकदम अलग है. जनसंख्या का एक बड़ा भाग विशेष रुप से गरीब, कम आय वाले एवं पिछड़े समूह के लोग वित्तीय क्षेत्र द्वारा दी जा रही वित्तीय सेवाओं से पूर्णतः वंचित हैं जो निम्न आंकड़ों एवं तथ्यों से स्पष्ट होता है :

देश के कुल 619 जिलों में से 375 जिले ऐसे हैं जो कम विकसित हैं एवं वहां बैंकिंग की काफी कम सुविधायें हैं. इनमें से 54 जिले देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है. जमीनी रुप से भी ये सभी आपस में ठीक से जुड़े नहीं हैं. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले (63) हैं जहां कम बैंकिंग सुविधा है इसके बाद मध्य प्रदेश (41) और बिहार (36) आते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 17 राज्यों के 256 जिलों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश में जमा अन्तर 95% और इससे ऊपर है.

विगत कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि 9% प्रति वर्ष दर्ज करने के बाद भी यह गरीबी उन्मूलन की चुनौती से जूझ रहा है जहां 30 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. भारत की जनसंख्या का 3% अर्थात 3 लाख लोग प्रति वर्ष स्वास्थ्य समस्याओं, दुर्घटनाओं व इससे घरेलू सम्पत्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण गरीबी की ओर अग्रसर हो जाते हैं. केन्द्रीय राज्यों में वित्तीय सेवाओं की बड़ी मांग के रुप में भौगोलिक असमानता दूसरी चुनौती है. एक दूसरा तथ्य बढ़ी ब्याज दरें हैं जो ग्रामीण जनता तक पहुंचने की कठिनाइयों के फलस्वरुप होती हैं.

वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर श्री रघुराम रंजन समिति ने उल्लेख किया है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के चार दशकों के बाद भी देश की 41% वयस्क जनसंख्या बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग से बाहर है.

81% गांवों में 2 किमी की दूरी में बैंक नहीं है और 41% जनसंख्या के तो बैंक खाते ही नही हैं. ग्रामीण क्षेत्र में केवल 10% ऋण सुविधा उपलब्ध है जबकि शहरी क्षेत्र में यह 15% है.

डॉ.रंगराजन समिति ने यह पाया था कि कुल घरेलू कृषि उपयोग की वस्तुओं का 51.49% भाग औपचारिक/अनौपचारिक दोनों ही स्रोतों में आर्थिक रुप से छूटे हुए थे. केवल 27% भाग ही ऋण के औपचारिक स्रोतों के थे. इस समूह के एक तिहाई भाग ने भी औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त किया था. सम्पूर्ण रुप में 73% कृषि उपयोग की वस्तुएं ऋण के औपचारिक स्रोतों से नहीं ली गयी थीं. देश के मध्य, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 64% कृषकों को बैंकिंग सुविधायें नहीं उपलब्ध हैं. सीमान्त कृषक अपनी कुल कृषि जरुरतों का 66% वित्तीयकरण कराते हैं जिसमें केवल 45% भाग ही वित्त के औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं. अनुसूचित जनजाति के केवल 36% कृषक अपनी कृषि जरुरतों के लिए अधिकतर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं. जीवन बीमा कराने वाले केवल 10% लोग हैं जबकि गैर जीवन बीमा कराने वाले लोग 0.6% हैं.

बैंक राष्ट्रीयकरण के चार दशकों के बाद भी यह स्थिति विद्यमान है. विकास की यात्रा में जब तक समाज के सभी वर्ग एवं क्षेत्र की सहभागिता नहीं होती है एवं उसका फल समान रुप से बराबर बराबर सभी को नहीं मिलता है तब तक वास्तविक रुप में आर्थिक प्रगति नहीं होगी, तो मुद्दा यह है कि उनके जीवन को किस प्रकार बदला जाये.

लघु ऋण, बचत बैंक खाता एवं एक बीमा से गरीब एवं कम आय वाले परिवार का जीवन काफी हद तक बदल सकता है. इन वित्तीय सेवाओं से गरीब व्यक्ति अपने

खान पान, आवास, बच्चों की शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य रख सकता है और अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है.

यह सर्वमान्य है कि वित्तीय क्षेत्र में विकास एवं उन पर सभी की आसान पहुंच से आर्थिक प्रगति होती है जो सम्पूर्ण प्रगति में सहायक होती है.

समावेशित प्रगति न्यायपूर्वक एवं समान वितरित प्रगति के लाभ से अधिक होती है. प्रगति एवं उसके परिणाम लेने के इतिहास में समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों की सहभागिता होती है.

वित्तीय रुप से छूटे हुए व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन में लाना एवं उन तक अपनी पहुंच बनाना मुख्य लक्ष्य है. अब प्रश्न यह उठता है कि वित्तीय समावेशन क्या है ?

वित्तीय समावेशन क्या है ?

लगभग सभी देश जनसंख्या के बड़े भाग विशेष रुप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग को बैंकिंग सुविधाओं के अन्तर्गत लाने के गहन प्रयास कर रहे हैं. डॉ.रंगराजन समिति के अनुसार वित्तीय समावेशन की परिभाषा निम्नानुसार है :

"वित्तीय सेवाएं प्रदान करने एवं पर्याप्त ऋण सुविधाओं को पिछड़े समूह जैसे कमजोर वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगो को जहां आवश्यक हो समय से वहनीय लागत पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन है."

"असुविधायुक्त एवं कम आय वाले बड़े वर्ग को वहनयोग्य लागत पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना भी वित्तीय समावेशन कहा जाता है."

वित्तीय समावेशन कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय रुप से मजबूत करने के लिये बनाया गया है जो सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता के लिये महत्वपूर्ण है. गरीब व्यक्तियों की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच बनाकर उन्हें एक पहचान प्रदान करने के लिये भी इसे बनाया गया है.

बचत खाता, भुगतान, धन प्रेषण, ऋण, बीमा तथा इनसे जुड़ी गतिविधियों संबंधी वित्तीय सेवायें बैंक द्वारा प्रदान की जाती हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति :

वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति में पहली बार वित्तीय समावेशन का उल्लेख किया गया जिसके अन्तर्गत सभी बैंकों को निर्देश दिये गये थे कि जो भी बैंक में खाता खोलना

चाहते हैं उनके नो-फ्रिल अर्थात शून्य शेष अथवा बेसिक बैंकिंग खाते खोले जायें. वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नानुसार उपाय घोषित किये गये :

1. केवाईसी मानदण्डों को सरल बनाया गया.
2. नो-फ्रिल अर्थात शून्य शेष पर खाते खोलने एवं ऐसे खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराना.
3. ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के लिये अधिकतम रु.25000/- तक के ऋण के लिये सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करना.
4. रु.25000/- तक की मूल बकाया राशि की संदिग्ध एवं हानिग्रस्त आस्ति के लिये एकमुश्त समझौता योजना लाना एवं ऐसे ऋणियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना.
5. कम लेनदेन लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के विस्तारण के लिये बिजनेस फेसिलिटेटर एवं बिजनेस करेसपांडेंट्स की नियुक्ति करना.

नो-फ्रिल खाते एवं केवाईसी मानदंड :

बैंक में खाते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं विभिन्न अधिनियमों जैसे धन-शोधन निवारक अधिनियम, 2002 (Prevention of Anti Money Laundering Act, 2002), परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881(Negotiable Instrument Act,1881), बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949(Banking Regulation Act, 1949) एवं अपने ग्राहक को जानने संबंधी दिशानिदेश आदि के अन्तर्गत निर्धारित कठोर नियमों के अन्तर्गत खोले जाते हैं. कोई बैंक खाता खोलने के समय उन निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकता है. पूर्व वित्तीय प्रणाली से वंचित गरीब व्यक्ति बैंक में खाता खोलने के लिये वांछित दस्तावेज नहीं ला सकते हैं. अपना खाता बैंक में खोलने के लिये पहचान व निवास प्रमाण पत्र देना उनके लिये पहाड़ उठाने जैसा काम होता था. यहां तक कि अपनी जीविका के लिये पर्याप्त धनराशि भी नहीं होती है. वे बचत खाता खोलने के लिये न्यूनतम निर्धारित राशि भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि वे गरीब होते हैं, वास्तव में गरीब.बैंकिंग के लिये निर्धारित कठोर नियम विनियमन होने एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण किये जाने आवश्यक होने के कारण बैंक राष्ट्रीयकरण के चार दशकों के बाद भी वे औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बाहर ही हैं.

नो फ्रिल खाते :

अब समय आ गया है जब बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग को पहुंचाया जाये. नियमों विनियमनों के कारण हम जनसंख्या के बड़े भाग को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से दूर नहीं रख सकते हैं. 2006 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर इस दिशा में कदम उठाया और वित्तीय सेवाओं से वंचित लोगों को वित्तीय समावेशन योजना के तहत औपचारिक बैंकिंग वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया.

नवम्बर,2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि वे कम अथवा न्यूनतम शेष के साथ नो-फ्रिल खाते खोल कर आधारभूत बैंकिंग उपलब्ध करायें, साथ ही प्रभार कम से कम रखे जायें ताकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस प्रकार के खाते खोल सके. भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी निर्देश दिये कि इस प्रकार के खाते न केवल ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले जायें बल्कि शहरी क्षेत्र के बैंक की शाखाओं के द्वारा भी खोले जायें.

केवाईसी मानदंडों का सरलीकरण :

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कम आय वाले व्यक्तियों को बैंक में खाते खोलने में कठिनाई न आये इसके लिये "अपने ग्राहक को जानिये" मानदंडों में रियायत दी गयी तथा बैंकों को सलाह दी गयी कि वे इस प्रकार के खाते खोलने में ग्राहक की पहचान अथवा निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर न दें. हालाँकि इस प्रकार की छूट केवल ऐसे खातों में दी गयी जिसमें शेष राशि रु.50000/- से अधिक न जाये और जमा का योग एक वर्ष में रु.100,000/- से अधिक न हो. यदि राशि सीमा से अधिक हो जाती है तो तब तक परिचालन की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि खाता केवाईसी मानदण्डों के अनुरुप न हो जाये. खाते की राशि जब रु.40,000/- हो जाती है तो बैंक खातेदार को खाता केवाईसी मानदंडों के अनुरुप करने हेतु नोटिस भेजते हैं. यदि केवाईसी मानदण्डों के अनुरुप खाता नहीं हो पाता है तो बैंक निर्धारित सीमा से अधिक राशि के परिचालन को मना कर देते हैं.

इस प्रकार के खाते खोलने में खातेदार की फोटो ली जाती है तथा ऐसे खातेदार का परिचय लिया जाता है जिसका खाता केवाईसी मानदंडों के अनुरुप है तथा जिसमें कम से कम 6 माह तक सन्तोषजनक परिचालन किया गया हो. परिचयकर्ता नये ग्राहक का फोटो एवं उसका पता सत्यापित करते हैं. यदि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो पहचान एवं निवास प्रमाण का कोई भी अन्य दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है जो बैंक को मान्य हो.

सामान्यतः बैंक ऐसे खाते में चेक बुक जारी नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने से खाते की लागत बढ़ जायेगी. बैंक ऐसे खातों में अन्य सुविधायें जैसे निःशुल्क ड्राफ्ट, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड आदि नहीं प्रदान करते हैं जिससे खाते की लागत को कम रखा जा सके.

मूल्यांकन :

वर्तमान में लगभग सभी बैंक नो-फ्रिल खाते खोल रहे हैं एवं गरीब लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवायें पहुंचाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. हालांकि इन खातों के परिचालन में कुछ बाधायें अवश्य आती हैं, जिसका कारण नजदीकी शाखाओं में पहुंचने में लगने वाला समय एवं लागत है जहां खाते खोले गये हैं. विगत 5 वर्षों में अनुभव किया गया है कि "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी)मानदंडों के अनुपालन के साथ अधिकाधिक वित्तीय समावेशन करना एक चुनौती रहा है. ऐसा देश जहां अधिकांश लोगों की आय काफी कम है, लोग काफी गरीब हैं, अपनी पहचान एवं निवास के प्रमाण संबंधी दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां केवाईसी मानदंडों का अनुपालन कराना अत्यन्त कठिन है. दूसरी तरफ वित्तीय लेनदेनों में एकरुपता बनाये रखने के यह आवश्यक है कि खाता खोलने से पूर्व प्रत्येक ग्राहक की विधिवत् पहचान सुनिश्चित की जाये. बड़े कस्बों, शहरों में जहां बड़ी संख्या में बाहर से लोग आकर रहते हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं होता है, उनके लिये केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करना एवं बैंक में खाता खोलना काफी चुनौतीभरा कार्य होता है. उन चुनौतियों का बैंक चुनौतीपूर्वक सामना कर रहा है एवं 2005 से मार्च, 2011 तक 75 मिलियन नो-फ्रिल खाते खोले जा चुके हैं. यह उपलब्धि बैंकिंग इतिहास के लिये मील का पत्थर है. पूरे बैंकिंग समुदाय द्वारा समावेशित आर्थिक प्रगति के अन्तर्गत आगे भी सामाजिक उत्तरदायित्वों को बहादुरी से पूरा करने का निश्चय किया गया.

बी.एस. नारायण मूर्ति, वरिष्ठ प्रबंधक (संकाय),स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर

वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी का महत्व

अखिलेश्वर चौधरी

वित्तीय समावेशन :

वित्तीय समावेशन का तात्पर्य उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं. अर्थात् सामान्य आदमी तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है. देश की गरीब एवं वंचित आबादी को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने के लिए वित्तीय समावेशन को एक सशक्त उपाय के तौर पर देखा जा रहा है. भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले कुछ समय से वित्तीय समावेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है, जिससे देश का समग्र विकास सम्भव हो सके. इस दिशा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने काफी उत्साहजनक प्रयास किये हैं. लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है.

वित्तीय समावेशन की अवधारणा निम्नवत् हैः

- कम आय वाले एवं समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना.
- उन्हें कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि वे इन सेवाओं की ओर आकर्षित हो सकें.
- बिना भेद भाव के सभी लोगों को बैंकिंग सेवा मुहैया कराना.
- ऐसी भुगतान प्रणाली जिससे धन प्रेषण एवं अंतरण देश के किसी कोने में बिना किसी व्यवधान के रियल टाइम में हो सके.
- बीमा की सुविधा एवं लाभ सभी को मिले.

रंगराजन समिति ने "वित्तीय समावेशन" को ऐसी प्रकिया की तरह परिभाषित किया है, जिसके अनुसार, कम आय वाले एवं समाज के कमजोर वर्गों को कम लागत में उचित समय पर वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाना एवं उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना है.

वित्तीय समावेशन के ज़रिए समाज के एक बड़े वर्ग को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. सम्प्रति यह अपेक्षा की गई है कि देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का बैंक में कम से कम एक बचत खाता हो, जिससे वे अभी तक वंचित हैं. भारत की कुल जनसंख्या के 41 प्रतिशत वयस्क बचत खाते से वंचित हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 61 प्रतिशत वयस्क बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं. देश के 86 प्रतिशत वयस्क ऋण खातों से वंचित हैं. जबकि ग्रामीण क्षेत्र मे 90.50 प्रतिशत वयस्क ऋण खातों से वंचित हैं.

वित्तीय वंचन :

वित्तीय वंचन अर्थात वित्तीय सेवा से वंचित वर्ग. इस शब्द का प्रयोग वित्तीय समावेशन के विलोम की तरह होता है. इसका तात्पर्य ऐसे लोगों से है, जो वित्तीय या बैंकिंग सेवा से वंचित हैं. भारतीय बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है. बैंक की व्यवहार्यता, लाभप्रदता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार आया है. इसके बावजूद यह एक चिंता का विषय है कि समाज के एक बड़े वर्ग तक, जो कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पायी हैं. इनमें सबसे प्रभावित ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र हैं.

वित्तीय सेवा से वंचित होने के निम्नांकित विपरीत परिणाम हैं :

- समाज के एक बड़े वर्ग के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है.
- बेरोजगारी में अनवरत वृद्धि हो रही है.
- अपराधों में वृद्धि हो रही है.
- लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि हो रही है.
- ग्रामीण एवं शहरी झुग्गी झोपड़ी में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं.
- साहूकारों द्वारा ऊंची दर पर ऋण मुहैया होने के कारण ऋण ग्रस्तता में बढ़ोत्तरी एवं शोषण के शिकार.

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन के द्वारा उन लोगों को बैंकिंग सेवा के दायरे में यथाशीघ्र लाया जाए, जो इनसे वंचित हैं, अन्यथा समाज के एक बड़े तबके को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

माननीय वित्त मंत्री **श्री प्रणव मुखर्जी** ने वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया है. उन्होंने इसकी दशा एवं दिशा तय करते हुए इसे आगे बढ़ाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि वे शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन की पहल करें. सरकार द्वारा सभी अनुसूचित एवं व्यावसायिक बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे कुछ सरकारी बैंकों द्वारा किये गये सराहनीय प्रयास का अनुसरण करते हुए स्वयं सहायता समूह की समेकित ऋण आवश्यकता की पूर्ति करें. यथा :

- आय सृजनात्मक क्रिया कलाप में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना.
- सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु प्रयास यथा - मकान, शिक्षा, शादी - विवाह इत्यादि हेतु उचित समय पर एवं उचित मात्रा में ऋण मुहैया कराना.

इन सबके बाबजूद विभिन्न कारणों से अभी भी देश की अधिकांश जनसंख्या को सामान्य बैंकिंग एवं बीमा सेवा भी उपलब्ध नहीं है. हमारे देश में 69 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी बैंकिंग सेवा से वंचित है. जबकि इंग्लैण्ड में मात्र 6 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनका बैंक खाता नहीं है. भारत के गाँवों में स्थिति और भी भयावह है. वहाँ सिर्फ 18.5 प्रतिशत लोग बैंकिंग से सम्बद्ध हैं. अर्थात 81.50 प्रतिशत लोग बैंकिंग से वंचित हैं. इसका काफी विपरीत प्रभाव भी दिखाई पड़ता है. कुल ग्रामीण ऋण का 78 प्रतिशत आज भी अनौपचारिक स्रोत से आता है.

वित्तीय समावेशन के अवरोधक :

वित्तीय समावेशन में कई अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें निम्नलिखित प्रमुख अवरोधक तत्व वित्तीय समावेशन की सफलता में बाधक हैं, जिनका समाधान सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को खोजना है.

- कारोबारी लाभप्रदता (Business Viability).
- बुनियादी सुविधाओं (Infrastructure) का अभाव.
- कम आबादी वाले दूर-दराज के क्षेत्र.
- अशिक्षित जनता तथा केवायसी (KYC) हेतु सूचना का अभाव.
- बैंक का कारोबार समय लचीला न होना.
- बिजली एवं संचार प्रणाली की कमी.

वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी का महत्व :

बिना तकनीक के **सकल वित्तीय समावेशन** असंभव है. तकनीक के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध करायी जा सकती हैं, ताकि इन सेवाओं की ओर वित्तीय समावेशन से वंचित लोग आकर्षित हो सकें.

वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये बैंकों को विशिष्ट नीतियाँ बनानी होंगी. नो-फ्रिल खातों का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा. साथ ही **प्रौद्योगिकी** यथा **सूचना एवं संचार तकनीक (Information & Communication Technology)** का विवेकसम्मत प्रयोग करना होगा. एटीएम एवं कैश डिस्पेंसिंग मशीन को कम पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ लोगों की पहुंच तक लाना होगा. यह यूजर फ्रेंडली एवं स्थानीय भाषा में हो. स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक कार्ड का अधिकाधिक प्रचलन, उन लोगों हेतु जो अंग्रेजी नहीं जानते हों, करना होगा, जिससे कोई वित्तीय समावेशन से वंचित न रहे.

भारत सरकार की पहल :

भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रचार प्रसार एवं तकनीकी विकास एवं उसके प्रयोग में मदद करने हेतु रु. 500 करोड़ से निम्नलिखित दो फण्ड नाबार्ड के अन्तर्गत स्थापित किये गये :

- **वित्तीय समावेशन फण्ड**
- **वित्तीय समावेशन तकनीकी फण्ड**

इस दिशा में वित्तीय वर्ष 2010-2011 में अतिरिक्त रु.100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है. भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-2011 में, लक्षित अनुदान भुगतान (targetted subsidy payment) द्वारा त्वरित वित्तीय समावेशन हेतु यू.आई. डी. प्रोजेक्ट को रु.1500 करोड़ मुहैया कराया है, जिसका दूरगामी परिणाम होगा. यू.आई.डी. मॉडल के तहत बैंकों को कम लागत पर वित्तीय समावेशन प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी.

जहाँ एक ओर **संचार तकनीक** के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के अभाव से ग्रसित देश के सुदूर ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र, को बैंक शाखाओं से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर **सूचना तकनीक** द्वारा **कोर बैंकिंग (CBS)** के माध्यम से बैंक पर बढ़ते हुए ट्रान्जेक्शन लोड से निपटान में मदद मिल रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक का सूचना एवं संचार तकनीक आधारित वित्तीय समावेशन पर ई-पोर्टल :

वित्तीय समावेशन में सूचना एवं संचार तकनीक की भूमिका को और बढ़ावा देने हेतु 20 अगस्त 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर श्रीमती ऊषा थोराट ने एक ई-पोर्टल (www.ict.cab.org.in) का उद्घाटन किया. इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बैंकों को एक प्लेटफार्म प्रदान करना है, जिससे वे अपने ज्ञान एवं अनुभव एक दूसरे से बांटकर, सूचना एवं संचार तकनीक में हुई प्रगति का दोहन कर सकें और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर देश की गरीब एवं वंचित आबादी को वित्तीय सेवाओं के दायरे में सम्मिलित कर सकें, जिससे देश के किसी भी भू-भाग में कोई भी आबादी वित्तीय सेवाओं के दायरे से वंचित न रहे.

वित्तीय शिक्षण केंद्र (Financial Literacy Center) की स्थापना भी कैब (CAB) के अन्तर्गत की गयी है. यह एक ज्ञान संसाधन केंद्र की तरह कार्यरत है, जो कि वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कदम है.

सूचना एवं संचार तकनीक की भूमिका :

सुदूर ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र में जहां बैंक की शाखाओं का खोलना आर्थिक दृष्टिकोण से सफल नहीं है, उन क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है. इनमें निम्नलिखित तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होगाः

- **फीनो (FINO)**

फाईनेन्सियल इन्फोर्मेशन नेटवर्क ऑर्गनाइजेशन लि. विभिन्न बैंकों द्वारा स्थापित एक अग्रणी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाईडर **(APS)** संस्था है, जो वित्तीय संस्थाओं हेतु अद्यतन तकनीक आधारित सेवा एवं उत्पाद यथा स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक कार्ड एवं अनेक सहायक सेवाएं मुहैया कराती है. ये सब वित्तीय समावेशन में मददगार हैं. फीनो द्वारा विकसित **वैयक्तिक बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड (Personalized biometric smart card)** ग्राहक के डिजिटल पासबुक की तरह काम करता है. इस तकनीक का उपयोग कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित अनेक बैंकों ने वेन्डर्स, हॉकर्स एवं दिहाड़ी मजदूरों को वित्तीय समावेशित किया है.

- **स्थानीय भाषा में एटीएम एवं कैश डिस्पेंसिंग मशीन**

महसूस किया गया है कि कम पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ लोगों की पहुँच तक लाने

हेतु इसे यूजर फ्रेंडली एवं स्थानीय भाषा में लाना होगा, जिससे इसका उपयोग समाज के वित्त वंचित वर्ग भी कर सकें. अधिकतर बैंकों द्वारा यह सुविधा उपलब्ध भी करवाई जा रही है.

- **पी.ओ.एस. कार्ड**

कम मूल्य के कार्ड, जो कि बैंक खाते से संबद्ध हों तथा पी.ओ.एस (POS) के माध्यम से भुगतान की सुविधा मिले तथा छोटी - छोटी रकम का अंतरण एक कार्ड से दूसरे कार्ड में संभव हो. इससे धन प्रेषण की समस्या का समाधान हो सकता है. हमारे देश में तकरीबन 86000 बैंकों की शाखाएं तथा 34000 के आस-पास ए.टी.एम हैं. वहीं पी.ओ.एस (POS) की संख्या लगभग तीन लाख है. यह सही है कि वर्तमान में ये मुख्यतया शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं. यदि यह सिस्टम मूर्त रूप धारण करे एवं ग्रामीण क्षेत्र में पी.ओ.एस को स्थापित किया जाये तो वित्तीय समावेशन को मूर्त रूप दिया जा सकता है.

- **स्मार्ट कार्ड एवं बायोमेट्रिक परिचय (Biometric Identification) द्वारा खाता खोलना**

स्मार्ट कार्ड, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से अलग है. डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक चिप होता है, जबकि स्मार्ट कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक चिप है. स्मार्ट कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक चिप में ग्राहक के व्यक्तिगत विवरण, बायोमेट्रिक जानकारी एवं खाते का विवरण समाविष्ट होता है. कार्ड धारक द्वारा किये गये लेन-देन का निपटान इलेक्ट्रॉनिकली कार्ड पर ही हो जाता है. स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक कार्ड का अधिकाधिक प्रचलन, अनपढ़ लोगों हेतु एक वरदान है.

- **बेतार संकेत प्रणाली तकनीक (Wireless Technology)**

सिमफास्ट (SIMFAST) बेतार संकेत तकनीक का एक अनोखा अन्वेषण है, जिससे निधि अंतरण, बिलों के भुगतान, रेमिटेंस जैसे बिना नकदी लेन देन के साथ-साथ नकदी लेन-देन भी संभव है. इंटिगरा ग्रुप (Integra Group) द्वारा विकसित यह तकनीक मोबाइल द्वारा शाखा रहित डोर-स्टेप बैंकिंग हेतु एक समेकित समाधान है. इसके तहत मोबाइल फोन, आईवीआर (IVR), बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट (BC) मॉडल के तहत ग्राहक को बैंकिंग सेवा मुहैया कराएगा. इस तकनीक में स्मार्टकार्ड के बदले मोबाइल, फोन या इन्टरनेट के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है. ग्राहक की पहचान फोन नम्बर एवं खाता संख्या से तथा 4-5 डिजिट के ग्राहक द्वारा बनाये गये पिन के द्वारा होती है. ग्राहक आइवीआर (IVR) द्वारा प्राप्त पब्लिक पिन एवं लेन-देन कूट लेकर बीसी (BC) के पास

नकदी लेन-देन हेतु जाता है. बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट ट्रान्जेक्शन सर्वर से सम्बन्ध स्थापित कर लेन-देन को सत्यापित करता है तथा लेन-देन संपन्न होने का संदेश प्राप्त करता है.

➢ **ई-किओस्क (e-Kiosk)**

ई-किओस्क एक संतुलित मशीन है, जो इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, यथा दुकान, बैंक या पंचायत, में वेब (Web) की पहुंच प्रदान करता है. ई-किओस्क ग्राहक को एक स्वचालित डिलीवरी चैनेल प्रदान करता है, जिससे ग्राहक पूर्वप्रदत्त खरीद (Pre-paid purchase) कर सके. ग्रामीण क्षेत्र में ई-किओस्क की स्थापना वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में धन प्रेषण व्यवस्था में मदद मिलेगी. इस दिशा में नेशनल ई-गवर्नेन्स योजना (NeGP) के तहत स्थापित एक लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेन्टर (CSCs) का उपयोग किया जा सकता है. यह एक सार्वजनिक सुविधा केन्द्र के रूप में काम करेगी, जहाँ सर्व साधारण हेतु विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध होंगी. ई-किओस्क के माध्यम से ग्रामीणों को कृषि क्षेत्र से संबंधित आधुनिक जानकारी तथा संस्थागत ऋण की जानकारी मुहैया कराई जा सकती है.

➢ **किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों का वित्त पोषण**

आज देश जिस प्रकार आर्थिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है और संरचनात्मक क्षेत्र में सुधार के फलस्वरूप प्रगति के नये द्वार खुलते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है. अब वह दौर शुरू हो गया है, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने लगे हैं. इससे प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में वित्तीय वंचित वर्ग वित्तीय समावेशित हो सकेंगे.

➢ **भारतीय पोस्ट आफिस एवं बैंक का नेटवर्क**

बैंकों की 80,000 शाखाएँ एवं तकरीबन 1,50,000 पोस्ट आफिस का एक नेटवर्क बनाकर सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं, जिससे लेन-देन की लागत भी कम होगी तथा ग्रामीण गरीब इस सुविधा को लेने हेतु प्रोत्साहित होंगे. पोस्ट मैन का स्थानीय निवासी से आत्मीय संबंध के.वाय.सी. (KYC) मानक को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे वित्तीय वंचितों को वित्तीय समावेशन में सहूलियत के साथ लाया जा सकता है.

➢ **बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेन्ट (Bank Correspondent)**

हरेक गाँव में कम से कम एक बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेन्ट हो जो कि सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से बैंक के डाटा बेस से ऑन-लाइन जुड़ा हो. उनके द्वारा किया गया

लेन-देन तत्क्षण बैंक के डाटाबेस को अद्यतन करेगा. बैंकों द्वारा इन बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेन्ट को हैण्ड हेल्ड डिवाइस मुहैया कराना होगा, जिसके द्वारा खुदरा लेन-देन को बैंक की बही में सीधे ऑन-लाइन दर्ज किया जा सकेगा तथा इसके माध्यम से धन प्रेषण / अन्तरण एवं बीमा सुविधा मुहैया कराना सम्भव हो सकेगा. इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया पहल सराहनीय है तथा बैंक इसका लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं.

➢ **मोबाइल बैंकिंग**

एक सर्वे के अनुसार देश में 23.40 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, जो कि एक तरह से कनेक्टिविटी दर्शाता है. प्रतिमाह लाखों नये कनेक्शन वितरित हो रहे हैं.इसे मोबाइल बैंकिंग के तहत वित्तीय समावेशन में सहायक के तौर पर लिया जा सकता है. ऐसा मानना है कि मोबाइल की संख्या बैंक खातों की संख्या से ज्यादा है. अतः एक ऐसी तकनीक की कोशिश होनी चाहिए, जो सूचना एवं संचार तकनीक का समावेश कर वित्तीय समावेशन का वाहक बन कर **सकल वित्तीय समावेशन (Total Financial Inclusion)** का सपना साकार करे.

मोबाइल बैंकिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देश के बाद एसएमएस (SMS) आधारित मोबाइल बैंकिंग में मानो होड़ लग गई है. रु.1000.00 तक निधि अंतरण अब किसी भी मोबाइल द्वारा संभव है.

➢ **कोर बैंकिंग सोल्यूशन** एवं **संचार तकनीक (Communication Technology)** के विवेक सम्मत गठजोड़ से सकल वित्तीय समावेशन का सपना साकार हो सकता है. **सूचना एवं संचार तकनीक,** उपर्युक्त के अलावा सकल वित्तीय समावेशन की दिशा में निम्न मुख्य भूमिका निभा सकती है :

- इन्टरनेट सुविधा, स्थानीय मार्केट रेट, वेब-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय भाषा में चर्चा, जिससे समाज के वंचित समूह में जागरूकता बढ़ेगी.
- मोबाइल एवं हैन्ड हेल्ड डिवाइस के द्वारा मौसम की जानकारी एवं पूर्वानुमान, ई-मेल, रेलवे रिजर्वेशन तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं का विवरण.
- 50000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में सचल बैंक शाखा खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति की बाध्यता हटने से सकल वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की आशा है.

अखिलेश्वर चौधरी, मुख्य प्रबंधक, यूएलपी, गुड़गांव

वित्तीय समावेशन के सूचना, संप्रेषण व तकनीक (आई.सी.टी.) संबंधी सुरक्षा जोखिमों का शमन (मिटीगेशन)

गणेश तिवारी

किसी ने कहा है कि भारत की आत्मा यहां के गाँवों में बसती है. इस वाक्य के पीछे यह मकसद कभी नहीं रहा होगा कि शहरी लोग भारत व भारतीयता से दूर हैं, बल्कि इस वाक्य का गहरा सामाजिक आर्थिक व नैतिक महत्व है. आजादी के वक्त के भारतीय गाँवों व शहरों का जो अंतर था, आज छः दशक बाद उस अंतर का प्रकार व प्रमाप दोनों बदल चुका है. हम भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, ऐसा इसलिए कहते हैं, कि अंधाधुँध शहरीकरण व भौतिक सुखों की भागम-भाग में मानव अलग व मानवता विलग होती जा रही है.

आज के भारत के गाँव व शहरों में व्याप्त अंतर बहुत ही अलग तरह का है, बनस्पत कि आजादी के वक्त से. आज गाँव में वो समस्त भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो कभी सिर्फ शहरों में देखने को मिलते थे. आज भारतीय आबादी को शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत करने से ज्यादा उपयुक्त व समीचीन वर्गीकरण समृद्ध (हैव) और वंचित (हैव नॉट) के आधार पर विभेदित हो सकता है. आज हमारी डेमोग्राफी का आधार ग्रामीण व शहरी नहीं, बल्कि सिर्फ दो तबको में सन्निहित है, एक वो जिसके पास सब कुछ है, जिसका प्रतिनिधित्व "इंडिया" करता है तथा एक तबका वो जिसके पास दोनों वक्त का भोजन भी नहीं है, जिसे हम "भारत" द्वारा प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, यह एक विडंबना ही है कि जो "भारत" कभी विश्व का सबसे समृद्ध व अग्रणी देश था, उसकी एक बड़ी आबादी आज भी भूखी सोती है.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य हमारी वर्तमान विषयवस्तु के लिए बहुत ही समीचीन है, क्योंकि इतने बड़े देश के जनमानस को देश की मुख्य धारा में लाने का बीड़ा देश के शासकों ने

उठाया है, जिसे बिना तकनीक के पूरा करना असंभव है. "वित्तीय समावेशन" आज एक अभियान मात्र नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक - आर्थिक आंदोलन है.

वित्तीय समावेशन के बारे में यह एक भ्रम है कि यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा है, लेकिन यह समान रूप से लागू होता है, शहरी वंचितों में भी. चाहे गाँव का व्यक्ति/परिवार हो या शहर का, यदि वह आर्थिक मुख्य धारा से विलगित है, तो उसे देश की मुख्य धारा में लाने के तरफ का प्रथम कदम है, "वित्तीय समावेशन". वित्तीय समावेशन सिर्फ वंचितों का बैंक खाता खोलने से नहीं होने वाला है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने व सामाजिक रूप से आत्मसात करने से ही पूरा होगा. यहाँ प्रथम कार्य हेतु हम बैंकर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि द्वितीय उद्देश्य हेतु सही मानसिकता व सच्ची इच्छा शक्ति आवश्यक है.

आइए, अब हम अपनी आज की मुख्य विषयवस्तु पर आते हैं, जो वित्तीय समावेशन में आईसीटी पर केंद्रित है. उपरोक्त के संबंध में हमारी शुरू की पंक्तियों की भूमिका इसलिए आवश्यक है कि हमें यह जानता अत्यंत जरूरी है कि वर्तमान समय की अल्ट्रा हाई टेक तकनीकी का उपयोग करने वाले लक्ष्य समूह कौन हैं, और उनके उपयोग में आने वाली इन अत्यंत सक्षम तकनीकों के प्रयोग में कौन से सुरक्षा जोखिम हैं और उनके निस्तारण या कम करने के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं.

वित्तीय समावेशन अभियान मुख्य रूप से देश की लगभग 60% बैंकिंग सुविधा विहीन व फायनेंशियली अशिक्षित आबादी को वित्तीय रूप से शिक्षित व बैंक खाता युक्त बनाना है, जिसमें आई.सी.टी. का योगदान रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिसके बिना इतना वृहद् अभियान संभव नहीं है.

निम्न चार्ट बैंकिंग में तकनीक की विलंबित शुरूआत, किन्तु अत्यंत प्रभावी लागत प्रभावी व त्वरित क्षमता को दर्शाता हैं :

	बैंक शाखा	**एटीएम**	**कियोस्क**	**मोबाइल**
प्रारंभ वर्ष	1786	1987	2006	2010
लागत प्रभाव	उच्च लागत शाखा	न्यून लागत शाखा	न्यूनतम लागत शाखा	शाखा विहीन बैंकिंग
यूनिट(लगभग)	>100,000	>70,000	>30,000	>70 करोड़
अनुमानित सीमा	रू.10-50 लाख	रू. 2 से 5 लाख	रू,25 से 50 हजार	शून्य

वितरण घनत्व (लगभग)	प्रति 25000	प्रति 15000	प्रति 50,000	प्रत्येक घर परिवार
जनसंख्या तक पहुंच	40% आबादी	20% आबादी	10% ग्रामीण आबादी	100% लगभग
लागत प्रति संव्यवहार	रू.40 और अधिक	रू.15 और अधिक	रू.10 और अधिक	रू.0.5 से 5/- तक

नोट-बैंकिंग सेवा प्रदाता विभिन्न डिलीवरी चैनल्स के तुलनात्मक आंकड़े

वित्तीय समावेशन के सरकारी लक्ष्य (जो कि 50% बैंकिंग सुविधा विहीन जनसंख्या को 2012 तक व 2017 तक शत प्रतिशत आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने का है) की प्राप्ति में आई.सी.टी. के निम्न चैनल्स / आयाम महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं :-

आमने सामने बैंकिंग (Face to Face Banking) (मानव जनित)	**मानव रहित (Faceless) बैंकिंग इंटरफेज (मशीन जनित)**
i) बैंक शाखा*	i) "बक्से में बैंक (बैंक इन बॉक्स) या पी.ओ.एस. ,जिसमें एक मशीन छोटा प्रिंटर व फिंगर प्रिंट रीडर 10 इंच के बक्से में पैक रहता है और ग्राहक की पहचान कर उसके अनुरूप बैंक की तरह लेनदेन करता है, जो प्रायः कम मूल्य परिमाण के होते हैं.
ii) बिजनेस संपर्की (बी.सी.) / बिजनेस सहयोगी (बी.एफ)	ii) स्मार्ट कार्ड- ये बहुत छोटे <1केबी से 32 के.बी.तक मेमोरी क्षमता वाले विभिन्न तरह के कार्ड होते हैं. जिन्हे ई-पर्स कह सकते हैं, जिसमें ग्राहक संबंधी विभिन्न सूचनाएँ यथा ग्राहक का नाम, खाता संख्या, बकाया राशि, फिंगर प्रिंट आदि स्टोर रहते हैं. एक स्मार्ट कार्ड 10-15 खाते (ऋण खातों सहित) संचालित कर सकता है. यह RFID(रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक) व NFC(नियर फील्ड कम्यूनिकेशन) तकनीक पर कार्य करते हैं. लेनदेन ऑन-लाइन व ऑफ-लाइन दोनों में होता है.

iii) स्वयं सेवी संस्थान (एनजीओ)	iii) मोबाइल बैंकिंग - लगभग सभी प्राइवेट व सरकारी बैंक मोबाइल बैंकिंग प्रदान कर रहे हैं. यहां यह तथ्य प्रासंगिक है कि हमारा यूनियन बैंक देश के प्रथम बड़े बैंकों में है, जिसने मोबाइल बैंकिंग सेवा के साथ वित्तीय समावेशन के अन्य विविध चैनल्स यथा पी.ओ.एस. ,स्मार्ट कार्ड/ बायोमेट्रिक कार्ड आदि को जनसामान्य के लिए शुरू किया है, व तेजी से उनका विस्तार कर रहा है.
iv) सरकारी/ राज्य स्तरीय ग्राम व ब्लाक स्तरीय विभाग इत्यादि	iv) इंटरनेट बैंकिंग : यद्यपि इनका उपयोग वित्तीय समावेशन में बहुत व्यावहारिक नहीं है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीसी / रेलीज इंडिया लिमि.आदि द्वारा संचालित ई-चौपालों के माध्यम से ग्रामीण वित्तीय सुविधा विहीन जनमानस बैंकिंग लेनदेन हेतु इन सार्वजनिक इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर केंद्र का उपयोग कर सकता है.

*** ये सामान्य बैंकिंग शाखाएं हैं, जो वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका तमाम सीमाओं के बावजूद भी सक्षम तरीके से निभा रही हैं. अभी हाल में ही हमारे बैंक ने एफआई को पूर्णतया समर्पित एक साथ 11 एफआई शाखाएं देश के विभिन्न कमजोर बैंकिंग क्षेत्रों में खोली है. सम्प्रति यूनियन बैंक की कुल 14 एफआई शाखाएं अपने इस मिशन में लगी हुई हैं.**

आई.सी.टी. संबंधी विभिन्न सुरक्षा जोखिम व उनके निस्तारण / शमन के संभावित उपाय और तौर तरीके :

वित्तीय समावेशन से संबंधी सुरक्षा जोखिमों में वे समस्त सुरक्षा जोखिम सन्निहत हैं, जो कि किसी भी वित्तीय लेनदेन में हो सकते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि इन सुरक्षा जोखिमों व उनसे हो सकने वाली संभावित हानि का परिमाण (मूल्य)/ मात्रा छोटी हो सकती है. इसे और स्पष्ट करने के लिए, आइए देखते हैं, वित्तीय समावेशन हेतु उपरोक्त वर्णित मानव जनित व मशीन जनित कार्य व क्रिया प्रणालियों से कौन कौन से कार्य निष्पादित करते हैं :

- नकदी जमा व निकासी
- जमा शेष पूछ-ताछ व स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट

- अपने खुद के खातों के बीच लेनदेन
- समूह के खातों या स्वयं के खाते में ऋण चुकाना या निकासी
- स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) के बचत व ऋण खाता खोलना
- आवर्ती जमा
- बहु-सोसायटी भुगतान
- एनआरईजी (नेहरू रोजगार योजना) का भुगतान
- सामाजिक सेवा संबंधी भुगतान घर बैठे-बिठाये ही यथा-वृद्धा विधवा, वरिष्ठ नागरिक पेंशन, छात्र वृत्तियां इत्यादि
- बीमा प्रीमियम भुगतान
- वैयक्तिक खातों के बीच अंतरण
- यूटिलिटी बिल पेमेंट
- प्री पेड/ पोस्ट पेड मोबाइल रिचार्ज / बिल भुगतान
- एक कार्ड से दूसरे कार्ड में अंतरण इत्यादि

आईसीटी संबंधी विभिन्न मुद्दे, समस्याएं व सुरक्षा जोखिम :

1. कैश (नकदी) संचालन

चूंकि लगभग समस्त बीसी/ बीएफ संव्यवहार नकदी से संबंधित होते हैं. (तथा बीसी/ बीएफ पूर्ण बैंक कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि आउटसोर्स प्रतिनिधि हैं. जिनका कार्य-क्षेत्र अत्यंत सीमित व पूर्वपरिभाषित होता है, परन्तु अशिक्षा का फायदा उठाते हुए वे स्वयं को पूर्णकालिक बैंक कर्मी प्रदर्शित कर अनेकों बार जनता को गुमराह कर दुरुपयोग कर लेते हैं) अतः नकदी का प्रवाह व रख-रखाव/ संचालन वित्तीय समावेशन का एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है. बीसी/ बीएफ के कुछ केसों में दुरुपयोग के अलावा, नकदी की हैन्डलिंग, लाजिस्टिक आदि की समस्या अतिरिक्त लागत व संचालन जोखिम पैदा करते हैं. यह उत्तर-पूर्वी राज्यों में वहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों व सुरक्षा कारणों से और भी कठिन हो जाता है.

2. ग्राहक का प्रोफाइल

ऊपर प्वाइंट-1 में वर्णित कारणों से ग्राहक का गलत प्रोफाइल तैयार कर धोखाधड़ी / दुरुपयोग की सभी संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं, जिसके लिए और व्यवस्थित,

सुस्थापित माडल की आवश्यकता महसूस हो रही है. केवायसी मानदण्डों के कड़ाई से पालन के लिए कोई क्रास चैक एजेंसी/ सपोर्ट सर्विस कार्यरत हो.

3. बीसी माडल की व्यवहार्यता (Viability issue)व नियामक मुद्दा

लागत लाभ विश्लेषण से यह मुद्दा उभर कर सामने आया है कि ना ही बीसी संतुष्ट हैं. (कम आय/ हानि से) और ना ही बैंक (नो फ्रिल या जीरो बैलेस खातों की भरमार होने से, जिसमें सिर्फ नरेगा का क्रेडिट आता है तथा बहुधा खाते निष्क्रिय ही रहते हैं. परन्तु अधिकाधिक खातों के कारण सामान्य बैंकिंग कार्यकाल में सामान्य शाखाएं अपने महत्वपूर्ण (बड़ी राशि का लेनदेन करने वाले ग्राहक) ग्राहकों/ खातों पर यथोचित ध्यान नहीं दे पा रही हैं व अप्रत्यक्ष रुप से कम ध्यान के कारण इन खातों में धोखाघड़ी व अशोध्य ऋणों (जो बैंकों की आस्तियाँ हैं) की मात्रा बढ़ने की सूचनाएं सामने आ रही हैं, जो एक अप्रत्यक्ष जोखिम है. वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमानुसार बीसी को उसी दिन या अगले दिन प्राप्त नकदी को संबंधित शाखा में जमा करना होता है परन्तु विभिन्न कारणों से निर्धारित समय में ऐसा न होने से भुगतान निपटान समाधान समस्या व संबंधित जोखिम बने रहे हैं.

बीसी माडल से जुड़ी विभिन्न आईसीटी संबंधी व अन्य जोखिम का मुख्य प्रकार निम्न है :

- क्रेडिट रिस्क (ऋण संबंधी जोखिम)
- आपरेशनल रिस्क (संचालन संबंधी जोखिम)
- लीगल रिस्क (कानूनी जोखिम)
- लिक्विडिटी रिस्क (तरलता संबंधी जोखिम)
- रेप्यूटेशनल रिस्क (साख संबंधी जोखिम)
- व्यवहार्यता (Viability)जोखिम (बैंक खाता होना विरुद्ध बैंक खाते का प्रयोग करना)

4. तकनीकी भागीदार / सेवा प्रदाता के डेटा बेस संबंधी जोखिम

वित्तीय समावेशन के आईसीटी सेवाओं के लिए सभी बैंकों ने विभिन्न तकनीकी सहयोगियों को अपना प्रोजेक्ट भागीदार बनाया है, जिनके डेटा बेस में समस्त प्रकार की सूचनाएं संग्रहित रहती है. यथा- ए लिटिल वर्ल्ड A little world (ALW), फिनो (FINO), ईकेओ, टीईएस, एन-लॉग कम्यूनिकेशन(प्रा)लिमि. (n-Logue Communication(P) Ltd, एनसीडीईएक्स (NCDEX), इंटेग्रा माइक्रो सिस्टम्स (Integra Micro Systems)

इत्यादि. इन तकनीकी सर्विस प्रदाताओं ने विभिन्न फीडबैक दिया है, जिसके आधार पर आईसीटी संबंधी मुख्य समस्याएं व जोखिम निम्नवत् हैं :

- सम्बद्धता(कनेक्टिविटी) एक प्रमुख मुद्दा है, जिसके अभाव में मोबाइल भुगतान आदि के निपटान का जोखिम सभी संबंधित लोगों यथा ग्राहक, पीओएस/ बीसी संबंधित बैंक, मोबाइल सर्विस प्रदाता, पेमेंट सेटलमेंट एजेंसी (एनपीसीआई-नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) आदि को बना हुआ है.
- करप्ट फ्री डाटा की उपलब्धता व उनका एकीकरण.
- ट्रांजेक्शन की सुरक्षा - विभिन्न स्पायवेयर्स/मलवेयर्स/वायरस के आक्रमण व फिशिंग समस्याओं से पैसे के लेनदेन की सुरक्षा में एक बड़ा प्रश्न चिह्न बना हुआ है.
- समस्त सर्विस प्रदाता संस्थाओं के बीच एक सामान्य मानक का अभाव होना, एक एजेंसी / संस्था की विश्वसनीयता का मुद्दा उभारती है.
- गोपनीयता/ विश्वसनीयता को नये रूप से परिभाषित करने की कमी के स्थायित्व रूप में न होने से बेंच मार्क का अभाव व संबंधित जोखिम.
- आमने-सामने बैंकिंग विरुद्ध मानवरहित बैंकिंग में मुख्य अंतर जो कि व्यवहार के मामले से संबंधित है, मानवरहित बैंकिंग या मशीन संचालित लेनदेन को अत्यधिक धोखाधड़ी उन्मुख व संवेदनशील बना देती है. तकनीकी संसाधनों में अभी तक इसका कोई समाधान न होना, सुरक्षा जोखिमों के लिए एक सतत खतरा बना हुआ है.
- किसी भी एक सफल व सिद्ध बिजनेस माडल का अभाव वित्तीय समावेशन को अभी भी प्रायोगिक(ट्रायल एण्ड इरर) मोड में ही चला रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रयोग के दौर की, सुरक्षा खामियां वर्तमान में समग्र रुप से विद्यमान हैं.

आईसीटी संबंधी सुरक्षा जोखिमों में निस्तारण/ शमन / कमी लाना :

किसी भी सुरक्षा जोखिमों के मिटिगेशन के लिए सुरक्षा जोखिमों के उद्गम, प्रक्रिया व उसके क्रिपल प्रभाव(cripple effect) का अध्ययन अत्यावश्यक है.उद्गम से हम जोखिमों को शुरू होने के पूर्व ही नियंत्रित कर सकते हैं, प्रक्रिया के सूक्ष्म अध्ययन से प्रत्येक अवस्था में आनेवाले जोखिमों का निस्तारण/ अल्पीकरण उससे संबंधित उपाय को लागू करके किया जा सकता हैं तथा क्रिपल प्रभाव से सुरक्षा जोखिम विशेष का लागत/

लाभ विश्लेषण(Cost benefit analysis) करके एक प्रभावी, व्यवहारपरक(Practical) व सुगम समाधान कर सकते हैं.

ऊपर वर्णित विभिन्न जोखिमों के प्रकार, तौर-तरीकों आदि से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज की तारीख में एफआई की विशालता, पैमाना (Scalability) व अत्यधिक मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकता के मद्देनज़र कोई भी मानक (Standardized), सिद्ध (Proven), सुस्पष्ट प्रणाली (Fool proof system) या बिज माडल नहीं उपलब्ध है, किन्तु वर्तमान में संचालित माडल्स में कुछ मूलभूत सुधार कर व संरचनात्मक/ संगठनात्मक परिवर्तन कर हम आईसीटी संबंधी जोखिमों को समाप्त तो नहीं कर सकते, किन्तु उन्हें कम अवश्य कर सकते हैं. कुछ ऐसे ही वर्तमान में चलाये जा रहे सुरक्षा जोखिमों के शमन के उपाय (Mitigators) निम्न हैं:

1. वर्तमान में प्रतिदिन प्रति संव्यवहार सीमा रू,10,000/- की निर्धारित है, जिसका 2 फैक्टर प्रमाणीकरण तकनीकी (कार्ड एंड फिंगरप्रिंट) से अनुश्रवण करते हैं.
2. प्रतिदिन की निकासी/ जमा व ट्रांजेक्शन संख्या की भी सीमा निर्धारित की गई है.
3. शाखाएं बैंक परिसर में बीसी/बीएफ के ट्रांजेक्शन की व्यापक मानीटरिंग के लिए एक पीसी/ टर्मिनल रख रही हैं.
4. अविश्वसनीय मोबाइल(चायना मेड या बिना आईएमईआई नंबर वाले मोबाइल) सेट का प्रयोग मोबाइल ट्रांजेक्शन हेतु कदापि नहीं करें. इस दिशा में यूनियन बैंक ने एक बार फिर पहल करते हुए अग्रणी मोबाइल निर्माता कं.नोकिया से टाइ-अप किया है, कि यूनियन बैंक मोबाइल बैंकिंग साफ्टवेयर मोबाइल सेट में मानक फार्मेट/साफ्टवेयर के साथ कंपनी से ही इक्यूप्ड होकर आये, जिससे पायरेसी संव्यवहार (हैकिंग आदि के द्वारा) का खतरा कम से कम हो.
5. ग्राहकों को अपने ट्रांजेक्शन की एक छपी रसीद अवश्य लेनी चाहिए और यथा शीघ्र समय मिलने पर बैंक जाकर या फोन करके अपना लेनदेन सत्यापित कर लेना चाहिए.
6. बैंकों को एफआई को एक अलग बिज माडल (Biz model)के तौर पर लेना चाहिए व एफआई को अन्य बिज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. इस दिशा में बैंकों ने पहल शुरु कर दी है, तथा अनेक बैंकों ने (जिसमें हमारा यूनियन

बैंक अग्रणी कतार में है) केवल वित्तीय समावेशन बैंकिंग शाखाएं शुरू की हैं, जहां 100% बिजनेस वित्तीय समावेशन के फोकस के साथ हो रहा है.

7. तकनीकी प्रदाता कंपनियों के साथ बैंकों को डेटा बेस सुरक्षित रखने हेतु अतिरिक्त बैंक अप रखना होगा, तथा इनके दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को बीसी/ बीएफ के लेनदेन के साथ-साथ रेंडम व नियमित जांच मोनिटरिंग करनी होगी, जिससे किसी दुरुपयोग की स्थिति में उसका पता व समाधान शीघ्र हो, अन्यथा हानि/ धोखाधड़ी की राशि बड़ी होती जायेगी.

8. खाते की सूचना सिर्फ बेस शाखाओं में होती है तथा सिर्फ ट्रांजेक्शन डेटा ही तकनीकी सेवा प्रदाता के पास रहता है.

9. फिंगर प्रिंट स्टोरेज व अन्य संबंधित मानक कार्ड नंबरिंग व जोखिमों के मानकों के अनुरूप निर्धारित होते हैं.

10. बीसी/ बीएफ की भी अनुभव व साख/ कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता के आधार पर रेटिंग होनी चाहिए, जो एक पूर्वपरिभाषित पैरामीटर से संचालित हो व उसमें मार्केट रिपोर्ट का अहम् योगदान हो.

11. बैंकों व सरकार को वित्तीय शिक्षा अभियान जगह-जगह लोकल भाषा में चला कर जनसाधारण को विभिन्न प्रक्रिया, क्रियाकलाप, मानक, नियम-विनियम, तकनीकी सेवा प्रदाताओं की सूचना, बीसी/ बीएफ के कार्य-क्षेत्र, सीमाएं, कर्तव्य व जिम्मेदारियां व ग्राहकों के कर्तव्य व जिम्मेदारियों आदि के बारे में नियमित प्रिंट / दृश्य-श्रव्य मीडिया में जानकारी प्रदान करनी चाहिए. जिससे जागरूकता व शिक्षा आये. एक सतर्क ग्राहक, जागरूक ग्राहक, शिक्षित ग्राहक, अनुशासित ग्राहक, सक्रिय ग्राहक, विवेकवान,सतर्क व संवेदनशील ग्राहक ही किसी भी प्रकार के सुरक्षा जोखिमों का सबसे बड़ा व प्रभावी निस्तारक है, शामक (Mitigator) है.

गणेश तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई.

वित्तीय समावेशन का आधार-यूआईएडी

ए.वी.कृष्णकुमार

"आधार" 12 अंकों की एक अनूठी संख्या है, जो कि 'यूनिक आईडेन्टीफिकेशन अॅथारिटी ऑफ इंडिया' (UIAD) द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्रदान की जायेगी. इस नंबर के द्वारा एक केन्द्रीकृत डाटाबेस में सभी व्यक्तियों की भौगोलिक, जनसांख्यिक व बायोमैट्रिक सूचनाओं जैसे कि फोटो, हाथ की दसों अंगुलियों की छाप व आइरिस (आँखों की छाप) का संग्रह किया जायेगा.

"आधार" में संग्रहीत जानकारियों को प्रमाणित करना बेहद आसान है. यह एक ऐसी अनूठी व असाधारण पद्धति है, जिसके द्वारा किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट डाटाबेस से डुप्लीकेट व फर्जी आकड़ों की पहचान कर आसानी से अलग किया जा सकता है. प्रत्येक "आधार" के लिए एक यादृच्छिक(Random)संख्या चुनी जायेगी, जिसका व्यक्ति के जाति, वर्ग, धर्म, भौगोलिक स्थिति आदि से कोई लेना देना नहीं होगा.

- यह केवल एक कार्ड न होकर 12 अंकों का एक नंबर है.
- यह सभी व्यक्तियों के लिए है, जिसमें शिशु भी शामिल हैं. इसका तात्पर्य यह है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग "आधार" नंबर होगा.
- यह देश के सभी नागरिकों के लिए है तथा यह पहचान करने में आपकी मदद करता है. यह नागरिकता स्थापित नहीं करता है तथा केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है.
- आधार लेना अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक है.
- यह सभी नागरिकों के लिए है (विद्यमान दस्तावेजीकरण पर ध्यान दिये बिना). बिना किसी पहचान पत्र के भी आप आधार ले सकते हैं.

- प्रत्येक व्यक्ति को मात्र एक ही आधार संख्या जारी की जायेगी, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक आधार नंबर नहीं रख सकता है.
- आधार यूआईडी संख्या का प्रयोग राशनकार्ड, पासपोर्ट अथवा किसी और पहचान पत्र के साथ कर सकते हैं परन्तु यह किसी पहचान पत्र का स्थान नहीं ले सकता है.
- भारत के यूआईडी प्राधिकारी किसी भी प्रकार के परिचय प्रमाणन की छानबीन का जवाब केवल 'हां' अथवा 'ना' में ही देंगे. दूसरी कोई भी सूचना किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था को नहीं दी जायेगी.

आधार का पंजीकरण एक मानकीकृत व कठोर प्रक्रिया है, जो अंतर-परिचालनात्मकता (interoperability) से प्रमाणित श्रेष्ठ पद्धति पर आधारित है. इसका पंजीकरण किसी निश्चित स्थान या अस्थायी शिविर में किया जा सकता है. नामांकन प्रक्रिया में प्रति व्यक्ति लगभग 5 मिनट का वक्त लगता है. एक सफल अननुलिपियन(De-duplication)के बाद एक आधार पत्र जिसमें निवासी की आधार संख्या होती है, उसके घर के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है. इसके बाद नामांकित नागरिक के पास आधार से जुड़ा बैंक का खाता खोलने का विकल्प हो जाता है, जो कि वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

कई राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और जीवन बीमा निगम ने आधार रजिस्ट्रार के रुप में अपने को नामांकित किया है. इसमें 220 से ज्यादा संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है. आधार प्रक्रिया में अनेकों सुरक्षा जाँच व संतुलन शामिल हैं, जिसमें सभी आधार नामांकन करने वाली संस्थाओं के पूर्व नामांकन के साथ यह भी आवश्यक है कि जिनका भी नामांकन करते हैं उसमें वे बायोमैट्रिक हस्ताक्षर करें. कोई भी बायोमैट्रिक अपवाद (मिटे हुए अंक अथवा आँख) नामांकन पर्यवेक्षक द्वारा(अनुमोदित) संस्तुत होना चाहिए. प्रणाली में बिजनेस इंटेलीजेंस क्षमताओं (Business Intelligence Capabilities) का निर्माण अभिकर्ताओं द्वारा किये जा रहे प्रत्येक नामांकन के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जा रहा है.

आधार संख्या और निवास के आकड़े ऑनलाइन प्रमाणित होने पर एक विश्वसनीय परिचय प्राप्त होता है. यह प्रक्रिया न्यूनतम लागत पर बिल्कुल सटीक व प्रभावशाली पहचान प्रदान करती है. एक सेवा के रुप में आधार की सटीक प्रमाणिकता अनेक प्रभागों (बैंकों से लेकर मोबाइल आपरेटरों, बीमा निगमों, व्यापारियों व अन्य) द्वारा अपने ग्राहकों की विश्वसनीयता को ऑनलाइन प्रमाणित करने के लिए प्रयोग की जा सकती

है. आधार प्रमाणिकता, पहचान व पते की शिनाख्त से संबंधित अधिकतर आवश्यकताओं को पूर्ण कर देती है. संव्यवहार के स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है.

सभी पक्षों के लिये नामांकन की अतिरिक्त सुविधा सहित अधिप्रमाणन का यह सुदृढ़ स्तर, के.वाई.सी की अपेक्षाओं में सहायता लेने हेतु भी विस्तारित किया जा सकता है, जिसे अधिकाधिक संगठनों द्वारा ग्राहकों के नामांकन की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में पूरा किया जाना अपेक्षित होगा. आधार की ऑनलाइन, डिजिटल प्रकृति नये ग्राहकों के लिये पर्याप्त सरलता, परिशुद्धता, मितव्ययी तथा कम संसाधनों की अपेक्षा वाली पेपरलेस केवाईसी नामांकन के रूप में सहायक होगी. आधार युक्त के.वाई.सी के लिये जीवसांख्यिकी डाटा युक्त सामान्य पी ओ एस, जिसमें डाटा एक्सेस, डाटा का संप्रेषण, आधार भूत प्रिंटिंग सुविधा के अलावा एक उचित इंटरफेस भी हो, की आवश्यकता भी होगी. ये सभी काम एक बहुद्देशीय नामांकन अभिकर्ता (संभवतः किसी व्यापारी या खुदरा दुकानदार) जिसमें आधार नंबर के साथ अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु भी लोगों को नामांकित किया जायेगा, द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे. एक ही उपकरण से कई सेवाओं का लाभ उसे सस्ता बनायेगा तथा उस पर आने वाली लागत को कम करेगा.

किसी पाइंट आफ सेल टर्मिनल के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया के मामले में, पंजीकरण करने वाला अभिकर्ता उस व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा सेवा प्रदाता द्वारा अपेक्षित किसी अन्य प्रकार की सूचना के अलावा, नये अभिदाता का जनसांख्यिकीय तथा जीवसांख्यिकीय डाटा भी प्राप्त करता है. पुष्टि होने के बाद यह डाटा यू आई डी ए आई के सर्वर को नये अभिदाता की पहचान के अधिप्रमाणन हेतु प्रेषित कर दिया जाता है.

एक बार किसी व्यक्ति का नामांकन यूनियन आधार में हो जाने तथा आधार से जुड़ा खाता खोलने का विकल्प चुन लेने पर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि सभी सरकारी लाभ इसी खाते में जमा किये जायें. वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में आधार से जुड़े खातों में मानक-आधारित अंतरपरिचालनात्मकता(interoperability) की पूरी संभावनायें होती हैं जिसके परिणामस्वरुप किसी बैंक के केंद्रीय स्विच जैसे मास्टर या वीज़ा कार्ड अथवा राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के माध्यम से बिज़नेस कॉरेसपोंडेट के साथ सरल, सुरक्षित संव्यवहार किये जा सकते हैं.

जैसा कि पहले बताया गया है, इन प्रयासों से राष्ट्र में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में पर्याप्त सहायता मिलेगी. तथापि, आधार से प्राप्त होने वाले लाभों के अतिरिक्त एक लाभ और भी है. इससे देश भर में मोबाइल सेटों की उपलब्धता तथा लोगों के उनसे अभ्यस्त

होने से, आधार समन्वित मोबाइल अधिप्रमाणन को बढ़ाने के लिये मोबाइल प्लेटफार्म तक विस्तारित करने के आधारभूत तकनीकी अवसर प्राप्त होते है, बशर्ते कि कोई नागरिक अपना मोबाइल नंबर आधार में शामिल करना चाहे तो बैंक या अन्य सेवा मंच इस बात की जांच कर सकते हैं कि वह मोबाइल नंबर सचमुच यूनियन आधार में शामिल है या नहीं, यू आई डी ए आई के सापेक्ष अधिप्रमाणन कर सकते हैं. इससे मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान को अपनाने संबंधी बहुत बड़ी कमीं तथा बाधा दूर की जा सकेगी. वित्तीय समावेशन, जटिल भुगतानों तथा अन्य सेवाओं में परिशुद्धता तथा कुशलता लाने के लिये आधार जैसी सुविधा का बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार किया जा रहा है.

वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिये यू आई डी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है ?

तकनीक ने बैंकिंग की काफी सहायता की है. फिर भी निर्धन वर्ग को अभी भी बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं. निर्धन वर्ग के संबंध में, अभी भी बैंक तकनीक तथा बैंकिंग नवोन्मेषों के मामले में कई कमियां तथा बाधायें महसूस करते हैं. निर्धन वर्ग की पहचान संबंधी दस्तावेज़ों की कमी से बैंक उनकी पहचान को साबित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं. इस कमी के कारण ऑनलाइन व मोबाइल बैंकिंग को इस वर्ग के ग्राहकों तक विस्तारित करने में भी कठिनाई आती है. पहचान संबंधी चुनौतियों के अलावा उन निर्धन वर्ग के ग्रामीणों को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की लागत का भी प्रश्न है जो बहुत थोड़ी राशि, जिन्हें सामान्यतया सूक्ष्म भुगतानों के नाम से जाना जाता है, के संव्यवहार करते हैं. इस प्रकार के भुगतानों को बैंक पसंद नहीं करते क्योंकि इनकी लागत बहुत अधिक होती है.

व्यक्तियों की पहचान जनसांख्यिकीय(डेमोग्रॉफिक) तथा जीवसांख्यिकी (बायोमेट्रिक) आधार पर विशिष्ट पहचान वाली संख्या अर्थात् यू आई डी, व्यक्तियों को देश भर के सार्वजनिक और निजी अभिकरणों के समक्ष अपनी पहचान स्थापित करने में सहायता करेगी. यह वित्तीय समावेशन की वर्तमान कमियों को भी पूरा करेगा. यू आई डी बैंकों के समक्ष निर्धन वर्ग के नागरिकों की पहचान स्थापित करने मे भी मदद करेगा. इससे बैंक अपनी शाखा विहीन बैंकिंग सेवा का विस्तार कर सकेंगे तथा उसे कम लागत पर अधिक लोगों तक पहुंचा सकेंगे. वित्तीय समावेशन के प्रोत्साहन के लिये एक सक्षम तथा कम लागत वाली भुगतान प्रणाली की तीव्र आवश्यकता है. प्राधिकार प्रणाली सहित यू आई डी प्रारंभिक तकनीक के साथ संयुक्त रूप से सूक्ष्म भुगतान हेतु समाधान ला सकते हैं. यह व्यवस्था सभी के लिये उनके निवास स्थानों के समीप ही कम लागत वाली वित्तीय

सेवाएं उपलब्ध करायेगी. अतः तकनीक के साथ यदि यू आई डी का प्रयोग किया जाये तो निर्धनों के लिये यह सहायक साबित होगा.

इसके चार निम्नलिखित लाभ हैं :

- यू आई डी, के.वाई.सी के लिये पर्याप्त होगा.
- यह बैंकों को बिज़नेस कॉरेसपोंडेट के साथ जुड़ने में सहायक होगा.
- यह बड़ी मात्रा में कम लागत का कार्य होगा.
- इससे इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार होंगे.

यू आई डी ढांचे में सूक्ष्म भुगतान प्रणाली कैसे काम करेगी ?

1. संबंधित सरकारी मंत्रालयों की आर्थिक मदद से वित्तीय समावेशन की अच्छी शुरुआत के लिये यू आई डी युक्त सूक्ष्म भुगतान योजना के लिये मूलभूत ढांचे हेतु प्रारंभिक अनिवार्य लागत की आवश्यकता होगी. प्रारंभिक मूलभूत ढांचे में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:-
   (क) केंद्रीय स्विच और गेटवे की लागत.
   (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएमों की प्रारंभिक लागत.
   (ग) यदि आवश्यक हो तो नो फ्रिल खातों के लिये डाटा स्टोर के सृजन हेतु वित्तीयन.
2. सरकार तथा अन्य अधिकरणों द्वारा यू आई डी तथा यू आई डी युक्त बैंक खातों को प्रारंभ करने के लिये प्रारंभिक लागत. इसमें खाता खोलने हेतु व्यक्तियों के लिये छोटे छोटे नकदी प्रोत्साहन तथा राज्य को हार्डवेयर तथा परिश्रम के मुआवज़े के रूप में रजिस्ट्रार की हैसियत से अतिरिक्त राशि शामिल हो सकती है.
3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले से ही प्रति बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सहित नो फ्रिल खाते हेतु रु.50/- की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. इस प्रोत्साहन राशि का विस्तार बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड युक्त नो फ्रिल यू आई डी युक्त खातों तक किया जा सकता है.
4. यदि आवश्यक हो तो बैंकों के समूह के साथ नो फ्रिल खाते खोलने के साधनों को परिभाषित करना होगा.

5. आई बी ए, एन पी सी आई तथा अन्य वृहत्तर इकोसिस्टम के परामर्श से सूक्ष्म ए टी एम नेटवर्क में युक्तियों के मानक तथा संप्रेषण के मानक परिभाषित करें.

6. नियमों को संशोधित करें, ताकि यू आई डी, यू आई डी युक्त नो फ्रिल खाते हेतु पर्याप्त हो. यह कार्य निर्धन वर्ग से संबंधित उत्पादों के लिये सभी विनियामकों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, पीएफआरडीए, आई आर डी ए तथा सेबी आदि सभी के समन्वय से किया जा सकता है.

7. सूक्ष्म ए टी एम से प्राप्त प्रिंटेड शेष जानकारी को बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के समकक्ष मानें.

8. वे सभी मंत्रालय तथा अभिकरण, जो अनुदान देते हैं, अपने द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि को इलेक्ट्रॉनिक अंतरण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करें, ताकि उक्त को यू आई डी युक्त बैंक खातों में जमा किया जा सके. राज्य सरकारों को समाज कल्याण से संबंधित लाभों के वितरण के लिये यू आई डी युक्त सूक्ष्म भुगतान नेटवर्क को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये. इससे संबंधित लागत को सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है, ताकि लाभार्थी को पूरी राशि प्राप्त हो सके.

वित्तीय समावेशन हेतु यू आई डी उत्प्रेरक के रूप में :

श्री नंदन नीलेकणी, यू आई डी ए आई(भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण) के अध्यक्ष का मानना है कि किसी व्यक्ति के जनसांख्यिकी तथा जीवसांख्यिकी विवरणों सहित यू आई डी, वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्प्रेरक का काम करेगा. नीलेकणी कहते हैं कि यू आई डी ऑनलाइन अधिप्रमाणन सेवायें उपलब्ध करायेगा जिससे देश के किसी स्थान से किसी की भी पहचान अधिप्रमाणित हो सकेगी. यहां तक कि यह अधिप्रमाणन किसी सेलफोन के द्वारा भी किया जा सकेगा. उनका यह भी मानना है कि यदि बैंकों के बिज़नेस कॉरेसपोंडेटों के पास गांवों मे सेल फोन, फिंगर प्रिंट रीडर तथा ए टी एम की तरह का कोई सॉफ्टवेयर हो तो गांव में ही नकदी संव्यवहार भी किये जा सकेंगे. उदाहरणार्थ यू आई डी के सर्वसुलभ होने से नरेगा के कामगार बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट के पास जाकर नकदी का आहरण कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि बिज़नेस कॉरेसपोंडेट को माइक्रो ए टी एम उपलब्ध कराया जा सकता है क्योंकि इसकी लागत न के बराबर लगभग रु.5000/- ही होती है. एक किराना दुकानदार को भी बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट बनाया जा सकता है और तब हमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोलने की

आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी. इस प्रकार संव्यवहारों की लागत काफी कम होगी जबकि संव्यवहारों की मात्रा लगभग 50 गुना बढ़ जायेगी. देश भर के सभी राज्यों में यू आई डी के कुल आठ क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, जबकि इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा. इसका तकनीकी कार्यालय बेंगलोर में रहेगा तथा बेसिक डाटा सेंटर के परिचालन हेतु आउटसोर्सिंग की जायेगी.

बहुत से भारतीय बैंकों ने अपनी स्थापना से 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है जबकि निर्धन वर्ग के लिये बैंकिंग की अभी शुरुआत ही हुई है. इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न अवश्य साकार होगा.

ए.वी.कृष्णकुमार, मुख्य प्रबंधक, ट्रेड एण्ड चैनल फाइनैंस प्रभाग, के.का. ,मुंबई

पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली का वित्तीय समावेशन में योगदान

संतोष श्रीवास्तव

नियोक्ता को अपनी सेवाएं देने के बदले, संस्थान में कार्यरत कर्मचारी को प्रतिफल के रूप में वेतन प्राप्त होता है तथा निर्धारित आयु के बाद यही प्रतिफल पेंशन का रूप ले लेता है. वेतन एवं पेंशन का भुगतान पहले नकद किया जाता था, परन्तु बदलते समय में इस भुगतान प्रणाली में परिवर्तन आता गया. सतत यह प्रयास जारी रहा कि कम लागत पर सुविधाजनक भुगतान प्रणाली नौकरपेशा व्यक्तियों को प्राप्त हो. वित्तीय समावेशन का पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली में विशेष योगदान रहा है. भुगतान प्रणाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे बैंकर, व्यवसायी, उद्योगपति एवं आम हितग्राही सभी जुड़े हैं. इसलिए इस प्रणाली में सुधार करने वाले विषय विशेषज्ञ और तकनीक विशेषज्ञ यह प्रयास करते आ रहे हैं कि एक तरफ भुगतान प्रणाली आसान हो वहीं इससे वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को भी पूरा किया जा सके.

पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली का वित्तीय समावेशन में महत्व :

वास्तव में, भुगतान प्रणाली मूल रूप से मुद्रा का अंतरण है. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भुगतान प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. भुगतान प्रणाली के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि "शरीर में रक्त संचार के लिए जो महत्व नसों का होता है, वही महत्व, भुगतान प्रणाली का आर्थिक जगत एवं अर्थव्यवस्था में होता है."

पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली मे परिवर्तन एवं विकास भी बैंकिंग भुगतान व्यवस्था के अधीन रहा है, क्योंकि यह भुगतान प्रणाली का ही एक अंग है. आज की पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली एक परिष्कृत भुगतान प्रणाली है, इसी के आधार पर नियोक्ता अपने कर्मचारियों को भुगतान करते हैं.

आधुनिक पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से भुगतान करने के कारण वह वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को भी पूरा कर रहा है क्योंकि इसके लिए नियोक्ता अपने कर्मचारियों का बैंकों में खाता खुलवाता है और उसी में प्रतिमाह राशि अंतरित करता है, इस कारण कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार ही राशि का आहरण करता है. इस तरह से छोटी छोटी, कम लागत की एक बड़ी राशि बैंकों को प्राप्त हो जाती है.

पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली का महत्व एवं विकास यात्रा :

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत भुगतान प्रणाली की एक मूलभूत शर्त यह है कि समाज के हर वर्ग को सरल, कम लागत पर भुगतान की सुविधा प्रदान की जाये. इसी परिप्रेक्ष्य में पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली निम्न माध्यमों से चलन में है :

1 चेक एवं समाशोधन गृह

पूर्व में अधिकतर भुगतान नगद होता था, बैंकिंग प्रणाली आने के बाद पेशन एवं वेतन भुगतान का एक सशक्त एवं विकसित साधन "चेक" रहा है, जिसे नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही लेन-देन में उपयोग में लाते हैं. चेक का उपयोग समाज का हर वर्ग आसानी से कर पाता है तथा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत भारत के हर क्षेत्र में "चेक" भुगतान का लोकप्रिय साधन है. इसका अभी भी 90% से अधिक उपयोग हो रहा है.

2 इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली

पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली में नया प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस क्रेडिट के रूप में आरंभ हुआ. चेक प्रणाली एक धीमी एवं खर्चीली प्रणाली है, साथ ही चेक प्रणाली में जोखिम भी अधिक रहता है क्यों कि कई बार चेक प्रेषण के दौरान गुम जाते हैं, जिसका धोखाधड़ी के रूप में उपयोग हो जाता है. ईसीएस-क्रेडिट ने इन सभी तरह के जोखिमों को कम करते हुए, राशि को प्राप्तकर्ता के खाते में सीधे जमा करने की सुविधा दी.

3 ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, साइबर बैंकिंग

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के बाद उसकी कार्यप्रणाली एवं भुगतान प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन आये हैं. इससे बैंकिंग न केवल रोचक बन गई है, बल्कि लोगों में बैंकिंग के प्रति उत्सुकता भी बढ़ी है. मोबाइल आज सभी की जरूरत बन गये हैं एवं इनका नेटवर्क तेजी से फैल रहा है, अब इसके दायरे में ग्रामीण अंचल भी आ गया है, इस तरह से वित्तीय समावेशन में भुगतान प्रणाली के अंतर्गत ई-बैंकिंग, मोबाइल

बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, साइबर बैंकिंग एक पारदर्शी, सरल एवं कम लागत वाली लोकप्रिय भुगतान प्रणाली है.

4. पेरोल कार्ड - पेंशन एवं वेतन भुगतान का बदलता स्वरूप

नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य राशि भुगतान का पेरोल कार्ड एक आधुनिकतम एवं उन्नत स्वरूप है, जो वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को भी पूरा करता है. पेरोल कार्ड एक नवीन भुगतान प्रणाली है जो संस्थानों की पेरोल लागत को कम करती है तथा कार्यक्षमता को बढ़ाती है. यह कर्मचारियों में वेतन भुगतान कराने का सुविधाजनक तरीका है. इस प्रणाली में वेतन अवधि के दौरान कर्मचारियों का वेतन उनके पेरोल कार्ड में अंकित हो जाता है और कर्मचारी उसे वेतन के दिन प्राप्त करते हैं. यह प्लास्टिक मनी की तरह काम करता है तथा पेरोल कार्डधारक इसे प्रीपेड कार्ड की तरह उपयोग में ला सकते हैं. पेरोल कार्ड द्वारा वेतन, कर कटौती, पुरस्कार, पेंशन आदि का संवितरण आसानी से किया जा सकता है.

पेरोल कार्ड से नियोक्ताओं को लाभ :

- चेकों की छपाई तथा इन्हें भेजने के लिए कुरियर, डाक व्यय आदि में बचत
- चेक से होने वाली धोखाधड़ी की संभावनाएं नगण्य
- चेक के खो जाने, चुरा लेने की चिंता से मुक्ति
- बैंक में खाता खोलने की अनिवार्यता से मुक्ति

पेरोल कार्ड से कर्मचारियों को लाभ :

- जिन व्यक्तियों का बैंक में खाता नहीं है, वह पेरोल कार्ड प्रणाली के द्वारा वेतन-पेंशन एवं अन्य भुगतान नियोक्ता से प्राप्त कर, पेरोल कार्ड के माध्यम से एटीएम से राशि निकाल सकते हैं, बाजार में क्रेडिट - डेबिट कार्ड की तरह खरीदारी कर सकते हैं.
- कर्मचारी कार्ड के माध्यम से सीधे अपना भुगतान प्राप्त सकते हैं, इससे उनके साथ धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहती.
- खुदरा खरीदी के लिए भी पेरोल कार्ड का उपयोग किया जा सकता है.
- पेरोल कार्ड से विभिन्न बिलों का भुगतान किया जा सकता है.
- पेरोल कार्ड का उपयोग "ओपन लूप" प्रणाली में होने के कारण इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है. यह सुरक्षित यूनिवर्सल पिन आधारित नेटवर्क से कार्य करता है, इसलिए इसका उपयोग ग्राहक के पंजीकृत स्थान तथा आसपास के स्थान पर किया जाता है.

बैंक सीधे इन्हें जारी नहीं करते हैं, पेरोल कार्ड नियोक्ता के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य भुगतान हेतु जारी किये जाते हैं. इस तरह वर्तमान एवं परिष्कृत रूप में वेतन एवं पेंशन भुगतान में पेरोल कार्ड भुगतान प्रणाली का बहुत महत्व है तथा यह वित्तीय समावेशन की अवधारणा को शत प्रतिशत पूरा करता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय समावेशन में नौकरपेशा व्यक्तियों का योगदान :

भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विवेचन किये बिना, हम वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के करीब नहीं पहुँच पायेंगे. भारत में एक वर्ग नौकरीपेशा है एवं वह शहरी क्षेत्र के साथ साथ अर्द्धशहरी, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यरत है, इस वर्ग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है. यह वर्ग जहां अपनी छोटी छोटी जमाराशियों से अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करता है, वहीं अपनी सेवाओं से आमजन एवं राष्ट्र को लाभान्वित भी करता है. इस वर्ग को भी हम उच्चवर्गीय वेतनमान, मध्यम एवं निम्न स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार में इन्हें निम्न वेतनमानवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में जाना जाता है वहीं बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में इन्हें सब-स्टाफ कहा जाता है. अभी भी यह गरीबी की चपेट में है तथा इनकी पहचान गरीब, कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के रूप में बनी है. समाज के इन्हीं वर्गों एवं ग्रामीण अंचल के तीव्र विकास के लिए भारत सरकार व रिज़र्व बैंक ने सम्मिलित रूप से प्रयास किये, और यहीं से "वित्तीय समावेशन" की अवधारणा का जन्म हुआ. वित्तीय समावेशन की इस पहल को समाज के कमजोर, पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्र में उम्मीद भरी निगाहों से देखा गया तथा इस वर्ग की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार द्वारा वित्तीय नियोजन की पहल की गई. वित्त मंत्रालय एवं बैंकिंग जगत ने सकारात्मक पहल करते हुए समाज के कमजोर, उपेक्षित और निम्न आयवर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने के प्रयास शुरु किये तथा यह महसूस किया गया कि भारत के आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान में बैंकिंग प्रणाली ही उपयोगी है. इसी के परिणामस्वरुप आज उन्नत, परिष्कृत एवं सरल बैंकिंग आमजन के करीब पहुँच रही है. वित्तीय समावेशन की मूल अवधारणा भी यही है कि "देश की अधिकतम एवं हर वर्ग की जनसंख्या को कम लागत पर आधुनिकतम तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित न्यूनतम लागत पर बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें."

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "वित्तीय समावेशन, समाज के नौकरपेशा, वंचित और कम आय वाले समूहों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो उन पर भार न बनें."

"एक खुले और दक्ष समाज के लिए यह पहली शर्त है कि लोगों की सार्वजनिक संपत्ति और सेवाओं तक बाधारहित पहुँच हो. बैंकिंग सेवाएं भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, अतः सार्वजनिक नीति का यह प्रमुख उद्देश्य है कि देश की समस्त जनता को बैंकिंग और भुगतान सेवाएं बिना किसी भेदभाव के अनिवार्यतः उपलब्ध हों."

वित्तीय समावेशन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आगे कहा गया है किः "वित्तीय समावेशन का अर्थ, लोगों तक वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उचित माध्यम से पहुँचाना है. इसका मतलब यह है, कि जरूरतमंद और समाज के कमजोर तबकों की पहुँच, जमा और ऋण जैसे वित्तीय उत्पादों तथा अन्य सेवाओं जैसे पेंशन एवं वेतन भुगतान तक वहनीय लागत पर होनी चाहिए."

वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में नौकरपेशा व्यक्तियों के लिए पेंशन एवं वेतन भुगतान हेतु किये जाने वाले प्रयास :

- "ऐसा नौकरपेशा वर्ग जो लोग अभी तक बैंकिंग सेवाओं के दायरे में नहीं हैं, उन्हें बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में शामिल करना."
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं ऐसी लागत पर उपलब्ध कराना, जिसका लाभ समाज के वंचित और कमजोर वर्ग आसानी से उठा सकें.
- बैंकिंग और भुगतान सेवाएं सार्वजनिक परिसंपत्ति का अंग है, इसलिए देश की जनता के सभी वर्गों को बैंकिंग और भुगतान सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना.
- वित्तीय समावेशन का पहला प्रयास यह है कि हर व्यक्ति का बैंक में जमा खाता हो. क्योंकि व्यक्ति का बैंक से पहला साक्षात्कार एवं संपर्क बचत जमा खाते के माध्यम से ही होता है, इससे एक तो समाज में बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बैंकों को कम लागत की जमाराशियां प्राप्त होंगी व इस वर्ग का जो पैसा घर पर अनुत्पादक रूप में पड़ा है वह राष्ट्रीय उपयोग में आये तथा ग्राहक को भी ब्याज के रूप में धनराशि प्राप्त हो.

इस तरह से हम पाते हैं कि पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली में "वित्तीय समावेशन" एक परिष्कृत, उदारवादी एवं विस्तृत दृष्टिकोण को लेकर चलता है, इसके सामने कोई भेदभाव, छोटा-बड़ा जैसी बात नहीं है.

समय परिवर्तनशील है और समय के अनुसार सोच बदलती रहती है, जरूरत के अनुसार तकनीक में विकास एवं परिवर्तन होता रहता है. बैंकिंग जगत में बैंकों की वर्तमान चुनौती देश के अधिकाधिक नौकरपेशा लोगों को न्यूनतम लागत पर बैंकिंग सुविधाएं एवं नवीन उत्पाद उपलब्ध करवाना तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय भुगतान प्रणाली से अवगत कराना है, इस दिशा में वे सब प्रयास स्वागतयोग्य हैं, जो वित्तीय समावेशन की मूल अवधारणा को लिए हुए पेंशन एवं वेतन भुगतान प्रणाली को लोकप्रिय एवं विश्वनीय बना सकें.

संतोष श्रीवास्तव, स्टेनो, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

वित्तीय साक्षरता को साक्षरता केंद्रों एवं रूडसेटी का सहयोग

डॉ. चेतना पांडेय

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ रही है. आज भी अधिकाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और शहरी क्षेत्रों में स्थित कामगारों एवं मजदूरों की जनसंख्या मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित है. यदि किसी भी राष्ट्र को विकासोन्मुख हो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो उसे हर वर्ग को प्राथमिकता प्रदान करनी होगी, उनकी जरूरतों के आधार पर उनके दैनिक जीवन में सुख एवं समृद्धि लाने के अलावा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना होगा और सरकारों को अपनी नीतियाँ इन्हीं आधार स्तम्भों पर बनानी होंगी. आर्थिक सुदृढ़ता की बात करें तो उनमें समयानुकूल साख आबंटन का विशेष महत्व है. यदि प्रत्येक व्यक्ति को साख अथवा ऋण समय पर एवं उनके सामर्थ्यानुसार खर्चों पर नहीं मिल पाता तो उस वर्ग विशेष को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना संभव नहीं है. अतः वित्तीय आवश्यकताओं का क्षमतापूर्ण परिपूर्ण न होना ही विकास का सबसे बड़ा गतिरोधक है. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें व्यवसाय एवं रोजगारों के अवसर पैदा करने के अलावा वित्तीय समावेशन पर भी बल दिया जा रहा है.

देश में व्याप्त संस्थागत वित्तीय सहायता की उपलब्धता आर्थिक उन्नति का द्योतक तो है ही, साथ ही भारतीय वित्तीय व्यवस्था के विभिन्न खण्डों को एक सूत्र में पिरोने का अथक प्रयास है. सामान्यतया संस्थागत वित्त विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है, पर आज भी कई वर्ग इन सुविधाओं से वंचित हैं. रिजर्व बैंक के अनुसार 139 जिले वित्तीय वंचन के शिकार हैं. लगभग 59 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या ही बैंकों के खाताधारक हैं और 41 प्रतिशत जनसंख्या बैंकिंग सुविधाओं

से वंचित है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 39 प्रतिशत जनसंख्या ही सामान्य रूप में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा पाती है और वहीं शहरी क्षेत्र में यह 60 प्रतिशत है. विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की स्थिति चिन्ताजनक है. 2030 लाख परिवारों में 1470 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में 890 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें लगभग 51.4 प्रतिशत कृषक परिवारों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है.

वित्तीय वंचन दो तरीकों से अनुभव किया जाता है :

1. वित्तीय सेवाओं की विभिन्न कारणों से अनुपलब्धता जिनमें मुख्य हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अनुपलब्ध होने के कारण ग्रामीणवासियों का साहूकारों एवं महाजनों पर आश्रित होना.
- वित्त संबंधी जानकारियों का विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में अभाव.
- वित्तीय संस्थाओं द्वारा अति पिछड़े वर्गों तक नहीं पहुंच पाना, क्योंकि अत्यधिक संचालन व्यय के कारण बैंकिंग शाखाओं का इन इलाकों में न खुल पाना.
- सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता में कमी अथवा उनके द्वारा गैर निष्पादन.

2. वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता एवं अनुपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी व्याप्त है, जिसका मुख्य कारण वित्तीय साक्षरता की कमी है. वित्तीय निरक्षरता के कारण सामान्य नागरिक अनेक वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं जिसका फायदा बिचौलिए या व्यापारी वर्ग उठाते हैं. वैसे तो अनौपचारिक बाजारों की उपलब्धता इन समस्याओं का निराकरण कुछ हद तक करती है पर उनमें कई विसंगतियां हैं जैसे :

- बचत जमाराशियों का सुरक्षापूर्ण समायोजन न होना- अतिलघु आय वाले वर्गों के लिए बचत करना अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि आय के स्रोत दैनिक स्तर पर बदलते रहते हैं और यदि इन्हें दैनिक स्तर पर बचत योजनाओं का ज्ञान न हो तो वे बचत करने में अक्षम होते हैं. समयानुसार इन सुविधाओं के उपलब्ध न होने से अल्पावधि बचत राशियाँ प्रोत्साहित नहीं हो पातीं, जिसका लाभ बिचौलिए आसानी से उठा लेते हैं.
- साहूकारों एवं महाजनों द्वारा अत्यधिक खर्चे एवं ब्याज दर पर ऋण उपलब्धता इन वर्गों का आर्थिक रूप से शोषण करने का द्योतक है. ये संपार्श्विक प्रतिभूति

के रूप में सोना संपत्ति इत्यादि लेते तो हैं पर इनकी ब्याज दर असामान्य रूप से अधिक होती है और कई बार इनकी चुकौती दैनिक स्तर पर करनी होती है. अतः जहां यह वर्ग ऋण हेतु शोषित होता है, वहीं बचत से वंचित रह जाता है. वे ऋण जाल में फंस कर रह जाते हैं और कई पीढ़ियां इस जाल से निकल नहीं पातीं.

- शहरी क्षेत्रों में गांवों द्वारा विस्थापितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और धनोपार्जन के उपरान्त पैसा घर भेजना भी उनके लिए समस्या होती है और विभिन्न अनौपचारिक माध्यमों द्वारा वे पैसा घर भेजते हैं, जहाँ उन्हें कई बार धन राशि से हाथ धोना पड़ता है.
- इन वर्गों में अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमाकरण, पेशनलाभ, जीवन, परिसंपत्ति एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी योजनाओं से वंचित होना भी इनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में गतिरोधक है और वित्तीय वंचन का परिचायक है.

भारत वर्ष में जहाँ निरक्षरता एक विकट समस्या है, वहीं वित्तीय निरक्षरता उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित होने हेतु बाध्य करती है. यदि हमें राष्ट्र की प्रगति में सभी वर्गों को सम्मिलित करना है तो वित्तीय निरक्षरता दूर करने के कारगर कदम उठाने होंगे, वित्तीय समावेशन पर बल देना होगा.

स्वर्णकार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा ऋण परामर्श केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रश्रय दिया गया. विभिन्न बैंकों द्वारा मुख्यतया वित्तीय समावेशन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु जिन जिलों में वे अग्रणी बैंक के रूप में कार्यरत हैं, वहाँ ऋण परामर्श केन्द्रों के गठन की योजना बनायी. उनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय वंचित वर्गों में ऋण संबंधित परामर्श देने के साथ साथ तकनीकी संबंधी विशेष वित्तीय एवं गैर वित्तीय जानकारी देना भी निर्धारित किया गया. विशेषकर कृषक एवं कामगार वर्गों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के साथ उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों की भी जानकारी देने का प्रावधान करने की बात की गयी. ऋण परामर्श केन्द्रों द्वारा बैंकों की विभिन्न योजनाओं का प्रचार करने एवं उनका प्रदर्शन करने के लिए ऋण परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित किया गया.

अतः रिजर्व बैंक ने कार्यदल के प्रस्ताव पर अपने वार्षिक नीति प्रस्ताव 2007-08 द्वारा उन बैंकों पर, जो राज्य स्तरीय बैंकर समिति की कार्यकारिणी निर्धारित करते हैं अथवा संयोजन करते हैं, उन्हें हर राज्य में किसी एक जिले में प्रायोगिक आधार पर वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र का गठन करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया एवं उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी दी.

वित्तीय समावेशन के तीन मुख्य आयाम हैं:

- वित्तीय बाजारों तक पहुँच बढ़ाना
- साख या ऋण बाजारों की उपलब्धता
- वित्तीय साक्षरता

वित्तीय समावेशन हेतु वित्तीय साक्षरता या वित्तीय शिक्षा को परिभाषित किया गया - वित्तीय वंचित वर्गों को विभिन्न वित्तीय बाजारों एवं लिखतों की जानकारी प्रदान करना तथा उनसे जुड़े पुरस्कारों एवं जोखिम के बारे में अवगत कराना, ताकि वे उनका उपयोग करने हेतु सही चुनाव कर सकें. सामान्य रूप से वित्तीय शिक्षा को लोग वैयक्तिक ऋण संबंधी जानकारियों का पर्याय समझते हैं. पर वित्तीय शिक्षा का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं की जानकारी के फैलाव के साथ साथ उन वर्गों की आर्थिक एवं वित्तीय सक्षमता और सर्वांगीण विकास से भी संबंधित है.

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्तीय शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है -

"यह एक ऐसी प्रकिया है, जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/निवेशक, विभिन्न वित्तीय उत्पादों की संकल्पना तथा उनसे जुड़े जोखिम एवं फायदों के विषयों पर सूचना एवं समझ बढ़ाते हैं. अतः सूचना आदेश या सलाह द्वारा निवेशक अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और वित्तीय जोखिम एवं अवसर के आधार पर उपयुक्त योजनाओं का चुनाव करते हैं और अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं."

वित्तीय साक्षरता अथवा ऋण परामर्श की आवश्यकता :

- वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता का मुख्य कारण अन्तरराष्ट्रीय उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के फलस्वरूप वित्तीय बाजारों का उदय और उनसे जुड़ी जटिलताओं को माना गया. आज सूचना प्रचार एवं प्रसार के माध्यम तो उपलब्ध हैं, पर समयानुसार वे सामान्य नागरिकों तक उपलब्ध नहीं हो पाते और उनसे जुड़े अवसरों पर सही चुनाव नहीं कर पाते.
- वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का अभिन्न अंग है. विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता से जुड़े कई

कार्यकम चलाए हैं. भारत वर्ष में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता के मुख्य कारण यहाँ व्याप्त निरक्षरता एवं बड़े वर्ग का वित्तीय बाजारों एवं संस्थाओं से वंचित होना माना गया. आज अति पिछड़े वर्ग के पास पूँजी की अनुपलब्धता, गरीबी की समस्या के साथ साथ बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े न होने के कारण उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति संभव नहीं है. इनमें व्याप्त निरक्षरता उन्हें शोषित होने के लिए बाध्य करती है.

यदि हम इन आवश्यकताओं का विश्लेषण करें तो हमें महसूस होगा कि औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के गठन का उद्देश्य तब तक परिपूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक इन पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्गों को वित्तीय समावेशन द्वारा सामान्य जीवन चक्र से नहीं जोड़ा जाए, जिसमें ऋण परामर्श का महत्वपूर्ण योगदान है.

ऋण परामर्श की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है, "वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दिवालियापन से मुक्त होने के प्रयासों तथा क्षमताओं से अवगत कराया जा सके, ऋणी को उनकी क्षमता एवं साख उपलब्धता के विषय में शिक्षित किया जा सके, वित्तीय बजट एवं वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जा सके". ऋण परामर्श द्वारा चार उद्देश्यों की पूर्ति संभव है.

प्रथम वह ऋणी को अपनी वित्तीय समस्याओं को हल करने के उपायों की समीक्षा करने में मदद करता है. द्वितीय ऋणी को साख के दुरुपयोग से जुड़े खर्चों एवं अतिरिक्त व्यय के विषय में शिक्षित करना, ताकि उनका वित्तीय प्रबंधन सुधर सके.

तृतीय वह पिछड़े वर्गों एवं पीड़ित नागरिकों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में सहायक होता है. चतुर्थ सामान्य नागरिकों एवं जनमानस के जीवन स्तर एवं शैली में सुधार लाने में मदद करने से समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम करता है.

ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना विभिन्न देशों में उपभोक्ता को केवल उस प्रकार के ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित एवं शिक्षित करना था, जिनकी वे समयानुसार चुकौती कर सकें और एक ऋण प्रबंधन योजना बना सकें. ऋण परामर्शदाता ऋण संबंधित सूचनाओं के साथ ऋण प्रबंधन योजना के तहत समयानुसार ब्याज की चुकौती से जुड़े लाभों से भी अवगत कराते हैं, ताकि ऋणी बचत भी कर सकें.

ऋण परामर्श एवं वित्तीय साक्षरता में रिज़र्व बैंक की भूमिका :

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता पर एक "प्रोजेक्ट फाइनेन्शियल लिटरेसी" की शुरुआत की. इस योजना का उद्देश्य रिज़र्व बैंक से संबंधित जानकारी एवं क्रियाकलापों

की सूचना सामान्य बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ी सूचनाओं को लक्षित समूहों जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, बच्चों, महिलाओं तथा ग्रामीण एवं शहरी लघु आय एवं गरीब वर्गों तक पहुँचाना है. रिजर्व बैंक इन सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों द्वारा जैसे - बैंकों, सरकारी तंत्र एवं गैर सरकारी संगठनों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रस्तुतीकरण, पर्चों, पुस्तिकाओं, फिल्मों एवं अपनी वेबसाइट द्वारा प्रसारित करता है. रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर हिन्दी, अंग्रेजी एवं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी देने हेतु लिंक भी बनाए हैं.

नवम्बर 14, 2007 को बालदिवस के दिन वित्तीय साक्षरता हेतु वेबसाइट का उद्घाटन किया गया. यह वेबसाइट मुख्यतया छात्रों, विभिन्न आयु वाले बच्चों, महिलाओं को बैंकिंग के मूलभूत सिद्धान्तों, वित्तीय व्यवस्था तथा केन्द्रीय बैंक की भूमिका से जुड़ी सूचनाएं देने हेतु आरंभ की गयी. बच्चों को यह जानकारी रुचिपूर्ण तरीकों से देने के काम में कॉमिक किताबों एवं फिल्मों का निर्माण भी किया गया, साथ ही विभिन्न अंकित मूल्यों के नोटों से जुड़ी आवश्यक सूचनाएं दी गयीं, ताकि नकली नोटों को पहचाना जा सके. खातों के माध्यम से विद्यालयों के छात्रों को यह जानकारी देने का रुचिपूर्ण प्रयास अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में उपलब्ध है, जिसे बाद में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाया गया है.

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने विद्यालयों में लेख प्रतियोगिताएं भी आयोजित कीं, जिसमें वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग से जुड़े विषयों पर लेखों को पुरस्कृत किया गया. बैंकिंग कर्मचारियों ने भी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. रिज़र्व बैंक ने कई प्रदर्शनियों का आयोजन भी वित्तीय साक्षरता हेतु किया है. रिज़र्व बैंक ने "RBI Young Scholars Award" योजना भी आरंभ की, जिससे स्नातक स्तर तक के छात्रों में बैंकिंग उद्योग के प्रति रुचि पैदा करने के अलावा रिज़र्व बैंक से जुड़ी सूचनाओं को जनमानस तक प्रचारित करने का प्रयास किया गया. इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 150 छात्रों का चयन कर रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रोजेक्ट करने हेतु सुविधाएं भी दी गयी हैं.

ऋण परामर्श केन्द्रों के विधिवत गठन एवं निर्माण संबंधित सूचनाओं को विकसित किया गया. ऋण परामर्श से संबंधित उद्देश्यों की समीक्षा की गयी और देखा गया कि ऋण परामर्श मुख्यतया निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आवश्यक हैं :

- वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के फलस्वरूप तकनीकी माध्यम से वित्तीय बाजारों का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाव.
- खुदरा ऋणों की आवश्यकता जिनमें सामान्य उपभोक्ता को उपभोग संबंधित आवश्यकताओं हेतु, गृहनिर्माण और वाहन हेतु विभिन्न शर्तों पर ब्याजदर तथा पात्रता से जुड़ी जानकारी का अभाव व्याप्त है.

- प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप ऋण चुकौती क्षमता में बढ़त होने से शहरी क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता के मुख्य साधनों से जुड़ी सूचनाओं का अभाव पाया गया.
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय कार्यकमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन.

ऋण परामर्श केन्द्रों की आवश्यकता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महसूस होने लगी है. शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर की वृद्धि में इच्छुक लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के अलावा विलासिता संबंधी अथवा आस्तियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए तत्पर हैं, पर कई बार विस्तृत जानकारी के अभाव में वे ऋण जाल में फंस जाते हैं. विशेषकर महंगे चिकित्सा व्यय, नौकरियों से निष्कासित होने के कारण वे ऋण की चुकौती नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी स्थिति सुधरने की बजाय बदतर होती जाती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भिन्न है. भारत वर्ष कृषि प्रधान देश माना गया है, पर आज भी कई स्थानों पर परंपरागत तरीकों से ही कृषि होने के कारण विशेष तकनीकी सुविधाओं से कई वर्ग वंचित हैं. फलस्वरूप उन्हें अतिरिक्त व्यय भी वहन करना पड़ता है. उन्हें मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है और उससे जुड़ी व्याधियों का शिकार होना पड़ता है. विभिन्न राज्यों में मानसून की कमी तो कहीं बाढ़ आने के कारण कृषक वर्ग ऋण की चुकौती नहीं कर पाते और पुनः उन्हें ऋण प्राप्त करने में असुविधा होती है. साथ ही वित्तीय वंचन के कारण उन्हें ऋण की उपलब्धता भी सीमित होती है. वे आज भी गैर परंपरागत वित्तीय सेवाओं पर निर्भर हैं. बैंकों को भी इन वर्गों की मदद करने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उन्हें ऋण जाल से निकालना असंभव हो जाता है. सरकारी उपक्रम एवं तंत्र द्वारा परिचालित योजनाओं की जानकारी समयानुसार इन वर्गों तक उपलब्ध नहीं है.

ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना विभिन्न बैंकों ने रिज़र्व बैंक के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर करने का प्रयास किया है. रिज़र्व बैंक ने बैंकों को, ऋण परामर्श केन्द्र अति पिछड़े क्षेत्रों में खोलने हेतु बल दिया और कई बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों में ये केन्द्र खोले हैं अथवा खोल रहे हैं. रिज़र्व बैंक के एक कार्यदल ने इन केन्द्रों का अध्ययन भी किया और विभिन्न ऋण परामर्श केन्द्रों के क्रियाकलापों एवं सुधार के अवसर भी सुझाए. बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित महाराष्ट्र में अभय ऋण परामर्श केन्द्र, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा संचालित दिशा ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ग्रामीण परामर्श केन्द्र, इलाहाबाद बैंक द्वारा संचालित समाधान ऋण परामर्श केन्द्र की समीक्षा की गयी. इस कार्यदल ने अपने विचारों एवं अभिमतों को निम्न प्रकार से रखा है :

- ऋण परामर्श केन्द्रों में ऋण परामर्शदाता स्थानीय जनमानस से विभिन्न संचार माध्यमों से जैसे दूरभाष, ई-मेल अथवा पत्रों द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं. वे उनकी जरूरतों का अध्ययन करते हैं जिनमें ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाता है. ऋण संबंधी समस्याएं जिनमें ऋण हेतु पात्रता, उस पर वहन किए गए अतिरिक्त व्यय, बीमाकरण संबंधी आवश्यकताएं इत्यादि पर विशेष बल दिया गया. साथ ही उपभोक्ता संबंधी ऋणों की उपलब्धता एवं उनसे जुड़ी चुकौती की शर्तें जैसे प्रभारित ब्याजदर जिनमें उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण ऋण, साख समितियों अथवा सहकारी संस्थाओं की विभिन्न स्कीमों के विषयों पर ऋण परामर्शदाता सामान्य जनता को अवगत कराते हैं एवं सुझाव देते हैं. साथ ही वे स्थानीय लोगों को ऋण जाल में नहीं फंसने हेतु प्रश्रय देते हैं. यदि ऋणी इस जाल में पहले से फंसा हुआ हो तो बैंकों को रिज़र्व बैंक के द्वारा संचालित पुनः नियोजन एवं पुनः संरचना संबंधित कदम उठाने हेतु प्रश्रय देते हैं.

इन केन्द्रों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- ये केन्द मुख्य रूप से बैंकों द्वारा स्थापित किसी ट्रस्ट या बैंकों द्वारा स्वयं वित्तपोषित होते हैं.
- ऋण परामर्शदाता मुख्यतया स्थानीय एवं सेवानिवृत्त बैंक कर्मी होते हैं, जिन्हें बैंकिंग संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान प्राप्त हो.
- परामर्श देने हेतु वे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं अथवा बिना किसी खर्चे के ऋणी परामर्श ले सकता है.
- आज परामर्श केन्द्र मुख्य रूप से वित्तीय संकटों से ग्रस्त प्रदेशों में कार्यरत हैं जो कि ऋण परामर्श निवारक होने की बजाय आरोग्यात्मक रूप में दे रहे हैं.
- कुछ ऋण परामर्श केन्द्रों में विशेषज्ञों द्वारा कृषकों को नए विकसित सहकारी कृषि बाजार संचालन इत्यादि संबंधी सूचनाएं प्रदान की जा रही है, जिससे कृषक वर्गों को विशेष लाभ हो रहा है.
- ऋण संबंधित समस्याओं पर ऋण परामर्शदाता विशेष बल देता है एवं व्यवसाय में असफल होने के कारण उत्पन्न ऋण संबंधित समस्याओं से उबरने हेतु सलाह देते हैं. वित्तीय स्थिति का अध्ययन भी करते हैं.
- विभिन्न केन्द्रों पर कैम्प आयोजित कर ऋण परामर्शदाता लोगों को शिक्षित कर रहे हैं. उन्हें क्रेडिट कार्डों का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं. साथ ही

अपने खर्चों पर कैसे अंकुश लगाएं, ताकि बचत संभावनाएं विकसित की जा सकें, इस पर भी बल देते हैं. उन्हें इन कार्यों हेतु बैंकों द्वारा उचित मानदेय भी दिया जाता है.

इन सबके अलावा ऋण परामर्श केन्द्रों के सफल कार्यान्वयन से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जो निम्नवत हैं. विभिन्न बैंक भी इन समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यरत हैं.

- ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना वर्तमान परिवेश में विभिन्न बैंकों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में उनके व्यक्तिगत प्रयासों तथा उनके वित्तपोषण द्वारा होती है. फलस्वरूप यह केन्द्र मुख्य रूप से ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम बनते जा रहे हैं. सामान्य जनमानस भी इन्हें ऋण उपलब्ध कराने हेतु बाध्य करते हैं अथवा दबाव डालते हैं. उधर बैंकिंग उद्योग भी इन केन्द्रों का उपयोग ऋण वसूली हेतु करते हैं जिसके फलस्वरूप इन केन्द्रों के कार्यो में बाधा उत्पन्न होती है. जब वे वसूली के लिए प्रयास करते हैं तो ऋणी उन तक पहुँचने में हिचकिचाते हैं. अतः इन केन्द्रों को जहाँ बैंकिंग तंत्र से सहयोग लेना है, वहीं उनसे दूर रहने हेतु एक firewall अथवा सीमा तय करनी है, जिसके द्वारा एक दूसरे के कियाकलापों में हस्तक्षेप न हो.

- इन केन्द्रों द्वारा बैंक भी स्थानीय लोगों की सूचना प्राप्त करते हैं और उनकी निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है. यदि ऋण परामर्शदाता बिना किसी भेदभाव के सूचना देता है तो ये केन्द्र सफलरूप से कार्य करते हैं पर यदि वे ऋणी व्यक्ति से प्रभावित होकर गलत परामर्श देते हैं या गुमराह करते हैं तो बैंकों एवं जनता के लिए हानिकारक है. धीरे धीरे इन केन्द्रों का प्रभाव क्षीण हो जाता है और इनकी स्थापना जिन उद्देश्यों से की जाती है, उसे पूर्ण सफलता नहीं मिलती. साथ ही ऋण जाल में फंसे ऋणी को इन केन्द्रों से सहायता नहीं मिल पाती और उन्हें ऋण की उपलब्धता से भी वंचित होना पड़ता है. अतः इन केन्द्रों को बैंक तथा ग्राहक के मध्यस्थ के रूप में कार्य करना होगा, जो दोनों की समस्याओं को एक दूसरे से अवगत करा सके. इसके लिए इन्हें सरकारी तंत्रों से भी प्राथमिकता एवं सहयोग प्राप्त होना चाहिए एवं इन्हें और स्थायी एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है.

- ऋण परामर्श केन्द्रों द्वारा किस प्रकार से सेवा दी जाती है या उनका सेवा प्रदान करने का स्तर कैसा है, इसका अध्ययन भी बैंकों द्वारा नहीं हो पाता. उनके द्वारा सेवा स्तर में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आज सेवा

स्तर अध्ययन करने हेतु कोई मापदंड नहीं है. यदि ऋण परामर्शदाता एवं ऋण परामर्श से जुड़ी संस्थाएं ऋण परामर्श समयानुसार अथवा गुणात्मक तरीकों से नहीं देते तो इससे उनके वित्तपोषित बैंकों की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. ऋण परामर्शदाताओं के चयन में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता एवं उन्हें उपयुक्त पटल पर प्रत्यायन देने की आवश्यकता है.

- ऋण परामर्श केन्द्रों की सफलता में ऋण परामर्शदाताओं की मुख्य भूमिका है. अतः इनके चयन में पारदर्शिता हो, पूर्ण रूप से शिक्षित व्यक्तियों का चुनाव किया जाए, इस बिन्दु पर बैंक विशेष ध्यान नहीं देते.

- ऋण परामर्शदाता मुख्यतया सेवानिवृत व्यक्ति होते हैं, जिन्हें दिन प्रतिदिन हो रहे बदलावों की जानकारी नहीं रहती, तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी विशेषीकृत सुविधाओं का ज्ञान नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप वे सफल रूप से कार्यान्वयन नहीं कर पाते. अतः बैंकों को इन्हें भी समयानुसार प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक तथा तकनीकी बदलावों से अवगत कराना होगा.

- स्थानीय इलाकों में विस्थापितों की संख्या में बढ़ोत्तरी, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का आर्थिक स्तर एवं ऋण इतिहास का अभाव इन केन्द्रों को प्रभावित करता है. इन केन्द्रों के पास कोई डाटाबेस नहीं उपलब्ध होता, जिससे ये ऋण संबंधित सूचनाएं एवं स्थानीय निवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और बैंकों से मध्यस्थता कर सकें.

- ऋण परामर्श केन्द्रों के उद्देश्यों का विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, जिस कारण वे आज भी पूर्णरुपेण कार्य नहीं कर पा रहे हैं. बैंक को इन समस्याओं से उबरना होगा, जिसके लिए उन्हें ठोस कदम उठाने होंगे.

- सामान्य जनमानस को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देना होगा.

- ग्राहकों द्वारा इन केन्द्रों की सफलता हेतु समयानुसार उपायों एवं सुझावों की जानकारी प्राप्त करनी होगी.

- ऋण जाल में फंसे ऋणी हेतु योजनाओं का निर्माण, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय संस्थाएं अपना योगदान दें. इसके द्वारा अति पिछड़े एवं निम्न आय वाले वर्गों को वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन में सफल योगदान देना होगा.

- रुडसेटी ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना विस्तृत ढंग से की जाए. इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, पीड़ित परिवारों को वित्त से संबंधित जानकारी देना इत्यादि होना चाहिए.

वित्तीय साक्षरता में रूडसेटी का सहयोग :

ऋण परामर्श द्वारा बैंकिंग जगत स्वयं विकसित होने के साथ-साथ समाज को भी विकसित करने में मददगार साबित होगा और राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है जिसके फलस्वरुप लाखों की तादात में युवा वर्ग विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कार्यनियोजन हेतु प्रयासरत हैं, फिर भी बेरोजगारी की समस्या पर हमें विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पायी है जिसमें शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार शामिल हैं. नियोजित अथवा अनियोजित क्षेत्रों में पर्याप्त कार्यनियोजन की अनुपलब्धता मानव संसाधनों के समुचित विकास में बाधक है, साथ ही राष्ट्र के समक्ष विकास की समस्या है. ऐसी अवस्था से उबरने हेतु स्वरोजगारों के समुचित विकास की आवश्यकता है. विशेषकर ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से उबरने हेतु, साथ ही युवावर्ग का शहरी क्षेत्रों में पलायन होने के कारण उत्पन्न ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में बाधा दूर करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं. ऐसी आवश्यकता महसूस की गयी कि ग्रामीण शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के वर्गों को समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें वर्तमान तकनीकीकरण से भी अवगत कराया जा सके. प्रशिक्षण प्राप्त कर वे स्वरोजगार के अवसरों से अवगत हो सकते हैं एवं स्वयं लाभप्रद अतिलघु एवं लघु उद्यम केन्द्र स्थापित कर सकते हैं एवं अपने दैनिक जीवन स्तर एवं जीवन शैली में विकास कर सकते हैं. सेवा क्षेत्रों में भी रोजगार के 'अवसरों की निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है एवं कुशल एवं प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता महसूस की गयी है.

इन्हीं सरकारी योजनाओं के क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे स्थित ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार में नियोजित करने हेतु एवं स्वयं सहायता समूहों के निर्माण द्वारा बैंकों से वित्त प्रदत्त कराने की योजना तैयार की गयी है. बैंकों के माध्यम से सरकार ने उन्हें आय अर्जन हेतु सब्सिडी का भी प्रावधान किया है ताकि उन्हें स्वरोजगारों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके. गरीबी रेखा के नीचे स्थित युवावर्ग के उद्योग स्थापित करने में मुख्य व्यवधान विशेषीकृत क्षमता का अभाव, औपचारिक रुप से कार्यरत प्रशिक्षण

संस्थानों में दाखिले हेतु न्यूनतम पात्रता एवं आय का अभाव है जिसके फलस्वरुप न तो वे सफल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं और न ही स्वरोजगार हेतु पूँजी जुटा कर रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं. साथ ही प्रतिस्पर्धा के युग में यदि वे किसी व्यवसाय में संलग्न हैं तो समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं और इनके अभाव के फलस्वरुप वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों का सामना नहीं कर पाते.

अतः इन्हें रोजगार संबंधी समस्याओं के निदान हेतु एवं युवा वर्ग को स्वरोजगार हेतु कुशल प्रशिक्षण देने के लिए श्री धर्मस्थला मंजूनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, सिंडीकेट बैंक तथा केनरा बैंक ने सामूहिक रुप से 1982 में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिसे रुडसेटी भी कहा जाता है कर्नाटक राज्य में धर्मस्थला के समीप स्थापित किये. आज राष्ट्र में कई रुडसेटी संस्थान इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं.

स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु तथा कुशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सामान्य जीवन में रोजगार ग्रहण करने में सक्षम बनाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे स्थित युवा वर्ग को कौशल वर्धन एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है. रुडसेटी भी इस दिशा में विशेषीकृत माडल के रुप में उभर कर आ रहा है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनुशंसा की है कि हर राज्य के विभिन्न जिलों में रुडसेटी जैसे संस्थानों की स्थापना की जा सके, ताकि ग्रामीण अथवा अर्धग्रामीण क्षेत्रों के युवावर्ग को रोजगार हेतु उचित प्रशिक्षण दिया जा सके. साथ ही इन संस्थानों की स्थापना की जिम्मेदारी जिला स्तरीय अग्रणी बैंकों को दी गयी है जो स्थानीय एवं राज्य सरकारों की मदद से इनकी स्थापना में अग्रसर हैं.

रुडसेटी मुख्यतया मुफ़्त एवं परिलक्षित अल्पावधि निवासीय स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करता है जहां मुफ़्त निवास एवं खानपान की व्यवस्था रहती है. रुडसेटी अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से भिन्न है जो उनके परिदृष्टि कथन से दृष्टिगोचर होता है. रुडसेटी संस्थानों की परिकल्पना मुख्यतया आर्थिक उत्थान एवं रोजगार अवसरों में बढ़ोत्तरी के फलस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ग्रामीण वर्ग की आर्थिक प्रगति हेतु की गयी है. इन संस्थानों का विकास भारत सरकार के सहयोग द्वारा करने के उददेश्य से अग्रणी बैंकों को इन संस्थानों के निर्माण, परिचालन एवं स्थापना की जिम्मेदारी दी गयी, जो कि सभी बैंकों द्वारा निर्धारित वित्तीय समावेशन प्लान का हिस्सा है. इन संस्थानों का मुख्य उददेश्य इस प्रकार है :

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय मांग के आधार पर तय किए जाएंगे.
2. गरीबी रेखा से नीचे स्थित ग्रामीण युवावर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी.

3. विभिन्न ग्रामीण लाभार्थियों को उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.
4. बैंक द्वारा वित्त प्रदान करने हेतु सहयोग करना.
5. न्यूनतम दो वर्षों तक अतिलघु इकाइयों को कार्यरत रखने हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करना अथवा सहयोग प्रदान करना तथा उन्हें सुरक्षा सेवाएं देना.
6. अल्पावधि निवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना जहां मुफ़्त खानपान, निवास की व्यवस्था हो, ताकि शिक्षित अथवा गैर शिक्षित बेरोजगारों की कार्यकुशलता विकसित की जा सके एवं सफलतापूर्ण कार्य निष्पादन हेतु कदम उठाए जा सकें. साथ ही उन्हें अपनी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने में मदद की जा सके.

चूंकि रुडसेटी स्थापना एवं परिचालन की जिम्मेदारी प्राधिकृत अग्रणी बैंकों को दी गयी जो अपने विस्तृत नेटवर्क एवं कार्यक्षमता द्वारा युवा वर्ग की प्रगति को मददेनजर रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, ताकि उन्हें समय व आवश्यकतानुसार वित्त प्रदान किया जा सके एवं बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके. इस माडल को कार्यकुशल बनाने में वित्तीय क्षेत्र के अग्रणी बैंकों का विशेष महत्व है.

प्रारंभ में रुडसेटी की स्थापना सोसाइटी के रुप में की गयी एवं इनकी संरचना मुख्यतया पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट के रुप में की गयी है जिनमें वित्त प्रदत्त बैंकों के सदस्य के अलावा स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है.

रुडसेटी संस्थान की संरचना :

1. नामकरणः सामान्यतया इनका नाम सरल एवं प्रभावशाली हो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इनके नाम समान रुप से इंगित किए गए जिसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के रुप में नामित किया गया तथा साथ में स्थान का नाम या बैंक का नाम भी जोड़ दिया जाए.
2. प्रयोजन - रुडसेटी की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती हैः

- राज्य सरकार बैंकों के परामर्श के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से जिलों का चयन करती है जिनमें अग्रणी बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है कि वे रुडसेटी की स्थापना करें.
- किसी एक रुडसेटी को एक बैंक ही प्रायोजित करेगा ताकि प्रबंधन सुचारु रुप से चल सके एवं बैंकों द्वारा ही रुडसेटी के क्रियाकलाप निर्धारित होंगे.

- रुडसेटी के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार मुक्त भूमि का आबंटन करेगी.
- बैंकों द्वारा आबंटित भूमि पर रुडसेटी हेतु भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग रहेगा, पर जब तक भवन निर्माण की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होती रुडसेटी किराए के मकान से हीं कार्यरत रहेंगे.
- रुडसेटी का निबंधन अथवा पंजीकरण सोसाइटी के रुप में रहेगा. इनकी सुचारु स्थापना एवं संचालन में सहयोग देने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकारों ने कमेटी का निर्माण राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर किया है.
- रुडसेटी के निदेशक बैंकों द्वारा चयनित पदाधिकारी होंगे जिनका चयन उनकी कार्यकुशलता. नेतृत्व क्षमता एवं प्रशिक्षण देने की क्षमता पर होगा. इसके अलावा वे प्रशिक्षण हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों से अध्यापकों को आमंत्रित करेंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्ण चला सकें.
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ढांचा भी निदेशक के संरक्षण में होगा जिसमें 30 से 40 लाभार्थियों को एक कार्यक्रम में प्रशिक्षण मिलेगा. उनका पाठयक्रम विभिन्न ग्रामीण पहलुओं को संकलित कर तैयार किया जाएगा, जिनमें कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन इत्यादि होंगे. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इकाइयों एवं गृह उद्योगों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिए जाएंगे जैसे वस्त्र निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, खेलकूद संबंधित वस्तुओं का निर्माण, कागज से बनी वस्तुओं के निर्माण इत्यादि. इनके अलावा लघु इंजीनियरिंग उद्योग जिनमें फोटोग्राफी, टीवी, रेडियो की रिपेयरिंग. पम्पसेट अथवा पावर टिलर, मोबाइल एवं घरेलू यंत्रों की रिपेयरिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा. ग्रामीण स्त्रियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाकर कार्य नियोजन में अग्रसर हों.

इस प्रकार हम देखें तो वित्तीय साक्षरता केन्द्र जहाँ वित्तीय परामर्श द्वारा वित्तीय साक्षरता बढ़ा कर अर्थोपार्जन हेतु सफलतम पूंजी निवेश में सहयोग देते हैं, वहीं रुडसेटी जैसे संस्थान प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने एवं अपनी वार्षिक आय बढ़ा कर दैनिक जीवन स्तर को समृद्ध बनाने में सामान्य जनमानस को सहयोग प्रदान कर रहे हैं. इनकी सफलता से राष्ट्र में जागरुकता पैदा हो सकती है और हर राष्ट्र सफलता एवं समृद्धि की ओर अग्रसर रहेगा.

डॉ. चेतना पांडेय, वरिष्ठ प्रबंधक(ऋण), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

वित्तीय साक्षरता-स्वयं सहायता समूह का आधार स्तंभ

एन.जयराम

विकास प्रक्रिया का सहयोग करने वाले प्रचलित सभी उपायों में से आजकल **वित्तीय साक्षरता** सर्वाधिक प्रचलित व व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है. विकास की यह प्रक्रिया भारत में पहले से प्रारंभ हो चुकी है. अतः नीति निर्धारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सशक्त साधन के रूप में देखा जाने लगा है. राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को सही अर्थों में समझा जाना ज़रूरी है. इस दृष्टि से वित्तीय साक्षरता सभी संबंधित घटकों, विशेष रूप से उस तवके के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पिरामिड के आधार पर अवस्थित किंतु विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं.

वित्तीय साक्षरता /शिक्षा के सफलता लक्ष्य समूह के संबंध में स्पष्टता, कार्य तथा संप्रेषित किये जाने वाले संदेश तथा कार्य के साथ अनुकूलता रखने वाली तकनीक पर निर्भर करती है. **वित्तीय साक्षरता** को व्यापक रूप से **वित्त को समझने की क्षमता** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. विशेष रूप से यह उन कौशलों तथा ज्ञान के समन्वय की ओर इशारा करती है जो किसी व्यक्ति विशेष को वित्त से संबंधित ज्ञान के माध्यम से सूझबूझपूर्ण एवं प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है. इस प्रकार वित्तीय साक्षरता मात्र वित्तीय सूचना तथा वित्तीय परामर्श न होकर व्यापक परिधि वाला क्षेत्र है.

हाल ही के आय तथा बचत संबंधी सर्वेक्षणों में पाया गया है कि भारत में लगभग 32 करोड़ से भी अधिक कमाने वाले लोगों का 60% भाग अभी भी स्वर्ण, संपत्ति या अन्य किसी प्रकार के वित्तीय साधन में बचत नहीं करता. वित्तीय साक्षरता से वंचित इसी जनता के लिये वित्तीय साक्षरता के प्रसार की आवश्यकता प्रतीत होती है.

किसी भी लक्ष्य समूह को वित्तीय रूप से साक्षर करने में निम्नलिखित तीन बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो परस्पर रूप से संबंधित भी हैं :

I. सूचना व ज्ञान
II. कौशल तथा निर्णय लेने की क्षमतायें
III. प्रवृत्ति

किसी की भी भूमिका, कमजोरियों और सुदृढ़ताओं को समझने के लिये इन तीनों की आवश्यकता होती है. वित्तीय साक्षरता में अपेक्षाकृत गहरे तथा ऊंचे परिणाम प्राप्त करने के लिये भी ये आवश्यक हैं. बैंकिंग का आधार विश्वास है और विश्वास पारदर्शिता तथा सत्य से उत्पन्न होता है. विश्वास बनाने में साक्षरता कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है. उधारकर्ता की ओर से यह आवश्यक है कि उसे उक्त विचार तथा अग्रिम चक्र से संबंधित सभी कड़ियों की सुस्पष्ट समझ हो. किसी सफल अग्रिम चक्र के लिये निम्नलिखित तीन चरण आवश्यक होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं:

- अग्रिमों का संवितरण
- अग्रिमों का उपयोग
- अग्रिमों का भुगतान

अग्रिमों का सम्यक उपयोग सम्यक चुकौती की संभावनाओं को बढ़ाता है. वित्तीय शिक्षा का उद्देश्य वित्तीय समावेशन के प्रतिभागियों के मध्य अपेक्षित अग्रिम संस्कृति का विकास करना है.

इस तथ्य को भी समझने और स्वीकार किये जाने ज़रूरत है कि एक निर्धन व्यक्ति जो सीमित संसाधनों से काम चलाता है उसे उत्पादन, विपणन और वित्तीयन के प्रबंधन संबंधी तकनीकों के प्रयोग की अधिक आवश्यकता होती है. इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि निर्धन व्यक्ति को प्रबंधकीय कौशल के साथ साथ उसकी समझ एवं कुशलतापूर्ण उपयोग की जानकारी भी आवश्यक है. अतः निर्धनों के लिये व निर्धनों के द्वारा वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों का आयोजन न केवल अपेक्षित है बल्कि व्यवहार्य भी है. इसके कई ज्वलंत उदाहरण भी हैं जहां सीमांत या भूमिहीन परिवारों की महिला मुखियाओं द्वारा संकर दुधारू पशुओं की दुग्धशालाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है तथा उनसे लाखों की आमदनी प्राप्त की जा रही है.

इस दिशा में कई बैंकों द्वारा यह स्वीकार करते हुये कि सम्यक रूप से सूचित ग्राहक बैंक की आस्ति बन जाता है, अपने सभी और विशेष रूप से पिरामिड के आधार

पर अवस्थित ग्राहकों को शिक्षित करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रयास किये गये हैं. इन प्रयासों में किसान क्लबों का गठन, रुडसेटी(ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) की स्थापना, एफ एल सी सी(वित्तीय साक्षरता ऋण परामर्श केंद्र) विस्तारित शिक्षा कार्यक्रम, किसान बैठक, तकनीक संवर्धन कार्यक्रम आदि हैं.

वित्तीय साक्षरता के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- वित्तीय सिद्धांतों की स्पष्टता
- अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाना
- वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच
- आस्तियों का निर्माण
- असुरक्षा / कमजोरी का निदान
- आर्थिक सुरक्षा की योजना का निर्माण

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय विवेक की ओर ले जाती है.इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं:

- इससे न केवल धन का उपयोग करना आता है बल्कि यह धन का प्रबंधन भी सिखाता है.
- भविष्य के लिये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने का कौशल विकसित होता है.
- वित्तीय साक्षरता स्वयं सहायता समूह का सदस्य अपने उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता पूर्ति के लिये बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध अवसरों का उपयोग कर सकता है.
- वित्तीय समावेशन के सिद्धांतों की स्वीकार्यता के कारण इस विचार की आवश्यकता को बल मिलता है.
- स्वयं सहायता समूह के सदस्य का आत्म सम्मान बढ़ता है.

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वित्तीय साक्षरता संबंधी कार्यक्रमों को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम होना चाहिये:

- निधि प्रबंधन: किस प्रकार धन का सतर्कतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिये
- ऋण प्रबंधन: ऋणों तथा ऋणग्रस्तता को किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिये

- बचत का प्रबंधन: किस प्रकार निरंतर तथा सुरक्षित बचत की जाये
- **वित्तीय बातचीत**

आपूर्तिकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं तथा घर के अन्य सदस्यों के साथ सौदेबाजी को बेहतर बनाने की कला.

बैंक सेवाओं का उपयोग :

लाभों को बढ़ाने के लिये बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जाये.

निःसंदेह, निर्धन वर्ग की कमज़ोरी को दूर करने तथा अवसरों को विस्तृत करने के लिये बनाये गये विकास कार्यक्रमों व नीतियों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता के संवर्धन की अतीव आवश्यकता है. इस दृष्टि से, वित्तीय साक्षरता को विकास संबंधी अन्य विकासात्मक कार्यों यथा सूक्ष्म वित्तीयन, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कारोबार विकास, स्वास्थ्य, पुष्टाहार, कृषि तथा भोजन संरक्षा आदि के साथ एकीकृत करने की संभावनाओं की खोज किये जाने की आवश्यकता है. वित्तीय साक्षरता के प्रसार में ग्रामीण कियोस्क, मोबाइल वैन के माध्यम से सूचना प्रौद्यौगिकी का उपयोग इसकी उपादेयता को बढ़ाता है. इन कियोस्कों की व्यवस्था बिज़नेस कॉरेसपोंडेंटों के द्वारा की जाती है या इन्हें पी सी ओ में स्थापित किया जाता है तथा इनके माध्यम से न केवल बैंक के विभिन्न उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित की जाती है बल्कि लागत-खरीद मूल्यों, बीमा उत्पादों, स्वास्थ्य सेवाओं, मौसम संबधी सूचनाओं, बाज़ार मूल्यों के संचालन आदि संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाता है. ये सूचनायें जोखिम शामक के रूप में कार्य करती हैं.

भारत में गुजरात की गैर बैंकिंग संस्था **"सेवा"** (सेल्फ इम्प्लाईड वूमन एसोसियेशन) के नाम से है. इनकी **"प्रोजेक्ट टुमॉरो"** नामक योजना सदस्यों को धन उत्पादक के रूप में प्रबंधन, आस्तियों को बढ़ाने के उपायों, जीवन चक्र की घटनाओं तथा जोखिम का प्रबंधन करने मे सक्षम बनाती है.

कर्नाटक की **मिर्याडा** नामक गैर बैंकिंग संस्था स्वयं सहायता समूहों के क्षमता निर्माण को निवेश के समकक्ष महत्वपूर्ण मानती है. इन्होंने **एस एच जी का क्षमता निर्माण** नामक मैन्युअल भी प्रकाशित किया है. **मिर्याडा** की क्षमता निर्माण की विषयवस्तु में निम्नलिखित शामिल हैं :

- समाज का संरचनात्मक विश्लेषण
- स्थानीय ऋण स्रोतों का विश्लेषण

- एस एच जी का सिद्धांत- इसके उद्देश्य, संरचना तथा कार्य, नियम तथा विनियम, समूह के सदस्यों का उत्तरदायित्व
- प्रभावी संप्रेषण कौशल
- समूह के सदस्यों की सम्बद्धता जो सामाजिक पूंजी कहलाती है, का महत्व.
- विज़न का निर्माण
- समूह के सदस्यों की आयोजना, संसाधनों का संग्रहण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, तथा मूल्यांकन कौशल
- बहियों का रखरखाव तथा लेखापरीक्षा
- नेतृत्व
- संघर्ष का समाधान
- सामूहिक निर्णय लेना
- सामूहिक निधियों का प्रबंधन
- स्वमूल्यांकन
- आत्मविश्वासी तथा स्वतंत्र संस्थान के रूप मे समूह का विकास
- वित्तीय संस्थाओं के साथ ऋण हेतु संबद्ध किया जाना
- अग्रिमोन्मुखी दृष्टिकोण
- परिवार तथा समाज में लिंग के आधार पर संबंधों का विश्लेषण

वित्तीय समावेशन अपने साथ सुविचारित तथा सोचे समझे सूक्ष्म वित्तीयन को भी लाया है. वित्तीय समावेशन में सूक्ष्म वित्तीयन के समावेश का प्रभाव उत्प्रेरक के समान है जिसका उपयोग शिक्षक वित्तीय समावेशन के जीवनक्षम ऋण सबंधी क्रियाकलाप के रूप में कर सकता है.

स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत को समाज के आर्थिक,सामाजिक तथा शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों (विशेष रूप से महिलाओं) के समूहों जैसे बेरोजगार युवा, महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने कीप्रभावी तकनीक के रूप मे स्वीकार किया गया है.

स्वयं सहायता समूह हेतु वित्तीय साक्षरता का महत्वः

- बैंक खाता खोलने में मार्गदर्शन
- ब्याज दर, बचत तथा निवेश आदि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के सबंध में सूचना

- वर्तमान ऋण के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन
- समूह द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों के संबंध मे बाज़ार सूचना तथा तकनीक
- कृषि तथा संबद्ध कार्यों को लाभप्रद तरीके से करना

भारत मे कुल खेती कार्य का 55-66 % भाग महिलाओं द्वारा सम्पन्न किया जाता है. ऐसा महिलाओं की प्रबंधकीय भूमिका के कारण है. यह सूचना एन सी डब्ल्यू अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग के एक अध्ययन द्वारा प्रस्तुत की गयी है.

इसके अलावा अध्ययन यह भी बताते हैं कि एक हेक्टेयर भूमि पर वर्ष भर में बैलों की एक जोड़ी 1064 घंटे काम करती है, एक पुरुष 1212 घंटे तथा एक महिला 3485 घंटे काम करती है. ये आंकड़े कृषि में महिलाओं की महती भूमिका की ओर संकेत करते हैं. (शिवा एफ ए ओ,1991). इसलिये यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रामीण भारत की एक महिला केवल ईंधन एकत्र कर सकती है या केवल भोजन पका सकती है, तो आप एकबार दोबारा सोचें. कुछेक पुराने विचारों को बदले जाने का यही समय है. यदि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाया जाये तो हमारा समाज, हमारे समूह तथा हमारा देश सभी बेहतर स्थिति में आ सकते हैं क्योंकि ये महिलायें बेहतर प्रबंधक साबित होंगी.

चूंकि महिला स्वयं सहायता समूहों ने सूक्ष्म वित्तीयन के क्षेत्र मे अपनी क्षमताओं को साबित किया है, अतः शिक्षक, समूह के कार्य का एकीकरण, मूल्य, आपदाओं तथा चेतावनी संकेतों का समन्वयन करके समूह की योग्यताओं का सदुपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं. वित्तीय समावेशन तथा सूक्ष्म वित्तीयन का परस्पर संबंध निर्णय क्षमता को बढ़ायेगा तथा समूह के सदस्यों को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु तैयार कर सकेगा. निर्धनता को कम करने तथा अच्छे जीवन स्तर के लिये न केवल ग्रामीण ऋणों की सरल उपलब्धता आवश्यक है बल्कि प्रशिक्षण के माध्यम से समूह के सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना अति आवश्यक है. चूंकि यह स्थापित तथ्य है कि निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूहों के दो मुख्य उद्देश्य हैं, अतः इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये क्षमताओं का निर्माण तथा विकास अत्यंत आवश्यक है.

वैश्विक सामाजिक मंच पर आयोजित एक संगोष्ठी में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि "यदि सरकार निर्धन परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वयं को केवल समूहों के गठन तक ही सीमित रखेगी तो यह निर्धनता उन्मूलन के स्थान पर निर्धनता संवर्धन होगा." क्षमता निर्माण के अभाव मे ऋण के रूप में प्राप्त संसाधनों का उपयोग

निर्धन महिलायें नहीं कर पातीं. अतः उनकी वित्तीय स्थिति मे सुधार नहीं होता. इसके विपरीत वे ऋण के दलदल मे डूबती चली जाती हैं. सूक्ष्म वित्तीयन कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त ऋण उन्हें कर्ज के कुचक्र में फंसा देते हैं क्योंकि वे दूसरा ऋण प्राप्त करके पहला ऋण चुकाती हैं. चूंकि निर्धनता का मूल कारण असमानता और सामाजिक भेदभाव हैं अतः निर्धनता का उन्मूलन तब तक नहीं किया जा सकता जबतक कि सामाजिक न्याय और स्त्री समानता कायम नहीं हो जाते. यह विश्वास किया जा रहा है कि क्षमता निर्माण के अभाव में केवल सूक्ष्म वित्तीयन के द्वारा निर्धनता उन्मूलन का विचार भ्रामक है. क्षमता निर्माण के अभाव में, दिये गये ऋण निर्धनता के उन्मूलन में न केवल असफल होंगे बल्कि सशक्तीकरण के स्थान पर महिलाओं का शोषण ही करेंगे.

स्वयं सहायता समूहों के अस्तित्व के लिये वित्तीय साक्षरता अति आवश्यक है. स्वयं सहायता समूह का एक विज़न होना चाहिये तथा एक सुदृढ़ गवर्नेस ढांचा तथा सहायक प्रणाली होनी चाहिये. समूह के गठन के साथ ही अपेक्षित कौशलों के विकास के लिये बचत, ऋण तथा वित्तीय साक्षरता आदि अनिवार्य हो जाते हैं. कभी कभी प्रशिक्षण, समूह के नेताओं तक ही सीमित रखा जाता है, किंतु यह आवश्यक है कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को समूह के सभी सदस्यों के लिये चलाया जाये. स्पष्ट रूप से, महिलाओं में क्षमता निर्माण के अवसरों को जो दो मुख्य कारक प्रभावित करते हैं वे वित्तीय साक्षरता तथा नेतृत्व हैं. वस्तुतः साक्षरता शिक्षण का एक चक्र प्रारंभ करती है जिसमें एक शिक्षित महिला के लिये नेतृत्व के अवसर बढ़ जाते हैं. नेतृत्व के साथ उन्हें क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर भी अधिक मिलते हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डा. सी रंगराजन ने **स्पीडिंग फिनांन्शियल इन्क्लूशन** नामक पुस्तक के प्राक्कथन में यह मत प्रकट किया है कि वित्तीय साक्षरता अपने आप नहीं होती. आगे वे घोषणा करते हैं कि वित्तीय साक्षरता राष्ट्रीय वरीयता घोषित की जानी चाहिये. वे यह भी कहते हैं कि वित्तीय साक्षरता अब कोई विकल्प नहीं रह गया है बल्कि यह देश के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्यता बन गयी है.

वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ने वाला कदम है. भारतीय रिज़र्व बैंक की भूतपूर्व उप गवर्नर सुश्री ऊषा थोराट का यह दृढ़ मत है कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का अभिन्न अंग होनी चाहिये. वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता आर्थिक विकास के दो स्तंभ हैं.

वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता अब विकसित तथा विकासशील - सभी देशों में अनुभव की जा रही है. वित्तीय उत्पादों की बढ़ती संख्या तथा जटिलता,सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व के सरकार तथा वित्तीय सस्थाओं से हटकर व्यक्तियों पर आने

से सभी व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा और भी ज़रूरी हो जाती है. निरंतर परिवर्तित होती विकास की प्रक्रिया से जनता के कुछ वर्ग द्वारा अधिक कर्ज लेने की संभावना बढ़ गयी हैं. इसीलिये दिवालियेपन की संभावनाओं को कम करने के लिये व्यक्तियों को उनकी ऋण की आवश्यकता और ऋण प्रबंधन के बारे में मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने हेतु ऋण परामर्श सस्थानों की स्थापना की जानी आवश्यक है. ऋण परामर्श संस्थान ग्रामीण जनता में भ्रामक व बेबुनियादी सूचनाओं के प्रसार को रोकने का काम भी करेंगे तथा उन्हें सही ऋण संस्थान से उचित ऋण प्राप्त करने में मदद करेंगे. अतः उचित ऋण परामर्श आम आदमी को बल प्रदान करेगा तथा आर्थिक विकास को समगति प्रदान करेगा.

भारत में शिक्षा के निम्न स्तर तथा जनता के बड़े भाग की औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से अछूते रहने की स्थिति को देखते हुये वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता बढ़ जाती है. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न लक्ष्य समूहों जैसे ग्रामीण वर्ग, स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं आदि को बैंकिंग संबंधी सूचनायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट **"फिनांशियल लिट्रेसी"** प्रारंभ किया गया है.

वित्तीय साक्षरता योजना निम्नानुसार है :

- जिन व्यक्तियों ने अपनी क्षमता से अधिक ऋण विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों से लिया हुआ है तथा जो परामर्श के इच्छुक हों, उन्हें उनकी पसंद के माध्यम से, वैयक्तिक चर्चाओं तथा अन्य मीडिया साधनों जैसे वेब, टी वी, फोन आदि किसी एक माध्यम से विवेकपूर्ण कर्जदारी, सक्रियता तथा समय पर बचत की आदतों व ऋण परामर्श के बारे में जागरुक करना.
- वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे मे ग्रामीण और शहरी जनता को शिक्षित करना.
- जनता को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ बैंकिंग करने के लाभों के बारे में जागरुक बनाना.
- ऐच्छिक चूककर्ता के अलावा अन्य कर्जदारों के लिये ऋण पुनर्निर्धारण योजनायें तैयार करना.

वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य ग्राहक संरक्षा भी है. यह ग्राहकों को वित्तीय जोखिमों को बेहतर तरीके से समझने तथा प्रबंधन करने तथा बाज़ार की जटिलताओं को समझने में सक्षम बनाता है. साथ ही वित्तीय क्षेत्र में वर्धित प्रतियोगिता और विकल्पों का लाभ

उठाने में सक्षम बनाता है. बैंकों व अन्य एजेंसियों को चाहिये कि वे वित्तीय समावेशन को एक निरंतर प्रक्रिया मानते हुये इसे आम आदमी तक पहुंचाने के लिये कठोर परिश्रम करें. आम आदमी विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों को नये नये कार्यों, विधिक तथा तकनीकी बिंदुओं के बारे में शिक्षित करने के लिये वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिये प्रयास करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.

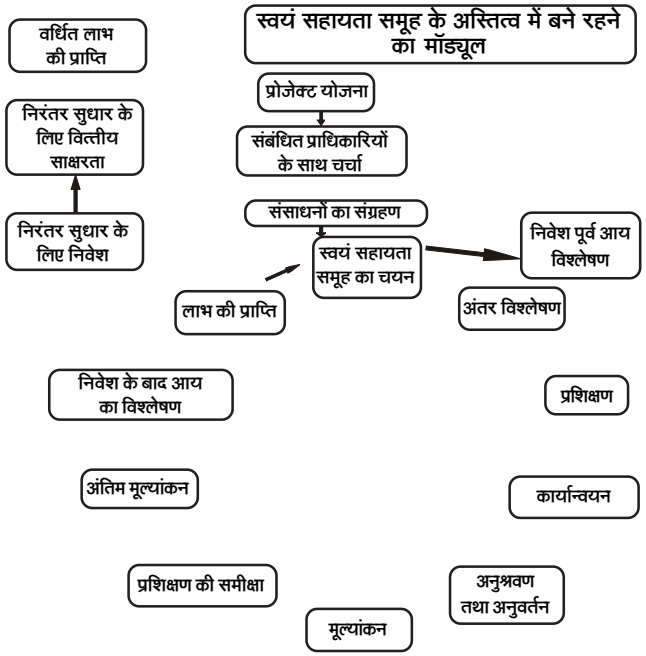

उपरोक्त मॉड्यूल की सफलता के लिये निरंतर आधार पर वित्तीय साक्षरता आवश्यक है. स्वयं जीवित रहने वाले स्वयं सहायता समूह देश की आर्थिक प्रगति में सहयोगी साबित हो सकते हैं.

अंत में, वित्तीय साक्षरता वित्त के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा का पर्याय नहीं है. इसके विपरीत यह बताता है कि ऋण सबंधी उत्तरदायित्व व धन का प्रबंधन करने तथा वित्तीय जोखिमों को कम करने तथा बचत व ऋण से दीर्घावधि लाभ प्राप्त करने के क्या तरीके हैं. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की क्षमता का निर्माण अत्यंत आवश्यक है.

एन.जयराम, वरिष्ठ प्रबंधक(संकाय),स्टाफ महाविद्यालय, बेंगलूर

वित्तीय साक्षरता से वित्तीय समावेशन की ओर

पूजा कौड़ा

वित्तीय साक्षरता के महत्व को जानने से पहले जरूरी है, उन कारणों को जानना जिनकी वजह से वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई.

देश की अर्थव्यवस्था का विकास वित्तीय समावेशन के बिना संभव नहीं. परंतु सच्चाई यह भी है कि वित्तीय साक्षरता के बिना वित्तीय समावेशन संभव नहीं.

वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता देश की भावी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं; जिनके बिना अर्थव्यवस्था के विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती.

दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी अर्थव्यवस्था वित्तीय बाजार की व्यापक पहुंच व विस्तार के बिना मजबूत और विकसित हुई हो और वित्तीय बाजार का ऐसा विस्तार भी केवल तभी संभव है जब घर-परिवार के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हों और बचत से लेकर उधार व निवेश के बारे में पूरी जानकारी सहित विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हों. यहां यह भी कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका जैसे विकसित देश में नागरिक वित्तीय रूप से ज्यादा साक्षर रहे होते तो शायद "सब-प्राइम" संकट से बचाव हो सकता था.

इसके साथ यह पहलू भी अहम है कि अधिक वित्तीय साक्षरता, संसाधनों के बेहतर आबंटन में सहायक सिद्ध होती है. जिससे अर्थव्यवस्था के दीर्धकालिक विकास की संभावना मजबूत होती है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हमारे देश में वैश्विक वित्तीय संकट की बाधा आने से पहले 2004-08 के बीच औसतन लगभग 9% की विकास दर हासिल की थी. इस विकास को संभव बनाने में अहम योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई बचत का रहा, जो संकट शुरू होने से पहले वर्ष 2007-08 में 36 फीसदी की ऊंचाई तक

जा पहुंची. बचत दर का इस प्रकार बढ़ना, आबादी की संरचना में आए बदलाव और घरेलू बचत में बढ़त के रूझान का नतीजा है. फिर भी देश की आधी आबादी बैंकिंग व दूसरी वित्तीय सेवाओं से महरूम है. अगर हम इस समस्या का निदान ढूढने में कामयाब होते हैं तो बैंकिंग से अपवर्जित आबादी को बैंकिंग के व्यापक दायरे में लाकर घरेलू व कुल राष्ट्रीय बचत में वृद्धि कर सकते हैं. इससे हम 10-12 फीसदी आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षा को हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे.

इसे संभव बनाने के लिए हमें वित्तीय सेवाओं के दायरे को समाज के सभी वर्गों और देश के सभी हिस्सों तक सार्थक रूप में पहुंचाना होगा. विशेष रूप से आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद लोगों तक इसे पहुंचाना होगा. ये वे लोग हैं जो वित्तीय उत्पादों की सीमाओं तथा सीमित पहुंच के कारण इनका लाभ नहीं उठा पाते. नागरिकों के स्तर पर इसकी प्रमुख वजह वित्तीय जागरूकता या साक्षरता का अभाव है.

वित्तीय साक्षरता व जागरूकता इस तरह वित्तीय सुरक्षा के दायरे में सबको लाने की मंजिल का अभिन्न हिस्सा है. वित्तीय साक्षरता से आशय वित्तीय मामलों जैसे अपने लिए उपयुक्त वित्तीय योजना का निर्माण, वित्तीय उत्पाद का चयन, उत्पाद प्रदाता कंपनी का चयन, टैक्स रिटर्न आदि बातों को सही रूप से समझकर उचित वित्तीय निर्णय लेने से है.

वित्तीय साक्षरता महज वित्तीय रूझान और जानकारियां देने तक सीमित नहीं है. इसका वास्ता आदत और स्वभाव को बदलने से भी है. अंतिम लक्ष्य है अवाम को इतना सक्षम बना देना कि वे अपने हित के अनुसार फैसले कर सकें और अनुकूल कदम उठा सकें. जब निवेशक या विक्रेता तमाम उपलब्ध वित्तीय उत्पादों के बारे में जानेगा, हर उत्पाद की लाभ-हानि का आकलन कर पायेगा. अपनी इच्छानुसार मोल-तोल कर पाएगा, तब उसे महसूस होगा कि वह वास्तव में सबल हो गया है और जब उन्हें इतना ज्ञान हो जाएगा तब वे जवाबदेही मांगेंगे और अपनी समस्याओं का निदान तलाशेंगे.

वित्तीय साक्षरता महज व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के हित के लिए आवश्यक है वित्तीय साक्षरता के विस्तार से घर-परिवार का ही नहीं, समूचे समाज का भला होगा.

वित्तीय साक्षरता का वित्तीय समावेशन में महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्तीय साक्षरता से मांग पक्ष सक्रिय होता है. लोग जागरूक होते हैं कि वे क्या मांग कर सकते हैं और क्या मांग उन्हें करनी चाहिए. दूसरी ओर वित्तीय समावेशन आपूर्तिकर्ता के पक्ष में भी काम करता है. यह लोगों की मांग के अनुरूप वित्तीय बाजार

उपलब्ध करवाता है. हम पारंपरिक तौर पर आपूर्तिकर्ता से संबंधित तमाम उपायों के जरिए वित्तीय समावेशन को हासिल करने पर ज्यादा ध्यान देते रहे हैं ताकि लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने में मदद मिल सके. लेकिन मांग से जुड़ा एक पहलू और सामने आया है कि वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता और शिक्षा का विकास किया जाना भी आवश्यक है.

वित्तीय साक्षरता का महत्व निम्नलिखित कई कारणों से बढ़ गया है :

1. परिवारों जो अपने कल को बेहतर बनाने के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों से जुड़े हैं, पर बढ़ता जोखिम भार
2. जनकल्याण नीतियों तथा सामाजिक संयुक्त कार्यक्रमों में आई गिरावट
3. स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर परिवारों को प्रभावित करने वाले जोखिम की श्रेणी
4. जीवन प्रत्याक्षा में वृद्धि
5. परिभाषित लाभ से परिभाषित योगदान पेंशन योजना में पदार्पण
6. वित्तीय और बीमा जोखिम प्रबंधन में बढ़ायी गयी व्यक्तिगत जिम्मेदारी
7. अधिकतम परिवार अपनी ज्यादातर आय वित्तीय आस्तियों के विकास में निवेश करते हैं
8. अधिक जटिल उत्पाद
9. वित्तीय उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि
10. हाल ही में कुछ देशों में आए वित्तीय संकट

वर्तमान परिपेक्ष्य :

प्रौद्योगिकी, नियमन और व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए भारत दुनिया का सबसे योग्य वित्तीय बाजार है. भारत एक ऐसा देश है जिसकी विकास दर बाकी देशों से अधिक है. भारत की सकल पारिवारिक बचत दर जो 1996-97 और 1999-2000 के बीच सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 19% और जो 2003-04 में बढ़कर 20% हो गई. भारत में ज्यादातर लोग बचत में ही निवेश करते हैं जो कि चिंता का विषय है. वित्तीय साक्षरता के अभाव में उपभोक्ता उन उत्पादों में निवेश करता है जिनमें जोखिम शून्य हो. परिणाम स्वरूप अधिकतर जन बैंकों की आवधिक जमाराशियों, बिना जोखिम की सरकारी प्रतिभूतियों, गैर वित्तीय संपत्तियों में निवेश करते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2003-04 में घरेलू बचत का 1.4% निवेश इक्विटी, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर में हुआ था. जो 2005-06 में बढ़कर 4%हो गया, जो अपेक्षित निवेश से अभी भी बहुत कम है. जब तक हर व्यक्ति समझदार निवेशक नहीं बन जाता और गलत निर्णय लेने से अपने आप को नहीं बचा पाता तब तक अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए धन सृजन करना सुदूर स्वप्न जैसा है.

वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी मांग यह है कि बचत करने वालों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाए. आज भी निवेशक निवेश करने से पहले प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकार की बजाय अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से सलाह लेता है. यदि दी गयी सलाह सही न हो तो निवेशक का विश्वास वित्तीय क्षेत्र से उठ जाएगा. उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए निवेशक को वित्तीय जानकारी देना जरूरी है ताकि निवेशक लगातार बाजार का हिस्सा बनकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके. यहीं वित्तीय साक्षरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ताकि वित्तीय साक्षरता के कारण व्यक्ति अपनी बचत को बढ़िया तरीके से विभिन्न भागों में विभक्त कर सके और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर सके. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए "वित्तीय साक्षरता प्रोजेक्ट" नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य एक बड़े वर्ग जैसे स्कूल, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, गृहणियों, सुरक्षा क्षेत्र में लगे नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रीय बैंक और मूलभूत बैंकिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है. विशेष रूप से बालकों को वित्तीय जानकारी देने हेतु बालदिवस के अवसर पर 14 नवंबर, 2007 को वित्तीय शिक्षा साइट शुरू की गयी. समय-समय पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अन्य निबंध प्रतियोगिता, उत्कृष्ट लेख आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रिज़र्व बैंक द्वारा करवाया जाता है. वित्तीय साक्षरता प्रचार में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation & Development) का भी अहम योगदान है जो विभिन्न राष्ट्रों में वित्तीय साक्षरता हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है तथा हर संभव माध्यम- रेडियो, टी.वी., समाचार पत्र, वेबसाइट, प्रशिक्षण, विज्ञापन द्वारा वित्तीय साक्षरता के उत्थान का प्रयास करता रहता है. भारत में कईं गैर-सरकारी संगठन हैं जो साक्षरता के विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं. उनमें से ही एक गैर सरकारी संगठन "संचयन" है जो 09.09.2009 से वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के मिशन को पूरा करने के लिए तत्पर है. यह संगठन, स्कूलों, कॉलेजों, बस्तियों, पुनर्वास कालोनियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशालाएं संचालित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है.

वित्तीय साक्षरता से पहले और बाद की स्थितियां	
1. सीमित बजट और नकदी प्रवाह के नियंत्रण की कमी	1. नियंत्रित बजट और नकदी प्रवाह का धन प्रबंधन
2. वित्तीय नियोजन का अभाव- दीर्घकालिक नियोजन की कोई आदत न होना, नकारात्मक रवैया, बचत के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण न होना	2. भविष्य की योजना बनाकर संपत्ति का निर्माण करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्थापित करके नियमित तथा लक्षित बचत प्रथा और सूक्ष्म ऋण
3. जोखिम प्रबंधन के बिना आवश्यकता से अधिक ऋण लेना	3. जोखिम के लिए सक्रिय दृष्टिकोण होना व बीमा सेवा का उपयोग
4. वित्तीय सेवाओं का सीमित उपयोग, विकल्प और उपभोक्ता अधिकारियों का दुर्लभ ज्ञान	4. सही वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित रूप से उपयोग और चयन करने में सक्षम होना

भारत में बैंक भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को वित्तीय साक्षर कर रहे हैं. इसी कड़ी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राम ज्ञान केन्द्र खोले हैं जो ग्रामीणों को बैंकिंग से संबंधित जानकारी मुहैया करवाते हैं. इसके अतिरिक्त नो फ्रिल खाते खोलकर अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय दायरे में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं.

चुनौतियां :

1. मनोवैज्ञानिक कारक वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन में प्रमुख बाधा है. मैक्स न्यूयार्क लाइफ के सर्वेक्षण से पता चला है कि भारत में लगभग 60 फीसदी कामगार नकद राशि घर पर रखते हैं और रसूखदार लोगों से भारी ब्याज दर पर ऋण लेते हैं. यह आदत उनके वित्तीय सुरक्षा कवच को बेहद नाजुक बना देती है. इस मनोवैज्ञानिक सोच को बदलना तथा ऐसे लोगों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना बेहद कठिन चुनौती है.
2. गरीबी भी एक बाधा के रूप में सामने आ रही है. अर्थव्यवस्था के विकास में यह एक धब्बा है. इस समस्या को वित्तीय साक्षरता के द्वारा दूर किया जा सकता है, किन्तु ऐसा करना अपने आप में ही बड़ी चुनौती है.

वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय वंचन से वित्तीय समावेशन की ओर

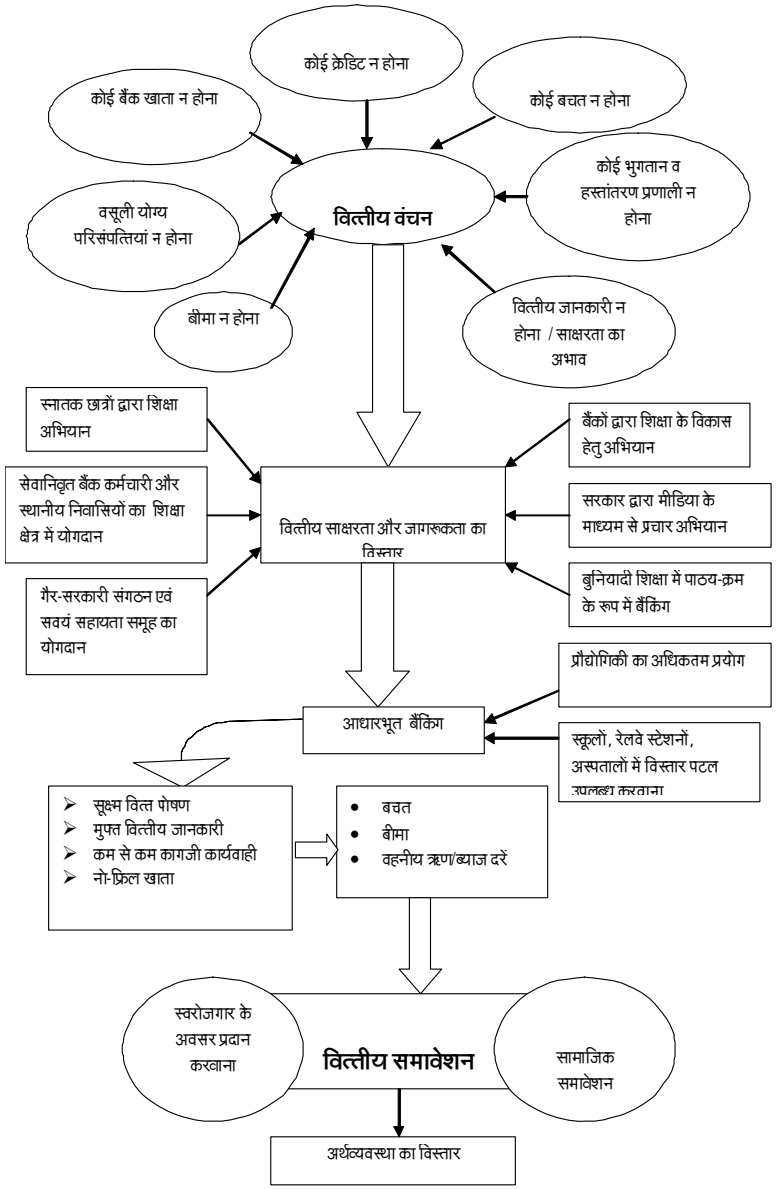

3. भारत विभिन्न भाषाओं का देश है. परन्तु वित्तीय साक्षरता के प्रचार में भाषा बाधा के रूप में सामने आ रही है. इस चुनौती को स्वीकार करने तथा स्थानीय लोगों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देकर वित्तीय साक्षर बनाने पर ही इस समस्या का हल निकल सकता है.

4. भारत की आधे से ज्यादा आबादी गावों में निवास करती है. यह भी सत्य है कि भारत में अभी तक 50% से भी कम लोग ही वित्तीय साक्षर हैं और वित्तीय सेवाओं का सही उपयोग कर पाते हैं. भारत में अनेकों गांव दुर्गम स्थानों पर बसे हैं जहां वित्तीय सेवाएं पहुंचाना भी एक चुनौती है.

संक्षेप में 2010 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 64.80 फीसदी है. जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 75.3 तथा महिलाओं की 53.7 फीसदी है. उतर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 7.7 फीसदी है. ऐसे स्थानों तक वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने में यदि हम सफल होंगे तभी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे.

पूजा कौड़ा, सहायक प्रबंधक, वाडिया इन्स्टिट्यूट शाखा, देहरादून

वित्तीय समावेशन -वर्तमान परिदृश्य और चुनौतियां

संतोष कुमार शुक्ला

दिसंबर 29, 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नन ने कहा "यह कटु सत्य है कि दुनिया भर में अधिकांश गरीब मूलभूल वित्तीय सुविधाओं से वंचित हैं, चाहे वह बचत, ऋण अथवा बीमा की बात हो, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उन अवरोधों को दूर करना जो लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में बाधक हैं. हम सब मिलकर एक ऐसा समावेशी वित्तीय क्षेत्र गढ़ें, जो उनके जीवन को बेहतर बना सके".

हमारे देश में, समावेशी विकास, नीति निर्माताओं की सदैव से चिन्ता रही है. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आजादी से अब तक कई कार्यक्रम व योजनाएं लागू की गयीं. देश की 59% आबादी अभी भी मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है. वित्तीय सुविधाओं को वंचित लोगों तक पहुंचाना देश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता के लिए पूर्वशर्त है. दुनिया के स्तर पर विगत में किये गये प्रयोगों की रोशनी में एक व्यापक आयोजना और समग्र प्रयास की आवश्यकता महसूस की गई है .

देश की लगभग 60% जनसंख्या के पास बैंक एकाउंट नहीं है और लगभग 90% आबादी ऋण सुविधाओं का उपयोग नहीं करती. वित्तीय सुविधाओं से न केवल ग्रामीण क्षेत्र वंचित है, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी उसकी आवश्यकता शिद्दत से महसूस की जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 39% लोगों के पास जमा खाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 60% है, क्योंकि एक व्यक्ति के एक से अधिक खाते होने की दशा में यह आंकड़ा और भी बदतर चित्र प्रस्तुत करता है. लगभग 80% लोग जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा अथवा गैर जीवन बीमा सुविधा से रहित हैं.वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा मूलभूत बैंकिग सुविधाओं का अभाव तथा साथ ही उपयुक्त कारोबार मॉडल की कमी, ये दो बड़े कारण हैं.

कमजोर तबके व निम्न आय वर्ग के लिये वहनीय दर पर उचित तथा पारदर्शी तरीके से मुख्य धारा के जरिये वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों व सेवाओं की उपलब्धता को वित्तीय समावेशन कहा जाता है .आज यदि शतप्रतिशत वित्तीय समावेशन संभव प्रतीत होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे प्रमुख प्राथमिकता प्रदान करना , बैंकिग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्फोट व बैंकर्स के मध्य यह प्रतीति कि गरीब व वंचितों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदत्त कराना लाभकर व्यवसाय का अवसर है, न कि महज एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन है .

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी पहल :

वर्ष 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर एक समिति का गठन किया. इस समिति की सिफारिशों को वर्ष 2005 में लागू किया गया, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में वित्तीय समावेशन वर्ष 2005 में संगठित रूप से आरंभ किया गया. इसके अन्तर्गत "नो फ्रिल" खाते खोलना, जमा खाता शून्य अथवा अत्यल्प रकम से खाता खोलने की सुविधा, लोच पूर्ण के.वाई.सी. मानदंड तथा जनरल क्रेडिट कार्ड योजना, जमाखाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा जैसे कार्यक्रमों के साथ पहल की गयी. वर्ष 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को, बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार हेतु बिजनेस फेसिलिटेटर व बिजनेस कॉरेस्पांडेन्ट (एजेन्सी मॉडल) रखने की अनुमति प्रदान की. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 2010 से 2013 तक तीन वर्षों हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही यह निर्देश दिया गया कि बैंकों की सभी शाखाएँ वित्तीय समावेशन सी बी एस से युक्त होनी चाहिए और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सितंबर 2011 तक सी बी एस से लैस होने को कहा गया .बैंकों को वित्तीय साक्षरता व साख सलाह केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया. वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन की पूर्व शर्त है. रिज़र्व बैंक की पहल पर बैंकों द्वारा फील्ड स्टाफ के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को शामिल किया गया. हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बिजनेस प्रतिनिधि मॉडल के अंतर्गत कारपोरेट क्षेत्र को शाामिल किया गया. साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया कि नई खुलने वाली शाखाओं में 25 प्रतिशत शाखाएँ बैंक रहित गाँवों में खोली जायें .भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य है कि 2000 से ऊपर की आबादी वाले प्रत्येक गाँव तक मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया जाये. अगले चरण में 2000 से नीचे की आबादी वाले गाँव व शहरी क्षेत्र के वंचितों तक बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाने का लक्ष्य है .

वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति :

मार्च 2011 तक देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति निम्नवत है.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का समेकित डाटा

क्र.	पैरामीटर	मार्च 2010	मार्च 2011
1	शामिल गाँव	54,757	99,840
2	शाखा बैंकिंग द्वारा शामिल गाँव	21,499	22,684
3	बिजनेस प्रतिनिधि द्वारा शामिल किये गये गाँव	33,158	76801
4	अन्य माध्यम द्वारा (ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन)	100	355
5	खोले गये नो फ्रिल खाते (मिलियन)	49.55	74.39
6	किसान क्रेडिट कार्ड (मिलियन)	19.5	22.49
7	जनरल क्रेडिट कार्ड (मिलियन)	0.67	0.95

(स्रोत : माननीय उपगवर्नर - भारतीय रिज़र्व बैंक श्री के सी चक्रवर्ती द्वारा 02.06.2011 को 26 वें स्कॉच सम्मेलन, मुम्बई में दी गई प्रस्तुति)

बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत 2010-2013 की वित्तीय समावेशन योजना के अनुसार लगभग 3,50,000 गाँवों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का लक्ष्य है. मार्च 2011 के अंत तक 99,840 गाँवों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाई जा चुकी हैं जिसमें से 76,801 गाँवों को बिजनेस प्रतिनिधि मॉडल द्वारा 22,684 गाँवों को बैंक शाखाओं द्वारा तथा 355 गाँवों को अन्य माध्यमों जैसे मोबाइल वैन व ग्रामीण ए टी एम द्वारा जोड़ा जा चुका है . कुल 74.39 मिलियन खाते मार्च 2011 तक खोले जा चुके थे.

मार्च 2012 तक कुल 2,23,473 गाँवों तथा तथा मार्च 2013 तक शेष सभी बचे हुए गाँवों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य है . जिसके फलस्वरूप मार्च 2012 तक कुल 109.62 मिलियन नो फ्रिल खाते तथा मार्च 2013 तक 153.33 मिलियन खाते खोलने का अनुमान है . कुल किसान क्रेडिट कार्ड व जनरल क्रेडिट कार्ड की संख्या मार्च 2012 तक 36.9 मिलियन व मार्च 2013 तक 48.8 मिलियन पहुँचाने का लक्ष्य है.

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का समेकित लक्ष्य			
क्र	पैरामीटर	मार्च 2012	मार्च 2013
1	शामिल गाँव	2,23,473	3,48,283
2	शाखा बैंकिंग द्वारा शामिल गाँव	24,618	25,694
3	बिजनेस प्रतिनिधि द्वारा शामिल किये गये गाँव	1,97,494	3,20,412
4	अन्य माध्यम द्वारा (ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन)	1361	2177
5	खोले गये नो फ्रिल खाते (मिलियन)	109.6	153.3
6	किसान क्रेडिट कार्ड (मिलियन)	32.3	40.7
7	जनरल क्रेडिट कार्ड (मिलियन)	4.68	8.11

(स्रोत : माननीय उपगवर्नर - भारतीय रिजर्व बैंक श्री के सी चक्रवर्ती द्वारा 02.06.2011 को 26 वें स्कॉच सम्मेलन, मुम्बई में दी गई प्रस्तुति)

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि महज "नो फ्रिल" खाता खोल देने या सिर्फ बैंक खाते खोल देने भर से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता. वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है कमजोर वर्ग / निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु समुचित वित्तीय उत्पाद जैसे जमा, ऋण, प्रेषण, बीमा व पेंशन आदि डिजाइन करना तथा उन्हें इस वर्ग तक वहनीय लागत पर उपलब्ध करवाना. इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूर्ण किया जाना अपेक्षित है. उक्त परिभाषा के आधार पर यदि देखा जाये तो सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, असंगठित क्षेत्र में कार्य करनेवाले शहरी मजदूर, छोटे स्व-उद्यमी व अप्रवासी वंचितों की श्रेणी में अधिसंख्य हैं.

देश में स्वयं सहायता समूह आंदोलन वर्ष 1992 से संगठित रूप से शुरु हुआ. इस आंदोलन ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया. आज इस आंदोलन में लगभग 86 मिलियन गरीब परिवार जुड़ चुके हैं. मार्च 2009 में देश में कुल 6.1 मिलियन स्वयं सहायता समूह थे, जिनमें से 4.2 मिलियन को साख सुविधा प्रदत्त है.इस आंदोलन की पैठ मुख्य रूप से दक्षिण भारत व विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में है. इसकी सफलता का श्रेय नाबार्ड, गैर सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों व राज्य सरकारों को जाता है. देश के अन्य भागों में इसे आंशिक सफलता ही मिल पायी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2006 में बी.सी. मॉडल हेतु दिशा निर्देश जारी किये. एक तरफ व्यावसायिक बैंकों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित है. बैंक ग्रामीण इलाकों में भी वहीं शाखाएं खोलते हैं जहाँ व्यवसाय की सम्भावनाएं हैं. एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र जो

अपेक्षाकृत पिछड़ा है, इनकी पहुंच से दूर है. इन बैंकों का बिजनेस मॉडल भी लघु टिकट व्यवसाय के अनुकूल नहीं बैठता. यही कारण है कि ये बैंक अपनी ग्रामीण शाखाओं को आधारभूत ढांचे व कार्मिकों की दृष्टि से सुसज्जित नहीं करते. सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति के फलस्वरूप यह संभव हुआ कि दूर दराज क्षेत्रों तक बैंकिंग उत्पादों को बिना शाखाएं खोले पहुंचाया जा सके. यह कार्य बिना कपट या हेरा फेरी की सम्भावना के एजेंटों द्वारा किया जाना सम्भव हुआ. इससे व्यावसायिक बैंकों की पहुंच सुदूर क्षेत्रों में कम लागत पर सम्भव हुई. आधुनिक तकनीक व स्थायी स्टाफ के स्थान पर एजेंटों से कार्य संपन्न होने के कारण उत्पाद की लागत कम बैठती है.

स्कॉच स्टडी, जो 28 वित्तीय समावेशन परियोजनाओं पर, जहाँ बी.सी. मॉडल को आधार बनाया गया, आधारित है, यह दर्शाती है कि बैंकों द्वारा प्रदत्त शुल्क इनके द्वारा आरम्भिक दो वर्षों में किये गये खर्च को पूरा नहीं कर पाता. इस समस्या का समाधान लेनदेन की लागत कम रखकर तथा लागत का एक अंश ग्राहक पर डालकर किया जा सकता है. दूसरा उपाय है - ब्रेक ईवेन तक लागत का एक भाग सरकार द्वारा वहन किया जाये. इन सीमाओं के बावजूद यह कहा जा सकता है कि बी.सी. मॉडल, वित्तीय समावेशन में एक कारगर औजार साबित हो सकता है.

चुनौतियाँ व सुझाव :

यह निर्विवाद है कि राजनीतिक सामाजिक स्थायित्व हेतु समाज के सभी वर्गों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जानी है. दरअसल वित्तीय समावेशन एक साधन है जो गरीबी निवारण के साध्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है. यह मिशन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक वंचित तबके के लिए उत्पादक / गैर उत्पादक आस्तियाँ खड़ी कर उन्हें आय अर्जन कर आधिक्य पैदा करने में समर्थ न बनाया जाये. यहाँ सामर्थ्य से तात्पर्य है - इस तबके में क्षमता निर्माण. अतः वित्तीय साक्षरता व साख सुझाव व वित्तीय समावेशन एक दूसरे के पूरक का कार्य करेंगे.

1. एक बड़े तबके का मुख्य धारा से अलगाव केवल कम आय, गरीबी के कारण ही नहीं है, बल्कि मनौवैज्ञानिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं. इसके कारण वह अलग-थलग व दिशाहीन महसूस करता है.यहाँ आवश्यक है कि इस वर्ग हेतु इनकी क्षमता के अनुकूल आवास ऋण, कृषि यंत्र ऋण, साइकिल ऋण व डेयरी ऋण आदि उत्पाद लाकर इनकी चुकौती आसान किश्तों, साप्तहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की जा सकती है. यह विचारणीय है कि यह वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रायः अकुशल व अर्द्धकुशल है. इनके लिए कौशल विकास सुनिश्चित कर इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है.

2. सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल की अपार संभावनाएं हैं. यहां दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण समीचीन होगा. बताया जाता है कि वहां एक बड़े ग्रामीण तबके की पारम्परिक बैंकिंग चैनल तक पहुंच नहीं है, किन्तु मोबाइल की पहुंच हो चुकी है. यहां पर बैंकों ने कम लागत वाले डिलीवरी मॉडल जैसे स्मार्ट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, पीओएस का भरपूर इस्तेमाल किया है.
3. बैंक की अगुवाई वाले मॉडल की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं. अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं, जहाँ शाखाएं खोलकर उनकी वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध हो सकती है. ग्रामीण बैंकों की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता, किन्तु ये बैंक अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन तभी कर सकेंगे, जब इन्हें सी.बी.एस. से लैस किया जाये.
4. शाखा विहीन बैंकिंग की सफलता इस पर निर्भर करती है कि बी.सी. के चुनाव में सावधानी बरती जाये, चुनाव के उपरांत उनके उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, उनको मिलने वाला सेवाशुल्क समुचित हो, जिससे उनके उत्साह में कमी न आये. साथ ही साथ उनके अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु प्रभावकारी तंत्र खड़ा किया जाये.
5. आधुनिक तकनीक का अनुकूलतम दोहन किया जाये. बायोमेट्रिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पी.ओ.एस. व मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सुविधाओं को सुदूर क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है. इस दिशा में उत्पाद नवोन्मेष की बड़ी सम्भावनाएं हैं. विशेषकर मोबाइल बैंकिंग का प्रसार लेनदेन की लागत को कम रखने में सक्षम है.
6. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने देश में, विशेषकर दक्षिण भारत में, ऋण संस्कृति विकसित करने में अद्भुत योगदान किया है. इनके अनुभव व्यावसायिक बैंकों के स्टाफ को संवेदनशील बनाने व प्रशिक्षित करने में उपयोगी हो सकते हैं. यही नहीं लघु टिकट ऋण उत्पादों के वितरण व अनुश्रवण का इनका अनुभव मुख्य धारा की संस्थाओं के लिए लाभकर हो सकता है.

अन्त में यह कहना समीचीन होगा कि वित्तीय समावेशन देश के समग्र विकास हेतु अनिवार्य शर्त है और इस मिशन को पूरा करने हेतु बहु एजेंसी एप्रोच की आवश्यकता है, जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों, बीमा कंपनियों, मोबाइल सेवाप्रदाताओं व सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्धकर्ताओं की सम्मिलित भूमिका बनती है, यद्यपि अगुवाई व्यावसायिक बैंकों को ही करनी होगी.

संतोष कुमार शुक्ला, मुख्य प्रबंधक, पीबीओडी, क्षे.का., लखनऊ

वित्तीय समावेशन में आदर्श ग्राम योजना का महत्व

बजरंग लाल कुमावत

भारतीय अर्थव्यवस्था देश के ग्रामीण उद्योगों/कृषि पर आधारित है. यहां की 65 फीसदी आबादी गांवों में बसती है. यहां अभी तक 48 फीसदी परिवार बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं. देश की 26 फीसदी से भी अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है और जिनमें से केवल 20 फीसदी की ही ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति बैंकों द्वारा की जाती है.देश के विकास के लिए ग्रामीणों का विकास अत्यंत आवश्यक है. इसके लिए वित्तीय सहायता वो भी उचित दर पर आवश्यक है. गांव के अधिकांश लोग वित्त के लिए स्थानीय साहूकारों पर निर्भर हैं. जो इन्हें उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं. मात्र वित्तीय सुविधाएं ही नहीं बल्कि जीवन यापन हेतु रोटी, कपड़ा, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर, आदि मूलभूत सुविधाओं से भी ये लोग वंचित हैं. इस प्रकार की समस्या से गरीब लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बैंकों द्वारा समावेशित वृद्धि के निर्देश दिए हैं जिसकी अनुपालना में बीमा, धन अंतरण, सामाजिक सुरक्षा आदि सुविधाओं को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया गया. आदर्श ग्राम योजना भी उसी वित्तीय समावेशन का ही एक रूप है, जहां पिछड़े, बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों को उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान और ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार हेतु बैंकिंग नेटवर्क के दायरे में लाया गया है. किसी भी ग्राम को आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत लाने का पैमाना उसका पिछड़ापन तथा बैंकिंग सुविधाओं से उसकी दूरी है. बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये संस्थागत ऋण के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों की सुविधा का अधिकाधिक उपयोग कर ही ग्रामीण आदर्श ग्राम योजना को सही मायनों में सफल बना सकते हैं.

योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले गांव की सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करने तथा किसी एक विशेष योजना का प्रारूप तैयार करने के पश्चात ही गांव के विकास में आ रही बाधाओं को दूर कर विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे. ग्राम विकास केन्द्र अपने संबद्ध गांव के अतिरिक्त अपने कार्य क्षेत्र से किसी पिछड़े गांव का चयन करता है और उस गांव में बैंकिंग के अतिरिक्त मूलभूत संरचना, उत्पादन, निवेश, उपभोग आदि के विकास हेतु योजनाएं बनाता है. इन सुविधाओं की पूर्ति हेतु बैंक सरकारी एजेंसी से संपर्क साध कर उत्प्रेरक का कार्य भी करता है. यदि आवश्यकता पड़े तो ऐसी योजनाओं को अपने कारपोरेट सामाजिक उतरदायित्व या ग्रामीण प्रचार कोष से अंशदान कर भी पूरा करता है. मुख्य रूप से ग्रामीण परिवार की निम्न वित्तीय आवश्यकताएं होती हैः

1. मौजूदा गतिविधि के लिए कार्यशील पूंजी
2. अतिरिक्त आय उत्पादन हेतु निवेश
3. उपभोग आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, घर की मरम्मत, बच्चों की शादी एवं शिक्षा के व्ययों की पूर्ति हेतु धन

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में मित्रों, रिश्तेदारों, साहूकारों के माध्यम से की जाती है. आदर्श ग्राम योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को न केवल वित्तीय सहायता देकर बल्कि प्रशिक्षण के द्वारा भी गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त इन लोगों की साहूकारों पर निर्भरता को समाप्त कर इनकी साक्षरता दर में वृद्धि कर 100% बैंकिंग सुविधाओं के अधीन लाने पर ही आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य पूरा हो सकेगा.

आदर्श ग्राम के लिए मूलभूत विकास कारक :

1. गांव में स्थित सभी बीपीएल परिवारों को एपीएल परिवारों में अपग्रेड करना.
2. साक्षरता की दर को उत्कृष्ट शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देना.
3. सभी परिवारों को पीने का पानी एवं साफ-सफाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना.
4. कृषि उत्पादकता को किसानों में जागरूकता एवं कृषि पद्धतियों से बढ़ाना.
5. सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे 24 घंटे बिजली, प्राथमिक शिक्षा एवं चिकित्सा .
6. रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना.

7. सामाजिक, आर्थिक असमानता, निरक्षरता, बाल विवाह, स्त्रियों का शोषण, गरीबी, भुखमरी, छुआछूत या जाति व्यवस्था दोष को खत्म करना.
8. किसानों को देशी साहूकारों / महाजनों के चंगुल से मुक्त करवाना.
9. जीवन स्तर में सुधार लाना.

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन के तहत विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम ज्ञान केन्द्रों, यूनियन मित्र की स्थापना कर ग्रामीणों की सहायता हेतु आवश्यक कदम उठाया है. इसी अनुक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर से आदर्श ग्राम योजना के तहत 101 गांवों को अंगीकृत करते हुए उनके सर्वांगीण विकास एवं उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में परिवर्तित करने हेतु औपचारिक रूप से इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया. योजना के अन्तर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वायत्त निकाय द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न समाजार्थिक विकास कार्यक्रमों में बैंक की सहभागिता के माध्यम से कईं गतिविधियां शामिल की गयी हैं. गांवों को शत प्रतिशत बैंकिंग आदत वाले गांव के रूप में परिवर्तित करने के अतिरिक्त बैंक का ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम विकास हेतु प्रदान की गयी निधियों का तुरंत उपयोग विभिन्न योजनाओं के तहत रूपरेखा के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाए.

यह सर्वविदित है कि देश एवं प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है. ग्रामीण क्षेत्र के संतुलित विकास करने के उद्देश्य से पंचायत मुख्यालयों को ग्राम विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने हेतु सरकार द्वारा अटल ग्राम योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है. उत्तराखंड में 670 गांवों के पंचायत मुख्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं यथा सड़क. पेयजल, विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गयी है. इन गांवों को वर्ष 2011 तक सभी अवस्थापना सुविधाओं एवं शासकीय सेवाओं के सृजन से न्याय पंचायत के इन गांवों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा.

(i) उद्देश्य :- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना.

(ii) न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों में विकास केन्द्र अवधारणा पर आधारित मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं तथा आवश्यक शासकीय सेवाओं के संतृप्तिकरण.

अटल आदर्श ग्राम योजना की परिकल्पना इस रूप से की जा रही है कि विकास कार्यक्रमों से चयनित ग्रामों को इस प्रकार से संतृप्त किया जाये कि उन ग्रामों का तो समग्र विकास हो ही, साथ ही साथ ये ग्राम विभिन्न सेवा संबंधी गतिविधियों के लिए एक केन्द्र के रूप में भी अभिज्ञानित हों. उतराखण्ड के प्रत्येक ग्राम में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दिया जाना ही मूलभूत आवश्यकता है, ताकि अटल ग्राम योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्रामों की मूलभूत आवश्यकताओं को संतृप्त किया जा सके. इस प्रकार ये ग्रामीण विकास की धुरी प्रमाणित होंगे. विकास केन्द्र बिन्दु अवधारणा के अनुरूप आस-पास के ग्रामों को कई सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी एवं विकास के क्रम में क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में प्रदेश अग्रसर होगा. इसके विभिन्न कार्यो के लिए जनसामान्य को विकास खण्ड, तहसील एवं जिला मुख्यालय पर आने जाने की आवश्यकता में कमी आएगी. यह रोजगार केन्द्र भी सिद्ध होगा. पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा इन सब बातों के परिणामस्वरूप शहरों की ओर हो रहा पलायन रुकेगा.

ओशबाली ग्राम पश्चिम बंगाल के उन हजारों ग्रामों में से एक है, जो गरीबी, निरक्षरता, अस्वस्थ जीवन दशा और संबंधित सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त था और यह तब तक इन समस्याओं का सामना कर रहा था जब तक कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आदर्श ग्राम योजना के तहत इसे गोद नहीं लिया था, जिसने गांव को एक आशा की किरण दिखाई और गांव को विकास के पथ की ओर अग्रसर किया.

गांव के बारे में :

हुगली जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी लगभग 1995 है जिसमें से अधिकांश कृषि मजदूरों के रुप में कार्य कर रहे हैं या पास के शहरी क्षेत्रों की आभूषण विनिर्माण इकाइयों में श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं. 40% से भी अधिक जनसंख्या बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आती है. साक्षरता दर औसतन 63.86% है, जबकि शिशु मृत्यु दर नियंत्रण में है और औसत जीवन प्रत्याशा दर लगभग 70 वर्ष है.

किए गए विकासात्मक कार्य :

1. 100% बैंकिंग अभ्यस्त गांव- पूरे गांव के सभी परिवारों के पास बैंक खाते हैं और जब और जैसे भी संभव होता है वह अपनी आय के हिस्से की नियमित रूप से बचत करते हैं. बैंक में बड़ी संख्या में खाते खुल रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान अब खेती प्रथाओं के लिए ऋण का लाभ उठाने के योग्य हैं. बैंक के पास लगभग 440 खाते हैं जिसमें जमा धनराशि लगभग 84.58 लाख रुपये है. बैंक ने नो-फ्रिल खाते खोले हैं और लोगों को बैंक के नए उत्पाद के बारे में जानकारी

प्रदान करने के लिए नियमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और साथ ही उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में उनकी सहायता की जाती है.

2. स्वास्थ्य जागरूकता- पंचायत कार्यालय में एक होम्यो-क्लीनिक शुरू किया गया है क्योंकि गांव में कोई भी स्वास्थ्य या उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है.

3. किसानों को प्रशिक्षण- कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए पंचायत अधिकारियों की मदद से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया.

4. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन- गांव के समग्र विकास के लिए ब्लॉक विकास अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और एनआरईजीपी जैसी सरकारी योजनाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा है.

समग्र विकास हेतु आवश्यकता का आकलन

क्षेत्र	आवश्यकता का मूल्यांकन	आवश्यकता
स्वच्छता	उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण मच्छरों द्वारा फैलाए गए रोगों का सामना करना एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाना.	सामुदायिक शौचालय (संख्या में 10) एवं स्वच्छ पानी पीने के लिए टयूबवेल लगवाना
शिक्षा	क्लब परिसर के अंदर प्राथमिक विद्यालय चल रहा है. जिसमें कोई भी उचित डेस्क, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि नहीं है	स्कूल भवन का निर्माण और बैंक के ग्राहकों के बच्चों को बुनियादी सुविधाएं और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना
स्वास्थ्य	वर्तमान में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है.	प्राथमिक उपचार हेतु होमियो क्लीनिक शुरु करना

इन सुविधाओं के अतिरिक्त गलियों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए भी बैंक द्वारा सहयोग दिया गया. ग्रामीणों में मितव्ययिता की आदत डालने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और बैंक वित्त से समूहों को जोड़ा गया. बायोमिट्रिक कार्ड, कारोबार संपर्की की सहायता से न्यूनतम लागत तकनीक के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत भुगतान के वितरण हेतु शाखा रहित बैंकिंग, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से नवीनतम तकनीक एवं विकास से संबंधित जानकारी, जलवायु विषयक एवं कृषि उत्पादन के चालू बाजार मूल्य की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाकर प्रत्येक ग्रामीण को वित्तीय समावेशित करने का प्रयास किया गया.

फार्मर्स क्लब का कार्यान्वयन, बैंक के विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं और ऋण प्राप्त करने के संबंध में कृषकों को मार्गदर्शन, अनुसंधान केंद्रों से मिलकर भूमि कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला आदि उपलब्ध करवाकर निकटतम कृषि विश्वविद्यालय के साथ गठजोड़ के माध्यम से क्षेत्रों के दौरे की व्यवस्था की गयी और कृषकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी. गांवों से शहर में पलायन को रोकने के लिए गांवों में स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु ग्रामीणों में शिल्प व अन्य कलाओं के प्रति रूचि विकसित की गयी ताकि वे सभी दृष्टि से आत्म निर्भर ग्राम बन सकें.

आज आवश्यकता इस बात की है कि वित्तीय समावेशन द्वारा ग्रामीण सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे सीमित प्रयासों को एक आंदोलन का रूप दिया जाये ताकि यह योजना तेजी से आगे बढ़े और एक केन्द्रीकृत एवं प्रभावी जन-अभियान का स्वरूप ले ले. यदि हमें इसे प्राप्त करना है तो उसके लिए सभी भागीदारों का उत्साहवर्धक जुड़ाव, समर्पण एवं प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक है. सभी संबद्ध पक्षों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा और इस प्रकार सभी स्तरों पर जानकारी सृजित करनी होगी.

सही शब्दों में "यूनियन आदर्श ग्राम योजना" गांवों को "सुजलाम सुफलाम सस्यश्यामलम" बनाने का प्रयास है जिससे संपूर्ण राष्ट्र वित्तीय परिधि में आकर अपने सपनों को साकार कर सके.

बजरंग लाल कुमावत, शाखा प्रबंधक, यूएलपी, मोहाली

वित्तीय समावेशन का संवाहक - बीसीबीएफ मॉडल

नितिन द. गोसावी

आम आदमी के आर्थिक उत्थान के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक उसकी पहुंच बहुत महत्वपूर्ण है. पिछले चार दशकों में बैंकिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार होने के बावजूद हमारे देश के विशाल बहुमतवाले लोगों की बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अपवर्जन है.

वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत बैंक खाता यह एक वित्तीय समावेशन का आम परिमाण है. बचत खातों की संख्या पर उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए तथा एक व्यक्ति का केवल एक ही खाता है यह मानते हुए, अखिल भारतीय स्तर पर, देश में वयस्क जनसंख्या के 59 प्रतिशत ही बैंक खाते है. अन्य शब्दों मे, 41 प्रतिशत आबादी बैंक रहित है. (बैंक की सुविधाओं से वंचित है).

अपेक्षित व्यापार आयतन की तुलना में शाखाएं खोलने में शामिल विशाल लागत, आपरेशन की उच्च लागत, सीमित बैंकिंग घंटे, निरक्षरता, ग्रामीण कर्मचारियों की अनुपलब्धता, साहूकारों का प्रसार आदि के कारण शाखा बैंकिंग का विस्तार जाहिर तौर पर बहुत व्यावहारिक नहीं है.

इसलिए, बैंकों को पारंपरिक ईंट और गारा (ब्रिक एण्ड मॉर्टर) की स्थापना से बाहर जाना उचित है. दूर दराज के क्षेत्रों में लेकिन कम लागत के साथ, ग्रामीण ग्राहकों का अधिक से अधिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधाप्रदाता यह एक वैकल्पिक व्यवहार्य व्यापार पहुंच (आउटरीच) मॉडल (प्रतिमान) है.

अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने जनवरी, 2006 में बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधादाताओं का उपयोग वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए करने की अनुमति दी.

रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधादाता मॉडल के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

व्यवसाय सुविधाप्रदाता प्रतिमान :

पात्र संस्थाएं :

"व्यवसाय सुविधाप्रदाता" प्रतिमान के अंतर्गत, बैंक सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक की सुविधा के स्तर के आधार पर गैर- सरकारी संगठनों/ किसान क्लबों, सहकारी संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं के आईटी सुविधा से युक्त ग्रामीण आउटलेटों, डाक घरों, बीमा एजेंटों, सुचारू रूप से कार्यरत पंचायतों, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों, कृषि क्लिनिकों/ कृषि व्यवसाय केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा खादी और ग्रामोद्योग कमीशन / खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाइयों जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं.

गतिविधियों की व्याप्तिः

व्यवसाय सुविधाप्रदाताओं की गतिविधियों की व्याप्ति निम्नानुसार है :

- उधारकर्ताओं की पहचान और कार्यकलापों का निर्धारण
- प्राथमिक जानकारी/ आंकड़ों के सत्यापन सहित ऋण आवेदनपत्रों का संग्रहण और प्रारंभिक प्रसंस्करण
- बचत और अन्य उत्पादों तथा शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं धन प्रबंध पर सलाह तथा ऋण संबंधी परामर्श देना
- आवेदन पत्रों का प्रसंस्करण और बैंकों को प्रस्तुति
- स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त दायित्व समूहों का संवर्धन और विकास
- मंजूरी के बाद निगरानी
- स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त दायित्व समूहों / ऋण समूहों /अन्यों की निगरानी और सहायता करना, तथा
- वसूली के लिए अनुवर्तन शामिल होना

चूंकि इन सेवाओं का उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय को संचालित करने में व्यवसाय सुविधाप्रदाताओं को संबद्ध करना नहीं है, अतः ऊपर निर्दिष्ट सेवाओं में सहायता के लिए उपर्युक्त मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है.

व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिमान :

पात्र व्यक्ति /संस्थाएं :

बैंक निम्नलिखित व्यक्तियों /संस्थाओं को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैः

- व्यक्ति, जैसे, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक, ऐसे व्यक्ति जो किराना/ मेडिकल/ उचित मूल्य दुकानों के स्वामी हैं, ऐसे व्यक्ति जो पीसीओ ऑपरेटर हैं, भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं / बीमा कंपनियों के एजेंट, ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पंप के स्वामी हैं, बैंकों से संबद्ध सुसंचालित स्वयं सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केंद्र (सी एस सी) चलाने वाले व्यक्तियों सहित कोई अन्य व्यक्ति
- सोसाइटी / न्यास अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित एनजीओ / लघु वित्त संस्थाएं और धारा 25 कंपनियां
- परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम / राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियम / बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी
- डाक घर, और
- गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) को छोड़कर भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनियां, जिसके खुदरा केंद्रों का व्यापक जाल हो

कोई व्यवसाय प्रतिनिधि एक से अधिक बैंकों का व्यवसाय प्रतिनिधि हो सकता है, परंतु ग्राहक से संपर्क के स्थलों पर व्यवसाय प्रतिनिधि का खुदरा केंद्र या उप एजेंट केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी की सेवाएं प्रदान करेगा. बैंक और व्यवसाय प्रतिनिधि के बीच की संविदा पर लागू शर्ते लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी

चाहिए और उनकी कानूनी दृष्टि से पूरी जांच होनी चाहिए. करार बनाते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोसिंग में जोखिम नियंत्रण और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश में निहित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए. बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों और उनके खुदरा केंद्रों / उप एजेंटों के कार्यो के लिए पूरी तरह जिम्मेवार होंगे.

गतिविधियों का दायरा :

व्यवसाय प्रतिनिधिओं की गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगेः

- उधारकर्ताओं की पहचान
- ऋण आवेदन पत्र एकत्र करना और उनकी प्राथमिक प्रोसेसिंग जिसमें प्राथमिक सूचना / आंकड़ों का सत्यापन शामिल है
- बचत और अन्य उत्पादों के संबंध में जन-जागृति फैलाना तथा धन प्रबंधन के संबंध में शिक्षण और सलाह देना तथा ऋण संबंधी परामर्श देना
- बैंकों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना और उनकी प्रोसेसिंग करना
- स्वयं सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह / ऋण समूह / अन्य समूहों को प्रवर्तित एवं प्रोत्साहित करना
- ऋण मंजूरी के बाद निगरानी करना
- ऋण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना
- अल्प मूल्य वाले ऋणों का वितरण करना
- मूल धन की वसूली /ब्याज एकत्र करना
- अल्प मूल्य जमाराशियों का संग्रह
- माइक्रो बीमा/ म्युचुअल फंड उत्पाद/ पेंशन उत्पाद/ अन्य थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री और
- अल्प मूल्य वाले प्रेषणों / अन्य अदायगी लिखतों की प्राप्ति और वितरण

व्यवसाय प्रतिनिधि वही कारोबार करेंगे जो बैंकों के सामान्य बैंकिंग कारोबार हैं, लेकिन उन्हें बैंकिंग प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां बैंक परिसर / एटीएम नहीं हैं.

अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) के मानदंडों का अनुपालन :

हर साल 1 जुलाई को रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित परिपत्र में वर्णित 'अपने ग्राहक को जाने और 'धनशोधन निवारण' (एएमएल) संबंधी प्रक्रियाओं तथा इस विषय पर जारी परिपत्रों का सभी मामलों में अनुपालन किया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो तो बैंक खाता खोलने की औपचारिकताओं से संबंधित आरंभिक कार्य के लिए व्यवसाय प्रतिनिधिओं की सेवाएं ले सकते हैं. तथापि, व्यवसाय प्रतिनिधि प्रतिमान के अंतर्गत केवाईसी और एएमएल मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व बैंकों का रहेगा.

ग्राहकों की गोपनीयता :

बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधादाताओं के पास उपलब्ध ग्राहक सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए.

सूचना प्रौद्यागिकी स्तर :

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा प्रयुक्त उपकरण और प्रौद्योगिकी उच्च स्तर के हैं.

दूरी संबंधी मानदंड :

बैंकों द्वारा व्यवसाय प्रतिनिधि के खुदरा केंद्र/ उप एजेंट के परिचालनों और गतिविधियों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि के प्रत्येक खुदरा केंद्र / उप-एजेंट को एक विशेष बैंक शाखा, जिसे आधार शाखा कहा जाएगा, से संबद्ध करना चाहिए तथा उसे उक्त आधार शाखा के पर्यवेक्षण के अधीन रखना चाहिए. व्यवसाय प्रतिनिधि के खुदरा केंद्र / उप-एजेंट और आधार शाखा के बीच की दूरी सामान्यतः ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में 30 कि.मी. और महानगरीय केंद्रों में 5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि दूरी संबंधी मानदंड में छूट देने की आवश्यकता हो तो जिला परामर्शी समिति (डीसीसी)/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)अपर्याप्त बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों आदि में मामले के गुण-दोष के आधार पर छूट देने पर विचार कर सकती है.

व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधादाताओं की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कमीशन का भुगतान :

व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधाप्रदाताओं को बैंक यथोचित कमीशन / शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, इसकी दर और मात्रा की समय समय पर समीक्षा की

जानी चाहिए. व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधाप्रदाताओं के साथ किये गये करार में इसका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि बैंक की ओर से उनके द्वारा दी गयी सेवा के लिए वे ग्राहकों से सीधा कोई शुल्क नहीं लेंगे.

बैंकों को (व्यवसाय प्रतिनिधि को नहीं) यह अनुमति दी जाती है कि वे पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से तर्कसंगत सेवा प्रभार वसूल कर सकते हैं .

व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से लेनदेन करना :

चूंकि व्यवसाय प्रदाताओं /प्रतिनिधियों जैसे मध्यस्थों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा संबंधी, कानूनी और परिचालन जोखिम है, अतः बैंकों को इन जोखिमों पर समुचित विचार करना चाहिए. बैंकों को किफायती तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाने के अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्यागिकी आधारित समाधान अपनाना चाहिए. सामान्यतः लेनदेन बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सी बी एस) से अविच्छिन रूप से जुड़े आईसीटी उपकरणों (हैंडहेल्ड डिवाइस / मोबाइल फोन) के माध्यम से किया जाना चाहिए. लेनदेनों का हिसाब तात्कालिक आधार पर होना चाहिए और ग्राहकों को दृश्य माध्यमों (स्क्रीन आधारित) या अन्य माध्यमों (नामे या जमा पर्ची) से अपने लेनदेन का तुरंत सत्यापन मिलना चाहिए.

व्यवसाय प्रतिनिधि के साथ की गयी व्यवस्था में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाना चाहिए.

- मध्यस्थों द्वारा नकदी रखने की उपयुक्त सीमा तथा वैयक्तिक ग्राहक के भुगतान और जमा की सीमा
- ग्राहक से प्राप्त नकदी की प्राप्ति सूचना बैंक की ओर से एक रसीद जारी करके, दी जानी चाहिए
- सभी ऑफ लाइन लेनदेनों का लेखांकन होना चाहिए तथा दिवस की समाप्ति तक बैंक की बहियों में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए, और
- ग्राहक के साथ किए गए सभी करारों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि के सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए ग्राहक के प्रति जिम्मेवार होगा

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी :

बैंकों को अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों के कार्य निष्पादन की विस्तृत समीक्षा वर्ष में कम-से-कम एक बार करनी चाहिए और अपने नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से तथा

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों अर्थात् एसएलबीसी, डीएलसीसी, बीएलबीसी के माध्यम से भी व्यवसाय प्रतिनिधि की गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए. बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में आवधिक अंतराल पर व्यवसाय प्रतिनिधियों के यहाँ दौरा और ग्राहकों से आमने-सामने बातचीत शामिल होनी चाहिए.

उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय :

बैंकों को ग्राहकों के हित की रक्षा करने के लिए हर प्रकार का उपाय करना चाहिए. सुरक्षा के ऐसे कुछ उपाय नीचे दिये जा रहे हैं:

- एक जन सभा में गाँव के बुजुर्गों और सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैंक के पदाधिकारियों को व्यवसाय प्रतिनिधि के खुदरा केंद्र /उप एजेंट का जनता से व्यक्तिगत परिचय कराना चाहिए ताकि कोई मिथ्या निरूपण / प्रतिरूपण न हो.
- उत्पाद और प्रक्रियाएँ बैंकों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए तथा कंपनी को संबंधित बैंक के अनुमोदन के बिना कोई उत्पाद/ प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए.
- प्रत्येक खुदरा केंद्र/ उप एजेंट से यह अपेक्षा की जा सकती है कि उन्हें एक साइनेज प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें बैंक के सेवाप्रदाता के रूप में उनकी स्थिति दी जानी चाहिए तथा व्यवसाय प्रतिनिधि का नाम, बैंक की आधार शाखा/ नियंत्रक कार्यालय और बैंकिंग लोकपाल के टेलीफोन नम्बर तथा उस केंद्र में उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए शुल्क की सूचना दी जानी चाहिए.
- व्यवसाय प्रतिनिधि के खुदरा केंद्रों / उप एजेंटों द्वारा दी गई वित्तीय सेवाओं को ऐसी कंपनी के किसी उत्पाद की बिक्री से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
- विभिन्न सेवाओं के लिए लिये जाने वाले प्रभार एक ब्रोशर में दर्शाये जाने चाहिए और उन्हें खुदरा केद्रों / उप एजेंटों के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
- बैंकों को स्थानीय भाषाओं में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सामग्री तैयार करनी चाहिए ताकि व्यवसाय प्रतिनिधि / उप एजेंटों में समुचित मनोवृत्ति और क्षमता विकसित की जा सके.
- सामाजिक ऑडिट के एक उपाय के रूप में आवधिक रूप से प्रखंड स्तर पर बैठकें हो सकती हैं जिनमें उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र में कार्यरत व्यवसाय प्रतिनिधि और उनसे संबद्ध शाखा प्रबंधकों को बुलाया जाए ताकि वे अपनी

कठिनाइयां बता सकें तथा उनसे फीडबैक प्राप्त किया जा सके. अग्रणी बैंक से अग्रणी जिला प्रबंधक (एल डी एम) जिले में ऐसी बैठकों में शामिल हो सकते हैं तथा प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और नियंत्रक कार्यालयों को ऐसा फीडबैक प्रदान कर सकते हैं.

- बैंक के पास आवश्यक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) होनी चाहिए, ताकि कंपनियों / उप-एजेंटों के साथ एजेंसी व्यवस्था समाप्त करने की स्थिति में बाधा रहित सेवा सुनिश्चित की जा सके.
- यदि कोई कंपनी एक से अधिक बैंकों का बीसी हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के आँकड़े और खातों के ब्यौरे अलग-अलग रखे जाते हैं और आँकड़े आपस में मिश्रित नहीं होते हैं.

शिकायत निवारण :

बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत निवारण के लिए बैंक के भीतर एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यमों से उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए. बैंक के निर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क टेलीफोन नंबर प्रंदर्शित किया जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए. निर्दिष्ट अधिकारी को यह सुनिश्रित करना चहिए कि ग्राहकों की प्रमाणिक शिकायतें शीघ्र दूर की जाती है. बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया और शिकायतों के उत्तर भेजने के लिए नियत समय सीमा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए. यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत प्रेषित करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त करता है तो उसे यह विकल्प रहेगा कि वह अपनी शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से संपर्क करे.

ग्राहक शिक्षण :

बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंकिंग आदत के लाभ के संबंध में जन-भाषा में शिक्षित करने के लिए किये जाने वाले प्रयास में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी चाहिए. बैंकों द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों के संबंध में सूचना संबंधित बैंकों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए. बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में हुई प्रगति तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की गयी पहल की रिपोर्ट होनी चाहिए. बैंक अपने व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के कार्यान्वयन का व्यापक प्रचार करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी प्रयोग कर सकते हैं.

उपरोक्त व्यवस्था / प्रणाली का क्रियान्वयन स्थानीय संस्थान यथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ज्यादा प्रभावी हो सकता है. इस हेतु इन संस्थाओं को अपने आपको तकनीकी रूप से उन्नत करना होगा. यह कार्य लंबा एवं खर्चीला है पर असंभव नहीं. हमारे देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए हमारी सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है. इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता में हमारे देश के पढ़े लिखे बेरोज़गार युवकों को शामिल किया जाना चाहिए. इस हेतु उन्हें प्रेरित एवं शिक्षित किया जाना चाहिए. साथ ही एक उचित वेतन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, ताकि वे समर्पण की भावना से कार्य कर सकें और उसे सफल बना सकें.

व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग करके हासिल की गई कुछ उपलब्धियों के उदाहरण :

आंध्र प्रदेश वित्तीय समावेशन योजना

अप्रैल, 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के वारंगल जिले के छह मंडलों में एक परियोजना शुरु की. यह योजना लाभार्थियों को सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों के माध्यम से वितरण करने के लिए आयोजित की गई. यह परियोजना एस बी आई, एस बी एच. आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और एवी ग्रामीण बैंक के समन्वय में की गई. परियोजना मुख्य रूप से उन ग्रामीण ग्राहकों को कवर करने के उददेश्य से बनाई गई जिनका प्रमुख आय का स्त्रोत समाज सेवा पेंशन और उपदान / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मजदूरी का हिस्सा है. परियोजना में व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधाप्रदाता मॉडल का उपयोग किया गया. व्यवसाय प्रतिनिधि - "जीरो मास फाउंडेशन".

एस.बी.आई टाइनी परियोजना :

इस परियोजना के तहत, वर्ष 2006 में झिरो मास फाउंडेशन (व्यवसाय प्रतिनिधि) के साथ, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में स्मार्ट कार्ड जारी किए गए और कार्डधारकों को इन कार्ड द्वारा वित्तीय सेवाएं दी गयी.

यूबीआई धारावी योजना :

नियमित काम के घंटों में व्यापार के नुकसान के डर से बैंक की शाखाओं मे जाना फेरीवालों के लिए मुश्किल है. लेकिन वे भी बचत करना चाहते हैं. उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त, 2007 में हॉकर एसोसिएशन ऑफ मुंबई तथा फिनो फिनटेक फाउंडेशन की मदद से फेरीवालों को स्मार्ट

कार्ड दिए हैं और उनके नो फ्रिल खाते खोले हैं. फिनो द्वारा नियुक्त एजेंट्स पॉइन्ट ऑफ ट्रान्जेक्शन टर्मिनल लेकर फेरीवालों के पास जाते हैं. इन हैड हेल्ड डिवाइस में कार्ड स्वाईप करके, फेरीवाले अपनी बचत जमा कर सकते हैं या पैसा वापस ले सकते हैं. बाद में कार्ड से टर्मिनल पर भंडारित (stored) डेटा बैंक के सर्वर में स्थानांतरित हो जाता है.

वित्तीय समावेशन को एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई, 2008 में, फेरीवाले और विक्रेताओं को बायोमेट्रिक कार्ड के माध्यम से ऋण देना शुरु कर दिया है. यह मीयादी (term) ऋण है और इसका भुगतान साप्ताहिक आधार पर है. ऋण के लिए ग्राहक की पात्रता बैंक के साथ बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा किए गए 10 लेन देन पर आधारित है तथा पुनर्भुगतान ग्राहक के नकदी प्रवाह पर निर्भर करता है.

इस परियोजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण उत्पाद : सौभाग्या, भाग्याः

यूनियन बैंक मनी योजना

मोबाइल वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंड़िया ने नोकिया के साथ नोकिया द्वारा संचालित **यूनियन बैंक मनी** योजना के भारत भर में वाणिज्यिक प्रक्षेपण की घोषणा की. यह योजना विशेष रूप से जिन लोगों का बैंक खाता नहीं है, उनको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर केंद्रित होगी. नोकिया के सभी खुदरा दुकानों के व्यापारी इस सेवा में व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप मे काम करेंगे.

उपरिवर्णित उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के संदर्भ में वित्तीय समावेशन के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि तथा व्यवसाय सुविधाप्रदाता मॉडल कितना प्रभावी साबित हो रहा है एवं हो सकता है.

इस मॉडल को प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के हितग्राही इस प्रणाली के विभिन्न आयाम एवं विवरण इत्यादि को अच्छे से समझ सकें और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें. यह मॉडल जब बहुउत्पाद व्यवस्था को लागू करेगा तब बैंकों की इस कार्यक्रम की लाभप्रदता के बारे में चिंता समाप्त होगी, तब तक बैंकों को इसे एक सामाजिक दायित्व समझकर स्वीकार करना चाहिए.

नितिन द. गोसावी, सहायक प्रबंधक(ग्रा.वि.), सेवासी शाखा, क्षे.का.बड़ौदा

बीसीबीएफ मॉडल एवं रोजगार के अवसर

राकेश कुमार गुप्ता

कारोबार संपर्की एवं कारोबार प्रदाता मॉडल वित्तीय समावेशन में दो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं. इन मॉडलों एवं रोजगार के अवसरों पर विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पहले यह जानें कि ये मॉडल क्या हैं, इनका क्या रूप है, क्या कार्य-क्षेत्र है, वित्तीय समावेशन में इनका क्या स्थान है तथा इनकी पार्श्वभूमि क्या है?

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के प्रथम राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें अनेक परिवर्तन हुए. बैंकों ने लीड बैंक योजना के तहत् अपनी शाखाओं का गांवों में विस्तार किया और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी की गई, जिससे किसानों को उनकी जरूरतों के आधार पर आसान ऋण की सुविधा मिल सके. इसी कड़ी में सर्वोच्च स्तर पर नाबार्ड की स्थापना की गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जा सके. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न योजनाएं बैंकों के माध्यम से बनाईं, ताकि किसानों एवं ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके.

आज हमारी जनसंख्या का लगभग 65% गांवों में रहता है, जो मूलतः कृषि प्रधान है और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है. हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं परन्तु सरकार के इन प्रयासों के बावजूद भी मात्र 30000 गांवों में ही वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं हैं और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित है.

भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो लगभग 8% की औसत दर से विकास के मार्ग पर अग्रसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में फैली इस "वित्तीय वंचन" की स्थिति को ठीक करने के लिए मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है. " वित्तीय वंचन" की स्थिति न केवल

अपने आप में एक बुराई है, अपितु यह अनेक बुराइयों व कठिनाइयों को भी जन्म देती है. इस कारण से इन क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा, पीने योग्य पानी की कमी, आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे अस्पताल, स्कूल, सिंचाई, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, गोदाम, उन्नत कृषि आदि की पर्याप्त सुविधाएं न होना व्याप्त होगी तथा उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन एवं समाज व राष्ट्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

देश के इतने बड़े वर्ग को वित्तीय सुविधाओं से वंचित रख, देश कभी भी सही मायनों में तरक्की नहीं कर सकता. इसी बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2005-06 में कहा कि देश के इतने बड़े हिस्से को वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यकता है कि इन हिस्सों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएं. इसके लिए उन्होंने रिजर्व बैंक से अनुरोध किया कि वह ग्रामीण कियोस्क, ग्रामीण ज्ञान केंद्र (VKC), सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर "एजेंसी मॉडल" को अपनाएं तथा इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए विचार मंथन करे. इसी विषय में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को इस कदम में बढ़-चढ़ कर आगे आना चाहिए और सरकार चाहती है कि इन संस्थानों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहन मिले.

वित्त मंत्री की इस घोषणा के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री एच.आर.खान, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक एवं प्राचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, रिजर्व बैंक, पुणे की अध्यक्षता में एक ग्रुप का गठन किया, जिसे निम्न बिन्दुओं पर विचार करने का जिम्मा सौंपा गया ;

1. ग्रामीण क्षेत्रों व कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए "एजेंसी मॉडल" पर विचार
2. कारोबार सम्पर्की (Business Correspondent) को बैंकों एवं ग्राहकों/ लाभार्थियों के बीच एक कड़ी/ बिचौलिए के रूप में स्थापित करने के संबंध में संभावनाएं एवं कार्य प्रणाली पर विचार
3. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFI) को बढ़ाने के उपाय व उनके कार्य के आकलन का तरीका
4. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए यदि आवश्यकता हो, तो रेपुटेशन की सीमा

श्री खान द्वारा अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें की गईं, जिनमें वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए दो नए मॉडलों का प्रस्ताव किया गया. ये दो मॉडल

हैं - "कारोबार प्रदाता" (Business Facilitator) एवं कारोबार संपर्की (Business Correspondent) मॉडल

कारोबार प्रदाता मॉडल :

यह मॉडल गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है. इस मॉडल के अंतर्गत व्यवसाय प्रदाता निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति या संस्था हो सकते हैं;

- ग्रामीण युवक, सेवा निवृत्त शिक्षक, बीमा एजेंट, डाकिया या सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी
- ग्रामीण क्योस्क, कृषि व्यवसाय केंद्र या कृषि क्लीनिक
- खादी एवं ग्रामीण उद्योग केंद्र या ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कोई सहकारी संस्था
- गैर सरकारी संगठन, कृषक क्लब
- ग्राम पंचायत आदि

'कारोबार प्रदाता मॉडल' के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं की जातीं, अपितु लाभार्थियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कराने में यह मॉडल सहायता प्रदान करता है. इस मॉडल के तहत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं :

- खातेदार एवं ऋणी व्यक्ति की पहचान करना
- आवेदन पत्रों को इकट्ठा करना व उनमें दी गई जानकारियों की जांच करना
- आवेदन पत्रों का आरम्भिक मूल्यांकन करना
- बैंक के उत्पादों का विपणन करना
- आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना व बैंक में जमा करना
- स्वयं-सहायता समूह की स्थापना व मदद करना
- ऋण देने के पश्चात अनुश्रवण करना
- ऋण वसूली के लिए फॉलो-अप करना

कारोबार सम्पर्की मॉडल :

इस मॉडल के अंतर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय, दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं. कारोबार सम्पर्की का चुनाव पूरी सावधानी से किया जाता है. निम्नलिखित संस्थाओं को कारोबार सम्पर्की के रूप में नियुक्त किया जा सकता है :

- पंजीकृत गैर वित्तीय संस्था
- गैर सरकारी संस्था / सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो सोसाइटी या ट्रस्ट अधिनियम के तहत् बनाए गए हों
- कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के तहत बनाई गई कम्पनियां
- एमएसीएस के अंतर्गत बनाई गई संस्था
- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्पन्न सरकारी संस्था या कम्पनी
- बैंक द्वारा स्थापित संस्था

इस मॉडल के तहत् निम्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं :

- छोटी राशि के ऋणों का वितरण
- मूलधन की वसूली एवं ब्याज की वसूली
- लघु बीमा, म्यूच्युअल फंड, पेंशन फंड आदि की बिक्री
- ग्राहक को नकदी का भुगतान व जमा करना

बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार संपर्की मॉडल की कार्यप्रणाली में कई सहयोगियों एवं अन्य बैंकिंग तंत्र यथा तकनीकी विक्रेता, कारोबार संपर्की संस्था, ग्राहक सेवा प्वांइट, सूचना कियोस्क, काल सेंटर, बायोमेट्रिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पर्सनल डिजिटल सहायक (पीडीए) की सहभागिता की आवश्यकता होती है. कारोबार संपर्की ग्राहकों को उत्तम व त्वरित सेवाएं देने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल भी करेंगे, जो सिम्प्यूटर व मोबाइल फोन के जरिये दी जाएंगी.

वित्तीय समावेशन में ये दोनो मॉडल बड़े ही महत्वपूर्ण हैं. बैंक प्रत्येक गांव में अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते, क्योंकि उसकी लागत काफी अधिक आती है तथा यह खर्चीला भी है क्योंकि लागत के अनुपात में बैंकों को उतना अधिक व्यवसाय वहां नहीं मिल पाता. इस प्रकार के स्थानों / ग्राहकों तक पहुंचने के लिए उक्त दोनों मॉडल बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे. चूंकि साधारणतया इन मॉडलों के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी स्थानीय ही होंगे, इसलिए वे उन लोगों की वित्तीय जरूरतों व उनके बारे में भली-भांति परिचित होंगे, जो कल तक 'वित्तीय वंचन' के शिकार थे. वे इन मॉडलों के जरिये 'वित्तीय समावेशन' के लाभों को प्राप्त कर विकास की धारा से जुड़ सकेंगे.

रोजगार के अवसर :

इन मॉडलों के कारण देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. हमारे देश में 6,28,000 गांव हैं, परन्तु वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं मात्र लगभग 30,000 गांवों में हैं.

वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत सर्वप्रथम वे गांव चुने जाएंगे, जिनकी जनसंख्या 2,000 या उससे अधिक है. हमारे देश में इस प्रकार के लगभग 72,000 गांव हैं. यदि एक गांव में 500 व्यक्तियों के लिए एक कारोबार प्रदाता नियुक्त किया जाए तो मात्र इन्हीं गांवों में लगभग 2,88,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और जब धीरे-धीरे यह कारोबार प्रदाता मॉडल समस्त देश में फैल जाएगा, तब आसानी से इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इससे कितने रोजगार के अवसर प्रदान होंगे. कारोबार संपर्की मॉडल से भी रोजगार के विभिन्न नए-नए अवसर बनेंगे. सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति संस्था द्वारा इस मॉडल के तहत नियुक्त किया जाएगा, उसे रोजगार मिलेगा. चूंकि इस मॉडल में प्रौद्योगिकी का प्रयोग बहुत अधिक है, इसलिए जो लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी रोजगार मिलेगा. उदाहरण के लिए इस मॉडल में सिम्प्यूटर, मोबाइल फोन, पर्सनल डिजिटल सहायक, स्मार्ट कार्ड, बायोमैट्रिक कार्ड आदि की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होगी, जिससे वे सभी लोग, जो इन उत्पादों को बनाने या बिक्री में लगे हैं, सभी को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे. यदि एक गांव में 2 कारोबार संपर्की पदस्थ किए जाएं तो केवल उन्हीं के लिए लगभग 10-12 लाख नए रोजगार के अवसर बनेंगे और यदि इस मॉडल से जुड़े अन्य व्यक्तियों के रोजगार को भी देखें तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मॉडल में रोजगार उत्पन्न करने की कितनी क्षमता है.

इतना ही नहीं, जब किसी एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है तो उससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अनेक लोगों को भी रोजगार मिलता है. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय की गई राशि दूसरे व्यक्तियों के लिए आमदनी का जरिया बनती है. इस प्रकार बहुआयामी प्रभाव (multiplier effect) के कारण समाज के अनेक वर्गों के लिए रोजगार के अनेकानेक अवसर बनेंगे. इस प्रक्रिया से न केवल प्रत्यक्षतया जुड़े हुए लोग ही लाभान्वित होंगे, अपितु देश की जीडीपी भी बढ़ जाएगी और ग्रामों के आर्थिक विकास के साथ देश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा.

राकेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक (विधि), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

जेंडर बजटिंग, नारी सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन

उमा सतीश

जेंडर बजटिंग :

जेंडर बजटिंग आज नारी शक्ति का अभिप्राय बन चुका है. जेंडर बजटिंग आज सरकार द्वारा धन उगाही और पुनः उसका संवितरण करने में, प्रारंभिक रूप से इस धन का संवितरण लिंगों में समान रूप से करने में निर्णायक सिद्ध होती है. यही इसका मुख्य ध्येय है कि सरकारी बजट पिछड़े महिला वर्ग पर किस प्रकार व्यय होता है.

"जेंडर बजटिंग" अब नारी सशक्तीकरण से पूरी तरह जुड़ गया है. यह एक प्रकार का **कैच वर्ड** बन गया है जिसमें सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय एवं नीति पर उठाए जानेवाले कदम पर विचार किया जाता है. "जेंडर संवेदनशील बजट", "जेंडर बजट" एवं "स्त्री बजट" आदि विभिन्न प्रक्रियाएं सरकारी बजट के लिंग भेद को दूर करने के प्रभाव को दर्शाती हैं. इससे यह सिद्ध होता है कि "स्त्री बजट" (वुमेन्स बजट) अत्यधिक प्रचलित है.

जेंडर बजटिंग सामाजिक - आर्थिक विकास की प्रक्रिया है एवं सार्वजनिक व्यय एवं नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अतः यहः

- बजट के आधार पर सरकारी संसाधनों के उचित आबंटन एवं व्यापक आर्थिक नीति के उत्पाद का उपकरण है.
- स्त्री सशक्तीकरण की प्रमाणित कार्रवाई को प्रस्तुत करता है.
- सरकार के बजट (राजस्व एवं व्यय)एवं नीतियों के प्रभाव को लिंग भेद से परे समान मूल्यांकन को कवर करता है.

- नारी सशक्तीकरण हेतु आबंटित संसाधनों का अनुसरण करता है.
- महिला वर्ग को आबंटित संसाधनों के वास्तविक मूल्य को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है.

जेंडर प्रतिबद्धता क्या है ?

- संवैधानिक प्रावधान
- विधिक दायरा (फ्रेमवर्क)
  - महिला विशिष्ट कानून
  - महिलावर्ग को प्रभावित करनेवाले कानून
- **नीतियां**
- **सार्वजनिक व्यय कार्यक्रम**

कार्रवाई किए गए क्षेत्र :

- स्त्रियों द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं यथा - परिवहन, ऊर्जा, जल एवं शौचालय, संचार सेवा का लाभ उठाना
- अति कुशल कारीगर के रूप में स्त्रियों को प्रशिक्षण देना
- स्त्रियों के लिए अनुसंधान/टेक्नॉलाजी
- स्त्रियों द्वारा आस्तियों का स्वामित्व
- स्त्री उद्यमियां

निम्नलिखित कानून का कार्यान्वयन :

- समान मेहनताना
- न्यूनतम वेतन
- फैक्टरी अधिनियम

स्त्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं यथाः

- कार्यस्थल पर जल एवं शौचालय सुविधा
- क्रेचस
- कामकाजी महिलाओं हेतु हॉस्टल

- परिवहन सुविधा
- सुरक्षा

जेंडर बजटिंग की सूक्ष्म गतिविधियों में निम्नलिखित तथ्य होंगे :

- स्त्री वर्ग को अधिक से अधिक बजट आबंटित कर नीति बद्धता के बीच के अंतर (गैप) को हटाना एवं संवेदनशील जेंडर कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित करना
- नारी सशक्तीकरण से संबंधित सरकार की नीति उद्देश्य - उन्नति, विकास एवं सशक्तीकरण, लिंग भेद परिसमापन

महिला हेतु सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को 5 क्षेत्र में बांटा गया है :

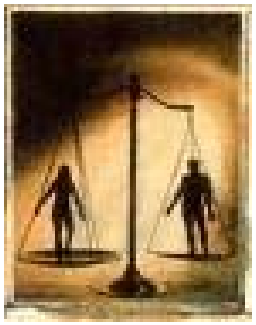

क. शिक्षा व प्रशिक्षण : हाई स्कूल स्तर तक की पढ़ाई, तकनीकी व विस्तार शिक्षण (Extension Education)

ख. जरूरतमंद महिलाओं हेतु -विवाह /शिक्षण, निराश्रित /शारीरिक रूप से विकलांग स्त्रियों एवं विधवाओं को पेंशन/वित्तीय सहायता प्रदान करना. यथा - आश्रय हेतु मकान, वेश्याओं का पुनर्वास

ग. स्वास्थ्य - प्रसूती एवं बाल केयर, महिलाओं के लिए अस्पताल, महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

घ. महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम-कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, स्वयं समूह योजना, महिला को-ऑपरेटिव बैंक आदि

च. विविध उपाय

वित्तीय समावेशन :

वित्तीय समावेशन - लोगों को एक अवसर प्रदान करना ताकि वे अपना एवं अपने बच्चों का जीवन बेहतर बना सकें. अगर एक मौका दिया गया तो यह आवेग सामुदायिक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार में योगदान दे सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि बनाए रखने तथा गरीबी कम करने में योगदान दे सकता है.

उदाहरणार्थः मंगलूर जैसे शहर में पद्मा तड़के उठकर मछलियां पकड़कर लाती एवं उन्हें घर-घर जाकर बेचती. किसी ने उसे कोल्ड स्टोरेज का सुझाव दिया. लेकिन न तो उसकी आमदनी थी और न ही उसे तकनीकी ज्ञान कि वह कोल्ड स्टारेज खोल सके. स्त्री मछुआरों का उसने एक छोटा सा समूह बनाया. राज्य सरकार के मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने न केवल तकनीकी जानकारी दी बल्कि इसमें होने वाले व्यय का ब्यौरा भी दिया. वित्तीय सहायता के लिए उन्होंने स्थानीय बैंक से संपर्क करने का सुझाव दिया. बैंक ने औपचारिकता पूरी करने के बाद पूरे समूह को ऋण प्रदान किए. इस स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नियमित रूप से ऋण चुकाने लगीं. धीरे-धीरे उनके समूह में सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई. कोल्ड स्टोरेज यूनिट को आधुनिक तकनीकी से संजोया गया. इससे इन महिलाओं की ज़िंदगी में अनायास ही परिवर्तन आया. न केवल उनके व्यापार में बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी में भी. पद्मा का बेटा आज की तारीख में एक मशहूर डाक्टर है तो उसकी बेटी एक सफल इंजीनियर. उनके रहन-सहन का स्तर पूरी तरह बदल गया. बच्चों को अच्छी व उन्नत शिक्षा के लिए समूह की महिलाओं ने बैंक से शिक्षा ऋण भी लिए. आज इनमें से कई महिलाएं आयात -निर्यात से भी जुड़ गई हैं एक महिला खेतिहर मजदूर ने अपनी अधिक उपज स्थानीय बाजार में बेचनी शुरु की. अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, ताकि वह सब्जी की दुकान रख सके. उसने स्थानीय बैंक से संपर्क कर अपनी इच्छा जाहिर की. इस ऋण ने सब्जी बेचने के तेजी से बढ़ रहे व्यापार की स्थापना करने में उसकी मदद की जिससे उसे खेतिहर मजदूरी से छुटकारा भी मिला. उसे एक नई राह मिली जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल डाली. बैंक में बचत करने और खातों की जांच करने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जरूरी ऋण भी शामिल है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इसी प्रकार समाज की कुरीतियों की शिकार एक युवा 17 वर्ष की अल्पायु में विधवा हो गई. उसने अपने ही गांव में स्थानीय स्वयं सहायता समूह बनाया. उसने बैठकों में खुलकर बात की और समूह की अन्य महिलाओं को अपने हाथों से अपना भविष्य सवांरने के लिए प्रेरित किया. इसी बीच उसने स्थानीय बैंक से संपर्क कर बैंकिंग सेवाएं लाई और शाम को उसने साक्षरता कक्षाएं चलाई. इस स्वयं सहायता समूह की 150 महिलाओं ने उधार लिया और समय से ऋण चुका भी दिया. आज की तारीख में कई सफल महिला उद्यमियों की कहानी लगभग इसी प्रकार है. अपनी मेहनत एवं सीमित ज्ञान से आज इन्होंने ऊंचाइयां छू ली हैं. घर में बैठकर सिलाई बुनाई का काम करनेवाली महिलाएं आज सफलतापूर्वक आयात निर्यात से जुड़ गई हैं. उक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि वित्तीय वंचन ही जरूरतमंदों के रास्ते का रोड़ा है. वित्तीय वंचन कई बाधाओं का संगम है : अन्य बाधाओं के अलावा, पहुंच की कमी, भौतिक और सामाजिक बुनियादी

सुविधाओं का अभाव, समझ और ज्ञान का अभाव, प्रौद्योगिकी की कमी, समर्थन का अभाव, विश्वास की कमी है. इन बाधाओं पर काबू पाना ही वित्तीय समावेशन की चुनौती है.

वित्तीय समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है ?

समान वृद्धि बनाए रखने के लिए यह केवल एक जरूरी शर्त है. वित्तीय समावेशन के बिना एक कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकोत्तर आधुनिक समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता. वित्तीय पहुंच आर्थिक अवसर एक दूसरे के पूरक हैं. इस तरह की पहुंच, खासकर गरीब महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें बचत, निवेश, और ऋण लेने के अवसर प्रदान करती है. महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय सेवाओं पर पहुंच भी गरीब को अपनी आय के आघातों के खिलाफ स्वयं को बीमित रखने में मदद करता है और उन्हें परिवार की बीमारी, मौत या नौकरी जाने जैसी आपात स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है. वित्तीय समावेशन एक तरह से सूदखोरों /जमींदारों की क्रूरता से गरीब परिवारों की रक्षा करता है. इस प्रकार वित्तीय समावेशन समग्र दृष्टि से उपयोगी है.

वित्तीय समावेशन सरकारों को सामाजिक सुरक्षा अंतरणों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (नरेगा) की मजदूरी को "इलैक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण" (ईबीटी) पद्धति के माध्यम से हिताधिकारियों के बैंक खातों में डालने जैसे भुगतान करना संभव बनाएगा. इससे धन के रिसाव के साथ लेन-देन की लागतें घटेंगी.

वित्तीय समावेशन महिला सशक्तीकरण से सीधा जुड़ा है. यह उन्हें बचत को औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली में लाने और उन्हें निवेश की दिशा में प्रवाह करने का एक मार्ग प्रदान करता है. दूसरे इससे उन्हें कम लागत वाली जमाराशियों पर अपनी निर्भरता घटाने का एक अवसर मिलेगा तथा उन्हें चलनिधि जोखिमों और आस्ति-देयता विसंगतियों दोनों का ही बेहतर प्रबंध करने में सहायता मिलेगी.

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयास :

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य "लोगों को जोड़ना" है न कि बस खाते खोलना. इसमें लोगों की छोटी ऋण जरूरतों को पूरा करना, उनकी पहुंच भुगतान प्रणालियों तक बनाना और प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है. इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के आधार पर हुई प्रगति निम्नानुसार हैः

- **नो फ्रिल खाते**

  नवंबर - 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए कि शून्य या न्यूनतम शेष राशि और न्यूनतम प्रभार के साथ एक बुनियादी बैंकिंग 'नो फ्रिल

खाते' प्रस्तावित करें, ताकि ऐसे खातों की पहुंच निम्न आय समूहों की स्त्रियों तक बढ़ाई जा सके.

- **आसान ऋण सुविधा**

  बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे रु.25,000 तक की सुविधा वाला एक सामान्य प्रयोजन क्रेडिट कार्ड (जी सी सी) जारी करें.

- **सरल के वाई सी मानदंड**

  यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के निम्न आय समूहवाले लोगों को बैंक खाते खोलने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, खाते खोलने के लिए "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) प्रक्रिया को उन खातों के लिए सरलीकृत किया गया, जिनकी शेष राशि एक वर्ष में रु.50,000/- से अधिक नहीं और जमा (क्रेडिट) रु.1,00,000 से अधिक नहीं हो.

- बायोमेट्रिक पहचान के साथ बैंक खाते खोलने के लिए स्मार्ट कार्ड. इससे घर बैठे-बैठे बैंकिंग सेवाएं पाने में ग्राहक को मदद मिलती है. ग्रामीण व अर्ध शहरी स्त्रियों के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी है.

- बैंकिंग लेनदेन के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का लिंक, रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी, सुरक्षा मानकों, और उपभोक्ता से संबंधित मुद्दों पर बैंकों को सलाह दी.

- **बैंकों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण (ईबीटी)**

  राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ई बी टी कार्यान्वित किया.

- **100% वित्तीय समावेशन अभियान**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार यह अभियान सभी बैंकों ने प्रारंभ किया जिससे 100% वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके. इसलिए बैंकों ने;

- विभिन्न चैनलों के माध्यम से नो-फ्रिल खाताधारकों के स्थान के नजदीक बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान किया.

- नो फ्रिल खातों के साथ जीसीसी / छोटे ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराना जिससे सक्रिय रूप से खातों को चलाने के लिए खाता धारक को प्रोत्साहित किया जा सके.

- नो-फ्रिल खाता-धारकों को दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में जागरूकता अभियान.
- सभी जिलों को 100% वित्तीय समावेशित घोषित किया जाए.
- उपलब्ध तकनीक की विस्तृत जानकारी प्रदान करना.

इसके अलावा ऐसे स्थानों में कारोबार संपर्कियों (बीसी Business Correspondents) को भी रखा गया है.ये (बीसी) कारोबार संपर्की जरूरतमंदों और सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली के बीच एक निकट संबंध सुनिश्चित करता है. गैर सरकारी संगठनों, माइक्रो फाइनांस संस्थाओं, सेवा निवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य नागरिक समिति संगठनों की सेवाओं के सदस्य रहते हैं. अनुमोदित कारोबार सहयोगी/कारोबार संपर्कियों के रूप में निम्नलिखित को नियुक्त किया जा सकता है :

कारोबार संपर्की (नकदी लेन देन के लिए अनुमत) :

- गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
- डाक कार्यालय, बीमा एजेंट
- कृषि विज्ञान केंद्र
- के पी आई सी/के वी आई बी इकाई
- धारा 25 वाली कंपनी

कारोबार सहयोगी (नकदी लेन देन के लिए अनुमत नहीं) :

- फार्मर्स क्लब, सहकारी संस्थाएं
- कार्पोरेट जगत के सूचना प्रौद्योगिकी युक्त ग्रामीण केंद्र
- ग्राम ज्ञान केंद्र
- कृषि क्लिनिक्स/कृषि व्यवसाय केंद्र
- वैयक्तिक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रत्येक कारोबार संपर्की, आधार शाखा (बेस शाखा) के रूप में नामित की जानेवाली विशिष्ट बैंक शाखा से जुड़े होंगे एवं पर्यवेक्षण के अधीन होंगे. कारोबार संपर्की के कारोबार का स्थान और आधार शाखा के बीच का अंतर सामान्यतः ग्रामीण, अर्ध शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में 15 कि.मी.से अधिक न हो. महानगर केंद्रों में अंतर 5 कि.मी. तक हो सकता है. डीसीसी /एसएलबीसी द्वारा ऐसे अनुरोध पर कम बैंक वाले क्षेत्रों के संबंध में योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता

है अथवा जहां जनसंख्या बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और जहां बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है लेकिन शाखा का होना व्यवहार्य नहीं है, बैंक की आधार शाखा की क्षमता को देखते हुए कारोबार संपर्की पर पर्याप्त निरीक्षण का अनुरोध किया जा सकता है.

इसके अलावा हाल में बैंकों ने व्यक्तिगत किराना/चिकित्सा/उचित मूल्य की दुकान मालिकों, लघु बचत योजनाओं और बीमा कंपनियों के एजेंटों, पेट्रोल पंप मालिकों, सेवा निवृत्त शिक्षकों और बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कारोबार संपर्की के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है.

बैंक शाखा और एटीएम विस्तार :

वित्तीय समावेशन को अधिक प्रचलित बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को 50,000 से कम आबादी वाले गांवों और शहरों में शाखा खोलने की छूट दी है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम एक तिहाई शाखा विस्तार कम बैंक सुविधायुक्त जिलों में हो.

पिछड़े इलाकों में बैंकों का विस्तार :

कई पिछड़े इलाकों विशेषकर पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बैंकों ने तेजी से शाखा विस्तार किया है. इससे उस स्थान का महिला वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होगा तथा यह सहायता बांस से निर्मित वस्तुएं, बुनाई, व मत्स्य पालन में सहायक सिद्ध होगी.

वित्तीय साक्षरता और ऋण विषयक परामर्श :

राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजन से जिले में वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र स्थापित किये गये हैं. ये केंद्र अपने मूल बैंक के साथ एक निकट संबंध रखते हुए ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में लोगों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में मुफ्त वित्तीय शिक्षा उपलब्ध कराएंगे.

स्कूल और कालेजों में वित्तीय पाठ्यक्रम :

देश भर में राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य में सफलतापूर्वक हुई है जिसे धीरे-धीरे देश के अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है.

नारी सशक्तीकरण-जेंडर बजटिंग उपकरण के रूप में सुनियोजित नक्शा

	मूलभूत संरचना	आर्थिक सशक्तीकरण	सामाजिक और राजतनीतिक सशक्तीकरण
स्त्री स्वरूप ê	**स्त्री स्वरूप** जल व स्वच्छता, इंधन व ऊर्जा, सड़कें,व स्वास्थ्य संबंधी सुविधा . -सर्वव्यापी पर्याप्त पहुंच -विश्वसनीयता पूर्वक सभी वस्तुओं की प्राप्ति	-स्त्रियों के लिए आर्थिक पहचान -बिना किसी अड़चन के सामान्य जीविका चलाना . -कम जोखिम-सुरक्षा नेट -उत्पाद आस्तियों पर स्वामित्व हक -उच्च उत्पाद कुशलता, ऋण, बाजार स्थिति पर आवश्यक प्रशिक्षण -सहायिकी सेवाएं यथा-क्रेचस, -कामकाजी महिला हेतु हॉस्टल आदि -कार्य के अनुरूप समान वेतन	-राजनीति प्रक्रिया में समान एवं प्रभावीपूर्ण प्रतिभागिता, स्थानीय राजनीति निकायों, संसद एवं स्थानीय निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व -समान उत्तराधिकार, वैवाहिक कानून -सामाजिक सुरक्षा
आंतरिक प्रक्रिया स्वरूप ê	मूलभूत संरचना अंतर स्पष्ट करते हुए नक्शा **आंतरिक प्रक्रिया स्वरूप** -केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के धन का योजना आयोग द्वारा संयोजन. -पीआरआई के महिला प्रतिनिधियों को स्थानीय एसएचजी के माध्यम से रकम पहुंचाना -विश्वव्यापी उपलब्धता -निष्पादन लक्ष्य-कार्यान्वयन व परिणाम. -अनुश्रवण प्रणाली .	-जीविका हेतु योजना बनाना ताकि गैप न रहे. -योजना आयोग के संयोजन से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं कवर/ तैयार करना. - स्त्री स्वयं सहायता समूह/सहयोगी संस्थाओं को आर्थिक गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करना. -कुशल प्रशिक्षण,ऋण सुविधा, रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए "लिंग भेद क्षेत्रों" में इसे पूरी तरह हटाना .	-सामाजिक रवैये में परिवर्तन स्कूल/कॉलेज करिकुलम में लिंग भेद हटाना - शिक्षा व प्रशिक्षण में लिंग भेद हटाने की संकल्पना -प्रशासनिक स्तरों पर योग्य महिलाओं को अवसर प्रदान करना. -एस एच जी में सामाजिक जागरूकता -महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता. -स्वयं सहायता समूह की स्त्रियों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना
वित्तीय स्वरूप ê	-मूलभूत सुविधा के अंतर (गैप) को कवर करने के लिए मानदंडों पर आधारित निधियों का मूल्यांकन करता है. **वित्तीय स्वरूप** -स्थानीय अंतर को कम (कवर) करने हेतु निधियों का प्राथमिकता आधार पर आबंटन -संसाधनों को जुटाने हेतु बेहतर राजकोषीय प्रबंधन. -अतिव्याप्ति योजनाओं को लागू एवं निधियों के विविध प्रवाह को समाप्त करते हुए सुपुर्दगी लागत कम किया जाए..	-अधिक उत्पादकता हेतु स्त्रियों को उच्च कुशलता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना. -स्त्रियों के लिए उपलब्ध ऋण सुविधाओं का विस्तार. -राजकोषीय एवं वित्तीय नीतियों का जेंडर आधारित मूल्यांकन . -स्त्री रोजगार हेतु प्रोत्साहन -क्रेचस एवं हॉस्टल जैसी वित्तीय सहायिकी सेवाएं. -स्त्रियों के अनगिनत कार्यों का सेटलाइट लेखा जोखा.	-जेंडर जागरूकता एवं वित्तीय सहायता का प्रचार-प्रसार. -जेंडर संबंधी शोध कार्यों पर फोरम बनाना. -स्त्रियों में नेतृत्व क्षमता का निर्माण संबंधी प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता. -योग्य महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना.
सीखने का स्वरूप ê	**सीखने का स्वरूप** -ज्ञान वृद्धि के गैप को हटाने हेतु प्रौद्योगिकी जानकारी. -प्रशासनिक अधिकारियों को जेंडर बजटिंग संबंधी आवश्यक जानकारी. -संशोधन/नीतिपरक/ कार्यान्वयन/प्रशासनिक कार्रवाई -स्वास्थ्य बीमा कवर	-क्षेत्र स्तरीय आवश्यकताओं के कार्यक्रमों की पुनः संरचना. -क्षेत्रीय परिवर्तन के आधार पर लचीलेपन का निर्माण -डिजाइन व कार्यान्वयन में सुधार हेतु विश्लेषण संबंधी दिशानिर्देश -उत्पादकता एवं रोजगार बढ़ावा देने हेतु शोध व नवीनता -महिलाओं में उद्यम क्षमता का निर्माण -सफलता का समवर्ती मूल्यांकन	-राजनीति प्रक्रिया में क्षमता का निर्माण, अधिकारों संबंधी जागरूकता. -लिंग भेद मिटाने हेतु नीतियों व संवैधानिक नीतियों में आवश्यक परिवर्तन -विधवाओं, विकलांगों एवं निराश्रित महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम -विधि प्रवर्तन की वास्तविकता की जांच

नारी सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन :

भारत में नारी सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन का सामंजस्य निम्नानुसार हैः

- पिछड़े एवं जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में इस संबंध में जागरूकता पैदाकर आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना एवं एनजीओ, एमएफआई, सीईओ तथा कारोबार संपर्की जैसी एजेंसियों को प्रोत्साहित करना.
- राज्य स्तरीय बैंकर्स एवं जिला सलाहकार समिति एवं स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना
- वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु टेक्नॉलाजी का प्रयोग
- शाखाओं को अधिक से अधिक "नो फ्रिल" खाते खोलने के निर्देश
- वित्तीय साक्षरता और ऋण विषयक परामर्श

नारी सशक्तीकरण व वित्तीय समावेशन - चुनौतियां और अवसर :

यह जटिल प्रश्न है कि सरकार द्वारा ग्रामीण नीति पर जोर देने के बावजूद इतने अधिक बैंक सुविधा प्राप्त करने योग्य लोगों को बैंकिंग सुविधा नहीं है. मांग और आपूर्ति में आपसी तालमेल की कमी है. वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, साक्षरता विशेष रूप से जनता की वित्तीय सहायता और सामाजिक बहिष्कार आदि मांग की बाधाएं हैं. बहुत से वित्तीय सामान्य उत्पाद महिलाओं के लिए अनुपयुक्त हैं और उनकी जरूरतों के लिए उपयुक्त उत्पाद डिजाइन करने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं. आपूर्ति पक्ष की ओर से मुख्य बाधा लेनदेन की लागत है, ऐसा बैंकरों का अनुभव है. क्योंकि वर्तमान मात्रा कम है, इसके अलावा, संप्रेषण की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, भाषागत अवरोध और कम साक्षरता का स्तर, ये सभी सेवाएं प्रदान करने की कीमत और बढ़ा देते हैं. वित्तीय समावेशन विशेषकर जो नारी सशक्तीकरण से जुड़ा है, के सामने तीन मुख्य चुनौतियां हैं : 1.लागत, 2. प्रभावशाली प्रौद्योगिकी की कमी, 3. जानकारी का अभाव.

भविष्य में लागत कम करने के अनगिनत अवसर होंगे. वर्तमान जनगणना के अनुसार 15-64 आयु वर्ग की श्रम शक्ति बढ़ने जा रही है. जैसे-जैसे रोजगार के अवसर

बढ़ेंगे और इन लोगों की कमाई शुरू होगी, बैंकों के लिए उनकी आय जमा का एक बड़ा और बढ़ता स्त्रोत बनेगी. आज देशभर में हजारों करोड़ रूपये के विप्रेषण होते हैं, जो प्रवासी मजदूर से होते हैं और यह 90% से अधिक अनौपचारिक माध्यमों से होते हैं. इस प्रकार से प्राप्त आय का समान संवितरण विकासशील कार्यों में लगाना चाहिए.

केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसके कारण अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं यथा- राजनीति में सहभागिता, परिवहन सुविधा, विधवा - विवाह, वेश्याओं के लिए पुनर्वास आदि ऐसे कई कार्यक्रमों को एनजीओ की सहायता से कार्यान्वित किया है.

इसी प्रकार बैंकों द्वारा आईटी स्मार्ट कार्ड/मोबाइल प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन प्रगति का परिचायक है. जैसे जैसे यह लोकप्रिय होता जाएगा, बैंक इसे एक आकर्षक कारोबार प्रस्ताव बना सकते हैं. इसके अलावा कारोबार संपर्कियों द्वारा विभिन्न संभाव्य क्षेत्रों में पहुंचकर सभी प्रकार का मार्ग दर्शन प्रदान करना भी एक सकारात्मक कदम है.

इसकी सफलता तब होगी जब भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार शीघ्रातिशीघ्र 2,000 से अधिक आबादीवाले गांवों को एक बैंकिंग केंद्र के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिले, जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक बैंक शाखा हो. यदि हम इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाते हैं तो नारी सशक्तीकरण को वित्तीय समावेशन के माध्यम से और मजबूत बनाया जा सकता है.

उमा सतीश, वरिष्ठ प्रबंधक(राभा), नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर

वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका एवं महत्व

रामलिंगेश्वर राव

भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 65% से अधिक जनसंख्या अब भी गाँवों में रहती है. देश के 48 % परिवार जो बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं लेते, उनमें से अधिकतर परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 26% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है तथा केवल 21% ग्रामीण परिवार बैंक ऋण का लाभ उठाते हैं, बैंकिंग तंत्र गरीब ग्रामीणों की सिर्फ 20% ऋण जरूरत को पूरा कर पाया है. इस स्थिति के निराकरण के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वह बैंकों को उचित निर्देश दे.

फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी कि वे वित्तीय समावेशन के तहत विभिन्न सुविधाएँ जैसे कि बीमा, धन प्रेषण, सामाजिक सुरक्षा आदि मुहैया कराएँ. साथ ही कहा गया कि वे एक रोड मैप तैयार करें, जिसके हिसाब से एक बैंकिंग स्थान जो आवश्यक नहीं कि चूने पत्थर से बनी बैंक शाखा ही हो, अपितु कारोबार प्रतिनिधियों सहित किसी भी आइसीटी मॉडल के माध्यम से, 2000 से अधिक आबादी वाले हर गाँव में मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें.

परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा जरूरमंद परिवारों को क्रांतिकारी वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिनमें शामिल हैंः

1. सुरक्षित बचत सेवाएँ - वित्तीय तंत्र के अंतर्गत औपचारिक बचत जमा राशियाँ प्राप्त की जाती है, जिनसे धन एकत्र करने में सहायता मिलती है जो आगे कठिन समय में काम आता है.

2. लोगों द्वारा बचत करके एकत्र की गयी धनराशि के अलावा ऋण तथा बीमा के रूप में अतिरिक्त सुविधा, जो भावी आपदाओं को सहन करने में सहायता करता है.
3. समाज के गरीब एवं कम आमदनी वाले वर्ग का अनौपचारिक वित्तीय स्त्रोतों अर्थात गिरबी दुकानदारों, महाजनों या बचत एवं ऋण से जुड़े अनौपचारिक समूहों पर आश्रित रहना कम हो जाता है.
4. विभिन्न पक्षों के बीच भुगतान को सुविधाजनक बनाता है तथा उनमें नकद लेन-देन की सुरक्षा देता है.

एक छोटा सा ऋण, एक बचत खाता तथा एक बीमा पॉलिसी किसी भी गरीब या कम आमदनी वाले परिवार में बहुत फर्क ला सकते हैं. इन वित्तीय सेवाओं के माध्यम से किसी भी गरीब परिवार को बेहतर आहार, आवास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रहन-सहन के स्तर को सुधारने में मदद मिलती है, अतः हमारे देश से गरीबी को मिटाने में वित्तीय समावेशन एक कारगर हथियार साबित हो सकता है.

वित्तीय समावेशन की परिभाषा :

वित्तीय समावेशन समिति ने वित्तीय समावेशन की कारगर परिभाषा इस प्रकार दी है :

वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जरूरतमंद समूह अर्थात समाज के कमजोर तबके और कम आमदनी वाले समूह वित्तीय सेवाएँ प्राप्त कर सकें तथा उन्हें एक वहनीय कीमत पर समय से एवं पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके.

इसे कमजोर तथा कम आमदनी वाले समूहों के एक बड़े वर्ग को वहनीय मूल्य पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के रूप में भी जाना जाता है.

वित्तीय वंचन :

इसे औपचारिक वित्तीय तंत्र से किसी उत्पाद या सेवा विशेष प्राप्त नहीं होने के रूप में जाना जाता है.

वित्तीय वंचन के कारण इस प्रकार हैंः

- पास में कहीं व्यक्तिशः पहुंच के अंदर बैंक की शाखा का नहीं होना.
- बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं का अधिक महंगा होना तथा दंड प्रभारों का ज्यादा होना.

- वित्तीय सेवाओं को समझने में कठिनाई महसूस करना.
- बैंक कम आमदनी समूहों को महत्व नहीं देते.
- अन्य कारक हैं - लिंग, आयु, वैधानिक अस्तित्व, साक्षरता, रहने का स्थान, भौतिक एवं सांस्कृतिक अवरोध, कारोबार का स्वरूप आदि.

वित्तीय वंचन के कारणों का निर्धारण करके तथा बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में भारी कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने बैंकिंग सेवाओं को अधिकाधिक लोगों तक ले जाने के लिए आगे कदम उठाये हैं.

विद्यमान बैंकिंग तंत्र के अलावा एक ऐसा अनुपूरक ऋण सुपुर्दगी तंत्र, जो बैंकों और गरीबों दोनों के लिए लागत प्रभावी एवं अनुकूल हो, विकसित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म ऋण पहलों को अर्थात स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया.

एसएचजी पहुंच तथा वित्तीय समावेशन :

स्वयं सहायता समूह समान प्रकार के 10 से 20 लोगों का समूह होता है जो मुद्दों को पूरा करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं, वे नियमित आधार पर मितव्ययी गतिविधियाँ चलाते हैं और एकत्रित संसाधनों को समूह के सदस्यों हेतु ब्याज पर ऋण प्रदान करने के काम में लेते हैं.

स्वयं सहायता समूहों की विशेषता यही होती है कि गरीब लोग बैंक से ऋण लेने से पूर्व अपने धन क़ा प्रबंधन करना सीखें. इसके जरिये उन्हें वित्तीय मध्यस्थता और लेखा जोखा रखने का आधारभूत ज्ञान मिलता है, सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से आगे, बड़ी-बड़ी मात्रा में संसाधनों का नियंत्रण करना भी सीखते हैं. वे इस तथ्य को महसूस करना शुरू करते हैं कि संसाधन सीमित और कीमती होते हैं.

एक बार जब समूह स्थापित हो जाता है तथा व्यवहार में परिपक्तवा आ जाती है, जिसमें लगभग छह माह का समय लगता है, तो उसे बैंकों से जोड़ने की बात सोची जाती है, एसएचजी की एकत्र बचत के एक निश्चित गुणांकों में ऋण देने के लिए बैंक प्रोत्साहित होते हैं. ये ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के दिये जाते हैं, जिनकी ब्याज दर बैंक निर्धारित करते हैं.

बैंक इन समूहों को ऋण देने में आसानी महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे समूहों में अपनी आंतरिक मियव्ययिता और ऋण गतिविधियों के जरिये काफी अनुशासन आ जाता

है. समूह अपने सदस्यों को ऋण देने के नियम व शर्ते स्वयं निर्धारित करते हैं. ग्रुप में समवर्ती दबाव से समय पर ऋण की चुकौती आती है और बैंक ऋणों के लिए यह सामाजिक संपार्श्विक प्रतिभूति का काम करती है.

एसएचजी किस प्रकार वित्तीय समावेशन के लिए संभाव्य सहयोगी है ?

आंध्रप्रदेश में, महिलाओं ने बचत जमाओं के माध्यम से स्वयं सहायता आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बना दिया है. इस प्रदेश में लगभग 10.56 लाख महिला एसएचजी हैं, जिनमें लगभग 111.81 लाख ग्रामीण गरीब महिलाएँ शामिल हैं. ये एसएचजी न केवल उन्हें आश्रय देते हैं, अपितु उनके पास उपलब्ध संसाधनों में से छोटे-छोटे ऋण भी मुहैया कराते हैं. एसएचजी दर्शनशास्त्र तथा बैंक से जुड़ाव के पीछे की विचारधारा को नीचे लिखे अनुसार समझा जा सकता है

1. स्वयं सहायता, जो मानवीय सहायता से पूरित है, सामाजिक - आर्थिक प्रगति से संबंधित कमजोर प्रयासों के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है.
2. भागीदारीयुक्त वित्तीय सेवा प्रबंधन ज्यादा प्रभावी और उत्तरदायी होता है.
3. गरीब लोग बचत कर सकते हैं तथा भरोसेमंद बनते हैं.
4. गरीबों की अपेक्षाओं तथा औपचारिक बैंकिंग तंत्र की क्षमताओं के बीच के बेमेलपन को न्यूनतम करने की आवश्यकता है.
5. गरीबों को न सिर्फ ऋण सहायता की जरूरत होती है अपितु उन्हें बचत तथा अन्य सेवाएँ भी चाहिए.
6. गरीब लोगों का सन्निष्ठ समूह, आरंभिक बाहरी सहायता से, अपने सदस्यों के मध्य लघु ऋण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण कर सकता है.
7. समूह के सदस्यों का सामूहिक ज्ञान तथा समवर्ती दबाव एक तरह से संपार्श्विक प्रतिभूति का काम करते हैं.
8. अधिकतर ग्रामीण गरीब लोगों के लिए एसएचजी पूर्व-लघु उद्यम स्थिति के तौर पर होते हैं.
9. एसएचजी की पहुँच विस्तृत, लेनदेन लागत न्यून तथा जोखिम मूल्य काफी कम रहता है.
10. गरीबों, खासकर गरीब महिलाओं का सशक्तीकरण एक प्रमुख उपलब्धि है.

अतः एसएचजी द्वारा चलायी जा रही आय प्रदायक गतिविधियों तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तक उनकी पहुंच ने, न केवल अन्य राज्यों का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है.

अन्य राज्यों तथा दूसरे देशों के अनेक प्रतिनिधि आंध्रप्रदेश में आकर एसएचजी आंदोलन तथा एसएचजी-बैंक संपर्क कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रशंसा कर चुके हैं.

आँध्र प्रदेश के सफलता मॉडल को देखते हुए हम निःसंदेह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एसएचजी के जरिये हम न केवल समाज में पहुंच से परे रहनेवाले लोगों तक पहुंच सकते हैं अपितु उनके जीवन-स्तर में पर्याप्त सुधार ला सकते हैं. इसके द्वारा उन 77 करोड़ लोगों, जिन्होंने अपने देश की सफलता / प्रगति के फल अभी तक नहीं चखे हैं, का आर्थिक विकास करके उनके अंदर की सामाजिक बुराइयों को काफी हद तक समाप्त कर सकते हैं.

रामलिंगेश्वर राव, वरिष्ठ प्रबंधक (कृग्राबैंवि), क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता एवं स्वसहायता समूह - सफलता की कहानियां

वी मरड्डी

भारत मूलतः एक कृषि प्रधान राष्ट्र है जिसकी 65% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है. अधिकांश जनसंख्या के ग्रामीण होने के कारण 48% घरों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. इनमें से भी 26% गरीबी रेखा के निचले स्तर पर हैं एवं केवल 21% ग्रामीण घरों की पहुंच बैंकिंग ऋण तक है तथा बैंकिंग प्रणाली केवल 20% ग्रामीण गरीबों को ऋण प्रदान कर रही है.

पिछले कुछ दशकों में बैंकिंग उद्योग ने तेज गति से विकास दिखाया है. सर्वतोन्मुख प्रगति यथा - वित्तीय व्यवहार्यता, लाभप्रदता, स्पर्धात्मकता के बावजूद यह चिंता का विषय है कि बैंक, जनसंख्या के बड़े हिस्से विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग को बैंकिंग की मूलभूत सेवाएं नहीं प्रदान कर पाए हैं एवं उन्हें अपने फोल्ड में नहीं ला पाए हैं. एक ओर ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले लगातार संपर्क करते रहते हैं तथा जिनके पास वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों की व्यापक शृंखला उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहां तक कि बुनियादी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं. इस स्थिति से उबरने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक को निदेश दिये हैं कि वह बैंकों को समावेशी विकास हेतु दिशानिर्देश जारी करे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया कि वे बीमा, नकदी प्रेषण(विप्रेषण), सामाजिक सुरक्षा आदि वित्तीय सुविधाएं वित्तीय समावेशन के तहत प्रदान करें.

उपरोक्त के मद्देनजर, **"वित्तीय समोवशन"** संकल्पना सामने उभर कर आई है, ताकि उन ग्राहकों को भी वित्तीय सुविधा प्रदान की जा सके जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. वित्तीय समावेशन/ माइक्रो फाइनेन्स ऐसे कई नए उपाय हैं जो निम्न आय स्तर वाले राष्ट्रों एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की आशा की किरण है. वित्तीय समावेशन

बैंक रहित क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने तथा गांवों के गरीब घरों को कम लागत पर वित्तीय सुविधा प्रदान कर गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करता है. गांवों में बसे गरीब परिवार बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं, लेकिन माइक्रो वित्तीय पहल, संविदागत ढांचा एवं संगठनात्मक प्रारुप तैयार करती है जिससे लघु एवं असंपार्श्विक ऋणों की लागत व जोखिम कम हो जाता है.

परिणामस्वरूप, बैंकों में **नो फ्रिल** खाते उदारतापूर्वक खोले जा रहें हैं. बचत खातों के मामले में न्यूनतम शेष /बिना शेष की संकल्पना को कार्यान्वित किया गया है. बैंक के खाताधारक द्वारा परिचय एवं पते में स्वयं घोषणा को स्वीकारते हुए केवाईसी मानदंडों में भी उदारीकरण लाया गया है. नई योजना जीसीसी (जनरल परपस क्रेडिट कार्ड) के तहत वित्तीय समावेशन के हिस्से के रूप में गांव के हर घर के व्यक्तिगत हिताधिकारी को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य पर होने वाले व्यय के आधार पर बिना किसी अड़चन के रू.25,000/- तक का ऋण दिया जाता है. बैंकों को निर्देश दिए गये हैं कि वे इन अभिनिर्धारित जिलों में नो फ्रिल खाते एवं जीसीसी जारी करते हुए 100% वित्तीय समावेशन कार्यान्वित करें. तथापि, ऐसा प्रतीत होगा है कि नो फ्रिल खाते खोलने एवं जनरल परपस क्रेडिट कार्ड जारीकरण को ही वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति मान लिया गया है.

स्वयं सहायता समूह के गठन से समाज में महिला वर्ग की स्थिति में आमूल परिवर्तन देखने को मिले हैं. जिन महिलाओं को कमजोर वर्ग की निःसहाय दृष्टि से देखा जाता था, वे ही महिलायें आज स्वावलंबी बन गई हैं एवं उन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम कर लिया है. इससे एक ओर जहां वे अपने परिवारों का सहारा बनीं तो वहीं दूसरी ओर उनमें सामाजिक जागृति भी देखने को मिलती है. महिलाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम हो गई हैं. विश्व के हर कोने में ऐसी ही कई महिलाओं की कहानी जुड़ी हुई है, जो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं.

इस प्रकार का प्रयास लगभग सभी राष्ट्रों में अपने महत्व का जाल बिछा रहा है. बांग्लादेश से भारत व इंडोनेशिया से केन्या तक के राष्ट्रों की सफलता की कहानी निम्नानुसार है :

पश्चिम बंगाल के लखीमपुर में बीड़ी कार्मिकों के लिए नो फ्रिल खाते खोलना :

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीड़ी तैयार करना एक प्रमुख आर्थिक क्रिया कलाप है. ये कार्मिक असंगठित क्षेत्र के होते हैं, जिसके कारण ये संगठित क्षेत्रों को मिलन

वाली सुविधाओं से वंचित होते हैं. ये अत्यंत ही गरीब होते हैं एवं दैनिक वेतन आधार पर मजदूरी करते हैं. उनके चेहरे से ही गरीबी झलकती है. ऐसी गरीब आबादी वाले क्षेत्र के लिए कुछ करने के उद्देश्य से बैंक ने इन कार्मिकों का शून्य शेष वाला खाता खोला. इससे लगभग 6000 कार्मिकों ने बचत बैंक खाता खोला. बैंक द्वारा उठाए इस कदम से कार्मिक इतने उत्साहित हो गये कि वे दैनिक वेतन का एक हिस्सा जमा करने लगे. इस प्रकार उनमें बचत की आदत पड़ गई एवं वे नियमित रूप से न केवल स्वयं को बल्कि अपने सगे संबंधियों को भी बैंक -फोल्ड में ले आये. इस प्रकार की सफलता की कहानी केवल एक गांव की ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है.

पश्चिम बंगाल के बर-गोरा बजार में कैदियों के लिए नो फ्रिल खाते खोलना :

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित बरहमपुर के सेंट्रल करेक्शनल होम के अधिकारियों के यहां कठोर सजा काटने वाले कैदी जो सफाईकर्ता, खाना बनाने वाले, माली व श्रमिक के रुप में कार्य करते हैं, जिनकी आय दैनिक वेतन के आधार पर होती है, के खाते खुलवाने हेतु जब बैंक ने उनसे संपर्क किया तो न केवल उन्हें आश्चर्य हुआ, बल्कि उन्हें खुशी भी हुई. संबंधित अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करते हुए शून्य शेष वाले खाते खुलवाये. इस प्रकार कैदियों की सजा समाप्ति पर रिहाई के समय बचत बैंक में रखी रकम वापस कर दी जाती है. रिहा हुए व्यक्ति सुधरे इंसान के रूप में जेल से इस उद्देश्य से छूटते हैं कि वे समाज की मुख्य धारा में एक बदले इंसान के रूप में अधिक आय कमाने में अपना पैसा निवेश करेंगे. बैंक के स्टाफ सदस्यों के महान मिशन का यह एक जीता जागता उदाहरण है.

गोबरगढ़ गांव का साथी समूह :

सरगीना, मोदीना, दिलवाड़ा एवं अफरोजा सभी साथी समूह की सदस्या हैं. **साथी समूह** यदि उनके जीवन में नहीं होता तो उनके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. सभी ने एक घर के बरामदे में जरी काम एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी कुशलता को तराशते हुए आज ये महिलायें विभिन्न उत्पाद बेचती हैं एवं सम्मानपूर्वक जीवन बिता रही हैं.

बरनी बीबी की कहानी :

रघुनाथपुर की बरनी बीबी पर तो मानो बचपन से ही कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा हो. पांच बच्चों का बोझ एवं निरुद्योग पति ने उसकी मुसीबतें और बढ़ा दी थीं. पश्चिम बंगाल

में स्थित एक एनजीओ **"एसएचआईएस"** ने उसमें आशा की किरण जगाई. एसएचजी की वह सदस्या बनी एवं थोड़े ही दिनों में उसे ठेले पर पुचका व्यापार करने के लिए रु.3000.00 ऋण का मिला. आज उसकी बेटी हाई स्कूल में पढ़ रही है.

लक्ष्मी मंडल की कहानी उन्हीं की जुबानी :

"हमें लग रहा है हम सशक्त हो गए हैं, हमें बैंक पर नाज है".

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में स्थित मेरुला का "**मेरुला निबेदिता स्वयंबर गोष्ठी**" - यहां के पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए वरदान है. बैंक ने शुरुआती तौर पर रु.8000.00 दिए जो अब बढ़कर रु.40,000/- हो गये हैं. बत्तख पालन, बकरी पालन, पुष्प खेती व मूड़ी बनाना आदि कार्यकलापों से इसके सदस्य जुड़े हैं. अपने परिवार के लिए ये सदस्य आय का स्त्रोत हैं - एसएचजी ने इनके जीवन को नई दिशा प्रदान की है.

दूरबीन संस्था के सदस्य :

दूरबीन संस्था के सदस्य हिंदुस्तान लीवर लि. के उत्पाद बेचते हैं.पश्चिम बंगाल हरिहरपाड़ा की मोदीना बीबी हिंदुस्तान लीवर लि. के उत्पादों को बेचकर प्रति माह रु.1200/- कमाती हैं. इस प्रकार वह न केवल स्वावलंबी बनी हैं बल्कि सफल गृहिणी और उद्यमी भी.

घोषपुर मैत्री महिला समिति :

इस समिति की रचना केवल 10 महिलाओं को लेकर हुई ,जो गत 8 वर्षों से लेकर आज भी इस समूह की सदस्या हैं. आरंभ में बचत की रकम प्रति माह रु.30.00 थी जो अब बढ़कर रु.40.00 हो गई है. इस प्रकार समूह के खाते की रकम रु.60,625/- है. इसके सदस्य सिलाई, डेरी, पापड़, चौमिन एवं चनाचूर बनाते हैं. इससे उन्हें अतिरिक्त रु.400/- से रु.600/- तक की कमाई हो जाती है.

अग्रदूत, स्वनिवर गोष्ठी ,दत्तापुकूर, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल

20 महिला सदस्यों की सहायता से समूह बनाया गया, जो गत 3 वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है. आरंभ में बचत की रकम प्रति माह रु.30.00 थी जो अब बढ़कर रु.60.00 हो गई है. यह समूह मिट्टी की विभिन्न मूर्तियों यथा गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि का निर्माण करता है. **स्वयनिर्भर गोष्ठी** के नाम से विख्यात इस समूह ने अपने जिले में प्रतिष्ठा स्थापित की है.

घूषपुर नबोदय उन्नयन समिति :

8 वर्ष पूर्व बना यह समूह 8 पुरुषों को लेकर प्रारंभ हुआ था, जो आज भी इसके सदस्य हैं. इस समूह की बचत रकम रु.65700/- है. इन्होंने बैंक से रू.867450/-का ऋण लिया है. इस समूह के सदस्य संभाव्य आर्थिक कार्यक्रम यथा बीड़ी तैयार करना, फर्नीचर तैयार करना एवं साड़ी बेचने का काम करते हैं. फर्नीचर तैयार करने में 8 समूह सदस्य सहित लगभग 36 कारीगर जुड़े हैं. इन कार्मिकों की मासिक आय लगभग रु.3000/- है. इसके अतिरिक्त यह समूह विभिन्न कार्यक्रम यथा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, ग्राम संसद बैठकें, ग्राम उन्नयन समिति, पल्स पोलियो कार्यक्रम आदि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

भादुड़ी पश्चिमपाडा शिव शंकर स्वनिर्भर गोष्ठी एवं भादुड़ी माधबी स्वनिर्भर दल :

इस संयुक्त समूह ने भादुड़ी गांव में रु.25000/- का तालाब 5 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया एवं मत्स्य पालन आरंभ किया तथा दो वर्षों में बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित किया. इसमें प्रत्येक समूह बारी-बारी से एक सप्ताह टैंक की देखरेख करता है. गत वर्ष उन्हें रु.10710/- के निवेश के पेटे रु.21,000/- का लाभ हुआ. मत्स्य पालन के अलावा समूह के सदस्य वैयक्तिक रूप से आम बागवानी , सब्जी बेचना, पुराने कपड़ों की खरीद, बकरी पालन एवं केला उगाने आदि जैसे विविध कार्यकलापों हेतु ऋण लेते हैं.

बरसात में जगोरानी स्वनिर्भर दल :

यह बहुत ही अनूठा समूह है. इस समूह के सभी 51 सदस्य शिक्षित हैं. रु.20,000 उनकी अपनी पूंजी है एवं उन्होंने बैंक से रु.25,000/- का ऋण लिया है. इन्होंने 10 कट्टा कृषि भूमि पट्टे पर ली है एवं रजनीगंधा फूल उगाना शुरु किया है. प्रतिदिन, स्थानीय बाजार में फूल बेचकर कमाई करते हैं. भविष्य में सलपता(पत्ती) प्लेट निर्माण की योजना है.

वैश्वीकरण के बढ़ते चरण के साथ आर्थिक विकास एवं इसके संवितरण की भी गुंजाइश है. राष्ट्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वैश्वीकरण के साथ जुड़े आर्थिक विकास का पूरा पूरा लाभ उठाए एवं यह सुनिश्चित करे कि इसका समान रूप से सभी वर्गों में वितरण सुनिश्चित किया जाए जिससे सामाजिक एवं आर्थिक रूप के दायरे में बहुत अंतर न हो. वित्तीय समावेशन विशेषकर इसी पर केंद्रित है एवं इसकी महत्ता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है. बैंकों को चाहिए कि वे अपनी कारोबार रणनीति में परिवर्तन

करें एवं "वित्तीय समावेशन" के सफल कार्यान्वयन हेतु इसे कारोबार के लिए अवसर मानें एवं इसे सामाजिक दायित्व मानते हुए इस ओर कारगर कदम उठायें. तकनीकी क्षेत्र से लेकर उन्हें हरेक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का पूरा लाभ उठाना चाहिए.

वित्तीय समावेशन एक वाणिज्यिक लाभप्रद कारोबार बन सकता है एवं समाज के गरीब एवं जरूरतमंदों की वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है. भविष्य के इस प्रकार आर्थिक विकास एवं समान वितरण को सफल बनाने में बैंकर होने के नाते यद्यपि हमारी भूमिका छोटी है, परंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है.

वी.मरड्डी, वरिष्ठ प्रबंधक (सरल), नोडल क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर

सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय साक्षरता

डॉ. अजित मराठे

सूक्ष्म वित्त के इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि सन् 1700 में लेखक जोनाथन स्विफ्ट (Jonathan Swift) ने आयरलैण्ड के निर्धन ग्रामीण लोगों के लिये सूक्ष्म वित्त संस्था आरम्भ की. सूक्ष्म वित्त का वर्तमान स्वरूप सन् 1990 में विकसित हुआ.

नाबार्ड ने अन्य देश जैसे बंगला देश, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अनुभवों के आधार पर सन् 1992 में प्रायोगिक स्तर पर 500 स्वयं सहायता समूह के गठन एवं उनके बैंक लिंकेज का अनूठा प्रयास किया, जिसके सुखद परिणाम मिले. नाबार्ड के इस अनुभव के आधार पर रिजर्व बैंक ने स्वयं सहायता समूह के बचत खाते खोलने एवं ऋण संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश बैंकों को जारी किए.

इस प्रकार व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के अलावा वित्तीय समावेशन हेतु अन्य संस्थायें जैसे स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई) आदि उभर कर आईं.

सूक्ष्म वित्त की परिभाषा :

ग्रामीण, अर्धशहरी एवं शहरी क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को छोटी राशि की बचत, ऋण एव अन्य वित्तीय उत्पाद एवं सेवा प्रदान करना, जिससे उनके जीवन स्तर और आय में वृद्धि हो सके. यहां पर छोटी राशि का अर्थ रु.50,000/- तक की राशि से है.

स्वयं सहायता समूह :

समूह के चयन हेतु निम्नलिखित मापदंड का अनुसरण करना होगा :

- समूह न्यूनतम 6 माह से अस्तित्व में होना चाहिए.
- समूह के सदस्यों द्वारा बचत की आदत प्रोत्साहित करना प्रतीत होना चाहिए.

- समूह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत भी हो सकता है.
- समूह में 10 से 25 सदस्य हो सकते हैं.

बैंक द्वारा समूहों को दिया गया ऋण कमजोर वर्ग की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा. बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण संबंधी अन्य प्रतिमान जैसे मार्जिन, प्रतिभूति आदि तय करने की स्वायत्तता है (मार्जिन, प्रतिभूति में शिथिलता सिर्फ आरंभिक योजना : पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित थी).

बैंक, समूहों को ऋण प्रदान करना अपना सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप मानें और इसे अपनी वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करें. बैंक इस कार्य को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में "स्वयं सहायता समूह को ऋण" विषय को आवश्यक रूप से शामिल करें और समय समय पर प्रगति का अवलोकन करें.

समूहों को प्रदान किए गए ऋण का उपयोग समूह के सदस्य उनकी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं. अतः किसी विशिष्ट श्रेणी में वर्गीकृत करना कठिन है. बैंक इन ऋणों को पृथक वर्ग "स्वयं सहायता समूहों को ऋण" में रिपोर्ट कर सकते हैं.

बैंक उन शाखाओं का चयन करें, जहां पर समूहों को ऋण प्रदान करने की सम्भावना है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें. चयनित शाखाएं अपनी सेवा-क्षेत्र योजना में इसे शामिल कर वार्षिक कार्ययोजना में लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं.

समूहों के गठन, बचत खाता खोलने, ऋण प्रदाय अनुश्रवण आदि कार्यों में गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अतः प्रत्येक विकास खंड में कार्यशील एनजीओ की सूची बैंकों को उपलब्ध की जायेगी. इन संस्थाओं को भी यह स्वतन्त्रता होगी कि वे ऐसी शाखाओं से समूहों को जोड़ें, जो इस कार्य में रुचि रखते हों, भले ही वे गांव सेवा क्षेत्र में सम्मिलित न हों.

बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा समूहों के बचत खाता खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. बैंक समूहों को उनकी बचत के अनुपात में 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकते हैं. पूर्व अनुभव यह है कि इन समूहों में ऋण चुकौती की दर सर्वोत्तम रही है. शायद इन ऋणों में अन्य सदस्यों का दबाव प्रतिभूति से भी बेहतर कार्य करता है. समूहों का स्वरूप एवं ऋण की मात्रा को देखते हुए बैंक दस्तावेजीकरण को और सरल बनाने का प्रयास करें.

समूहों में चूककर्ताओं (डिफाल्टरों) का होना ऋण प्रदान करने में बाधक न माना जाए, बशर्ते समूह चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो. ऐसी परिस्थिति में बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऋण का उपयोग चूककर्ता को वित्तपोषित करने हेतु न हो.

शाखा स्तर, नियंत्रक कार्यालय स्तर एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को इस ऋण प्रणाली के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु बैंकों को छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे.

स्वयं सहायता समूह को ऋण संबद्ध करने की प्रणाली तुलनात्मक रूप से नई होने के कारण बैंक इनका नियमित अनुश्रवण करें और नियंत्रक संस्थाएं जैसे नाबार्ड को विवरण भेजें, जिससे नियामक स्तर पर इनके अध्ययन एवं प्रगति की समीक्षा की जा सके. अब राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं जिला ऋण समिति स्तर पर भी इस कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी.

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) हेतु दिशा निर्देश :

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) को सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए. ऐसे एनबीएफसी जो 1) सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में कार्यरत हों 2) भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त हों 3) आम जनता से जमाराशि स्वीकार न करते हों, को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 451अ (पंजीकरण), 451ब (तरल आस्तियों का रखरखाव) एवं 451स (लाभ का आरक्षित निधि में अंतरण) के दायरे से मुक्त रखा गया है.

छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को आम जनता से जमाराशि प्राप्त करने से बाधित किया गया है.

ब्याज निर्धारण :

बैंकों को स्वयं सहायता समूहों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण में धारित ब्याज के मामले में स्वतन्त्रता दी गयी है कि वे अपनी दर स्वयं तय करें. इसी प्रकार समूहों द्वारा सदस्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर समूह अपने विवेकानुसार तय करेगा.

विस्तार एवं मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास :

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने हेतु सूक्ष्म वित्त कक्ष स्थापित किया है. नाबार्ड द्वारा जारी सिफारिशों के आधार पर बैंकों को इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं :

1. बैंक सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने हेतु अपना स्वयं का मॉडल चयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं. एक छोटे एवं सीमित क्षेत्र में इसे प्रारम्भ कर

प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है.

2. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया में उनकी साख, पुराना निष्पादन रिकॉर्ड, खातों के रख रखाव की प्रणाली, नियमित अंकेक्षण आदि को ध्यान में रखा जाये.
3. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बैंक बचत एवं ऋण के उत्पाद विकसित कर सकते हैं. इन उत्पादों में ऋण की राशि, मार्जिन राशि, चुकौती अवधि में लचीलापन बैंक, जरूरत के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं.
4. सूक्ष्म वित्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्ग में शामिल होगा. सूक्ष्म वित्त के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नही होंगे, परन्तु यह बैंक की प्राथमिकता होगी, जिसकी तिमाही अंतराल पर उच्च प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाएगी.

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ऋण :

- सर्वे एवं शोध कार्य से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऐसे क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां पहले से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा समूहों को बैंकों से पहले संबद्ध किया जा चुका है. कुछ क्षेत्रों में दो या अधिक सूक्ष्म वित्त संस्थायें सक्रिय हैं, जिससे एक ऋणी पर कई संस्थाओं का ऋण बोझ हो जाता है.
- कई सूक्ष्म वित्त संस्थाएं समूह गठन के 10 से 15 दिन में ही कर्ज मुहय्या कराती हैं. सामान्यतः यह माना जाता है कि समूह को परिपक्व होने में 6 से 7 माह का समय लगता है.

वित्तीय साक्षरता :

वित्तीय साक्षरता अथवा वित्तीय शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है : वित्तीय बाजार के उत्पाद एवं सेवाओं के साथ लोगों को परिचित कराना, जिससे वे उसमें निहित जोखिम और प्रतिफल को समझ सकें और अपने हित में वित्तीय फैसले कर सकें.

वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन आर्थिक उन्नति के दो महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. सन् 2007 में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंकों को प्रायोगिक स्तर पर प्रत्येक राज्य के

एक जिले में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफ एल सी सी) प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया. इन केन्द्रों के बारे में फीड बैक से ज्ञात हुआ कि यह केन्द्र वित्तीय परामर्श का केंद्र न होकर संबंधित बैंकों के विपणन केन्द्र होकर रह गए हैं. इसका मुख्य कारण था कि बैंकों के अपने सदस्य इन केन्दों में कार्यरत थे.

इन कमियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मॉडल योजना प्रारम्भ की है. इस योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बैंक स्वयं अथवा अन्य बैंकों की सहायता से न्यास/समिति गठित कर सकते हैं.
- ऐसी समिति/न्यास के बोर्ड पर स्थानीय सम्माननीय नागरिक को नामित किया जा सकता है.
- प्रायोजक बैंक से व्यावहारिक दूरी बनाये रखने के लिये वित्तीय साक्षरता केन्द्र संभवतः बैंक के भवन में न होकर कहीं अन्यत्र स्थित हो.
- यह ध्यान रखना होगा कि यह केन्द्र प्रायोजक बैंक के वसूली अथवा विपणन एजेंट की तरह कार्य न करे.
- ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्र में कृषि एवं अन्य कृषि संबद्ध कार्यकलापों से जुड़े लोगों को वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जब कि शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में ओवरड्राफ्ट क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक ऋण, आवास ऋण पर फोकस होगा.
- ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं ग्रामीण बैंकों की अधिक उपस्थिति होने के कारण वे इस क्षेत्र में और शहरी/महानगरीय क्षेत्र में निजी/विदेशी बैंक कार्य करेंगे.
- वित्तीय परामर्श केन्द्र जानबूझकर चूककर्ताओं के प्रकरण पर विचार नहीं करेंगे.
- इन केन्द्रों का कार्य स्थानीय भाषा में किया जाना वांछनीय होगा. सलाह / परामर्श मुफ्त होगा.

इन केन्द्रों में उपलब्ध परामर्श को हम दो भागों में बांट सकते हैं :

1. निवारण / रोकथाम

निवारक परामर्श में ऋण लेने से पूर्व मांगी जाने वाली सलाह जैसे ऋण पर ब्याज दर, प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क आदि अन्य सलाह जैसे बचत की आवश्यकता,

बैंकों एवं बीमा कंपनियों के विभिन्न उत्पाद, बचत/मियादी जमा/ऋण खाते पर ब्याज धारित करने की प्रक्रिया, नामित करने की प्रक्रिया, ग्राहक के अधिकार आदि. निवारक परामर्श को किन्हीं परिस्थितियों में बाध्य करने पर विचार भी चल रहा है. बैंक द्वारा प्रायोजित संस्था रूडसेटी को वित्तीय परामर्श केन्द्र से जोड़ने पर ऋणी को तकनीकी सलाह एवं प्रशिक्षण भी उपलब्ध होगा.

2. उपचारक परामर्श

ऐसे ऋणी, जिनके ऋण गैर निष्पादक हो चुके हैं या होने के कगार पर हैं, बैंक द्वारा सलाह देने पर एफएलसीसी के पास जाता है. ऐसे ऋणी को सेंटर में योग्य एवं प्रशिक्षित सलाहकार द्वारा ऋण पुनर्निर्धारण की योजना के बारे में बताया जाता है. बैंक द्वारा यह योजना मंजूर करने पर, स्वीकृत शर्तों के अनुसार ऋणी द्वारा राशि जमा कर दी जाती है. यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि परामर्श केन्द्र द्वारा ऋण वसूली का कार्य नहीं किया जायेगा.

उपसंहार :

बदलते परिवेश में जहां एक तरफ रिटेल ऋण, क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण आदि में तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में शिकायतें एवं गैर निष्पादक अस्तियां बढ़ने का भी अनुमान है. ग्रामीण इलाकों में किसान कार्ड के माध्यम से वृद्धि हुई है. इन परिस्थितियों में वित्तीय साक्षरता/परामर्श आवश्यक प्रतीत होता है.

डॉ अजित मराठे, मुख्य प्रबंधक(अग्रिम), क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

सूक्ष्म वित्त प्रणाली - विविध आयाम तथा चुनौतियाँ

अशोक गुप्ता

प्रायः सूक्ष्म-वित्त को सूक्ष्म-ऋण कह दिया जाता है. जबकि सूक्ष्म ऋण सूक्ष्म-वित्त का एक आयाम है. वस्तुतः सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत सूक्ष्म बचत, सूक्ष्म-ऋण, सूक्ष्म-धनप्रेषण, सूक्ष्म-बीमा, सूक्ष्म आवर्ती जमा तथा सूक्ष्म-पढ़ाई शामिल है. सूक्ष्म-वित्त एक विशद शब्द है जिसमें कम पहुँच वाले या आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की खुशहाली के लिए सभी जरूरी आधारभूत वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं.

हमारे देश में 6.28 लाख गाँव हैं किंतु ग्रामीण बैंक शाखाएँ मात्र 30000 हैं. यानी कि लगभग 6 लाख गाँव बैंक रहित हैं. इसके अलावा, रिपोर्टें यह भी कहती हैं कि हमारे देश की 49 प्रतिशत आबादी बैंक विहीन है अर्थात 120 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में 20 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तथा शेष 100 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोग बैंक विहीन हैं. इतनी बड़ी तादात में लोगों तक पहुंचने के लिए स्थायी शाखा आधारित बैंकिंग निम्नलिखित कारणों से संभव नहीं है :

1. शाखा बैंकिंग महंगी पड़ती है क्योंकि इसके लिए शाखा स्थापित करने में न्यूनतम 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं.
2. वित्तीय संव्यवहार की औसत साइज तथा इस संवर्ग के ग्राहकों से प्राप्त कारोबारी रकम इतनी अच्छी नहीं होती कि शाखा बैंकिंग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य ठहराया जा सके.

उपर्युक्त सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में कई गैर सरकारी संगठनों तथा निजी संस्थाओं ने इस संवर्ग में पहुँच बनाने के लिए सूक्ष्म वित्त हेतु कारोबार मॉडल बनाए, जिसकी लागत इन लोगों को स्वीकार्य थी. फलस्वरूप, कम पहुँच वाले या पहुँच से बाहर के इस संवर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म-वित्त संस्थाएँ कुकुरमुत्तों की तरह हमारे यहाँ पैदा हो गयीं. हालांकि ऐसी अधिकांश सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं (MFI) को जमाराशियों की

सेवाएँ देने की अनुमति नहीं है तथा वे सिर्फ सूक्ष्म-ऋण या सूक्ष्म-बीमा तक ही सीमित हैं. मगर ये संस्थाएँ भारी मात्रा में लाभ अर्जन की मंशा से अत्यधिक ब्याज दर वसूलती हैं, जिसके कारण सूक्ष्म-ऋण अनौचित्यपूर्ण हो जाता है.

इस स्थिति से निपटने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एम.एफ.आई. को ऋण उपलब्ध कराने की अनुमति बैंकों को दी है, ताकि अंतिम लाभार्थी का भार कुछ हल्का हो सके. बैंकों द्वारा एम.एफ.आई. को ऋण दिए जाने और एम.एफ.आई. की उधारी लागत घटने के बावजूद वे लाभ को अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने के स्थान पर स्वयं का लाभ बढ़ाने में लगी हुई हैं.

इस स्थिति के साथ-साथ एम.एफ.आई द्वारा अपनाये गये कठोर वसूली उपायों ने आंध्रप्रदेश की जनता में असंतोष पैदा किया है और देश के कुछ हिस्सों में आत्महत्या के मामले भी रिपोर्ट हुए हैं. इस कारण आंध्रप्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके ब्याजदर एवं प्रोसेसिंग प्रभार का लाभ अंतिम लाभार्थी को दिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस स्थिति पर प्रतिक्रिया स्वरूप श्री मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ब्याजदर की अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत की गयी.

एम.एफ.आई.की पहुंच कितनी भी बढ़ जाए अथवा उन पर ब्याज एवं अन्य प्रभारों के नियम भी लगा दिए जाएं फिर भी वे वित्तीय समावेशन अथवा सूक्ष्म-वित्त के परिपूर्ण संस्थान सही अर्थों में नहीं बन सकतीं क्योंकि एम.एफ.आई.सिर्फ एक ही पहलू अर्थात सूक्ष्म-ऋण एवं आंशिक सूक्ष्म-बीमा का ही कार्य करती हैं.

अतः समग्र वित्तीय समावेशन अर्थात सही मायने में सूक्ष्म-वित्त के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को शाखा रहित बैंकिंग हेतु अनुमति दी है. शाखा रहित बैंकिंग में बैंकों द्वारा शाखाएँ स्थापित करने की जरूरत नहीं है. तथापि, वे बाहर से लिए गए मॉडल, जिसे कारोबार प्रतिनिधि (Business Correspondence) कहा गया है, के माध्यम से इन ग्राहकों को सेवाएँ दे सकते हैं.

हमारा बैंक उन प्रथम बैंकों में है, जिन्होंने इस मॉडल को अपनाया तथा कम पहुंच वाले या पहुंच से बाहर के लोगों के विभिन्न संवर्गों के 60 लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़कर उनकी आवश्यकता के अनुकूल ग्राहकोपयोगी विविध उत्पाद तैयार करके अन्य बैंकों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है.

सामने आयी चुनौतियाँ :

1. नकदी प्रबंधन
2. प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों का ग्राहकोपयोगी होना
3. उत्पादों के बारे में हमारे स्टाफ-सदस्यों का सुग्राही होना
4. ग्राहकों में वित्तीय ज्ञान का होना
5. कारोबार प्रतिनिधि के एजेंटों का संघर्षशील होना
6. उत्पादों का क्रास सब्सिडाइजेशन
7. उत्पादों की क्रास सैलिंग
8. कारोबार प्रतिनिधि के एजेंटों को सुग्राही बनाना तथा उन्हें प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों का प्रशिक्षण देना
9. परियोजना में स्थायित्व का होना

यथोक्त चुनौतियों का सामना करने हेतु जानकारी में आए समाधान इस प्रकार हैं:

1. जब भी हाई टिकिट साइज हो, कर्तव्य परायणता एवं ट्रांजिट बीमा तथा हैंडलिंग प्रभारों के लिए 0.4 प्रतिशत नकदी प्रबंधन प्रभार देने का बैंक ने प्रस्ताव किया है.
2. हमने बायोमेट्रिक कार्ड तथा तकनीक विकसित की है जिसमें पर्याप्त लोच एवं विकल्प हैं. इसके अलावा, ऋण देने हेतु प्रयुक्त फार्म और दस्तावेज आसान हैं.
3. स्टाफ सदस्यों को वित्तीय समावेशन के प्रति सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गये हैं.
4. ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता हेतु कार्टून साहित्य, दृश्य-श्रव्य तथा लघु फिल्मों के माध्यम से जानकारी देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गये हैं.
5. हमने प्रोत्साहन आधारित कारोबार जुटाने की शुरूआत भी की है जिसकी अनुकूलता से कारोबार प्रतिनिधि आकृष्ट होकर अच्छा कमीशन पाने लगे हैं.
6. बचत तथा सूक्ष्म आवर्ती जमाराशियों को प्रोत्साहन देने हेतु हमने ग्राहकों को निःशुल्क प्रस्ताव दिए हैं, जिससे सूक्ष्म -ऋण देने में स्थायित्व आया है

और पहुंच से बाहर के ग्राहकों में वित्तीय समावेशन को स्वीकार्यता मिली है.

7. जहाँ भी सूक्ष्म धनप्रेषण विद्यमान है, उनके नकदी-फ्लो के आधार पर सूक्ष्म-आवर्ती जमा तथा सूक्ष्म-ऋण को सूक्ष्म-बीमा उत्पादों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है ताकि यह मॉडल कारोबार प्रतिनिधि एजेंटों और ग्राहकों के लिए औचित्यपूर्ण एवं स्थायित्व वाला बन सके.

8. प्रशिक्षण माड्यूल्स के माध्यम से कारोबार प्रतिनिधि के एजेंटों को उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी, ग्राहक सेवा तकनीक, उत्पाद तथा मॉडल के बारे में ग्राहकों की व्यवहार-विज्ञान से संबंधित जानकारी दी जाती है.

9. जब तक वित्तीय समावेशन को व्यापक नहीं बनाया जाता तथा ग्राहक को न्यूनतम तीन उत्पाद नहीं दिये जाते तब तक यह मॉडल स्थायी नहीं बन सकता. अतः यह सबसे बड़ी चुनौती होने के कारण सुस्थापित लागत-लाभ विश्लेषण और सभी स्टेक-धारकों को स्वीकार्य कराने हेतु जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए.

अशोक गुप्ता, उप महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

सूक्ष्म वित्त में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका

संदीप गुप्ता

भूमण्डलीकरण एवं वैश्वीकरण ने पिछले लगभग दो दशकों से विश्व की संपन्नता में अभूतपूर्व योगदान दिया है. इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसने समूचे विश्व को समेट कर एक धरातल पर ला खड़ा किया है.

परंतु पिछले लगभग एक दशक से यह अनुभव किया जा रहा है कि विश्व में हो रही संपन्नता अधूरी है. इसका प्रतिफल उतना परिलक्षित नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए. इसका एक मुख्य कारण है कि विश्व में आज भी ऐसी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है जो बेहद गरीब है, उपेक्षित तथा असहाय है तथा साधन विहीन है. जब तक ऐसे वर्ग की संपन्नता का आभास न हो, विश्व की संपन्नता अपूर्ण रहेगी. ऐसे वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक है कि उन्हें वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधाएं बेहद सहज एवं सरल ढंग से तथा बेहद कम लागत पर उपलब्ध हो जाएं. अपने जीवन यापन के लिए ऐसे लोग स्थानीय साहूकार पर निर्भर रहते हैं, जो वित्तीय सुविधाएं तो सरलता एवं सहजता से उपलब्ध करवा देते हैं परंतु उनके द्वारा निर्धारित ऊंची ब्याज दर तथा अन्य शर्तें ऋणी के स्वयं के जीवन पर्यन्त के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों तक ऋण से उबार नहीं पाती हैं तथा वे सदा ऋण के बोझ से दब कर गरीबी के चक्रब्यूह में फंस कर रह जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ सरकारी या गैर-सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपनी व्यावसायिक औपचारिकताओं एवं लागत के कारण ऐसे लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाती हैं. ऐसे में यक्ष प्रश्न सामने आता है कि किस प्रकार दुर्गम, दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले तथा बेहद निर्धन इन असहाय, वित्त एवं साधन विहीन लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए जिससे वे सबल एवं सामर्थ्यवान होकर स्वांवलंबी बन सकें तथा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ कर विकास का लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि सही मायने में वैश्विक संपन्नता तथा विकास तभी अर्थपूर्ण हैं जब देश तथा समाज

के सभी वर्गों तक उनकी पहुंच होगी. हर वर्ग, हर नागरिक साधन संपन्न होगा तो न केवल विकास तथा संपन्नता परिपूर्ण हो सकेगी अपितु असमानता, उपेक्षा एवं साधन विहीनता से उपजने वाले अनेकों प्रकार के अपराधों तथा अन्य सामाजिक समस्याओं की रोकथाम में सहायता मिल सकेगी.

विश्व के सामने खड़े यक्ष प्रश्न के उत्तर के रुप में यह निष्कर्ष निकाला गया कि समग्र एवं समावेशित विकास के लिए तथा अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वंचित एवं साधन विहीन लोगों को अल्प वित्तीय सहायता, अल्प लागत पर एवं सरल सहज तथा बिना औपचारिकताओं के अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएं. इसके लिए यह पाया गया कि चूंकि इस वर्ग की आवश्यकताएं बेहद कम होती हैं, जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म वित्त के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाए. चुनौती है साधनों को इन तक पहुंचाने की तथा उन्हें इसके समुचित उपयोग समझाने की . यह कार्य और भी अधिक दुष्कर हो जाता है क्योंकि ऐसे वर्ग के लोगों की समझ, शिक्षा एवं ज्ञान बेहद कम अथवा नगण्य होता है. लेकिन चुनौतियों से भरे इस कार्य को आज की सूचना प्रौद्योगिकी ने संभव कर दिखाया है.

इससे पहले कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा इससे प्राप्त लाभ की बात करें, आइए सूक्ष्म वित्त की अवधारणा पर एक दृष्टि डालें जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से साकार कर समावेशित विकास प्राप्त किया जाना संभव हो सकेगा.

सूक्ष्म वित्त :

सूक्ष्म वित्त अथवा माइक्रोफाइनैंस मात्र वित्तीय सहायता नहीं है अपितु यह निर्धन, साधन विहीन लोगों के लिए विभिन्न सुविधाओं से युक्त प्रणाली है. इसके अंतर्गत लोगों की अल्प अथवा सूक्ष्म बचत को जमा करना, बचत को बढ़ावा देना, सूक्ष्म ऋण सहायता प्रदान करना, सूक्ष्म बीमा एवं सूक्ष्म विप्रेषण इत्यादि भी शामिल है. इससे यह अभिप्राय है कि ऐसे वर्ग के लोग देश की अर्थव्यवस्था से जुड़कर विकास में सहायक हो सकें.

सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका :

वित्तीय सहायता से अधिक महत्वपूर्ण एवं चुनौती भरा कार्य है इस सुविधा की सुगम उपलब्धता. बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं अपनी लागत तथा अन्य सीमाओं के चलते साधन उपलब्ध करा पाने में असमर्थ अनुभव कर रहीं हैं. ऐसे में विभिन्न संस्थाओं ने बैंकों से जुड़कर यह चुनौती भरा कार्य करने का बीड़ा उठाया है.

भारत में सूक्ष्म वित्त सुविधा :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार एवं प्रदत्त अनुमति के अनुसार बैंकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे इस कार्य हेतु अपने एजेन्ट (बिज़नेस कारसपोण्डेन्ट) नियुक्त कर सकते हैं. ये एजेन्ट सम्बद्ध बैंकों की तरफ से घर-घर जाकर वित्तीय तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं.ऐसी ही एक संस्था है फिनो **(FINO)** जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीसी की तरह कार्य करती है. इस संस्था की कार्यप्रणाली के अनुसार ऐसे गांव तथा क्षेत्र जहां बैंकों की पहुंच नहीं है. संस्था के "बन्धु" वहां के रहने वाले ग्रामीणों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराते हैं. यह सेवा ग्रामीण जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं. "बन्धु" उसी गांव या क्षेत्र का ही कोई व्यक्ति होता है. यह व्यक्ति घर घर जाकर अथवा सभी की सुविधानुसार सेवाएं प्रदान करा देता है. सेवा प्रदान करने के लिए "बन्धु" सर्वप्रथम ग्रामीणों के बैंक खाते खोलते हैं. उन्हें एक विशेष कार्ड जिसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं, दिया जाता है. इस कार्ड में कम्प्यूटर चिप लगी रहती है, जिसमें उन ग्राहकों का पूरा ब्यौरा रिकार्ड रहता है. साथ ही यह कार्ड बायोमिट्रिक सिद्धांत पर कार्य करता है अर्थात खातेदारों के हाथों की अंगुलियों, आंख के रैटिना इत्यादि की पहचान दर्ज रहती है. इस स्मार्ट कार्ड में अन्य बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग सुविधाओं को रिकार्ड में रखने की सुविधा होती है जैसे बैंक का खाता विवरण, प्रेषण का रिकार्ड, सरकारी अनुदान, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि का विवरण, स्वास्थ्य बीमा, रेल-आरक्षण विवरण इत्यादि.

सुविधा को प्रदान करने के लिए "बन्धु" एक छोटी सी मशीन जिसे **POT (Point of transaction)** कहते हैं, अपने साथ रखता है. खातेदार नकद जमा या निकासी करने के लिए अपना स्मार्ट कार्ड प्रस्तुत करता है. स्वयं के सत्यापन के लिए उसकी बायोमिट्रिक पहचान मशीन द्वारा सत्यापित किये जाते हैं, जिसके रिकार्ड उसके कार्ड में पहले से ही दर्ज रखे जाते हैं. प्रक्रिया पूर्ण होने पर स्मार्ट कार्ड खातेदार को एक प्रिंट के साथ वापिस कर दिया जाता है. इस प्रिंट पर होने वाला ट्रान्सेक्शन का ब्यौरा दर्ज होता है. दिन भर के समस्त ट्रान्सेक्शन करने के पश्चात "बन्धु" इसे "डे एण्ड" प्रकिया के माध्यम से फिनों के केन्द्रीय सर्वर पर समूची जानकारी को अपडेट करा देता है. यह POT मशीन ऑनलाइन तथा ऑफ लाईन दोनों प्रकार से कार्य करती है. इसमें नेटवर्क बेसिक टेलीफोन अथवा मोबाइल के सिम कार्ड की भाँति सदा उपलब्ध रहता है.

बीसी द्वारा **POT** इत्यादि के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता गया है. "बंधु" गांव अथवा क्षेत्र का एक विश्वसनीय व्यक्ति होता है जो एक निश्चित राशि यथा प्रतिदिन रु.1000/- तक की राशि का व्यवसाय करता है. **POT** मशीन से किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात

इसको केन्द्रीय सर्वर के साथ अपडेट करना आवश्यक है. POT की मशीन में लगी बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 10-12 घंटे कार्य करती है. विद्युत उपलब्ध न होने के समय इसे सौर्य ऊर्जा से भी चार्ज किया जा सकता है.

चूंकि समस्त विवरण / डाटा प्रतिदिन केन्द्रीय सर्वर पर लोड कर दिया जाता है, इससे यह संभव हो गया है कि फिनों बैंकों की सीबीएस प्रणाली की तरह अपने कार्डधारकों को कहीं भी कभी भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सके तथा साथ ही एक कार्ड से अन्य कार्ड में धन अंतरण या प्रेषण कर सके. इससे दूरदराज काम करने गये प्रवासी लोग अपने स्वजनों को कार्ड अन्तरण के माध्यम से धन प्रेषित कर सकते हैं. साथ ही इस कार्ड के माध्यम से सरकार अपनी विभिन्न वेलफेयर योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्तियां अथवा राष्ट्रीय रोजगार जैसे भुगतान सीधे कार्ड में दर्ज कर प्रदान कर सकते हैं. बैंक ऋण राशि फिनों के केन्द्रीय सर्वर के माध्यम से ऋणी के कार्ड में जमा करवा सकते हैं. फिनों के मिनी एटीएम तथा अन्य सेवा प्रदाताओं तथा दुकानदारों के साथ हुए प्रौद्योगिकी करार के माध्यम से कार्डधारक अपने बायोमिट्रिक पहचान के माध्यम से नकदी आहरण कर सकते हैं तथा सामान की खरीद करने पर नकद धन की अपेक्षा अन्तरण से धन का भुगतान कर सकते हैं.

इसी प्रकार देश के अन्य बैंकों ने विभिन्न संस्थाओं को अपना बीसी नियुक्त किया है, जो इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देशानुसार देश के ऐसे सभी गांव जहां बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बीसी मॉडल के माध्यम से अगले दो वर्षों में बैंकिंग सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे. इस प्रक्रिया से एक तरफ ग्रामीण अपनी अल्प बचत को अनावश्यक रुप से खर्च न करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सरकारी सहायता, अनुदान भुगतान इत्यादि बिना किसी बिचौलिए के सीधे प्राप्त हो जाएंगे, ताकि वे राष्ट्रीय विकास का लाभ प्राप्त कर सकें तथा देश की मुख्य धारा से जुड़कर गौरवान्वित अनुभव कर सकें.

सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत ही ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता के बारे में भी ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था तथा उनसे दैनिक संबद्ध की वित्तीय महत्ता की बातें बताई जाती है.

इसके लिए गांव गांव में इंटरनेट कैफे (e-choupal) खुल रहे हैं, ताकि गांव के लोग देश-विदेश की घटनाओं से अवगत हो सकें.

मोबाइल पैंमेंट सेवा :

आज मोबाइल क्रांति ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्मयकारी अनुभूति प्रदान की है. सुलभ, सहज और बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हो जाने वाला यह छोटा सा पॉकेट -डिवाईस बातचीत मात्र न होकर अपने आप में एक चलता फिरता बैंक तथा व्यावसायिक कार्यों के लिए कहीं भी कभी भी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण है. आज भारत में लगभग 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनके पास मोबाइल है.जबकि अभी भी मात्र 35% आवादी के पास बैंक खाते हैं. विभिन्न बैंकों ने अलग-अलग मोबाइल कंपनियों से करार करके ऐसे लोंगों को बैंकिंग सुविधाएं देने की सुविधा प्रदान की है जो बैंकों तक पहुँच नहीं बना सकते.

IMPS सुविधा :

NPCI-National Payment Corporation of India के तत्वाधान में हाल ही में अन्तर बैंक धन अन्तरण 24X7X365 की सुविधा आरम्भ हुई है. इससे लाभार्थियों को हर समय अपने खाते में / से धन अन्तरण हो सकता है.

यूनियन बैंक मनी :

देश के एक ऐसे ही अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में **नोकिया मोबाइल कंपनी** से करार करके अपने नो-फ्रिल तथा अन्य खाता धारकों को यह सुविधा प्रदान की है कि वे बैंक की शाखा तथा वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यमों के अतिरिक्त देश भर में फैले नोकिया स्टोर से नकदी का लेनदेन, अन्य प्रकार के भुगतान कर सकते हैं.

इसी प्रकार "यूनियन इन्सटा कैश" सुविधा के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक अपने डेबिट कम एटीएम कार्ड की मदद से गांवों में अथवा अन्य चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से PoS के माध्यम से रु.1000/- तक का नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं.इसी प्रकार अन्य बैंक जैसे ICICI बैंक भी इन्सटा कैश की सुविधा ग्राहकों को देते हैं.

मोबाइल मनी के लिए यूनियन बैंक ग्राहकों को मोबाइल के माध्यम से धन अंतरण तथा अन्य भुगतान की सुविधा प्रदान करता है.

वित्तीय समावेशन की तरफ अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक **बायोमिट्रिक आवाज से युक्त एटीएम** पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव घवद्दी में स्थापित किया है. ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को देखते हुए इस एटीएम को सौर्य ऊर्जा से संचालन की व्यवस्था की गयी है, जिसे ए.सी. की अनिवार्यता अनिवार्य नहीं है. साथ ही ग्रामीण परिवेश इसकी अति संवेदनशील आवश्यकता को भी अनिवार्यता से मुक्त रखा है. अशिक्षित, बूढ़े एवं आधुनिक तकनीक से अनभिज्ञ ग्रामीणों को पिन की अपेक्षा बायोमिट्रिक पिन अर्थात अपने हाथ की अंगुलियों के निशान के रुप में पिन के माध्यम से संचालित करने की सुविधा से युक्त किया गया है.

आधार :

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना "आधार" वित्तीय समावेशन तथा सूक्ष्म वित्त की दृष्टि से एक बेहद कारगर एवं उत्तम कदम है. इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक कोड रहेगा. इस कार्ड में उस नागरिक का पूरा विवरण, बायोमिट्रिक पहचान इत्यादि दर्ज रहेंगे. यह कार्ड उस नागरिक की एक विशेष पहचान रहेगी. विशेषकर ग्रामीण तथा पिछड़े लोगों के लिए यह कार्ड बेहद लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें सरकार से प्राप्त होने वाली हर प्रकार की सुविधा सहायता, भुगतान इत्यादि सीधे

प्राप्त हो जाएंगे. अति उत्तम तकनीक से बने इस कार्ड का पूरा डाटा एक केन्द्रीय सर्वर पर दर्ज रहेगा, जिससे सरकारी अनुदान, सहायता इत्यादि सीधे केन्द्रीय स्तर पर उनके पास प्रेषित कर दी जा सकेगी.

विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूक्ष्म वित्त :

भारत की ही तरह विश्व के विभिन्न देशों में सूक्ष्म वित्त की सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

M-Pesa के नाम से प्रसिद्ध मोबाइल धन अंतरण तथा ऋण अदायगी की सुविधा **केन्या में** बेहद सफलतापूर्वक कार्य कर रही है. बैंक विहीन शाखा के रुप में यह सेवा लोगों को धन अंतरण तथा अन्य भुगतान संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रही है जो मुख्यतः सूक्ष्म वित्त के लाभार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गयी है. लगभग 60 लाख लोगों को यह सुविधा मोबाइल नेटवर्क आपरेटर सेफ्रीकाम (Safricom) जो वोडाफोन की संबंद्ध कंपनी है, द्वारा प्रदान की जा रही है जिसमें प्रतिदिन लगभग 20 लाख लेनदेन होते हैं. ऐसी ही सुविधा अब तन्जानियां तथा अफगानिस्तान में भी उपलब्ध है.

WIZZIT PAYMENTS LTD दक्षिण अफ्रिका में बैंक विहीन स्थानों पर ग्राहकों को अपने मोबाइल हैंड सेट से खाते का लेनदेन तथा अन्य विभिन्न प्रकार के भुगतान की सुविधा प्रदान करती है.

WIZZIT साउथ अफ्रीकन बैंक ऑफ एथेन्स का एक अंग है जो पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्तीय सेवा के लाभार्थियों को POS, Maestro Debit Card, ATM मोबाइल के माध्यम से सुविधा प्रदान करते हैं. साउथ अफ्रीका की लगभग 60% आबादी को बेहद कम लागत पर सुविधाएं प्रदान कर रही है.

माइक्रो फाईनैंस में अग्रणी **बांग्लादेश** में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्य बेहद तीव्रता से प्रगति पर है. **MIX - माइक्रोफाइनेंस सूचना एक्सचेंज** के माध्यम से 'ग्रामीण बैंक' गरीब तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान करने में तीव्रता से प्रयासरत है.

CELPAY नाम की मोबाइल भुगतान कंपनी **जांबिया तथा गणतांत्रिक रिपब्लिक कोंगो** में ग्राहकों की विशेष पहचान SIM (Special Subscriber Identity Module)

कार्ड प्रदान करती है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने मोबाइल से धन अंतरण, बिल भुगतान तथा अन्य प्रकार के भुगतान कर सकते हैं.

Globe G Cash या ग्लोब मनी **फिलीपिन्स** में इसी प्रकार से मोबाइल पेमेंट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के निवासियों को सुविधाएं प्रदान कर रही है.

उपसंहार :

निष्कर्षतः हम यह पाते हैं कि ऐसे वर्ग विशेष के लोग जो साधन हीन हैं, वित्त वंचित हैं, जो विकास के लाभ से वंचित हैं, को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा सही मायने में संपन्नता का भागीदार बनाने के लिए आवश्यक है कि;

- सुविधाएं उन तक सरलता एवं सहजता से पहुंच सकें.
- लागत बेहद कम अथवा नगण्य हो.
- उनकी समझ, ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमताओं के अनुरुप उत्पाद हो.

जितना आवश्यक साधन प्रदान करना है उतना ही चुनौती भरा कार्य है

- ऐसे उत्पाद तथा प्रणाली विकसित करना जो ऐसे लोगों की क्षमता, ज्ञान और समझ के अनुरुप हो, उन्हें आसानी से समझ आ जाए तथा उनका प्रयोग आसानी से कर सकें.
- लागत कम से कम हो.
- लोगों में उत्पाद तथा सेवाओं के प्रति विश्वास हो.
- जोखिम कम से कम हो.

इन सभी चुनौतियों भरे दुष्कर कार्यो को संभव किया है सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नत उपलब्धि ने. आज नेटवर्क तंत्र का तीव्र गति से प्रसार हुआ है. समूचे देश के कोने कोने में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता दिन-प्रतिदिन सुगम होती जा रही है तथा लागत भी कम होती जा रही है. ऐसे में दुर्गम तथा बिखरे क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाने, विस्तृत सुविधाएं प्रदान करने में मोबाइल नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस तंत्र का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे बायोमिट्रिक कार्ड, एटीएम, पीओएस, मोबाइल पेमेंट इत्यादि सभी को सहज उपलब्ध हो गए हैं, जिनका प्रयोग भी बेहद आसान है. इन उत्पादों के प्रयोग से ग्राहक न केवल बैंकिंग कार्य अपने स्थान पर अपने समय एवं सुविधानुसार कर सकते हैं. साथ ही विभिन्न प्रकार के भुगतान यथा बिल भुगतान, बस किराया भुगतान, टिकट बुकिंग

इत्यादि भी कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त उनके पास सरकारी अनुदान सहायता इत्यादि सीधे खाते में आ सकेगी, जिससे बिचौलियों के माध्यम से क्षय हो जाने वाले धन पर रोकथाम लग सकेगी. वहीं दूसरी तरफ डाटा बैंक के माध्यम से एकत्रित जानकारी के जरिये लोगों को ऋण प्राप्त करने तथा अपनी साख को प्रमाणित करने में सहायता मिलेगी. डाटा बैंक से ऐसे लोगों की पहचान करने में भी बेहद सहायता मिल सकेगी जो किसी न किसी प्रकार से ऋण अथवा वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी हैं, ताकि भविष्य में ऐसे लोगों पर नज़र रखी जा सके तथा उन्हें पुनः ऋण न प्रदान किया जा सके.

कोई जमाना था जब कहा जाता था कि गरीबों को ऋण नहीं दिया जा सकता, वे ऋण की अदायगी नहीं कर सकते. परंतु आज चहुंमुखी विकास की आवश्यकता ने इस सोच को झुंठला कर यह अपरिहार्य कर दिया है. गरीब वंचित एवं साधनहीन जब तक सबल, सामर्थ्यवान नहीं होंगे, विकास तथा संपन्नता बेमानी है तथा इसके साथ ही व्यवसाय के व्यापक अवसर प्रदान करता एक वृहद बाजार भी उपलब्ध कराना है.

आने वाला समय सूक्ष्म वित्त की पहुँच बनाने में बेहद क्रांतिकारी होने वाला है. भारतीय जीवन बीमा निगम, डाकघर, नोकिया स्टोर इत्यादि को BC बना कर देश भर में फैले इनके नेटवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग से देश के लाखों लोगों से संपर्क करना संभव हो सकेगा जो अभी तक इनसे वंचित हैं. जहाँ तक बैंक की व्यावसायिक शाखा के माध्यम से जुड़ना दुष्कर है. निश्चित ही इससे ऐसे वर्ग के लोगों को देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ कर विकास का लाभ प्रदान किया जा सकेगा.

अंतत, एक छोटी सी कहानी हम सब ने सुनी होगी :

एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था. समुद्र में ऊँची ऊँची लहरें उठ रही थी. हवा के तेज झोंकों के साथ उठती लहरें किनारे पर टकराती थीं और वापिस लौट जाती थीं. उठती हुई हर लहर के साथ ही समुद्र में से हज़ारों छोटी छोटी सुनहरी मछलियाँ किनारे पर गिरती थीं. और वहीं गिर कर छटपटाती दम तोड़ देती थीं. उस व्यक्ति ने यह नजारा देखा तो उससे नहीं रहा गया. वह भाग भाग कर मछलियों को उठाता और एक एक करके उन्हें वापिस समुद्र में फेंकता जाता था. तभी वहाँ से गुजरते एक दूसरे व्यक्ति ने यह देखा तो उसने पहले व्यक्ति से पूछा कि यह क्या पागलपन कर रहे हो. इस समुद्र में लाखों ऐसी मछलियाँ हैं. इनमें से कुछ मर भी जाएँगी तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा. उस व्यक्ति ने बिना अपना काम रोके कहा कि निःसंदेह इससे समुद्र को कोई फर्क नही पड़ेगा *परंतु हर उस मछली को जरूर फर्क पड़ेगा जिसे मैंने वापिस पानी में फेंका है!*

साथियों यह संसार एक विशाल समुद्र है और इसमें आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें प्रगति क्या होती है, मालूम नहीं है, इसकी अनुभूति कैसी होती है कुछ पता नहीं है. इंटरनेट के इस युग में कम्प्युटर तो दूर बिजली क्या होती है यह भी पता नहीं है. जो एक दीपक और दो वक्त का भर पेट खाना जुटाने में सारी उम्र बिता देते हैं. ये वो मछलियाँ हैं जिन्हें आधुनिक विकास से लबरेज समुद्र के पानी की तलाश है. ऐसी ही एक भी मछली को यदि हम जीवन दान दे सकें तो हमें लगेगा कि हम अपना जीवन सार्थक कर पाए हैं और तभी विकास और आधुनिकता की सच्ची अनुभूति हो पाएगी.

संदीप गुप्ता,वरिष्ठ प्रबंधक(संकाय),स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ

सूक्ष्म वित्त प्रबंधन एवं सरकारी योजनाएं

रणनिपुण बनर्जी

पिछले कुछ वर्षों से ही वित्तीय संस्थाओं में लघु व सूक्ष्म वित्त काफी चर्चा मे आए हैं. जहाँ सरकारी वित्तीय संस्था व बैंक अधिकतर बड़े ऋणों के प्रति ही रुचि रखते थे, पिछले वर्षों से वे भी सूक्ष्म वित्त पर आग्रही हुए हैं. छोटी रकम के बचत संग्रहण और ऋण से ले कर बीमा भी सूक्ष्म वित्त प्रबंधन के अंतर्गत समावेशित हैं. हमारे देश में एक बड़ी संख्या में गरीब और अत्यधिक गरीब ग्राहक बैंकिंग सेवा का लाभ नहीं उठा पातें हैं. उन लोगों के पास न तो संचय के लिये पर्याप्त धनराशि होती है और न ही बैंक के मानदंड के अनुसार उन्हें ऋण के काबिल माना जाता है. गरीबी रेखा के नीचे और आसपास रहने वाले इन लोगों के लिए अपनी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी प्राथमिक ज़रूरतें ही इतनी महंगी होती हैं कि वे ऋण मिलने पर भी उसे सही ढंग से निवेश नहीं कर पातें हैं और इस तरह ऋण की चुकौती खतरे में आ जाती है. अधिकतर वित्तीय प्रतिष्ठान इसलिए इन लोगों को ऋण बांटने में हिचकिचाते हैं.

इस स्थिति में इन लोगों के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो उन लोगों को न सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें, अपितु उनकी आमदनी बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए भी कामयाब बना सकें, जिससे कि वे ऋण को उत्पादनशील और लाभप्रद कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करें और उस लाभ की राशि से ही ऋण चुकौती करें. इसलिए गरीबी रेखा के नीचे एवं आसपास रहने वाले इन लोगों को ऐसे सुरक्षा कार्यक्रमों की ज़रूरत है, जो आम ऋण योजना जैसे न हों, क्योंकि यहाँ ऋण समीक्षा और संवितरण आदि के साथ साथ ग्राहक प्रशिक्षण को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा.

इसी तरह सूक्ष्म वित्त प्रबंधन दुनिया में एक अहम भूमिका निभाता है. हमारे देश में सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए कई संस्थाए उपलब्ध हैं जिन्हें हम सूक्ष्म वित्त संस्था (MFI) के नाम से जानते हैं. मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में परिचालित इन सब संस्थाओं के साथ-साथ और एक तरह के व्यक्ति/ प्रतिष्ठान की मौजूदगी हमारे देश में है जो सदियों

से तथाकथित सूक्ष्म वित्त या सूक्ष्म ऋण प्रदान करते आ रहे हैं. वो हैं ग्रामीण साहूकार लोग. अत्यधिक ब्याज दर और कठोर शर्त पर लघु ऋण बाँटने वाले इन साहूकारों की लपेट में आज भी ग्रामीण भारत के अधिकतर प्रांतिक लोग फंसे हुए हैं.

ग्रामीण आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा और कठिन चुनौतियों में से एक है प्रांतिक स्तर पर सार्वजनिक बैंकों की गैर-मौजूदगी. भारत में क़रीब सात लाख गाँव हैं, जिनमें से आधे से अधिक गाँवों की आवादी 500 से कम है. ऐसे गाँवों में शाखा खोलना बैंक के लिए लाभप्रद नहीं है. वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समावेशी विकास है और इस विकास में ग्रामीणों को सूक्ष्म राशि के रूप मे ऋण देने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को भी शामिल किया गया है. ये संस्थायें हैं कुछ स्वयं-सहायता समूह, कुछ सहकारी और कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय प्रतिष्ठान (NGO).

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों की कमी ने लघु वित्तीय प्रतिष्ठानों को अपना कारोबार बढ़ाने हेतु परोक्ष रूप से प्रोत्साहित किया है. जहाँ ग्रामीण जनता साहूकारों की मनमानी पर चलते हुए अपने सारे साधन तक गिरवी रखने की आदत बना चुकी है, वहीं कुछ लघु वित्तीय प्रतिष्ठानों ने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने ढंग का वित्त प्रबंधन शुरु कर दिया है. इनमें ग्राहकों से ऊँची दरों पर ब्याज, प्रत्याभूति की आवश्यकता पर जोर देना, वसूली के लिए दबाव आदि कारनामें शामिल हैं.

गरीबों को वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना काफ़ी खर्चीला है, क्योंकि यहाँ अग्रिम राशि कम होने के कारण संचालन खर्च (जो नियत लागत होती है) का हिस्सा ब्याज रकम की तुलना मे काफ़ी अधिक होता है और इसलिए ब्याज दर अधिक रखनी पड़ती है. दूसरी समस्या है जोख़िम प्रबंधन के दृष्टिकोण से. जहाँ ग्राहक अपनी प्राथमिक ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं, वहाँ ऋण का सही व लाभप्रद उपाय के रुप में इस्तेमाल करके उसकी आय से ब्याज और किस्त चुकाने के वादे पर अनिश्चयता अधिक होती है. साथ ही अगर अवसर लागत (opportunity cost) का आंकलन करें तो बैंक या वित्तीय संस्था को ब्याज दर अधिक रखनी ही पड़ेगी जो गरीबी-रेखा से लड़ रहे एक प्रांतिक व्यक्ति के लिए सुविधाजनक नहीं है.

यहीं पर आती है स्वयं-सहायता समूह और सरकार की भूमिका. स्वयं-सहायता समूह या स्वयं सेवी संगठन अपने सदस्यों से न सिर्फ़ जमाराशि एकत्रित करतें हैं, बल्कि उनकी आवश्यकता पर ऋण भी देते हैं. वैसे तो ग्रामीण इलाके के गरीब लोग बचत करते ही हैं, पर उसे हम सामान्य वित्तीय मानक से "बचत" नहीं समझते हैं. ग्रामीण इलाके के लोगों का संचय मुख्य रूप से ज़मीन, पशुधन व फसल की मौजूदगी में ही निर्भर रहता

है. किसी वित्तीय सम्पत्ति का उन्हें आश्रय नहीं होता है, फलस्वरूप जब रुपये की आपातकालीन ज़रुरत पड़ती है तो सही मूल्य का विनिमय नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में वे साहूकारों के कब्जे में आ जाते हैं जो उनकी सम्पत्ति गिरवी रखकर अपने उधार का विस्तार करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को अपने कब्जे में लाने का प्रयास करते हैं. स्वयं-सहायता समूह और गैर-सरकारी प्रतिष्ठान इस स्थिति से लोगों को बचाने के लिये वित्तीय सम्पत्ति, जैसे बैंक व बीमा कम्पनी में जमा, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि का परामर्श देते हैं और छोटी छोटी रकम को एकत्रित करके निवेश भी करते हैं.

बैंक से स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों को उपभोग तथा आत्मनिर्भरता के लिये ऋण भी मिलता है और यह आसान शर्त पर प्रतिदेय होता है. बैंक संचालन खर्च कम करने के लिए और निगरानी सरल करने के लिए समूह के रूप में ऋण देते हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक भी ऐसे ऋण देते हैं. ये ऋण खुदरा व्यापार, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग आदि के लिए उपलब्ध होते हैं. बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त लेकर आत्मनिर्भर होने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले हैं, जहाँ जरुरतमंद व्यक्ति अपने आप को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करके इस प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं.

स्वयं-सहायता समूह और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों की सहायता हेतु भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमकर्ता विकास प्रतिष्ठान और लघु उद्योग सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से भी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है. हमारे देश में ऐसे लगभग 2000 गैर सरकारी प्रतिष्ठान हैं जो इस प्रशिक्षण प्रणाली में शामिल हैं. इनमें से करीब 800 प्रतिष्ठान सूक्ष्म वित्तीय मध्यस्थता से जुड़े हैं. इसके अलावा 350 नयी पीढ़ी की सहकारी संस्थाएं भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त व संचय सेवा प्रदान करती हैं. भारत सरकार ने अपने विशाल ग्रामांचल को वित्तीय (मुख्यतः बैंकिंग) परिसेवा के अंतर्गत लाने के लिये वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का आयोजन किया है. इस योजना के अंतर्गत देश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को बैंक परिसेवा के अंतर्गत करने का प्रयास है. इस प्रक्रिया को कुछ चरणों में बांटा गया है और प्रत्येक बैंक हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया गया है. इस प्रक्रिया में अद्यतन तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा और निजी क्षेत्रों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा की सुविधा प्रदान की जाएगी. इस पद्धति से दूर-दराज के गाँवों में बैंक की शाखा न होते हुए भी लोगों को बैंक से प्राप्त होने वाली लगभग सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

हमारे देश में दरिद्रता उन्मूलन के लिए लागू बहुत सी सरकारी योजनायें अपने अपने ढंग की वित्तीय सब्सिडी की सुविधा प्रदान करके भी सम्पूर्ण रूप से सफल नहीं हो

पायीं हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखा की मौजूदगी के बावजूद ज्यादा से ज्यादा परियोजनायें कामयाब नही हो पायीं हैं. इस विषय पर काफी चर्चा भी हुई है. सांख्यिकीय सूचना को सामने रखते हुए यह स्पष्ट है कि मूलस्रोत बैंकिंग से जुड़े प्रतिष्ठानों से गरीबों की समस्या हल नहीं हो पायी है. बैंकों की कार्य प्रणाली उन लोगों की समझ से बाहर है. इसलिए सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था और दरिद्र नागरिकों के बीच सेतुबंधन के लिए सूक्ष्म-वित्त संस्था, स्वयं-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था तथा पंचायत स्तर पर काम करने वाली और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की भूमिका अपनायी है. केंद्रीय बजट में भी इस योजना के लिए मंजूरी दी गई है. अनेक राज्यों में इस पद्धति से दरिद्रता उन्मूलन के प्रकल्प को साकार करना सम्भव जैसा अनुभव हो रहा है. वर्तमान वित्तीय समायोजन, स्वयं-सहायता समूह से स्वल्प-संचय व ऋण आदि परियोजना अगर सही रूप से कार्यान्वित की जाए और केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की सही और पर्याप्त निगरानी बनी रहे तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब हमारे देश से महामारी जैसी फैली हुई यह दरिद्रता की बीमारी स्थायी रूप से दूर हो जाएगी.

रणनिपुण बनर्जी, शाखा प्रबंधक, सिलीगुड़ी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी शाखा, सिलीगुड़ी